Monday, 14 May, 1979

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

6th Lok Sabha

[खंड 27 में अंक 51 से 59 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 55, सोमवार, 14 मई, 1979 / 24 वैशाख, 1901 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर .	...	1—18
* तारांकित प्रश्न संख्या : 1094 से 1096, 1098, 1100, 1101 और 1105 से 1107		
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	18—166
तारांकित प्रश्न संख्या : 1093, 1097, 1099, 1102 से 1104 और 1108 से 1113		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 10495 से 10694		
अतारांकित प्रश्न संख्या 1991 दिनांक 31-7-78 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 9177 दिनांक 30-4-79 के शुद्धि करने वाला विवरण	...	167—169
स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में	...	169—170
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	170—173

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 173—177
अलवाये स्टेशन के निकट त्रिवेन्द्रम-बम्बई जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी के साथ एक बस की टक्कर

श्री सी० एन० विश्वनाथन ... 173

प्रो० मधु दण्डवते ... 175

श्री राम विलास पासवान ... 176

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबन्धी समिति 178
11वां प्रतिवेदन

गुजरात में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों के बारे में दिनांक 24 अप्रैल, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 851 के उत्तर में शुद्ध करना ... 178—179

हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) संशोधन विधेयक पुरःस्थापित ... 179

नियम 377 के अधीन मामले 180—187

(एक) सीमेंट उद्योग के श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के सम्बन्ध में मध्यस्थ निर्णयों को कार्यान्वित न किया जाना

श्री के० राममूर्ति 180

(दो) लोक सभा के कतिपय सदस्यों द्वारा कृषि भवन के सामने भारतीय खाद्य निगम द्वारा ठेके पर मजदूरों को नियुक्त करने की प्रणाली को समाप्त करने की अपनी मांग के समर्थन में धरना

श्री रतनसिंह राजदा 180

(तीन) कलकत्ता विश्वविद्यालय को गैस की सप्लाई में कथित कमी के कारण व्यावहारिक भौतिक विज्ञान विभाग में शैक्षिक तथा अनुसन्धान कार्यकलाप बन्द होना

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती ... 181

(चार) राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय को विजयवाड़ा से हटाने के कथित प्रस्ताव को लेकर आंध्र प्रदेश में व्याप्त असन्तोष		
श्री के० सूर्यनारायण	...	182
(पांच) इण्डियन कोआपरेशन मिशन हाईवे प्रोजेक्ट (नेपाल) में सेवा की कथित असन्तोषजनक शर्तें		
श्री दीनेन भट्टाचार्य	...	183
(छः) तिनसुकिया मेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधायें		
श्री इस्माइल हुसैन खां	...	183
(सात) टांडा, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिये आवश्यक स्टेपल धागे और अन्य कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि		
श्रीमती मोहसिना किदवई	...	185
(आठ) भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता		
श्री हरिविष्णु कामत	...	186
गोवा, दमन और दीव बजट, 1979-80—सामान्य चर्चा तथा वर्ष 1979-80 के लिये (गोवा दमन और दीव) की लेखानुदानों की मांगें	...	187—213
श्री एडुआर्डो फैलीरो	...	187
श्री समर मुखर्जी	...	193
श्री अमृत कासर	...	195
श्रीमती पार्वती कृष्णन	...	200
श्री पूर्णनारायण सिन्हा	...	202
श्री धनिक लाल मण्डल	...	206
श्री सतीश अग्रवाल	...	208
गोवा, दमन तथा दीव विनियोग (दूसरा लेखानुदान) विधेयक—पुरःस्थापित	...	213—214
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 23वें तथा 24वें प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव		214—278
श्री आर० एल० कुरील	...	214

श्री के० सूर्यनारायण	...	220
श्री शक्ति कुमार सरकार	...	224
श्री छवि राम अर्गल	...	230
श्री सी० एन० विश्वनाथन	...	236
श्री गोविन्दा मुण्डा	...	238
श्री रामलाल राही	...	241
श्री डी० जी० गवई	...	245
श्री राम विलास पासवान	...	254
श्री शिव नारायण सरसूनिया	...	255
श्री बी० रचैया	...	259
श्री राम कंवर बैरवा		265
श्री नन्दी येल्लैया	...	268
श्री दुर्गा चन्द		271
श्री लक्ष्मीनारायण नायक		274
श्री धीरेन्द्रनाथ बसु	...	278

लोक सभा

सोमवार, 14 मई, 1979/24 वैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा दस बजकर 35 मिनट पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता और पाठ्यचर्या में परिवर्तन

*1094. **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि राजधानी में गत दो वर्षों के दौरान पाठ्य-पुस्तकों की कमी रही है और बाजार में पुस्तकों की उपलब्धता के अनुरूप पाठ्यचर्या में प्राय: परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे वणिक मनोवृत्ति वाले ऐसे गैर-सरकारी प्रकाशकों की मनमानी से बचने के लिए किसी भी स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन की कोई योजना नहीं है जो पाठ्य पुस्तकों के अभाव में सभी विषयों के लिए 'गाइड' प्रकाशित कर देते हैं और कभी-कभी उन्हें निर्धारित पुस्तकों के रूप में बेचते हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) मुख्य रूप से शिक्षा की नई प्रणाली को लागू करने के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की चन्द पुस्तकें कुछ विलम्ब से प्रकाशित हुई थी । पटेल पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर वर्ष 1978-79 की परीक्षाओं की पाठ्यचर्या को शंशोधित कर दिया गया था । तथापि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने हाल ही में पुस्तकों के पुनर्निर्माण और संवितरण सम्बन्धी अपनी नीति को कारगर बना दिया है ताकि भविष्य में इस प्रकार की किसी सम्भावी घटना से बचा जा सके ।

(ख) प्रत्येक शैक्षिक सत्र में पांडुलिपियों को तैयार करने से लेकर पाठ्य-पुस्तकों के संवितरण तक हर चरण पर सत्र के लिए अपेक्षित पाठ्य पुस्तकों के लिए विस्तृत योजना होती है ।

जहां तक प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा गाईडें प्रकाशित करने का सम्बन्ध है, सरकार के पास कोई टिप्पणी नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों ही गाईडों के प्रयोग के विरुद्ध है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद विभिन्न विषयों के लिए कार्य-पुस्तकें और अध्यापक गाईडें प्रकाशित करती है। तथापि पिछले दो वर्षों में इतनी बड़ी संख्या में जो मूल पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करनी पड़ी थीं, उसके कारण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के लिए अद्यतन तथा नई कार्य पुस्तकें और गाईड पुस्तकें प्रकाशित करना सम्भव नहीं था।

चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा : अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि राजधानी में गत दो वर्षों के दौरान पाठ्य-पुस्तकों की कमी रही है और बाजार में पुस्तकों की उपलब्धता के अनुरूप पाठ्यचर्या में प्रायः परिवर्तन किया गया है ?

डा० प्रताप चंद्र चंद्र : मान्यवर, ये शिकायतें सही हैं कि पिछले साल में पुस्तकों की कुछ कमी थी। इसके लिए एन० सी० ई० आर० टी० ने नया प्रबन्ध किया है। इसके मुताबिक एन० सी० ई० आर० टी० कुछ स्कूलों में पुस्तकें भेजता है और इसके अलावा सरकार का जो पब्लिकेशन डिविजन है, उसकी मारफत भी पुस्तकें भेजी जाती हैं।

चौ० हरीराम मक्कासर गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि वाणिक मनोवृत्ति वाले गैर-सरकारी प्रकाशक, पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन की कोई योजना न होने से, पाठ्य-पुस्तकों के सभी विषयों के लिए गाइड प्रकाशित कर देते हैं और मनमाने ढंग से यह काम करते हैं ? वे लोग गवर्नमेंट की स्वीकृति के बिना मनमाने ढंग से भी ऐसी पुस्तकों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी मनमानी रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मान्यवर, कोई मनमाने ढंग से काम नहीं चल रहा है। कुछ गैर-सरकारी प्रतिष्ठान पाठ्य पुस्तकें छापते हैं लेकिन वे ठीक वक्त पर नहीं आती थीं इसलिए इसमें परिवर्तन किया गया है कि एन०सी०ई०आर०टी० पुस्तकें छापेगा और इसके अलावा हमारा जो सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन है वह भी गैर सरकारी संस्थाओं से किताबें लेकर उनका पाठ्य-पुस्तकों के रूप में प्रयोग करेगा।

श्री रिनचिंग खाण्डू ख्रिमे : पाठ्य पुस्तकें नए शैक्षिक वर्ष के आरम्भ होने तक भी देश के विभिन्न भागों में नहीं पहुंच पा रही हैं। साथ ही पाठ्य पुस्तकों की हमेशा कमी भी रही है। यह समस्या अरुणाचल जैसे पूर्वी राज्यों में अधिक है। राज्यों के शिक्षा बोर्डों ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकें अपने माध्यमिक स्कूलों में लगा रखी हैं। उन्होंने परिषद् को पुस्तकें भेजने को कहा है, आमतौर पर ये पुस्तकें राज्य में समय पर नहीं पहुँचती हैं। इनके उपलब्ध न होने के कारण अध्यापकों और छात्रों को काफी कठिनाई होती है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद प्रकाशकों को प्रकाशन हेतु उनके नमूने भेजे जायेंगे जो इन्हें सीधे ही सम्बद्ध स्कूलों को भेजेंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : देश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न बोर्ड और पाठ्य-पुस्तक समितियां हैं जो पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करती हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा कुछ अन्य स्कूलों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करती है। अतः पिछले दो वर्षों में पुस्तकों की उपलब्धता के बारे में कुछ शिकायतें रही हैं। हमने नियमों में परिवर्तन किया है। अब अखबारों में विज्ञापन दे दिया गया है ताकि स्कूल अपनी आवश्यकता के लिए सीधे ही परिषद् को आर्डर दे सकें। अतः अधिकांश पुस्तकें इस परिषद् द्वारा सप्लाई की जाती हैं। छोटी-मोटी आवश्यकता की पूर्ति सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अधीन के सरकारी पुस्तक विक्रेताओं से खरीद कर ली जा सकती है। ये इन पुस्तकों की पूर्ति करते हैं। इस तरह हम इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री ए० ई० टी० बैरो : महोदय, क्या यह सही नहीं है कि ईश्वर भाई पटेल समिति ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें करनी चाहिए और उसे प्रकाशन के काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए ? उसे तो बोर्ड को किताबों में क्या कुछ होना चाहिए इसकी सलाह देनी चाहिए और पुस्तकों का प्रकाशन राज्य सरकारों तथा अन्य अधिकरणों द्वारा किया जाना चाहिए।

डा० प्रताप चंद्र चंद्र : जैसा मैंने कहा इस काम के लिए राज्य बोर्ड और राज्य पाठ्य-पुस्तक समितियां बनी हुई हैं। वे स्तम्भ रूप से काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी 12वीं श्रेणी तक के लिए पाठ्य-पुस्तक बोर्ड है। सभी पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के कार्य का केन्द्रीयकरण नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय उच्च शिक्षा बोर्ड के मामले में हमने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की या प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकें चुनने का विकल्प स्कूलों को दिया हुआ है जिससे कि प्रतियोगिता के आधार पर उत्तम पुस्तकों का चयन किया जा सके।

स्कूलों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और खेलकूद का जोड़ा जाना

*1095. **श्री एस०आर० रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनियर हाई स्कूलों के पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा तथा खेलकूद विषय सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की एक समान नीति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चंद्र चंद्र) : (क) और (ख) ईश्वर भाई पटेल समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित दस-वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए बल दिया गया है। कक्षा X तक शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा भी और कक्षा XI और कक्षा XII के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग है।

श्री एस० आर० रेड्डी : पुनरीक्षित पाठ्यक्रम में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर बल दिये जाने की बात कही गई है। पर भारत के बहु-धर्म स्वरूप के कारण आप इसे कैसे हासिल करना चाहते हैं। क्या मन्त्री जी मेरे सुझाव के अनुसार धार्मिक

और आध्यात्मक नेताओं की कोई बैठक बुलाएंगे जिससे एक समान पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके और सभी स्कूलों के लिए वे पुस्तकें निर्धारित की जा सकें ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं इस मूल्यवान सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री एस० आर० रेड्डी : भारत में 1982 में एशियाई खेल और 1984 में विश्व हाकी चैम्पियनशिप होने जा रही है। हमारे खिलाड़ियों ने हाल ही में हुए विश्व खेलों में जो बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया है, विशेषकर हाकी में, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छे खिलाड़ी ढूढ़ने का प्रयास करेंगे ? खेलों में खेल की अपेक्षा राजनीति अधिक चल रही है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सरकार माननीय सदस्य की इस बात से सहमत है। वस्तुत: पिछले शनिवार को राज्य खेल बोर्ड की पटियाला में बैठक हुई जिसमें मैंने भी भाग लिया। मैंने वहां खेलों में राजनीति का उल्लेख किया। हमने सुझाव दिया है कि खेल राज्यों का विषय होने के नाते राज्यों को ही इस विषय में उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। श्रीमन्, आपने खेलों के संसदीय मंच का उद्घाटन किया था। हम संसद सदस्यों को खेलों में रुचि लेने का अनुरोध कर रहे हैं और निश्चित ही हम इस समस्या का समाधान करने में सफल होंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिये तय किया जाता है विभिन्न स्तरों के लिए। क्या आपको इसकी भी जानकारी है कि प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं उनके पास इतनी अधिक पुस्तकें हो जाती हैं कि उनका वजन उनके अपने बजन से ज्यादा हो जाता है और बच्चों के लिए पुस्तकें लेकर चलना मुश्किल हो जाता है। इतना वजन प्राथमिक स्तर पर आप डाल देते हैं। दो तीन दिन पहले आपने कहा था कि पाठ्य पुस्तकों के बारे में आप कोई कार्रवाई करेंगे। वे इस वजन को ढो जो नहीं सकते हैं, इसके सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : ईश्वर भाई पटेल कमेटी की रिपोर्ट यह है कि पाठ्य पुस्तकों और विषय का बोध भी बच्चों को होना चाहिए और तब उनको वक्त मिलेगा और वे खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग ले सकेंगे।

श्री सी० एन० विश्वनाथन् : मंत्री जी ने धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं की एक बैठक बुलाने के सुझाव पर विचार करने की बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : उनकी बहुत बड़ी संख्या है।

श्री सी० एन० विश्वनाथन् : कौन से धर्म हैं और किन नेताओं को बुलाया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका वह उत्तर नहीं दे पाएंगे।

श्री सी० एन० विश्वनाथन् : कौन कौन से धर्म हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने कहा कि मैं प्रस्ताव पर विचार करूंगा।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर खेल कूद को, जैसा कि नई शिक्षा नीति में है, अनिवार्य विषय बनाया जायगा तो उस पर जो खर्चा आयेगा उसका छठी पंचवर्षीय योजना में कोई प्रोवीजन है ? अगर नहीं और यह ऐजूकेशन पालिसी बनाने जा रहे हैं तो क्या छठी योजना को मौडीफाई करेंगे और सारी स्टेट्स के अन्दर

जो खर्चा बढ़ेगा उसको सेन्ट्रल स्कीम के तौर पर लागू करने का विचार है ? अगर ऐसा नही किया जायगा तो काम नहीं चलेगा और लोगों में गलत आशा जगाने के बजाय क्या सेन्ट्रल सेक्टर में छठी प्लान में इस बारे में कोई प्रोवीजन करेंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जब खेल कूद शिक्षा के विषय हैं तो उनके विस्तार और तरक्की के साथ-साथ शिक्षा के साधन भी उपयोग में ज्यादा हो गये। प्राथमिक शिक्षा के लिए पिछली योजना में 32 फीसदी उपयोग था अब 46 फीसदी बन गया। तो मुझे आशा है कि इससे हम तय कर सकेंगे कैसे खेल कूद के लिये स्कूल स्तर पर ज्यादा साधन उपलब्ध हों।

कृषि उत्पादन के लिए कनाडा से सहायता

*1096. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या कनाडियन इन्टरनेशनल डेबलेपमेन्ट एजेन्सी ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के विचार से भारतीय किसानों के लिए 150 लाख डालर की मंजूरी दी है ;

(ख) क्या यह धनराशि, ऋण अथवा ब्याज मुक्त ऋण या अनुदान के रूप में होगी, तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धनराशि के राज्यवार नियतन का विवरण क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) जी हां, भारत सरकार के अनुरोध पर कनाडा सरकार ने कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के माध्यम से 150 लाख कनाडा डालर की राशि बिना ब्याज का विकास ऋण मन्जूर किया, जिसका उपयोग कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम के माध्यम से किया जाना था। इस राशि का प्रयोग कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम द्वारा अपनी चालू परियोजनाओं के प्रसार में किये गये व्यय का भुगतान करके पहले ही कर लिया गया है, जिनका लक्ष्य कृषि ऋण संस्थानों के कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम की पुनर्वित सुविधाओं में वृद्धि करके ग्रामों का विकास करना था।

(ग) ऋण की राशि का आवंटन राज्यवार नहीं किया गया।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : सौभाग्य की बात है कि भारत के अनुरोध पर हमारे कृषि विकास के लिए कनाडा सरकार ने 150 लाख कनाडा डालर की सहायता की मन्जूरी दी है। यह आश्चर्य की बात है कि यह ऋण पहले ही खर्च किया जा चुका है। यह ऋण कब मन्जूर किया गया और कब खर्च किया गया ? क्या कनाडा सरकार की सम्भावित स्वीकृति के आधार पर यह खर्च किया गया ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसका उपयोग कृषि पुनर्वित और विकास निगम द्वारा किया जाना है जो लगातार काम कर रहा है। यह करार 13-2-1979 को किया गया था।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : यह कब खर्च किया गया ? आपने कहा है कि इसका कृ० पु० वि० नि० द्वारा उपयोग किया गया है। क्या इसका उपयोग पहले ही किया गया ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसका पहले ही इस्तेमाल हो रहा था और जो धन खर्च किया गया वह उसी के लिए था ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : यह धन किन-किन परियोजनाओं पर खर्च किया गया और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है ? मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि कृ० पु० वि० नि० द्वारा किया गया व्यय ग्रामीण विकास के उद्देश्य के लिये चल रही परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर खर्च किया गया है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ऐसी बात नहीं है । कृ० पु० वि० नि० की पुनर्वित्त सुविधाएं कृषि ऋण संस्थानों, भूमि विकास बैंकों वाणिज्यिक बैंकों के लिए है । यह धन इनको ऋण के रूप में दिया जाता है जो इसे राज्य की अन्य एजेंसियों और व्यक्तियों को देते हैं ।

श्री के० राम मूर्ति : मंत्री जी ने कहा कि 150 लाख कनाडा डालर का करार किया गया है और उस धन का उपयोग कृ० पु० वि० नि० द्वारा किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति के लिये किया गया है ; क्या इस करार पर हस्ताक्षर करते समय इस धन का उपयोग किया जा चुका था और क्या करार में इस धन के इस्तेमाल के बारे में कोई निदेश दिये गये हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह धन कृषि पुनर्वित विकास निगम को देना था और यह बिना ब्याज के 15 वर्ष के लिए सहज ऋण है ।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : जनवरी, 1979 में अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर ने इसकी पेशकश की थी ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : यह पेशकश विदेशी सहायता के रूप में थी । क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भी धन या अन्यथा हमारी सहायता करने की पेशकश की है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में भारत-बांगला देश पैनल

*1098. **श्री निहार लास्कर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में भारत-बांगला देश पैनल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इस पैनल की शक्तियां क्या हैं; और

(घ) क्या इस पैनल की शिफारिशें दोनों के लिये बाध्यकारी हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) से (घ) भारत और बांगला देश के बीच नवम्बर, 1977 में हुए गंगा जल करार के दो भाग हैं । एक भाग का सम्बन्ध अन्तरिम अवधि में फरक्का पर गंगा के जल के बंटवारे

से है। इस भाग के क्रियान्वयन के लिए दिसम्बर, 1977 में एक संयुक्त समिति नियुक्त की गई थी जिसमें दोनों सरकारों द्वारा मनोनीत तीन-तीन इन्जीनियर अधिकारी हैं। यह समिति इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करती है कि जनवरी और मई के बीच की अवधि में फरक्का पर पहुंचने वाले गंगा के जल-प्रवाह का बंटवारा करार के उपबन्धों के अनुसार हो।

करार के दूसरे भाग का सम्बन्ध गंगा के प्रवाह को बढ़ाने से है। इस प्रयोजन से, दोनों देशों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। ये प्रस्ताव भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग के विचाराधीन हैं।

श्री निहार लास्कर : मेरा पहला प्रश्न विवरण के दूसरे भाग से सम्बद्ध है। 1977 में जब यह करार किया गया था, दोनों देश मामले को द्विपक्षीय बातचीत द्वारा तय करने के लिए सहमत नहीं हो गए थे? अद्यतन समाचार के अनुसार भारत बंगलादेश द्वारा डाले गए अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव के आगे झुक गया है कि न केवल नेपाल अपितु चीन को भी वार्ता में शामिल किया जाएगा? एक बार यह मान लेने के बाद आप अपनी स्थिति क्यों बदल रहे हैं?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : दोनों पक्षों को अपने प्रस्ताव देने थे। बंगलादेश और भारत ने अपने-अपने प्रस्ताव देने थे। दोनों ने अपने प्रस्ताव दे दिए हैं जिन पर विचार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चीन को शामिल करने के लिए सहमत हो गए हैं?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जी नहीं।

श्री निहार लास्कर : क्या 1977 में आप इस बात से सहमत हो गए थे कि प्रस्ताव द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाए जाएंगे और किसी अन्य देश को शामिल नहीं किया जाएगा? अब आप उस स्थिति को बदल रहे हैं और नेपाल को शामिल कर रहे हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जे० आर० सी० की बैठक में हमने इस बात पर विचार करने के लिए एक छोटी सी समिति बनाई है कि क्या हमें नेपाल से सम्पर्क करना चाहिए और यदि हां तो किस रूप में।

श्री निहार लास्कर : क्या इस करार के फलस्वरूप कम से कम पिछले वर्ष कलकत्ता पत्तन को काफी नुकसान नहीं उठाना पड़ा? चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए क्या मंत्री जी कमी के मौसम में कलकत्ता पत्तन को पर्याप्त मात्रा में जल की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे ताकि यह पत्तन काम करता रहे?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पर्याप्त जल की सप्लाई के कारण कलकत्ता पत्तन को कोई हानि हुई है। करार के अनुसार कमी के मौसम में कम से कम 20,500 क्यूसेक जल मिलना चाहिए था पर पिछले दो वर्षों में कमी के मौसम में 29,260 क्यूसेक पानी की सप्लाई की गई? अतः यह जो व्यवस्था की गई है उससे कहीं अधिक था। जल पूर्ति में वृद्धि करने हेतु दो योजनाएं बनाई जा रही हैं। भारत की ओर से प्रस्ताव है कि एक नहर खोदकर ब्रह्मपुत्र के पानी को गंगा में मिलाया जाए। यह नहर बांगला देश से होकर गुजरेगी। बांगलादेश का प्रस्ताव है कि कुछ पानी भारत में और कुछ नेपाल में स्टोर किया जाए।

श्री वेदव्रत बरुआ : मंत्री जी के इस कथन से मुझे आश्चर्य हुआ है कि कलकत्ता पत्तन ठीक ढंग से काम कर रहा है। यह ठीक नहीं है। प्रश्न के उत्तर में भी मंत्री जी ने कहा कि कमी के मौसम में भी उसे पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। दो महीने पहले जब एक संसदीय समिति पानी के जहाज से अंडमान जा रही थी तो ज्वारभाटे के न आने के कारण उसे 24 घण्टे कलकत्ता में रुकना पड़ा था। यह कहा जाता था कि भागीरथी को फरक्का से बहुत अधिक पानी मिलेगा। पर अब कमी के मौसम में पर्याप्त पानी न मिलने के कारण भागीरथी की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची है। क्या मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : फरक्का में की गई इस व्यवस्था के कारण ही कलकत्ता पत्तन का इस्तेमाल किया जा सका है न कि अन्यथा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1099*—श्री के० एस० वीरभद्रप्पा सभा में उपस्थित नहीं हैं।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं० 1099 के अनुलग्नक में मुझे करेक्शन करनी है। हिन्दी-अनुलग्नक के कालम 3 में ग्रामीण के स्थान पर शहरी-होना चाहिए और कालम 4 में भी ग्रामीण के स्थान पर शहरी होना चाहिए।

अन्त में जो 5वां कालम है उसमें जो जोड़ है उसमें 226 के स्थान पर 266 होना चाहिए और इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी 226 की जगह पर 266 होना चाहिए।

श्री के० राममूर्ति : यदि मंत्री महोदय संशोधनों को सदस्यों के बीच परिचालित करें, तो यह बेहतर रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : संशोधित उत्तर को कृपया सभा पटल पर रखिये।

आंध्र प्रदेश में चीनी/खांडसारी कारखानों का अधिग्रहण

*1100. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के चीनी और खांडसारी कारखानों का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने कारखानों का अधिग्रहण किया गया है; और

(ग) क्या इन कारखानों की ओर गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में बोब्बिली और सीथानगरम में चीनी तैयार कर रहे श्री राम शुगरज और इंडस्ट्रीज लि० के दो यूनिटों के प्रबंध को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अधि-

*कृपया प्रश्न 1099 के संशोधित उत्तर को पृष्ठ 19 पर देखिए।

कार में ले लिया गया है और निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, जोकि राज्य सरकार का एक उपक्रम है, को प्राधिकृत नियन्त्रक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) बोब्विर्ली यूनिट के गन्ने के पुराने बकायों को 4·24 लाख रुपये से घटाकर 2·51 लाख रुपये कर दिया गया है जबकि सीथानगरम के बकायों को 18·9 लाख रुपये से घटाकर 16·66 लाख रुपये कर दिया गया है। 1978-79 मौसम के 15-4-79 तक गन्ने के बकायों की राशि क्रमशः 17·54 लाख रु० और 5·13 लाख रुपये बैठती है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : महोदय, चेलापल्ली चीनी-मिल ने भी लोगों की बकाया धनराशि नहीं दी है तथा गन्ना उत्पादकों को बंधपत्र लेने का प्रलोभन दिया गया है। इस प्रकार वे गन्ना उत्पादकों के लाखों रुपए के भुगतान को करने से बच रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री-महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस चीनी मिल के लेखों की ओर ध्यान देंगे तथा उचित कार्यवाही करेंगे जिससे कृषकों का बकाया धनराशि की अदायगी की जा सके।

श्री भानु प्रताप सिंह : बताई गई चीनी मिल के कार्यकरण की ओर ध्यान दिया जायेगा। लेकिन अभी तक हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। यदि आप उस चीनी मिल का विस्तृत ब्यौरा तथा अपने सुझाव मेरे पास भेजें तो इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : महोदय, इस समय सीजन समाप्त हो चुका है। मैं यह जानना चाहता हूँ, कि क्या गन्ना उत्पादकों को इस सीजन का धन मिलों द्वारा दिया जाएगा अथवा नहीं। दूसरी मिलों का भी क्या हाल है ? इस समय सीजन समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि गन्ना उत्पादकों को इस सीजन की धनराशि के भुगतान के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है अथवा नहीं। यदि कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो बकाया धनराशि के भुगतान के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

श्री भानु प्रताप सिंह : जी हां, हमें 15 अप्रैल, 1979 तक की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और उनके अनुसार आन्ध्र प्रदेश की सभी चीनी मिलों का ब्यौरा हमें प्राप्त हो गया है। आपकी अनुमति से मैं पूरी सूची को पढ़ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह लम्बी सूची है तो आप इसको सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : इसमें लगभग 17 अथवा 18 नाम हैं।

अध्यक्ष महोदय : तब तो आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मंत्री महोदय, इतना तो बता ही सकते हैं कि कुल कितनी. चीनी मिलों को अभी बकाया धन देना है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : इसमें कुल संख्या नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : तब तो आप इसे सभा पटल पर ही रखिए।

श्री के० सूर्यनारायण : महोदय, जब भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो साधारणतः मिल के स्वामियों अथवा इन सभी-गतिरोधों तथा हानियों के लिए

उत्तरदायी अधिकारी द्वारा भेजे गए उत्तर को प्रस्तुत कर दिया जाता है। लेकिन मिलों के कार्य-करण तथा हानियों के वास्तविक कारणों को जानने के बारे में सम्बन्धित मंत्री द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, अधिकतर सभी मिलें जो घाटे में चल रही हैं बड़े जमींदारों तथा पूंजीपतियों के स्वामित्व में हैं। वे पिछले 20-30 वर्षों से लाभ कमा कमा रहे हैं। अधिग्रहण की गई सभी मिलों की पुरानी मशीनें हैं, जिनको श्रमिकों के हित को देखते हुए आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। अत: क्या सरकार सभी रुग्ण मिलों को तुरन्त अपने अधिकार में लेने पर विचार करेगी और किसानों को अपनी बकाया धनराशि के बदले में मिलों को खरीदने का अवसर प्रदान करेगी ? महोदय, यदि मेरे सुझाव के अनुसार मिलों को नीलाम कर दिया जाए तो गन्ना उत्पादकों की सारी धनराशियों की आसानी से अदायगी हो सकती है। महोदय, बोबीली तथा सीतानागरम चीनी मिलों की मशीनें जो कि जमींदारों के स्वामित्व में हैं, इतनी पुरानी हैं कि उनकी निलामी से प्राप्त धनराशि गन्ना उत्पादकों को दी जाने वाली धनराशि के बराबर नहीं होगी। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इन सभी मिलों को अपने हाथ में लेने के मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लेती है तथा उद्योग और श्रमिकों को बचाने के लिए उनकी नीलामी क्यों नहीं करती है ? इस सरकार ने गन्ना उत्पादकों को नष्ट करने की नीति अपनाई हुई है। आंध्र-प्रदेश में कोई भी कृषक घाटे में चलने वाली इन मिलों के लिए गन्ना उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं है।

श्री भानु प्रताप सिंह : महोदय, सभी निजी मिलें घाटे में नहीं चल रही हैं। जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है। अच्छी तथा कुशलता से कार्य करने वाली मिलें भी मौजूद हैं। लेकिन जहां तक अकुशल तथा पुरानी मिलों का सम्बन्ध है उनको एक-एक करके राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जा रहा है। और जब वे गन्ने की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असफल हो जाते हैं तो केन्द्रीय सरकार उन मिलों को अपने अधिकार में ले लेती है। अतः कुछ समय के पश्चात यदि ये मिलें संभल नहीं पाती हैं तो इन अकुशल मिलों को या तो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार में ले लेगी।

श्री भानु कुमार शास्त्री : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश के अन्दर चीनी और खाण्डसारी कारखानों का अधिग्रहण करते समय क्या खाद्य मंत्रालय ने कोई नार्म्स तय किये हैं कि किस प्रकार की मिल होगी, किस प्रकार का कारखाना होगा, सिक होगा अथवा नहीं या सपोर्ट प्राइस ग्रोवर्स को मिले, इस दृष्टिकोण को लेकर उनका अधिग्रहण किया जाता है ? क्या इस प्रकार के कोई नार्म्स बनाए गए हैं ? यदि बनाए गए हैं तो क्या वह सारे भारतवर्ष पर एप्लीकेबल हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : जहां तक खाण्डसारी कारखानों के अधिग्रहण का प्रश्न है, वह राज्य सरकार स्वयं कर सकती है और उसकी जानकारी हमको नहीं है। जहां तक शुगर फैक्टरीज के अधिग्रहण का सवाल है, यह दो प्रकार से होता है। एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1951 के तहत राज्य सरकारों की रिपोर्ट पर यदि केन्द्रीय सरकार की सहमति

होती है तो फैक्टरी टेकओवर हो जाती है और राज्य सरकार के नियन्त्रण में ही वह रहती है। आंध्र प्रदेश की दो फैक्ट्रीज इस प्रकार से ली गई हैं।

दूसरा तरीका टेकओवर का यह है कि अभी जो ऐक्ट पास हुआ है उसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ले लेती है यदि मिल क्रशिंग का काम न करे और यदि किसानों को जो गन्ने का मूल्य अदा करना है वह पिछले साल के देय मूल्य की तुलना में दस प्रतिशत से अधिक हो तो भी सरकार मिल को ले लेती है।

श्री चन्दन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी पिछले साल से आश्वासन दे रहे हैं कि किसानों को पुराना बकाया दिलवाया जायेगा लेकिन 77-78 सीजन का पैसा भी अभी तक नहीं मिला है और यह परेशानी सारे भारत में है। क्या मन्त्री जी केन ग्रोवर्स को पिछले सालों का उनका पैसा दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप पिछले सालों का बकाया काफी चुकता हो चुका है, कहीं थोड़ा बहुत बाकी हो सकता है। कोआपरेटिव सेक्टर और स्टेट सेक्टर में उत्तर प्रदेश में कुछ भी बाकी नहीं है। हमारा प्रयत्न जारी है, अनेक बार मैं आश्वासन दे चुका हूँ और फिर देता हूँ कि बकाया चुकता कराया जायेगा। मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि अभी भी कार्यवाही चालू है, जहां दस फीसदी से ज्यादा बकाया है, उनको नोटिस दिये जा चुके हैं, अगर सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा तो फैक्टरीज को अपने प्रबन्ध में सरकार ले लेगी।

उच्च शैक्षिक संस्थाओं पर दबाव में कमी

*1101. **श्री वेदव्रत बरुआ : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि सब प्रकार की नौकरियों के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री को अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त करने के सरकार के निर्णय की क्रियान्विति के कारण उच्च शैक्षिक संस्थाओं पर दबाव में कहां तक कमी होगी; और

(ख) क्या शैक्षिक संस्थाओं की घटी आवश्यकताओं के अनुसार ही योजनायें तैयार की जा रही हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सामान्य प्रकार की नौकरियों और विश्वविद्यालीय डिग्रियों में जो सम्बन्ध है उसे समाप्त करने के लिए सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। यद्यपि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के प्रारूप में उच्चतर शिक्षा पर दबाव को कम करने के लिए एक उपाय के रूप में यह बात सुझायी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री वेदव्रत बरुआ : महोदय, जब मन्त्री महोदय ने बताया कि यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रारूप है तो मैंने समझा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी प्रारूप के स्तर पर है परन्तु मैं नहीं समझता कि सरकार उस नीति को क्रियान्वित क्यों नहीं करती जिसकी उसने घोषणा की है। श्रीमान्, मेरा प्रश्न पूछने का कारण यह था कि हम भारी संख्या में छात्रों को जिन्हें शैक्षिक जीवन में रुचि नहीं है और जो काम करना चाहेंगे विश्वविद्यालयों में क्यों भेजते हैं। निस्संदेह आप उन्हें नौकरी

दे देते हैं जो उन्हें शिक्षा के बाद भी न मिल सके। वे रट्टा लगायें, नकल करें अथवा सभी प्रकार के कार्य करें। खाली समय में वे पथराव कर सकते हैं अथवा सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। उच्च शिक्षा पर हम भारी व्यय करते रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या वह कह सकती है कि लोगों की नौकरियों के लिए आकांक्षा को देखते हुए वह उच्च शिक्षा से उसे असम्बद्ध करेगी। क्या आप कुछ विशेष नौकरियों के बारे में ऐसा कर सकते हैं। क्या आप कुछ क्षेत्रों में जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा कर सकती है, ऐसा करेंगे ताकि मैट्रिक अथवा ऐसी ही अन्य परीक्षाएं पास करने वाले लोगों को नौकरी मिल सके। ऐसी नौकरियों के लिए मैट्रिक तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं को अपेक्षित योग्यता बनाया जाना चाहिये।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जहां तक विशेषीकृत वर्गों जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि का सम्बन्ध है उसके लिए उपाधि अत्यन्त आवश्यक है। अन्य प्रकार की नौकरियों को उपाधियों से असम्बद्ध किया जा सकता है और हम माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हैं कि नौकरी पाने की आशा में विश्वविद्यालयों में जाने की होड़ लगी हुई है। इस दृष्टि से यह सुझाव दिया गया है और योजना आयोग ने भी इस समस्या पर विचार किया है तथा यह सुझाव दिया है कि शिक्षा नीति को पूरी तरह नया रूप दिया जाये ताकि अधिक संख्या में स्नातक तैयार न हों। यह कई सुझावों में से एक है। इसलिये हमने इस सुझाव को इस सभा में तथा दूसरे सदन में विचार के लिये रख दिया है। इसे स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् हम विवरण का अध्ययन करेंगे ?

श्री वेदव्रत बरुआ : उच्च शिक्षा पर भार कम करने के लिए सरकार और क्या उपाय सोच रही है ? तकनीकी संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। मेरे एक मित्र ने इंजीनियर तैयार करने पर होने वाले व्यय का हिसाब 500 करोड़ रुपये लगाया है। हम इंजीनियर तैयार करने पर 500 करोड़ रुपये खर्च करते हैं किन्तु उनके लिये हमारे पास कोई काम नहीं है। इसमें उन इंजीनियरों पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है जो देश छोड़कर दूसरे देशों को चले गये हैं। क्या आपकी इस बारे में कोई नीति है ? हम बहुत भारी राष्ट्रीय व्यय पर कुछ व्यवसायिकों का आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं तथा समस्याएं उत्पन्न करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन मामलों पर रिपोर्ट पर चर्चा करते समय विचार किया जाना चाहिए। यह नीति सम्बन्धी व्यापक प्रश्न हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : यह बहुत विशिष्ट प्रश्न है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : आपने ठीक ही कहा है कि इस प्रश्न को आम चर्चा के साथ जोड़ा जाये। परन्तु फिर भी मैं सरकार का रवैया स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा। हम माननीय सदस्य द्वारा बताई गई समस्या को समझते हैं। अतः हम निचले स्तर पर शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रथम श्रेणी से ही समाज के लिये उपयोगी उत्पादक कार्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहे हैं ताकि छोटी कक्षाओं के छात्रों को समाज के लिए उपयोगी उत्पादक कार्य में लगाया जा सके। अन्ततः जब वे स्कूलों से बाहर आयेंगे तो वे उच्च शिक्षा लेने के स्थान पर कुछ मध्यम श्रेणी के कार्य कर सकेंगे।

श्री टी० बालकृष्णैया : माननीय सदस्यों को भेजी गई प्रारूप शिक्षा नीति में भी मैंने देखा है कि बी० ए०, एम० ए०, एम० एस० सी० जैसी उपाधियों की सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यकता नहीं है। नौकरियों के किन वर्गों के लिए इन उपाधियों की आवश्यकता नहीं है ? क्या इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा संम्बद्ध सेवाएं भी सम्मिलित हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इसमें उच्च स्तर की ये सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं। निचले स्तर की सेवाओं के लिये ही इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कई परीक्षाओं को पास करने के बाद जब कोई व्यक्ति ऊंची नौकरी प्राप्त करने के लिए जाता है, तो उसको वहां प्रतियोगिता की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। उसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही उसे नौकरी मिलती है। जब वह उस प्रतियोगिता की परीक्षा में पास होने के बाद ही नौकरी प्राप्त करता है, तो उन सारी परीक्षाओं का, जो विश्वविद्यालय आदि में ली जाती हैं, कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस सन्दर्भ में विचार करेगी कि जो विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को पास करने में विद्यार्थियों से इतनी फीस ली जाती है और सरकार का भी उनमें काफी खर्च आता है, उन तमाम परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाये और एक ही परीक्षा ली जाये, जो नौकरी पाने के लिए प्रतियोगिता की परीक्षा होती है क्योंकि उसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही उसको नौकरी मिलेगी ? सरकार इस पर विचार करेगी या नहीं, यह मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह सोचना गलत है कि विश्वविद्यालय शिक्षा नौकरी पाने के उद्देश्य से ली जाती है। विश्वविद्यालीय शिक्षा सामान्य शिक्षा देती है तथा छात्र को जीवन के लिये तैयार करती है। छात्र अपना निजी कार्य भी कर सकता है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि यदि छात्र को किसी नौकरी के लिए विशेष परीक्षा देनी है तो सभी परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कुछ सामान्य परीक्षाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि के लिए एक व्यापक सामान्य शिक्षा परम आवश्यक है।

खाद्य पदार्थ प्रोसेस करने वाले एकक

*1105. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत 3 वर्षों में खाद्य पदार्थ प्रोसेस करने वाले एककों की स्थापना के लिये अनेक कम्पनियों को स्वीकृति दी है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे एककों की स्थापना से बाजार में कच्चे फलों की सप्लाई काफी कम हो गई है जिससे फलों के मूल्य बढ़ गये हैं;

(ग) क्या आम आदमी को ताजे फल सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये सरकार का विचार खाद्य पदार्थ प्रोसेस करने के नये एककों की आगे स्थापना किये जाने पर रोक लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उद्योग देश में फलों तथा सब्जियों के कुल उत्पादन का मुश्किल से 0.2% उपयोग कर रहा है। अतः विधायन उद्योग का फलों की उपलब्धता अथवा उनके मूल्यों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं है। वास्तव में, फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि की तब आशा की जा सकती है जब विधायन तथा परिरक्षण के क्रियाकलाप द्वारा स्थिरता प्रदान की जाये।

(ग) जी नहीं।

(घ) फल विधायन उद्योग का विकास करना आवश्यक है ताकि विशेषकर बहुलता की अवधि के दौरान उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान किया जा सके और वर्ष भर फल उत्पादन सुलभ किये जा सकें।

श्री गणनाथ प्रधान : अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन-चार साल में कितना वेजीटेबल और फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को गया और उसका कितने परसेंट एक्सपोर्ट किया गया ? कितना प्रोसेस्ड फ्रूट या वेजीटेबल का प्रोडक्शन हुआ और उसमें से कितना सरप्लस हुआ ? जो सरप्लस हुआ क्या उसको बाजार में ठीक दाम में बिक्री के लिये सरकार ने कोई ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन् एक-एक फल का तो हिसाब नहीं है। मैं यह निवेदन कर चुका हूँ कि कुल फल और सब्जी का 0.2 परसेंट प्रोसेसिंग में जाता है और प्रोसेस्ड किये हुए पदार्थों को या तो विदेशों को भेजा जाता है या हमारी सुरक्षा सेनाएं उनका उपयोग करती है। इन प्रोसेस्ड पदार्थों के मुख्य रूप से उपभोक्ता या तो विदेश हैं या हमारी सुरक्षा सेनाएं हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि इसकी बिक्री का कोई समुचित प्रबन्ध है या नहीं तो इसके लिए मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि फलों या सब्जियों की बिक्री का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया जा सका है और उसकी आवश्यकता है। उसी का एक अंग है फलों का प्रिजर्वेशन क्योंकि ये फल मौसम में तैयार होते हैं। अगर उस समय उनके प्रिजर्वेशन का अधिक काम नहीं होगा तो उनकी कीमतें बहुत गिर जाएंगी और फिर किसानों को उन्हें पैदा करने का कोई उत्साह नहीं रहेगा।

श्री गणनाथ प्रधान : मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार ने प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ाने के लिये नये लायसेंस दिये हैं ? यदि हां, तो पिछले तीन सालों में किस-किस साल में कितने-कितने लायसेंस लार्ज इंडस्ट्री को और कितने-कितने लायसेंस स्माल स्केल इंडस्ट्री को दिये हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन सालों में कितने लोगों ने इसके लिए एप्लाई किया है ? सरकार प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ाने के बारे में आगे क्या सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि यह लम्बी सूची है तो आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : ठीक है। मैं इसे सभा पटल पर रख देता हूँ।

बालकों के लिए विश्व एटलस

*1106. **श्री राममूर्ति** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकासशील और विकसित देशों में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के बारे में रहन सहन, शिक्षा, जीवन काल की सम्भावना और काम करने के स्तरों में व्यापक अन्तर दर्शाते हुए विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित बच्चों के विश्व एटलस का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1979 के दौरान सरकार द्वारा जिन योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : (क) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) तमिलनाडु में समेकित पोषाहार सुधार परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से शुरू करने का प्रस्ताव है। पोषाहार प्रदान करना, समेकित स्वास्थ्य की व्यवस्था करना तथा प्रबोधन और मूल्यांकन इसके अंश होंगे। इस परियोजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक ने विश्व बाल वर्ष की मान्यता में बालकों के लिए एक विश्व एटलस प्रकाशित की है। एटलस में दिये गये आंकड़ों के मुख्य स्रोत संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०), खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू० एच० ओ०) के प्रकाशन तथा विश्व बैंक देशीय आर्थिक रिपोर्ट आदि बताये गये हैं। एटलस में प्रति व्यक्ति जी० एम० पी० जनसंख्या, बच्चों की संख्या, जन्मदर और जीवन प्रत्याशितता, श्रम बल और शिक्षा में बच्चों की संख्या आदि के बारे में जानकारी और आंकड़े दिये गये हैं।

भारत को विकासशील कम आय वर्ग के देशों में दिखाया गया है और यहां का सकल राष्ट्रीय उत्पादन 141 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति बताया गया है। 19 अन्य देश हैं जिनकी पूरे विश्व में भारत से भी कम प्रति व्यक्ति आय है। एशिया, उत्तरी और मध्य अमेरीका तथा यूरोप की औसत सकल उत्पादन प्रति व्यक्ति क्रमशः 642, 1007 और 3019 अमेरीकी डालर है।

भारत में 1875 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशितता 49.5 वर्ष दिखाई गई है जबकि एशिया के लिये 56.0 वर्ष, उत्तरी और मध्य अमेरीका के लिये 69.1 वर्ष तथा यूरोप के लिये 71.5 वर्ष है। विश्व एटलस के अनुसार भारत में श्रम बल में बच्चे 24.7 प्रति हजार हैं। एशिया में यही आंकड़े 14.2 यूरोप में 1.3 तथा उत्तरी और मध्य अमेरीका में 6.5 हैं। भारत के लिये प्राईमरी कक्षाओं में नामांकन अनुपात 1975 में 65 दिखाया गया है। जबकि एशिया के लिये ये अनुपात 90 हैं यूरोप के लिए 102 तथा उत्तरी और मध्य अमेरीका के लिए 107 हैं।

श्री के० राममूर्ति : प्रश्न मुख्यतः बच्चों से सम्बन्धित है। इस वर्ष हम अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मना रहे हैं। शिक्षा राज्य मन्त्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण से मैं समझता हूँ कि

हमारा देश अपेक्षित आयु, पोषक भोजन आदि की उपलब्धता आदि के मामले में बहुत पीछे है और बच्चों से काम लेने के मामले में हम सबसे आगे हैं। परन्तु हमारा स्तर बहुत नीचा है।

आप जानते हैं कि मेरे राज्य तमिलनाडु में विशेष रूप से माचिस और पटाखे बनाने वाले क्षेत्र में हाल ही में बच्चों को काम पर लगाने के कारण बहुत सी मृत्यु हुई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, देश में बच्चों के स्तर को ऊंचा करने तथा अपेक्षित आयु बढ़ाने और रोजगार के मामले में तथा विश्व बैंक द्वारा यूनेस्को, आई० एल० ओ०, एफ० ए० ओ० और डब्ल्यू० एच० ओ० की सहायता से तैयार की गई विश्व एटलस के सम्बन्ध में सरकार कौन से उपाय करने का विचार रखती है ?

श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : श्रीमान् माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। पहले तो उन्होंने पूछा है कि बच्चों के रोजगार के बारे में सरकार क्या करना चाहती है। सम्भवतया माननीय सदस्य जानते हैं कि श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय बाल श्रम समिति इस समस्या का अध्ययन कर रही है तथा वह छः मास में अपना प्रतिवेदन दे देगी। उस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर श्रम मन्त्रालय जो बाल श्रम से सम्बद्ध है मेरे समाज कल्याण मंत्रालय सहित सभी मन्त्रालयों को परामर्श देगा कि बाल श्रम को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जाये। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, पोषाहार सम्बन्धी कार्यक्रम में भारत बहुत से देशों की तुलना में बहुत निचले स्तर पर है। मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत से एशियाई और अफरीकी देशों की तुलना में भारत काफी आगे है। परन्तु जहां तक विश्व बैंक की सहायता का सम्बन्ध है तमिलनाडु सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से एक योजना शुरू की है। परन्तु जब पोषाहार का यह कार्यक्रम मेरे मन्त्रालय को स्थानान्तरित किया गया तो वाणिज्य मंत्रालय ने सम्बन्धित मंत्रालय के रूप में परामर्श दिया कि देश में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए 2-3 राज्य को लिया जाये। तमिलनाडु उनमें से एक राज्य है और उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश अन्य दो राज्य हैं। तमिलनाडु तो आगे बढ़ा है परन्तु अन्य दो राज्यों ने कार्य शुरू नहीं किया है। इस योजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत व्यय राज्य को वहन करना पड़ता है और तमिलनाडु ने कहा है कि वह 70% व्यय जुटा पायेंगे। विश्व बैंक का एक अध्यमन दल आगामी दो महीने में हमारे देश में आयेगा तथा तमिलनाडु की योजना को अन्तिम रूप देगा।

श्री के० राममूर्ति : मंत्री महोदय यह कहने की चेष्टा कर रहे थे कि कुछ मामलों में हमारा देश एशियाई देशों से आगे है परन्तु बात ऐसी नहीं है। सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अपेक्षित आयु और कुल राष्ट्रीय उत्पादन के मामले में भी हमारा देश पीछे है। अब तमिलनाडु सरकार पोषाहार कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम लागू करने के लिए आगे आई है। क्या सरकार अन्य राज्य से आग्रह करेगी तथा इस बारे में अपनी शक्ति का उपयोग करेगी कि वे भी अपने राज्यों में पोषाहार कार्यक्रम को क्रियान्वित करें।

श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : ऐसा सम्भव नहीं है। दो अन्य राज्यों-उड़ीसा और मध्य प्रदेश का इस योजना के लिए चयन किया गया है। परन्तु अभी तक उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है भारत की प्रति व्यक्ति आय अमरीकी

डालरों में 131 है । 19 अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है । वे अधिकांशतः एशियाई तथा अफ्रीकी देश हैं । इसी प्रकार अपेक्षित आयु के मामले में भारत का 51 वां स्थान है। भारत में प्रत्याशित आयु 49·5 प्रतिवर्ष है। एशिया के बारह अन्य देशों में अपेक्षित आयु भारत से कम है। इसी प्रकार जन्म दर के मामलों में भी भारत को जन्म दर प्रति हजार व्यक्ति, 39·9 है जबकि विश्व के 75 अन्य देशों की जन्म दर भारत से ऊंची है। कई अन्य बातों में भी भारत एशियाई तथा अफ्रीकी देशों से आगे है परन्तु विकसित देशों से वह पीछे है। इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

श्री ए० सुन्ना साहेब : यह स्थिति कुपोषण तथा शिक्षा के अभाव के कारण है। क्या मंत्री महोदय व्यापक योजना तैयार करेंगे तथा राज्यों पर बल डालेंगे कि अखिल भारतीय स्तर पर कुपोषण को रोका जाये तथा शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाये।

श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है, यह विश्व बैंक के अधीन विशेष योजना है । और इस योजना को अभी तक केवल तमिलनाडु सरकार ने स्वीकार किया है । यदि अन्य राज्य भी इस योजना को स्वीकार करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। हम अन्य राज्यों में भी इस योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे ।

राजस्थान के रेगिस्तान का और अधिक रेतीला होना

*1107. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मरुस्थलीय क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान का रेगिस्तान निश्चित रूप से पूर्व की ओर को नहीं फैल रहा है परन्तु रेगिस्तानी क्षेत्र और अधिक रेतीला होता जा रहा है;

(ख) क्या बाड़मेर, जालौर और जोधपुर जिलों में पहाड़ियों के सामने रेत के बड़े-बड़े टीले बनते जा रहे हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने विदेशों से विशेषज्ञों की राय भी आमंत्रित की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान । केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गए अध्ययनों से पता चला है कि रेगिस्तान पूर्व की ओर नहीं बढ़ रहा है । किन्तु सीमान्त भूमियों पर खेती बाड़ी करने, अधिक पशु चराने या चूहों की गतिविधियों जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण मरुक्षेत्रों के अन्तर्गत रेगिस्थान की स्थिति कुछ क्षेत्रों में खराब होती जा रही है ।

(ख) जी हां, श्रीमान । इसका पता पहले ही, वर्ष 1952 में भारत के सर्वेक्षण द्वारा चला था । केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा किये गये अध्ययनों से पता चला है कि राजस्थान के इन जिलों में रेत का नया जमाव जारी है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

श्री एस० एस० सोमानी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य का एक बहुत बड़ा भूभाग मरुस्थल है । वहां के निवासियों की समस्याओं पर पूर्व सालों में विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

पिछले साल जनता सरकार ने 11 करोड़ रु० उसके विकास के लिए खर्च किया है। आपने जो जवाब दिया है उसमें कहा है।

यह आपने कहा है कि चूहों की गतिविधियां जैसे मानवीय गतिविधियां, मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। क्या चूहों की गतिविधियां मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं ? क्योंकि आपने कहा है कि चूहों की गतिविधियां जैसे मानवीय गतिविधियों के कारण मरुक्षेत्र के अन्तर्गत रेगिस्तान की स्थिति कुछ क्षेत्रों में खराब होती जा रही है। मेरा कहना है 1952 में जैसा आपने (ख) में कहा है वर्ष 1952 में भारत के सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि राजस्थान के इन जिलों में रेत का नया जमाव जारी है। तो बहुत बड़ा भूभाग पूरे देश में सबसे बड़ा रेगिस्तान का भूभाग राजस्थान में है और इसी के कारण वहां पानी की कमी है, जल स्रोत कम हैं। उसके विकास पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। तो क्या विदेशी सहायता लेकर जैसे इजराइल ने किया है पूरे रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल कर आज वह अपनी फसलों और फलों का विदेशों में निर्यात कर रहा है। इसी प्रकार क्या राजस्थान के मरुस्थल को भी विदेशी विशेषज्ञों की राय ले कर इसके विकास के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह रेगिस्तान की हालत ठीक नहीं हो रही है। इसमें चूहों का जिक्र किया गया है, परन्तु वह एक कारण था। मुख्य कारण इसमें जो ग्रेजिंग होती रहती है और जो अतिक्रमण होता रहता है उसके कारण ठीक नहीं हो रही है। और शायद माननीय सदस्य को चूहे क्या कुछ कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, वह मालूम नहीं है। वह जो कुछ पौधे वहां पर पैदा होते हैं उनको काटकर नष्ट कर देते हैं।

दूसरी बात यह है कि रेगिस्तान की समस्याओं को सुलझाने के लिए सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। उन्होंने कुछ काम भी किया है और कुछ अच्छे नतीजे भी आये हैं, जैसे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं इसको स्टेबिलाइज करना जरूरी है नहीं तो हवा के साथ उड़ कर कभी-कभी आबादी में जाकर सैंड ड्यून्स बना लेते हैं। इस किस्म का काम दिया गया है। बीकानेर, झुनझुनू सरदार शहर, सीकर और बाड़मेर शहरों में बालू आने की स्थिति थी उसकी रक्षा के लिए 1,000 हैक्टेयर सैंड ड्यून्स को स्टेबिलाइज किया गया है। उसी प्रकार से 200 किलोमीटर सड़क के किनारे वृक्ष लगाये गये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की किसानों तक नई प्रौद्योगिकी पहुंचाने सम्बन्धी योजना

*1093. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वर्तमान स्वर्ण जयन्ती वर्ष के दौरान शुष्क क्षेत्रों में किसानों तक नई प्रौद्योगिकी पहुँचाने के लिये कोई विस्तृत योजना बनाई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : जी हां, श्रीमान् । केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के स्वर्ण जयन्ती प्रायोगिक प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके द्वारा विकसित किसानों के लिये नयी और अनुभूत प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया है । छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषिहीन मजदूरों के समुदायों से 150 परिवारों (जोधपुर, पाली और बीकानेर जिलों में प्रत्येक के 50) का चयन नई प्रौद्योगिकी को उन तक इस उद्देश्य से पहुँचाने का प्रस्ताव है कि उनके खेतों में उपज बढ़ाकर तथा उनके लिये पूरक आय के स्रोत उत्पन्न करके उनका आर्थिक उत्थान हो जाय । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् स्वर्ण जयन्ती वर्ष के दौरान जैसलमेर जिले से भी अन्य 50 परिवार इसमें सम्मिलित करने लिये प्रयास किये जायेंगे ।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 में संशोधन

*1097. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कीटनाशी तथा कृमिनाशी औषधियों में मिलावट के मामलों को प्रभावी रूप से निपटाने योग्य बनाने के विचार से सरकार का विचार कीटनाशी अधिनियम, 1968 में संशोधन करने का है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या कीटनाशी अधिनियम, 1968 का संशोधन करना आवश्यक है, ताकि कीटनाशियों की मिलावट/गलत ब्रांड के मामलों से निपटने के लिये इसे अधिक कारगर बनाया जा सके ।

आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण निधि

*1099. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये गृह निर्माण निधि की व्यवस्था करने हेतु योजनायें तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई योजनाओं की संख्या कितनी है और वे किन-किन नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं और ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में कितने प्लाटों का विकास किया जायेगा; और

(ग) योजनाओं पर आने वाली कुल लागत का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) आवास तथा नगर विकास निगम ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास के लिये योजनाएं आरम्भ की हैं । इसने अब तक 17 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 266 नगरों की 951 आवासीय योजनाओं को स्वीकृति दी है । इन योजनाओं से 4,27,592 रिहायशी एकक और

52,770 प्लाट उपलब्ध होंगे। इनमें से 1,49,032 रिहायशी मकान और 26,548 प्लाट नगर क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये उद्दिष्ट हैं। ब्यौरे अनुलग्नक में दिये जाते हैं।

हुडको द्वारा अब तक स्वीकृत सभी योजनाओं (951) की कुल लागत 610.42 करोड़ रुपये है। इस राशि में से हुडको की ऋण की राशि 425.98 करोड़ रुपये है। 1979-80 के दौरान, 130.00 करोड़ रुपये तक के ऋण की स्वीकृति देने का प्रस्ताव है। इन स्वीकृत ऋणों से बनाये जाने वाले मकानों में से 80 प्र० श० से अधिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों सहित कम आय वर्गों के लिये बनाये जाने की आशा है।

विवरण

नगर क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये स्वीकृत योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे (जैसी कि 30-4-1979 को स्थिति थी)

राज्य	नगर क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये योजनाओं की संख्या*	नगर क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए स्वीकृत रिहायशी मकानों की संख्या	नगर क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए प्लाटों की संख्या	नगर/कस्बे जहां योजना लागू की गई है।
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	42	7645	—	अनन्तपुर, तिरुपति, पटनचेरी, विशाखापतनम, हैदराबाद, वारांगल, मंगलगिरी, सूर्यपट, नेल्लूर, करीम नगर, विजयवाड़ा, कुड्डफ, पालवंच, जनगौन, संगनेड्डी, निजाबाद, काकीनाडा, रामचन्द्र पुरम, बपता, मच्लीपटनम, मक्रचलन, गुन्तूर, सिरकाकुलम, विजयानगरम।
असम	3	96	—	धुबरी, गोलपाड़ा गोहाटी, मालवाड़ी, बरपेटा, नौगंग, गालाघाट, जोरहाट, सीतसागर, डिबरूगढ़, डिफू, हफलोंग, सिलचर, करीमगंग, हेलकण्डी, मंगलदोई, तेजपुर, उत्तरी लखीमपुर, तिनसुक्यू।
बिहार	9	5621	1978	भागलपुर, मुजफ्फरपुर पटरतू, गया, पटना, रांची, बारोनी, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, मोतीहारी, अराह, छपरा।

1	2	3	4	5
गुजरात	69	24879	1814	गांधीधाम, कपडवंज, ब्रोच, विदुअल, राजकोट, नादियाद, बड़ोदा, सूरत, अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, सुरेन्द्र नगर, वापी, नवासनी, अंकेलेश्वर, कलोग, उमतरगांव, पोरबन्दर, पालनपुर, भुज, अम्रेली, नन्देसरी, गांधी नगर, नागलपुर, नवदिशा, मूवीं, विभा।
हरियाणा	29	7309	—	फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, जीन्द, भिवानी, रोहतक, यमुनानगर, सिरसा, हिसार।
हिमाचल प्रदेश	4	134	190	पौण्टा साहिब, ऊणा, शिमला, धर्मशाला, सोलन, पारवंको, पालमपुर।
जम्मू व कश्मीर	6	2142	395	श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, बारामूला, सोपारे।
कर्नाटक	39	9834	1745	चिकमंगलूर, बागलकोट, बीजापुर, बैंगलौर, हुबली-धरबार, हसन, मंगलौर, मैसूर, दण्डटटे, देवंगरे, गुलबर्ग, भद्रावति, रायचूर, तुमुकुर, कोलार, बिदार।
केरल	13	5856	—	कालीकट, त्रिवेन्द्रम, कोचीन अर्नाकुलम, (जिला केरल) इरिंजलकुडा, मूवत्तीपम्हा, कन्नानोर, नेदुमंगद, कोकायम, पेरुम्बवौर।
मध्य प्रदेश	42	9790	12361	ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, दुर्ग भिलाई, रतलाम, सतना, रायपुर, उज्जैन, इटारसी, नीमच, देवास, धार, राजनन्दगांव, मंदसौर, बिलासपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट।
महाराष्ट्र	28	100/9	955	बम्बई, तारापुर, औरंगाबाद, नागपुर, अकोला, पूना, नासिक, पिम्परी-छिन्नुहवाड़ अहमदनगर, नन्देड, लेतुर, मिराज, कोल्हापुर, थाना, सोलापुर।
उड़ीसा	18	3637	176	कटक, राउरकेला, भुबनेश्वर, पुरी, बरहामपुर।

1	2	3	4	5
पंजाब	16	3252	649	जालन्धर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, भटिण्डा, पठानकोट ।
राजस्थान	37	11843	586	अलवर, झुनझुनु, सागवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, पाली, भरतपुर, बांदवाड़ा, करन, बूंदी, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ ।
तमिलनाडु	69	14538	846	मद्रास, मदुरई, थंजौर, वल्लुपुरम, कडलोर, डिन्डीगुल, कंचरपुरम, कोमारापालयम, धर्मपुरी, नमकाई, सलेम, तिरूमपुर, थवेजुर, तिरूची, कोयम्बतूर, सिगनाथुर, जमीन पल्लवराम, थीरुवेल्लूर, पुडुकोटई, वेल्लूर, होसुर, अरियालुर, थीरूथानी, थिरूवन-मलाई, पोल्लची, रामचन्द्रपुरम, राजा-पालयम, इरोदच, थीरूचिंगोड़े, तीरूपत्तूर, चिद्यमबाराम, मेत्तुर, मारै मालै नगर, नागपत्तनम।
उत्तर प्रदेश	71	27532	2141	गाजियाबाद, आगरा लखनऊ, रुद्रपुर, काशीपुर, शाहजहांनपुर, मेरठ, कानपुर वाराणसी, उन्नाव, हलद्वानी, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, देहरादून, अलीगढ़, गोरखपुर, सन्दिला, झांसी, मोदीनगर, फैजाबाद, रायबरेली, सिकन्दराबाद, रानी पुर, हरिद्वार ।
पश्चिम बंगाल	4	836	—	कलकत्ता, आसनसोल, मैथन, दुर्गापुर, चिन्द्रापरा, कोटाघाट ।
दिल्ली	5	5829	—	दिल्ली/नई दिल्ली ।
चण्डीगढ़	5	1238	2712	चण्डीगढ़ ।
गोआ, दमन तथा दीव	2	88	—	मारगो (गोआ) ।
पांडिचेरी	1	54	—	पांडिचेरी ।
कुल	512	149032	26548	266 नगर/कस्बे

*कम्पोजिट योजनाओं सहित जिनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के अलावा मकान भी शामिल किये गये हैं ।

स्कूलों और कालेजों में परीक्षाओं के लिए समय-निर्धारण

*1102. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों और कालेजों में वार्षिक परीक्षाएं सारे देश में एक साथ नहीं ली जाती हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या परीक्षाओं के समय में परिवर्तन करने के लिए, जो इस समय अप्रैल-मई के महीनों में होती हैं, जबकि बहुत गर्मी पड़ती है, कुछ क्षेत्रों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सभी स्कूलों और कालेजों में प्रति वर्ष दिसम्बर में परीक्षाएं लेने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) माध्यमिक स्कूल स्तर की वार्षिक परीक्षाएं विभिन्न राज्यों के सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा आयोजित की जाती हैं। तथापि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक साथ सारे देश में प्रतिवर्ष मार्च, अप्रैल में अपने से सम्बद्ध स्कूलों में अपनी इन योजनाओं के अन्तर्गत परीक्षाएं आयोजित करता है : (i) अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा, (ii) अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, (iii) दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा और (iv) दिल्ली माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा। कालेज स्तर की वार्षिक परीक्षाओं का निर्णय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं ही लिया जाता है। परीक्षाओं के समय को पुनः निर्धारित करने का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं का समय भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों और माध्यमिक शिक्षा के भिन्न-भिन्न बोर्डों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है और ये ऐसे मामले हैं जिनसे सम्बन्धित निर्णय माध्यमिक शिक्षा बोर्डों और विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं ही किए जाते हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वित्तीय समस्या

*1103. **डा० विजय मंडल**
श्री शंकर सिंह जी वाघेला } : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को इस समय वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

साहिबी-नजफगढ़ बेसिन में बाढ़ सम्बन्धी समिति

*1104. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साहिबी-नजफगढ़ बेसिन में बाढ़ के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत वृहद् योजना का ब्योरा क्या है और उसको कार्य-रूप देने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) वृहद् योजना में किन-किन राज्य सरकारों का योगदान रहेगा और राज्यों तथा केन्द्र द्वारा की जाने वाली वित्तीय देयताओं का ब्योरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) साहिबी नदी-नजफगढ़ जल-निकास प्रणाली के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक निदेशन समिति और केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (बाढ़) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी-दल का गठन अगस्त, 1977 में किया गया था। इस समिति द्वारा तैयार की गई मास्टर योजना में, राजस्थान में अजमेरीपुरा में साहिबी पर एक बांध का निर्माण, हरियाणा में मसानी में एक बराज का निर्माण, दिल्ली में नजफगढ़ जल निकास प्रणाली में सुधार, शामिल हैं :—हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों में सहायक जल-निकास प्रणाली का पुनरूपण तथा आवर्धन, साहिबी के ऊपरी वाह्यक्षेत्र में भू-संरक्षण उपाय, रिंग बंधों के निर्माण द्वारा ग्रामों की सुरक्षा और जहां भी सम्भव हो छोटे टैंकों। बंधों का निर्माण। इस मास्टर योजना को हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों और दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा मोटे रूप से स्वीकार कर लिया गया है। धांसा से भरतनगर पुल तक नजफगढ़ नाले के सुधार की 18.77 करोड़ रुपये की लागत को दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गई एक स्कीम मन्त्रिमंडल द्वारा मंजूर कर ली गई है। अजमेरीपुरा बांध और मसानी बराज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सम्बद्ध राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं में की जा रही है।

'हुडको' द्वारा इटारसी टाउन (म० प्र०) का विकास

*1108. **श्री हरिविष्णु कामत :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इटारसी टाउन को आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा बहु सेक्टर विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) उपर्युक्त विकास परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह चरण बद्ध कार्यक्रम होगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या परियोजना के लिए 'हुडको' के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता (आई० डी० ए०) से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की जायेगी; और यदि हां, तो कितनी;

(ङ) क्या परियोजनाओं के लिए कोई नक्शा या विकास योजना की रूपरेखा तैयार की गई है और अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई है;

(च) यदि हां, तो क्या इस सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(छ) यदि नहीं, तो नक्शा या रूपरेखा योजना कब तक तैयार हो जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (छ) आवास तथा नगर विकास निगम ने इटारसी नगर में बहु क्षेत्रीय परियोजना आरम्भ करने के लिए एक प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त की है। इस रिपोर्ट में विकास कार्य के घटकों का उल्लेख है तथा इसे मध्य प्रदेश के मुख्य नगर आयोजनाकार द्वारा तैयार किया गया है।

इटारसी की इस बहु क्षेत्रीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य मकान, जलपूर्ति, मल जल, निर्यास, परिवहन आदि के क्षेत्रों में नगर की समस्याओं का पता लगाना है और उनका समाधान ढूंढना है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के कार्यक्रम को बनाया जाना है। इसकी प्राथमिक रिपोर्ट मध्य प्रदेश के मुख्य नगर योजनाकार द्वारा तैयार की गई है। इसका विस्तृत कार्यक्रम भी उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है।

आवास तथा नगर विकास निगम के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं के लिए महानगरों के अलावा इन शहरों के लिए आई० डी० ए० से वित्त सहायता प्राप्त करने लिए कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त परियोजना की प्राथमिक रिपोर्ट निर्माण और आवास मन्त्रालय में फरवरी, 1979 में प्राप्त हुई थी।

चूंकि ऐसी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने के प्रस्ताव को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए इस मन्त्रालय द्वारा इस अवस्था में परियोजना का अनुमोदन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का उन्नयन

*1109. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समान उन्नयन करने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रमुख कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चंद्र चंद्र) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि पाठ्यचर्याओं के संशोधन और आधुनिकीकरण, अध्यापन तथा अनुसंधान में सुदृढ़ता आदि के माध्यम से विश्वविद्यालीय पाठ्यक्रमों का विषय-वस्तु और स्तरों में सुधार लाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

प्राथमिक पाठशालाओं में गरीबों के बच्चों को पोषक-आहार

*1110. **श्री अमर सिंह वी राठवा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्राथमिक पाठशालाओं में गरीब बच्चों को पोषक-आहार सप्लाई करने की योजना आरम्भ की है; और

(ख) वर्ष 1979-80 के लिए केन्द्र ने प्रत्येक राज्य को इस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राजसहायता दी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) खाद्य वस्तुओं के सप्लाई संसाधनों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करने के कार्यक्रमों की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं :—

(i) केयर-द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम, और

(ii) देशी खाद्य सामग्री का कार्यक्रम ।

दूसरी श्रेणी के कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रथम श्रेणी के कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचना दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

केन्द्र द्वारा मध्यान्ह भोजन के कार्यक्रमों के लिए वैसे कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती ।

विवरण

इस समय प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम 14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है । इसके लिए खाद्य वस्तुएं केयर नाम के एक अमरीकी संगठन द्वारा दी जाती है और इससे लाभ उठाने वालों की संख्या निम्नलिखित है :

क्र० सं०	राज्य	लाभ उठाने वाले बच्चों की संख्या	खाद्य वस्तुओं की मात्रा पौंडों में
1.	आंध्र प्रदेश	897,000	24,652,013
2.	गुजरात	351,000	13,469,625
3.	हरियाणा	402,500	13,872,600
4.	कर्नाटक	850,000	29,356,875
5.	केरल	1,769,000	54,308,300
6.	मध्य प्रदेश	764,000	26,386,650
7.	महाष्ट्र	250,000	8,634,375
8.	उड़ीसा	760,000	26,248,500
9.	पंजाब	296,000	10,223,100

1	2	3	4
10.	राजस्थान	400,000	13,832,270
11.	तमिलनाडु	2,025,000	51,004,688
12.	पांडिचेरी	40,400	1,004,950
13.	उत्तर प्रदेश	1,000,000	34,537,500
14.	पश्चिम बंगाल	850,000	27,585,000
	कुल	10,654,900	335,116,446

मायोरंग में आजाद हिन्द फौज का स्मारक

*1111. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मणिपुर में मायोरंग स्थित आजाद हिन्द फौज का स्मारक उपेक्षा के कारण जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो आजाद हिन्द फौज द्वारा 1944 में विदेशी शासन से मुक्त कराये गये प्रथम शहर, मायोरंग में स्मारक के समुचित रख-रखाव के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सम्पत समिति की सिफारिश के अनुसार चीनी कारखानों को रियायतें

*1112. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए, नये आरम्भ किये गये अथवा स्थापित किये जा रहे चीनी कारखानों के लिए सम्पत समिति द्वारा सिफारिश की गयी रियायतों को अन्य कारखानों से भी देने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार गन्ने की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को देखते हुए 30 अप्रैल, 1979 के बाद भी गन्ने की पेराई जारी रखने वाले कारखानों को, जैसा गत वर्ष किया गया था, उत्पादन शुल्क में राहत देने का है और यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सम्पत समिति की मूल प्रोत्साहन योजना में 200 लाख और उससे अधिक के प्लांट और मशीनरी की एफ० ओ० आर० लागत पर स्थापित की गयी नयी चीनी फैक्ट्रियां तथा लाइसेंसशुदा विस्तार

प्रोजेक्ट उच्चतर मुक्त बिक्री के कोटे और उत्पादन शुल्क के अन्तर के रूप में प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार थे। चीनी का 16 अगस्त 1978 से विनियंत्रण करने के बाद यह योजना अब लागू नहीं है। परिवर्तित परिस्थितियों की दृष्टि में इस योजना की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय ग्रुप गठित किया गया था। इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता

*1113. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मूर्ति कला गैलरी को जोड़ करके कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल को एक अवधि संग्रहालय के रूप में विकास करने के लिए सरकार ने योजनायें बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उसके लिए क्या वित्तीय प्रबन्ध किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के पुनर्अनुस्थापन के सम्बन्ध में भारत सरकार को सलाह देने के लिए 1972 में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने 1700 से 1900 की अवधि के लिए इसे एक अवधि संग्रहालय के रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय किया है।

योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(I) एक मूर्ति दीर्घा जिसमें उपलब्ध स्थान के अन्दर 12—16 विख्यात भारतीयों की आवक्ष मूर्तियों और मूर्ति संग्रह रखे जाएंगे;

(II) 1700-1900 की अवधि के 100 विख्यात राष्ट्रीय भारतीयों की एक सम्मान नामावली;

(III) स्थानीय इतिहास पर जोर देते हुए 18वीं और 19वीं शताब्दी के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक खुली ऐतिहासिक प्रतिमा दीर्घा की व्यवस्था की।

कार्यान्वयन के लिये अपेक्षित योजनाओं और निधियों के ब्यौरे सम्बन्धित एजेंसियों के परामर्श से तैयार किये जा रहे हैं।

सीमेंट एन्ड कैमीकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड राणावार, गुजरात द्वारा अभ्यावेदन

10495. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० सी० पार्टीज को सप्लाई किये गए सीमेंट के सम्बन्ध में बिक्री कर, ब्याज तथा भाड़ा जुर्माने की प्रतिपूर्ति के बारे में सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमि-

टेड, राणवार (गुजरात) से दिनांक 23 फरवरी, 1979 का और सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, बम्बई से दिनांक 12 फरवरी, 1979 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक को सीमेंट उत्पादकों को 1-12-1969 से 21-8-1978 की 15,39,453 रुपये की राशि का अभी भुगतान करना है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है और सीमेंट निर्माताओं की मांग को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सौराष्ट्र सीमेंट एंड कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० ने 1-12-1969 से 21-8-1978 तक की अवधि के लिये बिक्री कर के रूप में उक्त राशि का दावा किया है। उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इस दावे की जांच की जा रही है।

(घ) क्या इन दावों को स्वीकार किया जाना है या नहीं, इस बारे में कानूनी और वित्तीय कठिनाइयों का विश्लेषण किये जाने पर ही अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है। इसके लिये कुछ सीमेंट निर्माताओं से आंकड़े मंगाये गये थे, उनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

बांगलादेश से आये शरणार्थियों के दावों की तदर्थ आधार पर अदायगी

10496. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगला देश) से आये विस्थापित व्यक्तियों में से जो भारत में अप्रवास कर चुके हैं तथा यहां स्थायी रूप से बस चुके हैं तथा जिन्होंने उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति के लिये मुआवजे के दावे भर कर दिए थे, कई को नियमों के अनुसार उनके दावों के 25 प्रतिशत मूल्य की तदर्थ आधार पर अदायगी नहीं की गई है;

(ख) कितने प्रतिशत आवेदकों को उक्त तदर्थ अदायगी अब तक नहीं की गई है और उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कुछ मामलों में दावाकर्ता या तो मर चुके हैं अथवा बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं, यदि हां, तो कितने व्यक्ति मर चुके हैं और समयबद्ध कार्यक्रम के अधीन तदर्थ अदायगी करने तथा दावे का पूरा भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम किंकर) : (क) से (ग) 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासी या विस्थापित व्यक्ति उस देश में छोड़ी गई सम्पत्तियों के मालिकाना अधिकार रखते हैं और वे अपनी सम्पत्तियों को अपनी इच्छानुसार बेच सकते हैं, अदला-बदली कर सकते हैं और

जिस प्रकार चाहें उनका निपटान कर सकते हैं। अतः उनसे कोई दावे नहीं मांगे गए थे और न ही उन्हें कोई मुआवजा देय था।

फिर भी उन भारतीय राष्ट्रिकों, कम्पनियों इत्यादि को उनके सत्यापित दावों की राशि के 25 प्रतिशत की दर से भारत की संचित निधि में से अनुग्रहपूर्वक भुगतान करने की योजना वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, जिनकी परिसम्पत्तियां भारत-पाकिस्तान संघर्ष, 1965 के दौरान, 'शत्रु सम्पत्ति' के रूप में पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने कब्जे में ली गई थी।

विट्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली में जनता होटल

10497. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विट्ठलभाई पटेल हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में यदा कदा सम्मेलनों/गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है और हजारों लोग इसमें भाग लेते हैं लेकिन सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) क्या 'कृषक, भारती' एक पंजीकृत सोसाइटी, गत एक वर्ष से वहां जनता होटल खोलने के लिए निवेदन कर रही है और उसकी मांग इस तर्क पर अस्वीकार कर दी गई है कि यह केवल संसद सदस्यों के लिये हैं और विशेष और अन्य संगठनों के लिये नहीं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है 'कृषक भारती' को आवास आबंटित न करने के क्या कारण हैं जबकि 'किसान सम्मेलन', 'जाति तोड़ो सम्मेलन' और अन्य संगठनों के लिये आवास का आबंटन किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) विट्ठलभाई पटेल हाउस का आवंटन सांसदों को रिहायशी वास के तौर पर किया जाता है तथा उनकी सेवा के लिये वहां पर पूर्णकालिक भोजन प्रबन्धक है। विट्ठलभाई पटेल परिसर में स्थित मावलंकर आडिटोरियम में सम्मेलन/सेमिनार हर समय होते रहते हैं तथा हाल को प्रयोग करने वाली पार्टियां भोजन आदि का स्वयं प्रबन्ध करती हैं।

(ख) और (ग) विट्ठलभाई पटेल हाउस में जनता होटल खोलने के लिये "कृषक भारती" से दो गैराज आवंटन करने के लिये अनुरोध प्राप्त हुआ था इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह एक निजी संस्था है तथा ऐसी प्रार्थनाओं के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को सरकारी होस्टलों में वास का आवंटन नहीं किया जाता है। सरकार ने विट्ठलभाई पटेल हाउस में "किसान सम्मेलन" तथा "जाति तोड़ो सम्मेलन" या अन्य किसी निजी संस्था को वास का आवंटन नहीं किया है।

ग्रामोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार की आय

10498. **श्री युवराज** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार की वार्षिक आय कम से कम ढाई हजार रुपये सुनिश्चित करने का लक्ष्य है;

(ख) क्या यह युवा वर्ग की शक्ति को निर्माण कार्यों में उपयोग में लाने के लिये एक प्रयोग है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य/लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये देश से कितना व्यय करना पड़ेगा और यह कब तक प्राप्त हो जायेगा तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा ग्रामोदय कार्यक्रम के रूप में ऐसा कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मछली के अपशिष्ट पदार्थों से उपभोक्ता उत्पादों का निर्माण करने के लिए

10499. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन ने मछली के अपशिष्ट पदार्थों से तत्काल उपभोग्य उत्पादों का निर्माण करने के लिए कई तकनीकों का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन का ब्यौरा क्या है, जो इस बारे में विभिन्न पहलुओं पर किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन ने सस्ती मछलियों से विभिन्न उपभोग्य उत्पादों के वाणिज्यिक उत्पाद के लिए तकनीक का विकास किया है। वे हैं—(I) मछली सूप चूर्ण, (II) मछली हाइड्रोलाईसेट्स, (III) मछली बिस्कुट (वेफर्स), (IV) खाद्य मछली चूर्ण, (V) बाल पोषण के लिए द्वितीय स्तर मछली प्रोटीन सांद्र और (VI) डिब्बा बन्द भोजन ।

विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किये गये हैं जैसे कि उनके वाणिज्यिक उत्पादन की पद्धति, उत्पादन लागत, उपभोक्ता ग्राह्यता, भंडारण की विशेषता और पैक करने की विधि । वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उद्यमियों हेतु विधियां उपलब्ध हैं। मछली के बिस्कुटों और मछली के सूप का निर्माण अब अनेक लोगों द्वारा केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर किया जा रहा है।

रमेश पार्क, दिल्ली का विकास

10500. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में रमेश पार्क के बारे में 19 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3615 और 13 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2505 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्र के निवासी नगर निगम के करों का भुगतान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कालोनी को अब तक नियमित क्यों नहीं किया गया है और उस क्षेत्र में जल सप्लाई की मुख्य लाइन बिछाने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है जिससे फिल्टर्ड पानी की सप्लाई की जा सके; और

(ग) उस क्षेत्र में सफाई की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र के निवासी गृह कर अदा कर रहे हैं किन्तु पानी और सफाई कर नहीं दे रहे हैं ।

(ख) नियमितीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र का वास्तविक सर्वेक्षण किया है । इस क्षेत्र के विन्यास नक्शों को अन्तिम रूप देने और निवासियों द्वारा विकास प्रभार अदा करने के पश्चात् ही नाली बिछाने का प्रश्न उठेगा । क्योंकि इस कालोनी के निकट पानी की मुख्य लाइनें नहीं हैं इसलिए भविष्य में वहां स्वच्छ जल की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होगा ।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सफाई के काम के लिए चार सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं ।

गत दो वर्षों के दौरान चीनी, खाण्डसारी और गुड़ का उत्पादन

10501. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो कलैण्डर वर्षों में चीनी, खाण्डसारी तथा गुड़ का श्रेणीवार कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) गत दो कलैण्डर वर्षों से कितनी मात्रा (श्रेणीवार) में निर्यात किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चीनी वर्ष पहली अक्तूबर से 30 सितम्बर तक माना जाता है । चीनी वर्ष 1976-77 और 1977-78 की अवधि, जिसके लिए सूचना उपलब्ध है, के दौरान चीनी के उत्पादन और गुड़ और खंडसारी दोनों के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

(लाख मीटरी टन)

	1976-77	1977-78
चीनी	48.43	64.62
गुड़ और खंडसारी	88.41	94.97 (अस्थायी)

(ख) चीनी वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान क्रमशः 3.12 लाख मीटरी टन और 2.02 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात किया गया था । इस अवधि में खंडसारी का कोई निर्यात नहीं किया गया है । वित्तीय वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान क्रमशः लगभग 362 मीटरी टन और 401 मीटरी टन गन्ने से बने गुड़ का निर्यात किया गया था ।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत कीटनाशी औषधियों का पंजीकरण

10502. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उक्त अधिनियम में सूचीबद्ध कीटनाशी औषधियों में से किसी औषधि का निर्माण करने से पहले किसी निर्माता को केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड, फरीदाबाद में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में ऐसे निर्माताओं के नाम क्या हैं जो बोर्ड में पंजीकृत हैं तथा वे कौनसी कीटनाशी औषधियां बनाते हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) कृमिनाशी औषधियों के विनिर्माताओं के नामों तथा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों की पंजीकरण समिति में पंजीकृत उनके उत्पादों के नामों को इंगित करने वाली तीन सूचियां संलग्न हैं।

[**ग्रन्थालय में रखी गयी** । देखिये संख्या एल० टी० 4470/79]

बढ़ी हुई दर पर गृह निर्माण अग्रिम राशि

10503. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979-80 के लिए बजट प्रस्तुत करने के बाद सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम राशि का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार गृह निर्माण अग्रिम राशि मन्जूर करने के सम्बन्ध में 516 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वर्तमान दर में कब से संशोधन करने वाली है; और

(घ) क्या सरकार को गृह निर्माण के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई की जानकारी है क्योंकि 516 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दी जाने वाली गृह निर्माण अग्रिम राशि अपर्याप्त है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामकिंकर) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान/फ्लैट के निर्माण/अर्जन के लिए जो मौजूदा अधिकतम गृह निर्माण अग्रिम दी जा सकती है वह 70,000/- रुपये है बशर्ते कि निर्माण/अर्जन की लागत, उसकी अदा करने की क्षमता आदि इस सीमा से कम न हो। चूंकि गृह-निर्माण अग्रिम की सुविधा एक सीमित सहायता है, इसलिए यह आशा की जाती है कि आवेदक इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित कोई अतिरिक्त राशि वहन करने के लिए अपने स्वयं के संसाधन भी जुटाने होंगे। इसके अलावा सरकार अपने कर्मचारियों से यह आशा करती है कि वे साधारण मकान बनाएं/खरीदें।

(ग) तथा (घ) 1-4-1978 से गृह निर्माण अग्रिम देने के कार्य का विकेन्द्रीकरण का यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या 516 प्रति वर्ग मीटर के कुर्सी क्षेत्र दर को संशोधित कर और अधिक बढ़ाया जाए या नहीं और यदि बढ़ाया जाए तो कितना, किन्तु यदि सादी विशिष्टियां रखी जायें तो इस समय 516 रुपये की दर इतनी अपर्याप्त प्रतीत नहीं होती जिससे मौजूदा कुर्सी क्षेत्र दर के आधार पर अग्रिम की बाजिब राशि प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े।

माडर्न बेकरी द्वारा डबल रोटी की खपत पूरी किया जाना

10504. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अप्रैल, 1979 की प्रेस विज्ञप्ति की ओर उनका ध्यान गया है और यदि हां, तो इस समय देश में डबल रोटी की दैनिक खपत कितनी है;

(ख) माडर्न बेकरी द्वारा कुल खपत के कितने प्रतिशत भाग की पूर्ति की जा रही है;

(ग) माडर्न बेकरी अपनी क्षमता में कितनी मात्रा में वृद्धि कर रही है; और

(घ) माडर्न बेकरी की क्षमता बढ़ाये जाने के बावजूद कितनी मात्रा में डबल रोटी की कम सप्लाई होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह : (क) जी, हां। क्योंकि डबल रोटी उद्योग लक्ष्यांकित उद्योग नहीं है, इसलिए देश में कुल उत्पादन और खपत के बारे में कोई ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, देश में डबल रोटी की अनुमानित दैनिक खपत लगभग 600 मी० टन है।

(ख) कम्पनी द्वारा 56,000 मी० टन के वर्तमान वार्षिक उत्पादन पर आधारित लगभग 26 प्रतिशत।

(ग) बेकरी उद्योग को लघु क्षेत्र में आरक्षित किया गया है ताकि इसका और विकास हो सके। अतः माडर्न बेकरीज का फिलहाल अपनी क्षमता में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सघन आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित उद्योगों का सर्वेक्षण

10505. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री औद्योगिक समूह ओखला, दिल्ली में उद्योगों के स्थानान्तरण के बारे में 9 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6474 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार दिल्ली में सघन आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित ऐसे उद्योगों का सर्वेक्षण कब तक करने का है जिनके मालिकों को औद्योगिक प्लाट आबंटित कर दिए गए हैं लेकिन वे अभी तक अपने प्लाटों पर नहीं गए हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में आबंटन की तारीख क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कन्नड़ भाषा का सम्बर्द्धन

10506. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 तथा 1979 के दौरान कन्नड़ भाषा के सम्बर्द्धन के लिए क्या अनेक कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) 1977 तथा 1978 में इस भाषा के सम्बर्द्धन के लिए कितनी राशि खर्च की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) कन्नड़ भाषा की प्रोन्नति के लिए 1978 तथा 1979 के दौरान, उठाए गए कदमों में, विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन हेतु राज्य सरकार को अनुदान, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में शिक्षण सामग्री का प्रकाशन तथा अध्यापकों का कन्नड़ में प्रशिक्षण, मानक पाठ्यपुस्तकों के लिए पुरस्कार प्रदान करना तथा कन्नड़ भाषा की प्रोन्नति में कार्यरत शैक्षिक संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देना आदि शामिल हैं ।

(ख) राशि भाषा-वार अलग से निर्धारित नहीं की जाती है । तथापि, वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान, इस भाषा की प्रोन्नति के लिए खर्च की गई राशि अनुमानतः क्रमशः 17.78 लाख तथा 18.82 लाख रुपए हैं ।

वर्ष 1978-79 में विरोधी पक्ष के नेताओं द्वारा देश में व विदेशों में किए गए टेलीफोन काल

10507. **श्री बापू साहेब परुलेकर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में लोक सभा के विरोधी पक्ष के नेता ने देश में तथा विदेशों में कितने टेलीफोन किये थे; और

(ख) विरोधी पक्ष के नेता द्वारा वर्ष 1978-79 में किए गए सभी टेलीफोन कालों का कुल कितनी राशि का बिल था ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

कन्नानौर जिले में डाक तथा तार सुविधाओं का विस्तार

10508 **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केरल के कन्नानौर जिले में लोगों की मांगों को उचित ढंग से पूरा करने के लिए डाक तथा तार सुविधाओं का बहुत अधिक विस्तार किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) शाखा डाक घरों की स्थापना, शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाने, नये स्थानों पर टेलीफोन और तार सुविधाएं देने के लिये इस इस समय कितने

अनुरोध सरकार के विचाराधीन हैं तथा ये विचाराधीन आवेदन पत्र किन-किन क्षेत्रों से आये हैं;

(ग) नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए इस जिले के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं; और

(घ) उचित समय में इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसार साय) : (क) **डाक** : जी नहीं। डाक सुविधाओं के सम्बन्ध में मलनाड क्षेत्र को छोड़कर कन्नानौर जिला शेष केरल राज्य से न्यूयाधिक बराबर है।

दूरसंचार : जी हां।

(ख) **डाक** : शाखा डाकघर खोलने के लिए 51 अर्जियां तथा शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उप डाकघर करने के लिए तीन अर्जियों की फिलहाल जांच की जा रही है। स्थानों के नाम निम्नांकित हैं :—

शाखा डाकघर खोलने हेतु : पुष्पागिरि, परम्प, कन्हीरंगद, थर्भेंचांब्वा, नरीकोट्टी-माला, हास्पिटल, कन्नानौर, क्यूयारिंगट्टा, कलीकोपुरा, अरालयफारम, विकासनगर, पूलाकुट्टी, चाननदीकुन्नु, राननथालई, उत्तरी मानकुदा, तलई बेकोन, नरमपदी, अलदेका, मुभाकुन्नु, करु-वनचल पवेमारुथ, दरगास, अरन्तुकन्दावु, कल्लुवला, पल्लीपम्पा, पंजेकल, श्रीसथा, मनारकदावु, कल्लुकोलम, गांग, अंगदमोअरे, तल्लीचेरी बस स्टेण्ड, मुन्दयम, परामपिल, कोलोदी, कान्हीरा-दुकाथ, चेरुवथुकोव्वल, थरथल्ली, मुरिगेरी, माइसकाप्पा, मूरीयाद, बेलीयापरम्पा, वेंगालम, पेती-मुदी, ननीचेरी, सीथनगोले, मालाकल्लु, कत्तीपोयिल; पूथापारा, नेलेश्वर, पश्चिमी मंगद, पल्लाथ-दका, तथा कप्पीमाला (कुल 51)।

उप डाकघर बनाना : कंथुर, करथिकापुरम तथा चितरीकल (कुल 3)।

(ख) 15 नये स्थानों पर टेलीफोन तथा तार सुविधाओं का प्रदान करने के प्रस्तावों की मंजूरी दी जा चुकी है। इस समय इन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कोई भी अर्जी अनिर्णीत नहीं पड़ी है। फिर भी विभाग की अनुमोदित नीति के अनुसार इस जिले में 209 स्थान ऐसे हैं जहां अभी टेलीफोन तथा तार सुविधाएं प्रदान की जानी है। चालू योजना अवधि के दौरान इन स्थानों पर चरणबद्ध रूप में इन सुविधाओं को प्रदान करने की संभावना है।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

(घ) **डाक** : चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर विभागीय मानदण्डों के अनुसार डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाता है और डाकघर खोले जाते हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है और यदि औचित्य पाया गया तो डाकघर खोले जाएंगे और उनका दर्जा बढ़ाया जाएगा। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है डाकघरों को खालने के लिए मानदण्ड आबादी और वित्तीय दृष्टि से सामान्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक उदार है।

दूरसंचार : चालू योजना अवधि के दौरान नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलकर तथा मौजूदा

टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करके टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर और लाइन भंडार उपलब्ध हों।

विवरण

कन्नानौर जिले (केरल) के टेलीफोन एक्सचेंजों में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र

	एक्सचेंज का नाम	1-4-79 तक नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या
	1	2
1.	कन्नानौर	235
2.	बलियापटम्	55
3.	तैल्लीचेरी	44
4.	चेंगला	22
5.	चेरूपुंभा	4
6.	चेरुवाथुर	39
7.	चित्तारिक्कल	22
8.	कनहंगद	45
9.	कुम्बाला	3
10.	मंजेश्वर	10
11.	मथिल	9
12.	मुलीयूर	2
13.	मुल्लेरिया	12
14.	नेलेश्वर	20
15.	पाल्लिकारे	12
16.	पयंगडी	25
17.	पय्यानूर	59
18.	रमनथाली	7
19.	त्रिकारपुर	14
20.	उदमा	24
21.	उप्पाला	16
22.	अलाकोडे	18
23.	अंजाराकंडी	23
24.	चेम्पेरी	4

	1	2
25.	चेरूकुन्नू	12
26.	एदाक्काद	19
27.	इरिक्कुर	10
28.	मनांथोडी	13
29.	इरिट्टी	17
30.	कलाकोंम	8
31.	कोलासेरी	6
32.	कोलायड	5
33.	कुथुपारम्बा	23
34.	माहे	30
35.	मामबराक	7
36.	मत्तानूर	13
37.	मट्टूल	3
38.	नादूपुरम	27
39.	पारूर	21
40.	पेरूवूर	11
41.	पेरिंगाथूर	17
42.	पोनमेरी	12
43.	श्री कांडापुरम	5
44.	तालिपराम्बा	27

दालों की संकर किस्मों के लिए अनुसंधान

10509. **श्री आर० कोलनथाइवेलू :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दालों की संकर किस्मों का विकास करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का, अगर कोई प्रस्ताव है, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में ऐसे एक केन्द्र की स्थापना करने के लिए मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और अनुसंधान केन्द्र कब और किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से दालों की संकर किस्में विकसित करने के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं । तथापि, अखिल भारतीय समन्वित दाल सुधार प्रायोजना के अधीन लगभग सभी राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वित्तीय सहायता से दालों की अनुसंधान के लिए लगभग 20 केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं । इन अनुसंधान केन्द्रों

का प्राथमिक उद्देश्य उत्पादकता में सुधार लाना रहा है। प्रबन्ध पद्धतियों के एक उपयुक्त पैकेज सहित प्रमुख दालों की बेहतर उपज प्रजातियां विकसित करने के लिये अनुसंधान कार्य को गहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, दालों की फसलों में उपज की सीमा को तोड़ने के लिए मौलिक अनुसंधान हेतु कुछ केन्द्रों का विकास किया जा रहा है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। तमिलनाडु सरकार ने प्रमुख दालों पर जिनमें मूंग और उड़द सम्मिलित हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र तमिलनाडु के प्रोड्डकोटाई जिले के वैम्बन नाम स्थान पर स्थापित करने का अनुरोध किया है और इस प्रयोजन के लिये भूमि और भवन प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) यह प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और तमिलनाडु सरकार को बता दिया गया है। परिषद ने इसके अतिरिक्त सुझाव दिया है कि वैम्बन स्थित दालों का यह अनुसंधान केन्द्र तमिलनाडु विश्वविद्यालय के सीधे नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा। इस प्रस्ताव पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी सहमत हैं। तब से तमिलनाडु सरकार से उनकी सहमति के लिए सम्पर्क किया जा रहा है। जैसे ही तमिलनाडु सरकार की सहमति प्राप्त हो जायेगी, वैसे ही वैम्बन में दालों पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने हेतु कदम उठाये जायेंगे।

झालावाड़ में नया डाक-तार भवन

10510. **श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झालावाड़ राजस्थान में चालू वर्ष के दौरान एक नये डाक व तार भवन का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) प्रस्तावित भवन तथा उसके साथ बनने वाले स्टाफ क्वार्टरों से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त इमारतें सम्भवतः कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान मुख्य डाकघर के लिये एक नई इमारत और 6 क्वार्टरों के निर्माण करने का प्रस्ताव है। डाकघर की इमारत में संयुक्त तार कार्यालय की इमारत की भी व्यवस्था होगी।

(ग) जून 1980 तक।

नेशनल पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेन्ट्स यूनियन द्वारा आन्दोलन

10511. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एक्सट्रा डिपार्टमेंट एजेन्सी यूनियन (पी० एन० पो० टी० ओ०) कुड्डालोर डिवीजन, तमिलनाडु ने उन्हें 10 सितम्बर, 1977 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त यूनियन ने 21 मार्च, 1979 और 2 अप्रैल, 1979 को आन्दोलन किये हैं; और

(घ) यदि हां तो उनकी मांगें क्या हैं और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) उससे संम्बन्धित मांगें और वर्तमान स्थिति दर्शानेवाला विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ग) जी हां ।

(घ) तारीख 10-9-1977 को दिये गये 24 सूची मांग-पत्र को शीघ्र मनवाने हेतु दबाव डालने के लिये आन्दोलन किया गया था जिनके सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति ऊपर (क) में संलग्न विवरण-पत्र में उपलब्ध है ।

विवरण

विभागेतर एजेन्टों द्वारा सरकार को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन निहित मांगों का ब्यौरा

	मांगें	वर्तमान
1.	विभागेतर एजेंट नामावली के स्थान पर "ग्रुप 30" किया जाना चाहिये ।	चूंकि विभागेतर कर्मचारी पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं। अत: उन्हें सरकारी कर्मचारियों की भांति वर्गीकरण का सवाल ही नहीं है । वे अंशकालिक कर्मचारी हैं । अत: नियमित सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त सुविधाओं के हकदार नहीं होते सिवाय इसके कि संविधान की धारा 311 के अन्तर्गत भारी अनुशासनिक कार्यवाही और सुरक्षा का संबंध है ।
2.	अपदस्थ किये जाने की पद्धति समाप्त की जाये । सेवा से निलंबन के समय निर्वाह भत्ते का सहारा दिया जाना चाहिये ।	जब विभागेतर एजेन्टों को जब वे अपदस्थ होते हैं तब उन्हें निर्वाह भत्ते की अदायगी नहीं की जानी चाहिये ।
3.	मंहगाई भत्ता योजना शुरू की जाये और पूर्व प्रभावी तारीख 1-5-73 से और 27.50 रुपये मंहगाई भत्ते का बकाया मन्जूर किया जाना चाहिये।	मंहगाई भत्ता योजना विभागेतर कर्मचारियों पर लागू नहीं होती । उनके भत्तों में सितम्बर 1977 से संशोधन किया गया है ।
4.	संयुक्त सलाहकार तन्त्र की भांति समझौता तन्त्र का गठन किया जाए।	विभागेतर एजेन्टों की भांति अंशकालिक कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तन्त्र लागू नहीं होता ।

5.	विभागेतर जांच समिति की नामंजूर कल्याणकारी, सिफारिशों पर पुनर्विचार किया जाये। कल्याणकारी सिफारिशें लागू की जाएं।	कल्याणकारी सिफारिशों का मतलब कार्यालय किराया और नगर प्रतिपूरक भत्ते से है। विभागेतर एजेन्टों को जो भत्ता दिया जाता है उसमें कार्यालय किराया भी शामिल है। विभागेतर एजेन्टों के भत्तों में सितम्बर, 77 से संशोधन कर दिया गया है।
6.	शाखा पोस्टमास्टरों से कार्यालय की मन्जूरी।)	
7.	विभागेतर एजेन्टों को विभागीय कर्मचारियों की तरह नगर प्रतिपूरक भत्ते की मन्जूरी जो विभिन्न प्रकार के स्टेशनों पर और संक्रामक इलाकों में काम करते हैं।)	
8.	ड्यूटी के प्रत्येक मद के लिए भत्ता बहुत ही कठोर और गैर वास्तविक है, इसे उदार किया जाना चाहिए।	नौकरी के विभिन्न तत्व के लिये वांछित समय के पालन का बड़ी सावधानी से मूल्यांकन किया गया। समय भत्ता बढ़ाये जाने का प्रश्न ही नहीं है और मांग नहीं मानी गई।
9.	शाखा पोस्टमास्टरों/उप शाखा पोस्टमास्टरों के लिए आनुपातिक चार्ज भत्ते की मंजूरी।)	
10.	संयुक्त ड्यूटी निष्पादन के लिए देय अतिरिक्त भत्ते में बढ़ोतरी।)	
11.	शाखा पोस्टमास्टर के कार्यभार को देखते हुए ग्राह्य भत्ते में वृद्धि टिकट विक्रेताओं के लिए टिकट सीमा, तार-वितरण, डाक कैरियर अनायास इन्तजार का प्रति पूरक, चौकीदारों के लिए प्रति घण्टा भत्ता।)	ये मांगें भत्ते के संशोधन के साथ जोड़ दी गयी थी। जैसा कि पहले कहा गया है कि संशोधन के आदेश सितम्बर 1977 से जारी कर दिए गए हैं।
12.	विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों के लिए अतिरिक्त भत्ता यह कह कर दबाया नहीं जाना चाहिए कि अधिकतम भत्ता अधिक न हो जाए।)	

13. क्लर्क के काडर में पदोन्नति के अवसर।	विभागेतर एजेन्टों को क्लर्क काडर में खपाए जाने के आदेश पहले से ही मौजूद हैं। विभागेतर कर्मचारी बाहरी उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, यदि उन्होंने (क) एक वर्ष की सेवा कर ली हो, (ख) अपेक्षित शैक्षिक योग्यता यानी मैट्रिकुलेशन और (ग) 40 वर्ष तक की आयु हो।
14. अर्जित अवकाश की मन्जूरी, आकस्मिक अवकाश तथा यूनियन की बैठकों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश।	विभागेतर कर्मचारी किसी प्रकार की छुट्टी के हकदार नहीं होते। उन्हें प्राधिकृत छुट्टी बिना किसी भत्ते के परन्तु उन्हें एवजी देना होगा, मंजूर की जा सकती है।
15. चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था।	चिकित्सा सुविधाएं अनुग्रहपूर्वक सुविधाएं हैं जो केवल सरकार के नियमित कर्मचारियों को ग्राह्य है।
16. शैक्षणिक लाभ की योजना का प्रस्तुतीकरण।	ये सुविधाएं केवल सरकार के नियमित कर्मचारियों को ग्राह्य हैं।
17. बाहरी कर्मचारियों को वर्दियां, चप्पल तथा छतरी की सप्लाई।	विभागेतर कर्मचारियों को पहचानने के लिये जब वे ड्यूटी पर होते हैं, बिल्ले दिये जाते हैं। उन्हें वर्दियां, चप्पल आदि सप्लाई नहीं किए जा सकते जो केवल सरकार के नियमित कर्मचारियों को दिये जाते हैं। यद्यपि यह सहमति हुई है कि उन सदस्यों को छतरी प्रदान की जाए जो उन क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं (i) जहां गर्मी के दिनों में अधिकतम तापमान 108 फारनहाईट है और (ii) जहां किसी 4 लगातार महीनों के लिए सामान्य वर्षा 30 इंच अथवा इससे अधिक है।
18. सेवा निवृत्ति लाभ।	विभागेतर कर्मचारी पेंशन लाभों के हकदार नहीं हैं जैसा कि वे केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं। तथापि, उन्हें अनुग्रहपूर्वक ग्रेच्युटी दी जाती है।
19. अनुग्रह नियमों को उदार बनाना।	

20.	भविष्य निधि में अंशदान की अनुमति।	सरकार के केवल नियमित कर्मचारियों को भविष्य निधि में अंशदाने की अनुमति दी जाती है।
21.	नियत लेखन सामग्री प्रभारों का संशोधन।	कुछ वर्ष पहले नियत लेखन सामग्री प्रभारों का संशोधन किया गया था तथा पहले ही पुनरीक्षण की जांच की जा रही है।
22.	कार्यालय के रखरखाव के लिये विविध व्यय की मन्जूरी।	कार्यालय के केवल प्रधान द्वारा विविध व्यय किए जा सकते हैं और विभागेतर कर्मचारी के लिये कोई अधिकार नहीं है।
23.	कार्यालय के और जनता के प्रयोग के लिये फर्नीचर की सप्लाई।	विभागेतर डाकघरों में फर्नीचर की सप्लाई जैसे मेज, कुर्सी, स्टूल, पारसल चेस्ट, रिकार्ड बाक्स, हैण्ड बाक्स और जनता के लिए स्तर के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं।
24.	त्यौहार अग्रिम और बाढ़ अग्रिम की मंजूरी।	ये छूट सरकार के नियमित कर्मचारी के लिए ग्राह्य हैं। तथापि, विभागेतर एजेन्टों को ये लाभ दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

अखिल भारतीय सिन्धी साहित्य सम्मेलन की मांगें

10512. **श्री आर० के० महालगी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को उल्हास नगर (महाराष्ट्र) में दिसम्बर, 1978 में हुए 14वें अखिल भारतीय सिंधी साहित्य सम्मेलन से एक मांग पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार की कई मांगों के बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) अखिल भारतीय सिंधी बोली तथा साहित्य सभा के तत्वावधान और माध्यम से मन्त्रालय में इस मांग पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है।

(ख) मांग पत्र में कई प्रकार की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक मांगें शामिल हैं। अधिकांश

मांगों का राज्य सरकारों से सम्बन्ध है । जिन, मांगों का सम्बन्ध भारत सरकार से है वे सिंधी भाषा तथा साहित्य की प्रोन्नति से सम्बन्धित हैं ।

(ग) जहां तक सिंधी भाषा तथा साहित्य की प्रोन्नति से सम्बन्धित मांगों का प्रश्न है, सिंधी सहित सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना तथा उनके विकास के लिये सुविधायें प्रदान करना सरकार की नीति है ।

सिंधी के विकास के लिए सरकार ने छात्रों तथा सामान्य रूप से सिंधी भाषी लोगों के लाभ के लिये सिंधी में शिक्षाप्रद पुस्तकें प्रकाशित करने की एक योजना आरम्भ की है । अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु साहित्य कृतियों के लिये प्रतिवर्ष पांच पुरस्कार प्रदान करने की एक योजना शुरू की गई है । सरकार भारतीय भाषाओं को प्रोन्नति के लिये स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता की योजना के अन्तर्गत सिंधी से सम्बन्धित सेमिनार के आयोजन के लिये अखिल भारतीय सिंधी बोली तथा साहित्य सभा को सहायता दे रही है । साहित्य अकादमी ने सिंधी में कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं तथा प्रसिद्ध सिंधी लेखकों को अकादमी पुरस्कार दिये हैं । केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर ने सिन्धी के शिक्षण के लिये विशेष शिक्षण सामग्री तैयार की है तथा भारत सरकार द्वारा पुणे में स्थापित किये गए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में सिंधी के अध्यापकों को शिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कार्यवाही

10513. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तम्बाकू उत्पादकों को वैसे ही तम्बाकू का जापान के तम्बाकू उत्पादकों को मिलने वाली कीमत का 17 प्रतिशत मूल्य मिलता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि मूल्य आयोग द्वारा तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएंगी ।

(ग) कृषि मूल्य आयोग को विभिन्न जिन्सों के लिए समर्थन मूल्यों के बारे में सिफारिश करनी होती है । सरकार के अनुरोध पर आयोग ने 1978-79 की फसल के लिए वर्जिनिया फल्यू क्योर्ड तम्बाकू की मूल्य नीति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) 1978-79 की फसल के लिये वी० एफ० सी० तम्बाकू के फार्म ग्रेड एफ-2 का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाये ।

(2) वी० एफ० सी० तम्बाकू के अन्य ग्रेडों के लिये समर्थन मूल्य सामान्य बाजार मूल्य के अन्तर को मद्दे नजर रख कर निर्धारित किये जाएं ।

(3) ऐसी किस्मों का, जो विशेष रूप से हल्की भुरभुरी मृदा के लिये उपयुक्त हैं, विकास किया जाए तथा वी० एफ० सी० तम्बाकू के अन्तर्गत कुल क्षेत्र बढ़ाये बिना केवल हल्की मृदा के तम्बाकू के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाया जाये;

(4) तम्बाकू बोर्ड द्वारा विकसित तम्बाकू के आठ फार्म ग्रेडों को सरकारी एजेंसी द्वारा कोटि का उपयुक्त प्रमाणपत्र देकर, जैसा कि एगमार्क ग्रेड के मामले में किया गया है उत्पादक स्तर पर सांविधिक रूप से लागू किया जाना चाहिए तथा उत्पादकों को वर्गीकरण सम्बन्धी दक्षता में आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए प्रबन्ध किए जाने चाहिए; और

(5) भण्डारण, भाण्डागारों तथा पुनः शुष्कीकरण की सुविधाओं के रूप में समेकित अवसंरचना तैयार करने के लिए इस ढंग से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे कि ये उत्पादकों को आसानी से सुलभ हो सकें।

तम्बाकू के उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 1979 की फसल से आन्ध्र प्रदेश से सरकारी खाते में 10,000 मीटरी टन वी०एफ०सी० तम्बाकू खरीदने के लिए प्राधिकृत किया है। 1978 के दौरान भी सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 1978 की फसल से आंध्र प्रदेश से सरकारी खाते में 10,000 मीटरी टन वी० एफ० सी० तम्बाकू खरीदने के लिए प्राधिकृत किया है।

(2) 1978 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को सरकारी खाते में 25,000 मीटरी टन की वर्जिनिया तम्बाकू, विशेषकर बीड़ी तम्बाकू की खरीद करने के लिए प्राधिकृत किया है।

(3) तम्बाकू बोर्ड ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तम्बाकू पत्ती खरीद वाउचर योजना शुरू की है, ताकि वर्जिनिया तम्बाकू के उत्पादकों को उनके तम्बाकू का समय पर मूल्य मिलने में सहायता मिल सके।

(4) तम्बाकू बोर्ड ने काली मिट्टी क्षेत्र के लिए 8 नए फार्म ग्रेड और हल्की मृदा क्षेत्र के लिए पौध स्थिति श्रेणीकरण शुरू किए हैं। 1979 के दौरान राज्य व्यापार निगम सीधे नए फार्म ग्रेडों में उत्पादकों से तम्बाकू बोर्ड द्वारा इस कार्य के लिए स्थापित किये गये खरीद करने और श्रेणीकरण करने वाले केन्द्रों में सरकारी खाते में कुल 10,000 मीटरी टन में से 5000 मीटरी टन की खरीद कर रहा है।

(5) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 पहले ही संशोधित कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड को वर्जिनिया तम्बाकू के विक्रय के लिए अपना एक नीलामी मंच स्थापित करने तथा इसके द्वारा स्थापित एवं इसमें पंजीकृत मंच में नीलामीकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार मिला है। तम्बाकू बोर्ड नीलामी मंच की स्थापना करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा है।

(6) बीड़ी तथा अन्य किस्म के तम्बाकू के फालतू उत्पादन को देखते हुए तथा उसके विपणन में अनुभव की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने एक तम्बाकू विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है, जो विस्तार से समस्याओं का अध्ययन करेगा तथा सभी प्रकार के तम्बाकुओं के उत्पादन के विनियमन के लिये एवं उन्नत विपणन के लिये आवश्यक उपाय सुझायेगा।

(7) 1977-78 के दौरान आंध्र प्रदेश में वर्जिनिया (एफ० सी० वी०) तम्बाकू काफी मात्रा में जमा हो गया था, अत: 1978-79 के दौरान इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में एफ० सी० वी० तम्बाकू के अन्तर्गत क्षेत्र को नियन्त्रित करने के लिये तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की। तथापि, कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण इसे पूर्णत: क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण के लिए योजना

10514. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया है और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य द्वारा मांगी गई पूरी सहायता की मंजूरी दे दी है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण के लिए 1973 में 327 करोड़ रुपए की लागत वाली एक योजना की रूपरेखा तैयार की थी और उसके बाद घाघरा और गोमती बेसिनों में बाढ़ नियन्त्रण की व्यापक योजनाएं भी तैयार की थीं, जिन पर क्रमश: 175 करोड़ रुपया और 31.35 करोड़ रुपया खर्च होना था। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के नियन्त्रण की योजना की रूपरेखा में तटबन्ध स्कीमें, नगर सुरक्षा उपाय, भू-कटावावरोधी निर्माण-कार्य, जल-निकास सुधार स्कीमें, नदी सुधार वर्क्स, पुलों के लिए जलमार्गों का विस्तार, घिरे हुए ग्रामों को ऊंचा उठाना, जल-संचयन जलाशय, भूसंरक्षण, बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ क्षेत्र निर्धारण शामिल हैं।

(ख) राज्य सरकार ने राज्य में बाढ़ सुरक्षा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 1976 में 3.3 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। चूंकि बाढ़-नियन्त्रण राज्य-सेक्टर का भाग है, इसलिए केन्द्रीय सरकार योजनागत स्कीमों के लिए राज्य सरकार को ब्लाक ऋण और अनुदान देती है, और राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न सेक्टरों और स्कीमों के लिए स्वयं धन आबंटित करती है।

इन्सेक्टीसाइड्ज एक्ट, 1968 के अधीन पंजीकरण संख्या और पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

10515. **श्री सरत कार** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सेक्टीसाइड्ज एक्ट, 1968 के उपबन्धों के अनुसार सेन्ट्रल इंसेक्टीसाइड्ज बोर्ड द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तारीख के 12 महीनों के भीतर इंसेक्टीसाइड्ज की रजिस्ट्रेशन संख्या तथा रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र जारी करना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेन्ट्रल इंसेक्टीसाइड्ज बोर्ड में अब तक पंजीकृत सभी निर्माताओं को आवश्यक रजिस्ट्रेशन संख्या तथा रजिस्ट्रेशन के प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) बिना और विलम्ब के संख्या प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा (9) (3) के अन्तर्गत पंजीकरण समिति को, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 12 महीने की अवधि के अन्दर पंजीकरण संख्या की मंजूरी देकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना होता है। कुछ मामलों में जहां समिति को उसके समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर निर्णय लेना कठिन होता है, वहां यह अवधि 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) सरकार विलम्ब के कारणों की जांच कर रही है, ताकि पंजीकरण प्रमाण-पत्र तेजी से जारी किए जा सकें।

हरिनगर, नई दिल्ली में बच्चों के पार्कों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना

10516. **पीयूष तिरकी** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिनगर, घण्टाघर कालोनी, नई दिल्ली में वृहत् योजना के अनुसार बच्चों के पार्कों के लिए सुरक्षित भूमि का कुछ व्यक्तियों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने हरिनगर क्षेत्र की वृहत् योजना में हाल ही में कुछ परिवर्तन किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक् डाक तथा तार सर्किल

10517. **श्री ग्रो० वी० ग्रलगेशन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1978 के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक् डाक तथा तार सर्किल बनाने को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया था बशर्ते राज्य सरकार उपयुक्त ग्रावास की व्यवस्था कर सके;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला या किसी ग्रन्य उपयुक्त स्थान पर 1976, 1977, 1978 ग्रथवा 1979 में स्थानों के नामों सहित प्रस्तावित डाक तथा तार सर्किल के लिये किसी स्थान की पेशकश की थी;

(ग) यदि हां, तो जिन स्थानों की पेशकश की गई है उनका ब्यौरा क्या है ग्रौर किस तारीख को पेशकश की गई;

(घ) इस पेशकश पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक् डाक तथा तार सर्किल कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां । प्रस्ताव सिद्धांत रूप में 1975 में स्वीकार किया गया था।

(ख) से (घ) : 1978 में डाक-तार सर्किल मुख्यालय के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में किराये पर स्थान देने की पेशकश की थी। परन्तु उस समय यह पेशकश स्वीकार नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने 1978 में पुन जोगिन्दर नगर में स्थान देने की पेशकश की थी। उस समय यह पेशकश इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार से कारगर संपर्क रखने के लिए ही सर्किल मुख्यालय राज्य मुख्यालय में स्थापित करने का निश्चय किया गया था।

(ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराते ही हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला में ग्रलग से डाक-तार सर्किल बना दिया जायेगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के ग्रायुक्त का पद

10518. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त का पद बहुत दिन से नहीं भरा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी हां । आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली का पद, 25 दिसम्बर, 1977 से खाली पड़ा है । तथापि उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को ग्रायुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है ।

(ख) इस पद पर लगाने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति खोज पाना संभव नहीं हो सका है यद्यपि पद के वास्तविक रूप से खाली होने से पूर्व ही इसे भरने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी। उपयुक्त व्यक्ति ढूंढने के लिए प्रयत्न चल रहे हैं।

निजामाबाद टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलना

10519. **श्री के० विजय भास्कर रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजामाबाद टेलीफोन एक्सचेंज में इस समय कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं और वहां प्रति पारी कितने आपरेटर काम करते हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस एक्सचेंज की असन्तोषजनक सेवा के बारे में जनता की अनेक शिकायतें हैं; और

(ग) इस एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 1. निजामाबाद टेलीफोन एक्सचेंज में प्रचालित होने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की वर्तमान संख्या 1518 है।

2. प्रत्येक पारी में काम करने वाले आपरेटरों की संख्या निम्नलिखित है :

	काम के घंटे	आपरेटरों की संख्या
(1)	0010-0620	3
(2)	0620-1240	6
(3)	0700-1430	4
(4)	0800-1520	6
(5)	0920-1630	6
(6)	1000-1300	6
(7)	1800-2100	6
(8)	1340-2100	6
(9)	1000-1720	6 (सामान्य)
(10)	1540-2300	6
(11)	1640-0000	8

(ख) जी हां। प्राधिकारियों को जनता की शिकायतों का पता है और सेवा बेहतर बनाए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) स्वचालित उपस्करों की अत्यधिक कमी के कारण निजामाबाद करचल एक्सचेंज को स्वचलित एक्सचेंज में बदलने में विलम्ब हो रहा है।

पिछले खरीफ मौसम में निजामाबाद जिले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खोले गये क्रय केन्द्र

10520. **श्री अब्दुल लतीफ** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले खरीफ मौसम में आन्ध्र प्रदेश में निजामाबाद जिले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद के लिए कितने क्रय केन्द्र स्थापित किये गये थे और प्रत्येक केन्द्र पर, किस्म-वार, कुल कितनी मात्रा में धान वसूल किया गया;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी नई बोरियां सप्लाई की गई और नई बोरियों की कमी के कारण प्रत्येक केन्द्र पर किसानों ने कितनी बोरियां खरीदीं और बोरियां सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने नई बोरियां किस मूल्य पर ली थीं और बाजार में इनका मूल्य कितना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने धान की खरीदारी करने के लिए पिछले खरीफ मौसम के दौरान निजामाबाद जिले के 22 केन्द्रों में कार्य किया था और कुल 27,716 मी० टन धान की वसूली की थी। प्रत्येक केन्द्र पर वसूल की गई धान की मात्रा और इस जिले में वसूल किए गए धान की किस्मवार स्थिति को बताने वाला विवरण संलग्न है (विवरण I तथा II)।

(ख) कुछ भागों में वास्तविक वसूली लक्ष्य से अधिक हो गई थी और कुछ क्रय केन्द्रों में बोरियां कम पड़ गई थीं। जरूरतमन्द क्रय केन्द्रों को बोरियां भेजने के लिए प्रबन्ध किए गए थे लेकिन उन केन्द्रों में बोरियों के पहुंचने के पहले कुछ किसानों से अपनी बोरियों में धान देने के लिए कहा गया था जिसके लिए उन्हें खाद्यान्न के मूल्य के साथ उसके मूल्य दिये गये थे।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किए गए नए बोरों की संख्या और किसानों द्वारा लाए गए बोरों की संख्या के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) किसानों को नई बोरियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य की प्रतिपूर्ति की गई थी जोकि 31-12-1978 को समाप्त तिमाही के लिए 100 किलो के प्रति बोरे के लिए 3.75 रुपये और 75 किलो के प्रति बोरे के लिए 3.20 रुपये और 31-3-1979 को समाप्त तिमाही के लिए 100 किलो के प्रति बोरे के लिए 4.16 रुपये और 75 किलो के प्रति बोरे के लिए 3.75 रुपये की दर से की गई थी।

[**ग्रंथालय में रखे गये**। देखिए संख्या एल० टी० 4477/79]

दिल्ली दुग्ध योजना में हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक

10521. **श्री राज विश्वेश्वर राव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री दिल्ली दुग्ध योजना में हिन्दी कार्य के लिए मन्जूर किये गये पदों के बारे में 23 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8001 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी अधिकारी तथा कनिष्ठ अनुवादक के पद तदर्थ आधार पर भरने के लिए गृह मन्त्रालय को पत्र किस तारीख को लिखा गया और दिल्ली दुग्ध योजना में उनका परामर्श प्राप्त होने की तारीख क्या थी;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ये पद सरकार की राजभाषा नीति के अन्तर्गत सांविधिक दायित्व पूरा करने के लिए भरे जाने आवश्यक हैं;

(ग) क्या जनवरी, 1979 में दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों ने राजभाषा के बारे में संसदीय समिति को आवश्यक आश्वासन दिया था कि ये पद एक महीने में भर दिये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने तक गृह मन्त्रालय से 11 जनवरी, 1979 को अनुरोध किया गया था कि वे योग्य अधिकारियों में से अन्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा तदर्थ आधार पर हिन्दी अधिकारी तथा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर नियुक्ति करने के लिए पात्र अधिकारियों, जो गृह मन्त्रालय के राज भाषा विभाग द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता तथा अनुभव को पूरा करते हों, के नामों की सिफारिश करें। इस पत्र का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, हिन्दी अधिकारी का पद 4 मई, 1979 को विभागीय उम्मीदवार की नियुक्ति से तदर्थ आधार पर भरा गया है। कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद को तदर्थ आधार पर भरने के लिए भी विभागीय उम्मीदवार के नाम पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) समिति के सदस्यों की इच्छा थी कि लगभग एक माह की अवधि में पदों को भरे जाने के बाद राजभाषा अधिनियम की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिये। आश्वासन दिया गया था कि तदनुसार प्रयास किए जायेंगे।

(घ) अन्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद को भरने के लिए गृह मन्त्रालय की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही थी। चूंकि अब तक कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये विभागीय उम्मीदवार को तदर्थ आधार पर नियुक्त करके हिन्दी अधिकारी का पद भर दिया गया है।

दिल्ली के स्कूल अध्यापकों द्वारा हड़ताल

10522. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन स्कूलों के नाम क्या हैं जहां मार्च, 1979 में हड़ताल में भाग लेने के कारण सभी शिक्षकों को निलम्बित कर दिया गया था; और

(ख) उन स्कूलों को चलाने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रचार डिवीजन के विस्तार निदेशालय में किया गया कार्य

10523. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रचार डिवीजन के विस्तार निदेशालय में प्रादेशिक भाषाओं में किए गए कार्य का ब्योरा क्या है और वहां इस कार्य में कितने व्यक्ति लगे हैं और वे किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या अब तक केवल चार प्रादेशिक भाषाओं के लिए ही पद बनाए गए हैं और इन भाषाओं में कार्य करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो अन्य प्रादेशिक भाषाओं की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं और संविधान में शामिल सब प्रादेशिक भाषाओं को इस प्रयोजन के लिए न अपनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का अन्य प्रादेशिक भाषाओं के लिए क्या नीति अपनाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विस्तार निदेशालय कृषि सम्बन्धी जानकारी की सामग्री तैयार कर रही है, जिसमें समाचार, पत्रकों और पेम्फलेटों के साथ-साथ कन्नड, बंगाली, पंजाबी और तेलुगु भाषा में प्रदर्शनियों आदि के लिए सामग्री भी शामिल है। इस कार्य में प्रत्येक भाषा का एक उप-सम्पादक लगा हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) सम्बन्धित राज्य द्वारा मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में कृषि सम्बन्धी जानकारी देने की व्यवस्था की जा रही है। यह कार्य विस्तार निदेशालय में मार्गदर्शी आधार पर कुछ भाषाओं में शुरू किया गया था और राज्यों में कृषि सम्बन्धी जानकारी देने की सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अन्य भाषाओं में जानकारी देना आवश्यक नहीं पाया गया है।

ग्राम शेख सराय नई दिल्ली में कस्टोडियन (अभिरक्षक) सम्पत्ति का हस्तान्तरण

10524. **श्री मोहन लाल पिपिल**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया } : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में सरकार द्वारा किए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त से कहा है कि वह कस्टोडियन सम्पत्ति के स्वामित्व की उन लोगों को हस्तान्तरित करने के बारे मे आगे कार्यवाही करें जिनका उस सम्पत्ति पर कब्जा है; और

(ख) क्या यह सच है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उनके आदेशों का अभी तक पालन नहीं किया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को इस मामले पर सरकारी नीति तथा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहा गया था। तदनुसार मामले की जांच की गई है तथा कस्टोडियन सम्पत्ति का स्वामित्व अनाधिकृत कब्जेदारों को हस्तान्तरित करना सम्भव नहीं पाया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में केडर-तीन के वैज्ञानिकों की योग्यतायें

10525. **श्री वसन्त साठे** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मुख्यालय में ऐसे कितने अधिकारियों की केडर-तीन के वैज्ञानिक तथा इससे उच्च पदों पर पदोन्नति की गई जिनके पास

न तो विश्वविद्यालय की उच्च स्नातकोत्तर डिग्री थी और न ही उन्हें अनुसंधान का कोई अनुभव प्राप्त था;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में ऐसे कितने वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक केडर-तीन नहीं दिया गया जिनके पास विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री है और देश और विदेशों में अनुसंधान का अनुभव प्राप्त है;

(ग) क्या प्रतिकूल प्रभावित वैज्ञानिकों के अभ्यावेदन वर्ष 1978 से प्रशासन के पास पड़े हैं और इस बारे में निर्णय न लेने के क्या कारण हैं;

(घ) इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) कृषि अनुसंधान सेवा में विज्ञानियों के लिए न्यूनतम योग्यता कृषि, मत्स्यपालन सहित पशु विज्ञान, वानिकी, सामान्य विज्ञान, गृह विज्ञान, समाज विज्ञान या सांख्यिकी या गणित की किसी शाखा में मास्टर डिग्री है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में विगत तीन वर्षों के दौरान स्नातकोत्तर डिग्री धारण न करने वाले किसी विज्ञानी को कृषि अनुसंधान सेवा के ग्रेड एस-3 में पदोन्नत नहीं किया गया है।

(ख) एस-2 ग्रेड के उन सभी विज्ञानियों को 'मेरिट' पदोन्नति या अग्रिम वेतनवृद्धि हेतु मूल्यांकन के लिए दि० 31-12-75 और 31-12-76 जो को पात्र थे उनको कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल की सिफारिशों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय पर कृषि अनुसंधान सेवा के एस-3 ग्रेड में क्रमश: दि० 1-7-76 और 1-7-77 से 'मेरिट' पदोन्नतियां दे दी गई हैं। कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल की दि० 31-12-77 को एस-2 ग्रेड के विज्ञानियों के सम्बन्ध में सिफारिशों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है। एस-2 के उन विज्ञानियों के मूल्यांकन फार्म जो दि० 31-12-78 को मूल्यांकन के पात्र बने हैं, अभी कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के पास भेजने हैं।

(ग) कृषि अनुसंधान सेवा का गठन दि० 1-10-75 से किया गया था और तब से एस-2 के सभी उपयुक्त विज्ञानियों को एस-3 ग्रेड में दि० 1-7-76 और 1-7-77 से 'मेरिट' पदोन्नति मिल गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय पर किसी एस-2 विज्ञानी पर विपरीत परिणाम होने का कोई प्रश्न नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृषक योजना से गलत लोगों को लाभ

10526 **श्री विजयकुमार एन० पाटिल :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'कृषक योजना से गलत लोगों को लाभ शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) लघु किसान विकास ऐजेंसी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करने में कार्यक्रम

मूल्यांकन संगठन द्वारा क्या कमियां पाई गई हैं और योजना के अन्तर्गत चुने जाने वाले लाभार्थी वास्तविक हों इसका पता लगाने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और मापदंड में सुधार सुनिश्चित कराने के लिये, और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए दिये जाने वाले आर्थिक और तकनीकी प्रोत्साहन उन्हीं को प्राप्त हों जिन्हें योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन देने का विचार किया गया है, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा अपने नवीनतम प्रतिवेदन में बतायी गई कमियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा योजना बनाने/परिवर्तन करने के लिए किये गये संशोधनों/सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट में दर्शायी गई कमियों का सम्बन्ध भागीदारों का पता लगाने में हुई धीमी प्रगति और भागीदारों का गलत पता लगाने से है। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट की टीका-टिप्पणियां ये हैं :—

(1) अध्ययन के अन्तर्गत लाई गई परियोजनाओं में पता लगाये गये लक्षित वर्ग का कुल प्रतिशत लगभग 34 था। यह विशेष रूप से सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के मामले में कम था।

(2) लक्षित वर्गों की परिभाषा को स्पष्ट करने में कमी, उच्च अधिकारियों से उचित अनुदेशों का अभाव तथा अद्यतन भूमि-लेखों के उपलब्ध न होने से लाभभोगियों की गलत पहचान की गई।

(3) लाभभोगियों का अनुपयुक्त ढंग से पता लगाने और उनकी जांच करने के परिणामस्वरूप योजना के लाभ लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमान्त किसान व कृषि श्रमिक परियोजनाओं दोनों में लगभग 9 प्रतिशत की सीमा तक गलत व्यक्तियों को मिले तथा कृषि श्रमिकों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

(4) परिवार एकक, भूमि जोतों और कृषि श्रमिकों की परिसीमाओं के बारे में अस्पष्टता के कारण लाभभोगियों का गलत पता लगाया गया। इस बारे में यह उल्लेख है कि रिपोर्ट परियोजनाओं के प्रथम दो वर्षों के एकत्रित किये गये आंकड़ों पर आधारित है। परियोजनाओं के पांच वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की आशा की जाती थी। ऐसा लगता है कि कई एजेंसियों ने प्रारम्भिक वर्षों में मात्र उन लाभभोगियों की संख्या का पता लगाने में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है, जिनके निकट भविष्य में लाभान्वित होने की आशा थी। बाद के वर्षों में पता लगाने की प्रक्रिया तेज हुई तथा इससे कार्यक्रमों पर अधिक मात्रा में प्रभाव नहीं पड़ा। प्रारम्भ से लेकर दिसम्बर 1978 के अन्त तक 1.63 करोड़ भागीदारों का पता लगाया गया था जो इन परियोजनाओं के लाभभोगियों के लक्षित आंकड़ों से काफी अधिक है।

जहां तक गलत लाभभोगियों का पता लगाने का सम्बन्ध है, गलती 10 प्रतिशत से कम तक सीमित है, तथा 90 प्रतिशत का उचित रूप से पता लगाया गया है। लाभभोगियों का पता लगाने

के लिए 1973-74 तक जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में एजेंसियों के लिए स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित मानदंड निर्धारित करने हेतु कुछ लचीलापन स्वयं उपलब्ध था। तथापि, 1974 में एक संशोधित परिभाषा आरम्भ की गई थी, जिसके अनुसार जोतों की 5 एकड़ की एक सुनिश्चित सीमा अनुबद्ध की गई थी। जहां तक लक्षित वर्ग के सदस्यों के अपेक्षाकृत बेहतर वर्गों के लिए प्राप्त होने वाले वित्तीय और तकनीकी लाभों का सम्बन्ध है, यह आंशिक रूप से ऋण, निवेश और जानकारी सुलभ करते हुए वस्तुतः सम्भावित रूप से सक्षम किसान बनाने पर बल देने के कारण था तथा आंशिक रूप से वित्तदायी संस्थाओं की प्रतिभूति-अभिमुखी पहुँच के कारण था।

उचित रीति से पता लगाये गये छोटे किसानों/सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों को सहायता देने के लिए कार्यक्रमों की विषय-वस्तु में अब विस्तार किया गया है ताकि नए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में उद्योग और तृतीय क्षेत्र शामिल किया जा सके। इसके अलावा, नए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम और लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम में अपनाये जाने के लिए सर्व प्रथम सबसे अधिक कमजोर लोगों को सहायता सुलभ करने की "अन्त्योदय पहुँच" की सिफारिश की गई है।

(ग) रिपोर्ट की टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा जल शुल्क लिया जाना

10527. **चौधरी बलबीर सिंह**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा बिना मीटर के कनेक्शनों से समान दर के आधार पर जल शुल्क वसूल करने को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम निरन्तर समान दर के आधार पर शुल्क वसूल करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा उपभोक्ताओं से पहले ही वसूल की गई अधिक राशि को वापिस किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति विद्यार्थी व्यय

10528. **श्री ए० के० राय** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के सीधे शासनाधीन राज्य क्षेत्रों, विशेषकर दिल्ली में, प्राइमरी, उच्चतर माध्यमिक, कालेज और स्नातकोत्तर उच्च शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी कितना व्यय होता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के सीधे शासनाधीन संघ राज्य क्षेत्रों में इंजीनियरी, चिकित्सा, खनन, शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी कितना व्यय होता है; और

(ग) प्राइमरी शिक्षा और उच्च शिक्षा पर विद्यार्थियों पर होने वाले अन्तर को कम करने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सभी संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इस मंत्रालय को भेजे गये वर्ष 1975-76 के वार्षिक आंकड़ों के आधार पर प्राथमिक, मिडिल, हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा सामान्य शिक्षा के कालेजों के प्रति छात्र के लिए औसत खर्चे का अनुमान लगाया गया है। प्राथमिक, मिडिल, हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों के प्रति छात्र पर औसत वार्षिक खर्चा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) देश के अधिकांश इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा खनन कालेज या तो स्वायत्त संस्थाएं हैं अथवा राज्य सरकारों के प्रशासन के अधीन हैं। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त वर्ष 1975-76 की सूचना के अनुसार (खनन कालेजों सहित) इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों के प्रति छात्र के औसत वार्षिक खर्चे का अनुमान क्रमशः 1843 रुपये और 3725 रुपये लगाया गया है।

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने और इसकी कोटि में सुधार करने से सम्बन्धित कार्यक्रम को 1978-83 की योजना में एक उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस प्रयोजन के लिए पांच वर्षों के लिए शिक्षा हेतु 1955 करोड़ रुपये के अस्थायी परिव्यय में से प्रारम्भिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 900 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। पांचवी योजना में इस धनराशि को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 1978-83 की योजना में 46 प्रतिशत कर दिया गया है। तथापि यह नोट करने योग्य बात है कि प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा की अध्यापन और गैर-अध्यापन लागतों में पर्याप्त अन्तर है।

विवरण

प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च—1975-76

संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक/जूनियर बेसिक स्कूल	मिडिल/सीनियर बेसिक स्कूल	हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	सामान्य शिक्षा डिग्री तथा उत्तर-स्नातक के कालेज
1	2	3	4	5
	रु०	रु०	रु०	रु०
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	414·6	531·5	865·1	1,852·0
अरुणाचल प्रदेश	225·1	192·3	460·2	6,022·5
चण्डीगढ़	218·7	176·3	322·5	664·4
दादरा तथा नागर हवेली	189·9	215·9	360·7	—
दिल्ली	182·1	448·1	478·8	1,224·0
गोवा, दमन तथा दीव	156·7	121·5	251·3	915·5
लक्ष द्वीप	362·2	768·8	775·3	4,320·5
मिजोराम	160·9	367·8	486·0	721·5
पांडिचेरी	202·7	190·3	332·3	1,313·4

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लारेन्स रोड क्वार्टरों में नालियों का निर्माण

10529. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लारेन्स रोड क्वार्टर क्षेत्र में नालियों आदि के निर्माण का कार्य न तो अब तक दिल्ली नगर निगम द्वारा और न ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरम्भ किया गया है;

(ख) क्या उचित जल निकासी प्रणाली के न होने के कारण उक्त क्षेत्र मच्छरों का अड्डा बन गया है और इस क्षेत्र के निवासियों पर मलेरिया के आक्रमण की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(घ) लारेन्स रोड क्षेत्र में नालियां बनाने और वहां के निवासियों के कल्याण के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कब कार्य किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बेर सराय में मध्यम आय समूह के फ्लैटों का बिक्री मूल्य

10530. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन**
श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेकेदार को भुगतान की गई निर्माण-लागत, भूमि की लागत डी० डी० ए० द्वारा वसूल किये गये प्रशासनिक शुल्कों और ब्याज आदि की तुलना में बेर सराय में एल० आई० जी० के डी० डी० ए० फ्लैटों का बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिये क्या मानदण्ड अपनाए गये हैं;

(ख) क्या बेर सराय में तिमंजिले एल० आई० जी० के डी० डी० ए० फ्लैटों में फ्लैट की कीमत कटवारिया सराय में एम० आई० जी० के दुमंजिले डी० डी० ए० फ्लैटों की कीमत की तुलना में काफी अधिक है; जबकि दोनों कालोनियों में डी० डी० ए० फ्लैटों का निर्माण और आबंटन साथ-साथ दिया गया था;

(ग) क्या डी० डी० ए० की अन्य कालोनियों में ग्राऊण्ड फ्लोर के एल० आई० जी० फ्लैट की कीमत पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के फ्लैटों की कीमत की अपेक्षा अधिक है जबकि बेर सराय में पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के फ्लैटों के लिए वसूल की जाने वाली कीमत ग्राउण्ड फ्लोर के फ्लैट की कीमत की तुलना में अधिक है हालांकि उनका क्षेत्रफल अपेक्षाकृत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस अन्याय को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में कोणार्क तथा अन्य प्राचीन मन्दिर

10531. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को उड़ीसा सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कोणार्क मन्दिर सहित पुराने मन्दिरों के अनुरक्षण सुरक्षा रखने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा के राष्ट्रीय महत्व के मन्दिरों की सुरक्षा करने के लिए उनके मन्त्रालय ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) प्रकृति द्वारा नष्ट किये जाने से बचाने के लिये वर्ष 1979-80 में कोणार्क मन्दिर के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) जी, हां। उड़ीसा सरकार के सांस्कृतिक-कार्य विभाग द्वारा तैयार किया हुआ एक ज्ञापन मुझे उस समय दिया गया जब मैं कोणार्क के निरीक्षण हेतु इस वर्ष के जनवरी महीने में गया था। इसमें कोणार्क और अन्य मन्दिरों के उचित संरक्षण की वांछनीयता पर विचार किया गया है, इसके अतिरिक्त इसमें मुख्य मन्दिर के विमान के पुनर्निर्माण के लिये भी निवेदन किया गया है, जो कभी अतीत में गिर गया था । अन्तर्राष्ट्रीयता के आधार पर पुरातत्वीय परिरक्षण के स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार सम्पूर्ण-प्राचीन-स्मारक का पुनर्निमाण अनुमत नहीं है । अतएव, इस मद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तथापि, मलवों से प्राप्त गिरे हुए ऐसे पुरातत्वीय खण्डों को उनके मौलिक स्थानों पर दुबारा जमाया जाएगा जिनकी अवस्थिति सुनिश्चयात्मक रूप से नियत की जा सकती है ।

जहां तक मन्दिरों के संरक्षण का प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पहले से ही अन्तर्राष्ट्रीयता के आधार पर स्वीकृत पुरातत्वीय सिद्धान्तों के मानदण्डों और वित्तीय समितियों के अनुसार अधिकतम प्रयास कर रहा है। जैसे कि, आजकल रासायनिक उपचारों और दैनिक संरचनात्मक-मरम्मत कार्यों के लिये विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। छत से गिरे हुए पत्थर के टुकड़े को उसके मौलिक-स्थान पर लगाया जा रहा है । मन्दिर के अहाते के अन्दर परिवेश में सुधार लाने के लिए अनौपचारिक उद्यान का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि राज्य सरकार से मांगी गयी भूमि सर्वेक्षण को सौंप दी जाती है तो मन्दिर के अहाते के बाहर-भू-दृश्य-निर्माण सम्बन्धी कार्य कराने का भी प्रस्ताव है ।

संरक्षण की समस्याओं के अध्ययन तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिये पुरातत्व रसायनज्ञ, पुरातत्व अभियन्ता, भूगर्भवेत्ता, मौसम-विज्ञानी, वनस्पतिज्ञ, जीव-रसायनज्ञ एवम् उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति ने 7 नवम्बर, 1978 को हुई अपनी पहली बैठक में खास-खास आंकड़ों को

एकत्र करने तथा पत्थरों पर बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की रालों के प्रयोग का परीक्षण करने की सिफारिश की है। आगे, समिति की सिफारिशों के अनुसार संरक्षणात्मक उपाय अपनाये जाएंगे।

कोणार्क मन्दिर के संरक्षण लिये यूनेस्को के एक विशेषज्ञ से परामर्श मांगा गया है। यूनेस्को के महानिदेशक ने स्मारकों और स्थलों के अन्तर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रेमंड लेमैरे को इस शिष्टमंडल का भार सौंपा है। उन्होंने इसमें सन्निहित समस्याओं की प्राथमिक जांच की है तथा कोणार्क के दौरे के बाद अक्तूबर, 1979 में वे अपने निर्णय को अन्तिम रूप देंगे।

(घ) वर्ष 1979-80 के दौरान कोणार्क मन्दिर के संरक्षण के लिए 2,20,000/- रुपये की धनराशि का आवटन किया गया है।

डी० डी० ए० के फ्लैटों का बढ़ा हुआ मूल्य

10532. **श्री उग्रसेन** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में राजौरी गार्डन एक्सटेंशन (मायापुरी) में 150 एल० आई० जी० फ्लैटों का निर्माण किया गया था और सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनकी बिक्री की गई थी;

(ख) क्या इन फ्लैटों की कीमत 25,700 रुपए दी गई थी, परन्तु आवेदकों को कोई पूर्व सूचना दिए बिना आबंटन के समय इनकी कीमत बाद में बढ़ा कर 39,700 रुपए कर दी गई थी, जिसकी वजह से घोषित मूल्य में 54 प्रतिशत वृद्धि हो गई थी;

(ग) क्या इस असाधारण वृद्धि की वजह से बहुत बड़ी संख्या में पेंशनरों को इस योजना से अपने नाम वापस लेने पड़े थे;

(घ) क्या जनता/एल० आई० जी० श्रेणियों के फ्लैटों के मूल्य में रियायत देने के लिए डी० डी० ए० द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित एल० आई० जी फ्लैटों के मूल्य में वृद्धि कर दी गई थी और यदि हां, तो मायापुरी में सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्मित एल० आई० जी० फ्लैटों के मूल्य में वृद्धि करने का क्या औचित्य है; और

(ङ) (एक) 25,700 रुपए की प्रत्याशित लागत का किस प्रकार विश्लेषण किया गया है और; (दो) डी० डी०, ए० द्वारा वसूल की गई बढ़ी हुई कीमत का किस प्रकार विश्लेषण किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में कीटनाशक औषधियों के निर्माण के लिए लाइसेंस

10533 **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कितनी सहकारी समितियों ने कीटनाशी औषधियों के निर्माण के लिए कीटनाशी बोर्ड से लाइसेंस देने का अनुरोध किया है;

(ख) गुजरात में इनमें से कितनी सहकारी समितियों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(ग) शेष सहकारी समितियों को किन कारणों से लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया गया है;

(घ) गुजरात में ऐसी प्राइवेट फर्मों की संख्या कितनी है जिन्हें कीटनाशी औषधियों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए थे लेकिन उन्होंने अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है; और

(ङ) क्या उन फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं जिन्होंने उत्पादन आरम्भ नहीं किया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) कीटनाशी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कीटनाशी दवाओं के विनिर्माण के लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि अधिनियम के तहत स्थापित की गई पंजीकरण समिति केवल पंजीकरण की मन्जूरी देती है । गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उस राज्य की तीन सहकारी समितियों ने कीटनाशी दवाओं के विनिर्माण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसमें से केवल एक समिति को लाइसेंस जारी किया गया है । अन्य दो समितियों को वैध पंजीकरण संख्या के अभाव में विनिर्माण के लाइसेंस नहीं जारी किए जा सके ।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है और प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

नई दिल्ली में दुकान तथा रिहायशी मकान मालिकों द्वारा अभ्यावेदन

10534. **श्री मदन तिवारी** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में दुकान तथा रिहायशी 'सी' टाईप मकान मालिकों ने पीछे टूटे-फूटे शौचालय ब्लाकों को गिराने और उनके स्थान पर उन्हें अपने-अपने भागों को बढ़ा कर उनमें रसोई और डब्लू० सी० आदि की व्यवस्था करने की अनुमति देने के बारे में संयुक्त अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो वह कब प्राप्त हुआ था और उनके मन्त्रालय ने अब तक क्या कार्यवाही की; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सम्पदा निदेशालय में दुकान सहित आवास के आबंटियों से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त बताई गई स्थिति को देखते हुए कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आमलापुरम् में नया डाकघर भवन

10535. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्त्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आमलापुरम् में अपर्याप्त स्थान वाले तथा जीर्ण-शीर्ण पुराने मुख्य डाकघर भवन के स्थान पर एक नये भवन का निर्माण का मामला इस समय किस चरण में है; और

(ख) क्या इस मामले में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) प्राथमिकता के आधार पर आमलापुरम् में नये भवन के निर्माण की योजना को 1979-80 के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। परिव्यय योजना इत्यादि को तैयार करने हेतु कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

(ख) वर्तमान भवन की जीर्ण-शीर्ण दशा के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि माननीय सदस्य ने 16-12-78 को प्राथमिकता के आधार पर नये भवन के निर्माण हेतु संचार राज्य मन्त्री को पत्र लिखा था क्योंकि उपलब्ध वर्तमान स्थान अपर्याप्त था। माननीय सदस्य को इसका उत्तर 24-2-79 को दे दिया गया था।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन में सचिव का रिक्त पद

10536. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तिब्बती-स्कूल प्रशासन के सचिव का पद रिक्त पड़ा है;

(ख) क्या इस पद के लिए एक अधिवर्षता प्राप्त अधिकारी को चुना जा रहा है जिसे स्कूल प्रशासन, पर्यवेक्षण अथवा स्कूल पाठ्यचर्या परीक्षा लेने आदि के सम्बन्ध में कोई अनुभव नहीं है;

(ग) क्या उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है अथवा अस्थायी आधार है; और

(घ) इस अधिवर्षता प्राप्त व्यक्ति का चयन क्यों किया गया, जब कि इस पद के लिए अनेक अर्हता प्राप्त और अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (घ) केन्द्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन के सचिव का पद शिक्षा मंत्रालय के एक सेवानिवृत अधिकारी की पुनर्रोजगार के आधार पर नियुक्ति द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए भर लिए गया है। इस पद के लिये चुने गये अधिकारी को शिक्षा मंत्रालय का लम्बा और विविधि अनुभव प्राप्त था।

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी आवास

10537. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दो से तीन वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट आबंटित करने के बारे में कोई नई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली में मकानों की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को कठिनाइयों से बचाने के लिए शीघ्र पंजीकरण आरम्भ करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी आम जनता की भांति दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपनी मांग पंजीकृत करवा सकते हैं तथा पंजीकरण में अपनी वरिष्ठता के आधार पर अपनी इच्छित कालोनियों में आबंटन ले सकते हैं।

बवेजा समिति का प्रतिवेदन

10538. **श्री बालक राम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बवेजा समिति ने प्रसाद नगर, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन (मायापुरी) एम० आई० जी० फ्लैटों से वसूली की जाने वाली सबसीडी के प्रश्न का उल्लेख किया है और उस पर कोई टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न पर उसकी टिप्पणियां क्या हैं; और

(ग) बवेजा समिति का प्रतिवेदन सार्वजनिक रूप से कब तक प्रकाशित कर दिया जायेगा ताकि सरकारी उपक्रम दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की तस्वीर प्रस्तुत की जा सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) बवेजा समिति ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मूल्य में अन्तरभेद और प्रसाद नगर और राजौरी गार्डन सहित विभिन्न कालोनियों में मूल्य में तदर्थ वृद्धि का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है :—

"मूल्य के तदर्थ निर्धारण से हर हालत में बचा जाना चाहिए क्योंकि इससे जनता का विश्वास और आस्था समाप्त हो जाती है। मूल्य को घटाने और नियन्त्रण करने के लिए प्राधिकरण को प्रभावपूर्ण उपाय करने चाहिए। भवनों की योजना, डिजाइन और प्राक्कलन बनाते समय ही कठोर नियन्त्रण रखा जाना चाहिए ताकि अनुमान यथार्थपरक हों। निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान सख्त तकनीकी नियन्त्रण रखा जाना चाहिए ताकि मूल्य को अनुमानों के भीतर ही रखा जा सके। इसके अलावा, जब कभी आबंटियों से लिये जाने वाले अन्तिम मूल्यों में मूल अनुमानों की तुलना में 15 प्र०श० से अधिक अन्तर हो तो प्राधिकरण द्वारा स्वयं मामले की पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिए। समिति यह अनुभव करती है कि मूल्य के नियन्त्रण और मूल्य को घटाने के लिए प्राधिकरण में एक अलग से कक्ष स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।"

(ग) समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें दिनांक 5-3-1979 के अतारांकित प्रश्न सं० 1975 के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई थी। विवरण की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों पर नियुक्त विशेषज्ञों की समिति ने (बवेजा कमेटी) अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की :—

(i) भविष्य में, भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास तथा विक्रय के लिए परियोजना के अन्तर्गत नव अर्जित भूमि का दिल्ली विकास प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 22 के बजाये दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अधीन अधिग्रहण मूल्य अदा करने पर हस्तान्तरण किया जाना चाहिए।

(ii) भूमि के अर्जन तथा इसके विकास की लागत को पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को 10 करोड़ रुपये का मूलधन दिया जाना चाहिये।

(iii) दिल्ली में मकानों की वार्षिक आवश्यकता 80,000 मकान प्रतिवर्ष अनुमानित की गई है। अतः दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपनी निर्माण गतिविधि तीव्र करनी चाहिये और प्रत्येक वर्ष 20,000 आवास एककों का निर्माण करना चाहिए तथा इस निमित्त इसको 10 करोड़ रुपये की मूल पूंजी दी जानी चाहिए। नगर की शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों तथा अन्य अभिकरणों को शामिल किया जाना चाहिये।

(iv) फिलहाल, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास 16,000 अधूरे बने हुए मकान हैं। उनका निर्माण पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को 10 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिये। समिति की उपर्युक्त सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं।

डाक तार श्रमिक संघ, केरल सर्कल, त्रिवेन्द्रम का अभ्यावेदन

10539. **श्री बी० के नायर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें डाक तार श्रमिक संघ, केरल सर्कल, त्रिवेन्द्रम का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ शिकायतों का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। माननीय संचार मन्त्री को सम्बोधित यदि कोई इस प्रकार का ज्ञापन सर्किल कार्यालय में प्राप्त हुआ है, तो उसकी सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में क्वार्टरों में रोशनदान की व्यवस्था

15540. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र में सी० डी० ई०, के सेक्टरों में बनाये गये बहु-मंजिले क्वार्टरों में खिड़कियां नहीं बनाई गयीं और इन क्वार्टरों में ऊपरी खिड़कियों में पूरे शीशे लगे हुए हैं जिससे वहां के निवासियों का दम घुटता है और बार-बार शीशे बदलने से सरकार को नुकसान होता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन क्वार्टरों में आमने-सामने खिड़कियां लगाने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) भवन उप-नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, क्वार्टरों में पर्याप्त रोशनदान की व्यवस्था की गई है। कुछ मामलों में, रोशनदान की जरूरत पूरी करने के बाद खिड़कियों के ऊपर के भाग में पक्की तरह क्लेजिंग की गई है।

रोशनदानों के पक्की तरह लगे शीशे ऊंचाई पर होने के कारण इन रोशनदानों में शीशों की बार-बार बदलने की सम्भावना काफी कम है। इससे सरकार को हानि नहीं हुई है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के लेखा विंग में पद

10541. **श्री जगन्नाथ शर्मा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् शिक्षा मन्त्रालय की प्रशासनिक समिति ने 25-10-1977 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया था कि उनके लेखा विंग में पदों को हमेशा—प्रतिनियुक्ति पदों के रूप में रखा जाये;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त निर्णय को पूर्णतः तथा उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और प्रतिनियुक्ति पर रखे व्यक्तियों को उनके वर्तमान सवर्गों में कब वापस भेजा जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रशासनिक समिति ने 25-10-19‑7 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया था कि लेखा अधीक्षक और इससे ऊपर के पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जायेंगे। तथापि, 28-3-1979 को हुई बाद की एक बैठक में प्रशासनिक समिति ने निर्णय किया कि लेखा अधिकारी और लेखा अधीक्षक यदि अपने मूल कार्यालय में सेवा निवृति में दो वर्ष से अधिक सेवा न रखते हों तो उनको खपाने के सम्बन्ध में विचार किया जाए।

सरोजनी नगर, नई दिल्ली स्थित सरकारी क्वार्टरों की तुरन्त मरम्मत

10542. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजनी नगर, नई दिल्ली के जी० आई० तथा डी० जी० ब्लाकों में तथा जी० आई० 797 से शुरू होने वाली क्वार्टरों की लाइन के क्वार्टरों का अक्तूबर अथवा नवम्बर, 1978 में सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) क्या कुछ क्वार्टर, विशेषतया ऊपर की मंजिल के फ्लैट या तो खतरनाक स्थिति में बताये गये थे अथवा उनको रहने योग्य बनाने हेतु उनमें भारी मरम्मत की जरूरत बताई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है, यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्या सरकार उन क्वार्टरों के आबंटियों को कोई अग्रिम घटना से बचने के लिए, वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पूर्व ही, सरोजिनी नगर में ही कोई वैकल्पिक आवास प्रदान करने तथा वर्तमान क्वार्टरों की भारी मरम्मत कराके उन्हें निर्भय होकर रहने योग्य बनाने हेतु तुरन्त उपाय करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

सरोजिनी नगर सहित विभिन्न सरकारी कालोनियों में सभी क्वार्टरों में विशेष मरम्मत की मदों, सुधार की मदों तथा धन की आवश्यकता का पता लगाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

10543. **श्री मनोहर लाल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक छात्राओं ने प्राधिकारियों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के विरुद्ध शिकायत की थी जिसने एक लड़की को अलर्क रोग-रोधक दवा का आवश्यकता से अधिक मात्रा में टीका लगा दिया जिसकी उस पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और प्राधिकारियों ने इस मामले में क्या कारंवाई की;

(ग) क्या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के छात्राओं के प्रति व्यवहार के कारण छात्राओं में उसके विरुद्ध बहुत असन्तोष व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने सूचित किया है कि रोग-रोधक दवा का टीका आवश्यकता से अधिक मात्रा में देने के सम्बन्ध में एक शिकायत संस्थान की छात्राओं से 4 सितम्बर, 1978 को प्राप्त हुई थी। इस मामले की जांच जी० एस० बी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के एक प्रोफेसर द्वारा की गई थी । प्रोफेसर द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार छात्रा को दी गई दवा की मात्रा सही एक दिन के लिए मात्रा थी न कि अत्यधिक । वाईरल हेपाटाईटस के जो लक्षण ए० आर० वी० टीके शुरू करने के चार दिन बाद छात्रा में विकसित हुए थे केवल एक संयोग की बात थी और ए० आर० वी० टीकों से यह किसी भी तरह से सम्बन्धित नहीं थे । रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि छात्रा को ए० आर० वी० टीके देने वाले चिकित्सक द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई ।

स्वास्थ्य सलाहकार समिति की 23 सितम्बर, 1978 को हुई बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे स्वीकार कर लिया गया। छात्रा के पिता को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत करा दिया गया था।

सिंहभूम जिला (बिहार) में एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी से निकलने वाला धुंआ

10544. **श्री बागुन सम्बरुई :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिंहभूम जिले (बिहार) में झिकपानी में एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी के सीमेंट कारखाने से बहुत अधिक धुआं निकलता है जो कारखाने के आस-पास लगभग 6 मील के क्षेत्र में वातावरण को दूषित करता है, उससे कोई व्यक्ति अन्धा हो सकता है, उस क्षेत्र के निवासियों, पक्षियों और पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचता है; और

(ख) इस दूषण को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वेस्टर्न इलेक्ट्रानिक्स को भूमि का आबंटन

10545. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वैस्टन इलैक्ट्रानिक्स को फैक्ट्री का स्थान बदलने के समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 400 वर्ग गज के स्थान पर 1200 वर्ग गज भूमि आबंटित की गयी थी;

(ख) क्या कम्पनी पूर्व निर्धारित दरों पर 400 वर्ग गज भूमि के लिए पात्र थी और उसे खुली नीलामी दरों पर 800 वर्ग गज भूमि भी आबंटित की जा सकती थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पूर्व निर्धारित दरों से कम दरों पर आबंटित की गयी थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या यह भी सच है कि फैक्ट्री अथवा कम्पनी से 2·75 लाख करने का लाभ हुआ और दिल्ली विकास प्राधिकरण को उतनी ही हानि हुई ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में पानी की सप्लाई के लिये धौंज तथा कोट जलागार परियोजना का भूगर्भीय-प्रतिवेदन

10546. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में पानी की सप्लाई के लिए धौंज तथा कोट जलागार परियोजना सम्बन्धी भू-गर्भीय प्रतिवेदन में 50 क्यूसेक पानी की हानि होने का गलत अनुमान लगाया गया था जिसके आधार पर राजधानी में पानी की सप्लाई बढ़ाने की महत्वपूर्ण योजना को त्याग दिया गया था; और

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 के प्रतिवेदन के आकलन को गलत बताते हुए एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा पेश किये एक अनुवर्ती प्रतिवेदन को एक वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारी ने वर्षों तक दबाये रखा जिसके फलस्वरूप उक्त गम्भीर गलती ठीक नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में जल सप्लाई हेतु धौंज तथा कोट जलागार परियोजना त्याग दी गई थी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। दिल्ली को जल सप्लाई करने की इस परियोजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि हरियाणा सरकार इसके लिए सहमत नहीं हुई।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नारायण बिहार निवासी कल्याण संघ दिल्ली द्वारा अभ्यावेदन

10547. **श्री महीलाल :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने नारायण विहार निवासियों की समस्याओं/शिकायतों, जिनके बारे में उन्हें नारायण विहार निवासी कल्याण संघ और दिल्ली विकास प्राधिकरण की 'ए' और 'आई' ब्लाकों की पंजीकृत एजेन्सियों के सचिव में उन्हें शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करते हुए ग्यारह अभ्यावेदन दिये थे; की जांच करने के लिये 28 दिसम्बर, 1978 को श्री के० एल० भाटिया दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि आयुक्त को नियुक्त किया था;

(ख) क्या यह देख कर कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है भाग (क) में उल्लिखित संगठनों के सचिव ने उक्त ग्यारह अभ्यावेदनों पर 23 मार्च, 1979

को श्री के० एल० भाटिया को एक स्मरण पत्र लिखा था जिसकी पावती प्राप्त हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो भाग (क) में उल्लिखित अभ्यावेदनों में बतायी गयी समस्याओं पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही कब तक आरम्भ की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने पहले ही आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव पर किया गया व्यय

10548. **श्री लाल जी भाई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1978 से अप्रैल 1979 तक की अवधि में मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक मन्त्री और राज्य मन्त्री के बंगले में सजावट, फर्नीचर और अतिरिक्त निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल, 1978 से मार्च, 1979 तक की अवधि के लिए प्रत्येक केन्द्रीय मन्त्रियों के बंगलों में सजावट, फर्नीचर और परिवर्तन/परिवर्धन पर किए गए खर्च का ब्यौरा ।

क्रम सं०	मन्त्री महोदय का नाम	बंगला नं०	परिवर्तन/परिवर्धन पर खर्च		सजावट/साज सज्जा पर व्यय		योग
			सिविल	विद्युत/वातानुकूलन	फर्नीचर की नई खरीद	फर्नीचर का नवीकरण और उसको बदलना	
	सर्वश्री		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1.	मोरारजी देसाई	1, सफदरजंग रोड	8263	7082	7283	786	23414
2.	एस०एस० बरनाला	11, रेसकोर्स रोड	1212	—	—	382	1594
3.	एच०एन० बहुगुणा	5, सुनेहरी बाग रोड	1559	556	—	250	2365
4.	मोहन धारिया	17, अकबर रोड	1552	1981	—	—	3533
5.	पी०सी० चन्द्र	7, कृष्णा मेनन मार्ग	317	—	8440	678	4435
6.	बृजलाल वर्मा	10, रायसीना रोड	—	—	—	—	—
7.	जगजीवन राम	6, कृष्णा मैनन मार्ग	2381	—	—	250	2631
8.	पी० रामचन्द्रन	12, जनपथ	351	—	—	—	351
9.	अटल बिहारी बाजपेयी	7, सफदरजंग रोड	2983	—	—	—	2983
10.	एच०एम० पटेल	2, अकबर रोड	8716	713	—	—	9429
11.	राज नारायण	8, रेस कोर्स रोड	—	2059	—	—	2059
12.	चरण सिंह	5, रेस कोर्स रोड					
		12, तुगलक रोड	3015	1981	10366	1994	17,356

1	2	3	4	5	6	7	8
	सर्वश्री						
13.	जार्ज फर्नान्डीस	9, मोती लाल नेहरू मार्ग					
		23, सफदरजंग रोड	438	5385	385	532	6740
14.	लाल कृष्ण आडवानी	सी०-1/5 और सी० 1/5	535	741	2400	290	3966
		पण्डारा पार्क		391	—	—	798
15.	शान्तिभूषण	7, रेस कोर्स रोड	407	391	—	—	798
16.	रविन्द्र वर्मा	12, अकबर रोड	4887	—	—	—	4887
17.	प्रो० मधु दण्डवते	8, कृष्णा मेनन मार्ग	396	685	—	—	1081
18.	बीजू पटनायक	12, तुगलक रोड					
		5, रेस कोर्स रोड	7173	—	4173		11894
19.	पी० कौशिक	1, तुगलक रोड	1508	2459	2827	—	7794
20.	सिकन्दर बख्त	1, सरकुलर रोड					
		5, सफदरजंग रोड	1232	—	688	—	1920
21.	रवि राय	12, सफदरजंग लेन	703	—	7200	1200	9103
राज्य मन्त्री							
22.	भानु प्रताप सिंह	22, अकबर रोड	—	—	—	—	—
23.	जानेश्वर मिश्र	15, अशोक रोड	172	—	4380	3211	7763
24.	के०के० गोयल	36, औरंगजेब रोड		—			
		16, तुगलक रोड	—	—	4800	2038	6838
25.	नरहरि पी० सुखदेव साई	21, अशोक रोड	—	156	—	—	156
26.	श्रीमती रेणुका देवी	14, अकबर रोड	9397	900	—	—	10297
27.	धन्ना सिंह गुलशन	1, सुनेहरी बाग रोड	1761	2126	—	3105	6992

1	2	3	4	5	6	7	8
	सर्वश्री						
28.	प्रो० शेर सिंह	3, कृष्णा मेनन मार्ग	1986	702	2158	828	5674
29.	फललुर रहमान	8, तीनमूर्ति मार्ग	5361	623	3168	—	9152
30.	समरेन्द्र कुण्डू	1, किंग जार्ज एवेन्यू	1095	—	4914	—	6009
31.	सतीश अग्रवाल	2, जे० एम० मार्ग	2880	1751	—	4415	9046
32.	जल्फीकारुल्लाह्	31, औरंगजेब रोड	—	—	—	405	405
33.	जगदम्बी प्रसाद यादव	2, कुशक रोड/5, जनपथ	—	—	—	700	700
34.	एस०डी० पाटिल	12, सफदरजंग रोड	1208	—	—	—	1208
35.	कुमारी आभा मैती	12, तुगलक रोड					
		9, अकबर रोड	5635	137	1373	—	7145
36.	लारंग साई	10, जनपथ	956	—	—	1183	2139
37.	नर सिंह	11, सफदरजंग रोड	743	747	1980	1027	4497
38.	जगबीर सिंह	33, औरंगजेब रोड	486	—	4903	2963	8352
39.	रामकृपाल सिन्हा	16, अशोक रोड	867	892	2240	925	4924
40.	चान्द राम	1, मोती लाल नेहरू मार्ग	1741	—	—	386	2127
41.	करिया मुण्डा	19, सफदरजंग रोड	—	622	—	—	622
42.	राम किंकर	10, कृष्णा मेनन मार्ग	2500	—	9051	250	11801
43.	धनिक लाल मण्डल	15, पन्त मार्ग/6, जनपथ	4449	—	—	1332	5781
44.	आरिफ बेग	6, रायसीना रोड	5655	294	—	1740	7689
45.	शिव नारायण	5, तुगलक रोड	865	—	—	203	1068

सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण

10549. **श्री रशीद मसूद :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आपात काल के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा एक अस्थायी स्टोर व एक भूमिगत पुल के निर्माण के लिये सरोजिनी नगर में 'के' व 'एल' ब्लाकों के निकट स्थित खसरा नं० 85 के अन्तर्गत 'आबादी' भूमि मालिकों को कितना मुआवजा दिया गया था;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बारे में कोई कार्यवाही किये बिना बहुत अनुचित तरीके से उपरोक्त निर्माण कार्य आरम्भ कर दिए थे; और

(ग) क्या सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में खसरा नं0 85 के अन्तर्गत, 'आबादी' भूमि के सम्बन्ध में नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि अधिग्रहण के बारे में कोई निर्णय नहीं है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) सरोजिनी नगर में जिस भूमि पर नई दिल्ली नगर पालिका ने निचला पुल और एक अस्थायी गोदाम का निर्माण किया है, वह भारत सरकार की है। इसके अधिग्रहण और क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ में जमींदारी प्रथा

10550. **श्री अमृत कासर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमण और दीव के सन्तारी क्षेत्र में जमींदारी प्रथा चालू है और इस क्षेत्र में सामन्ती जमींदारों को काश्तकारी कानून के अन्तर्गत लाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रामगढ़ छावनी में नेताजी स्मारक की स्थापना

10551. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 40 वर्ष पूर्व नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में रामगढ़ छावनी-क्षेत्र में एक समझौता, विरोधी सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या जहां समझौता विरोधी सम्मेलन हुआ था वहां एक स्मारक स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि जहां उसी समय कांग्रेस सम्मेलन किया गया था वहां अशोक स्तम्भ के ढंग का स्मारक स्थापित किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) सम्बन्धित मन्त्रालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नेहरू प्लेस, दिल्ली में प्लाटों की नीलामी

10552. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बाग लगाने के लिए पीछे की भूमि सहित जनस्थानों तथा बिजली के खम्भों एवं बिजली के स्थायी कनेक्शनों की तत्काल व्यवस्था वाले विज्ञापित समझौते पर नेहरू प्लेस, दिल्ली में 62 से 69 प्लाटों की नीलामी में भारी राशि ली है;

(ख) क्या उपरोक्त प्लाटों में भवन बना लिए गए हैं और जनस्थानों के निर्माण में विलम्ब हो गया है;

(ग) क्या इसकी जनता तथा संसद सदस्यों द्वारा आलोचना की गई है;

(घ) क्या जनस्थान का निर्माण कार्य अगले महीने के भीतर-भीतर पूरा हो जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विकलांग भिखारी

10553. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में भिखारियों की राज्य वार, संख्या क्या है और उनमें विकलांग तथा हृष्ट-पुष्ट व्यक्तियों का अनुपात कितना-कितना है; और

(ख) क्या विकलांग लोगों को छोड़कर सभी के लिए भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) :

(क) भिखारियों का कोई भी राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है, इसलिए विकलांग और योग्य शरीर वाले व्यक्तियों का अनुपात उपलब्ध नहीं।

भिक्षावृत्ति की समस्या से विभिन्न राज्यों में भिक्षा-निरोधक कानूनों द्वारा थोड़े समय में निपटा जा रहा है, जो विकलांग और स्वास्थ शरीर वाले भिखारियों पर सामान रूप से लागू होते हैं। इस समय 14 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने भिक्षा-निरोधक कानून लागू कर रखे हैं। केन्द्रीय सरकार संघ शासित क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है, जो राज्यों के लिए एक नमूने के रूप में होगा।

दिल्ली में वन संसाधनों पर हुई गोष्ठी

10554. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा प्रायोजित तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य, तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित 27 नवम्बर, तथा 15 दिसम्बर, 1978 को दिल्ली और देहरादून में वन संसाधनों के प्रश्न पर हुई क्षेत्रीय गोष्ठियों के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले; और

(ख) राष्ट्रीय वन तालिकायें तथा विभिन्न उत्पादों और खपत के लिए उत्तरदायी एजेंसियों, भविष्य में विकास के लिये तथा वन संसाधनों की निगरानी रखने के लिए पर्याप्त आंकड़े जुटाने के लिये अध्ययन के सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) यद्यपि वन संसाधनों के मूल्यांकन तथा भूमि-उपयोग सम्बन्धी योजना के बारे में खाद्य एवं कृषि संगठन/ 'सीडा' की गोष्ठी 27 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 1978 तक इन्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली में तथा वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून में हुई थी, तथापि खाद्य एवं कृषि संगठन से इस गोष्ठी के निष्कर्ष/सिफारिशें अभी तक भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः अभी निष्कर्षों पर कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं होता है।

अनधिकृत कालोनियों का सूचियों में से स्थान बदलना

10555 **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमित की जाने वाली अनधिकृत कालोनियों की सूची में से कुछ कालोनियों का स्थान बदला जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या यह फरवरी, 1977 में सरकार द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कालोनियों का स्थान बदले जाने के क्या कारण हैं और उस पर कितना व्यय होगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम जिन पर अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के कार्य का उत्तरदायित्व है, सूचित किया है कि फिलहाल उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि भूमि वाले सरकारी अधिकारी

10556. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के श्रेणी I तथा उससे अधिक के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके पास अपनी कृषि भूमि है परन्तु उस पर खेती ठेके पर व अन्य प्रभारों पर हो रही है;

(ख) क्या सरकार इन कर्मचारियों की ऐसी सारी जमीन को उन भूमिहीन परिवारों में बांटने के हेतु, जिनमें कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, फालतू जमीन घोषित करने के लिये कानून बनाएगी; और

(ग) कृषि की अधिकतम सीमा नियत करने के परिणामस्वरूप सरकार के पास भूमिहीन किसानों में वितरण के लिए देश में 31 मार्च, 1979 के दिन कितनी जमीन थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) श्रेणी I तथा इससे उच्च पदों पर काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं जो समूचे भारत में फैले हुए हैं। अतः एतत्सम्बन्धी सूचना एकत्र करने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा और इस कार्य में अत्यधिक सरकारी धनराशि खर्च होगी तथा अतिरिक्त जनशक्ति को काम पर लगाना होगा। सूचना एकत्र करने में खर्च होने वाला समय, धनराशि और जनशक्ति प्राप्त किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगी।

(ख) सरकारी कर्मचारी, अधिकतम सीमा तथा पट्टेदारी के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा पारित कानूनों की परिसीमा में आते हैं तथा केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून बनाना व्यवहार्य नहीं है। सरकारी कर्मचारी उन राज्यों के अधिकतम सीमा तथा पट्टेदारी कानूनों के अन्तर्गत आयेंगे, जिनमें वे भूमि रखते हैं।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानूनों के तहत 40.42 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है।

विश्वविद्यालयों में विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति के बारे में नीति

10557. **श्री राम कंवार बेरवा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय में स्थायी आधार पर नियुक्त विदेशी राष्ट्रिकों के बारे में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रश्न के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने राजस्थान की राज्य सरकार अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय को कभी कोई निर्देश अथवा सलाह दी है; और यदि हां, तो उन निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में नियुक्ति के मामलों में पश्चिमी देशों के विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रिकों के लिये नीति बनाने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना की एक कालावधि के अभिलेखों की पड़ताल के उपरान्त जांच करनी होगी। क्योंकि इसमें कुछ समय लगेगा, अतः सूचना यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डेरी सहकारी समिति के लिए दिल्ली दुग्ध योजना हेतु क्रीम-रहित दुग्ध पाउडर

10558. **श्री एस० आर० महाटा** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली दुग्ध योजना, दिल्ली को डेरी सरकारी समितियों के विकास के लिये 52 लाख रुपये के मूल्य का क्रीम रहित दुग्ध पाउडर दिया था परन्तु किसी भी समिति को एक रुपया भी नहीं दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और डेरी सहकारी समिति-बार क्रीम रहित दूध की वितरण प्रणाली का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली दुग्ध योजना को कोई क्रीम रहित दुग्ध-चूर्ण की सप्लाई नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेहरू स्मारक संग्रहालय में उपहार

10559. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू स्मारक संग्रहालय में रखे उन उपहारों का ब्यौरा क्या है, जो स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू को उनके प्रधान मन्त्रित्व काल में विभिन्न देशों ने भेंट किये थे;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ उपहार संग्रहालय से चुरा लिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपराधियों को दण्ड देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) नेहरू स्मारक संग्रहालय के कब्जे में 1471 वस्तुएं हैं । इनमें, लैम्प, मालायें, घड़ियां, खनिज, शिरोवस्त्र, हैड-गेयर्स, गजदन्त, हाथीदांत की वस्तुएं, खुपि और कैंचियां, कलश, मरतबान, संदूके, मंजूषा, ट्रे, प्लेटें, कटोरे, टोकरियां, प्रतिमायें, आवक्षमूर्तियां, चित्र, गलीचे, और विविध प्रकार की अन्य वस्तुयें शामिल हैं ।

(ख) और (ग) नवम्बर 1964 से आज तक निम्नलिखित वस्तुएं खोई हैं :—

(1) श्री लंका की एक छोटी सी ट्रे ।

(2) एक छोटी कटार का हत्था ।

(3) एक सजावटी खाड़े (पेडेस्टल) लैम्प के सिरे पर लगी चार प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा ।

(4) कांसे का शेर ।

(5) एक फ्रेम पर लगा एक धात्विक आवरण ।

(6) लकड़ी का एक छोटा खिलौना ।

(घ) इन हानियों की जांच पड़ताल की गई और तदनुसार कार्रवाई की गई ।

दिल्ली के स्कूलों में हड़ताल की अवधि के दौरान अध्यापकों की भर्ती

10560. **श्रीमती मृणाल गोरे**
डा० बापू कालदाते : क्या शिक्षा, और समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अध्यापकों की सीधी भर्ती करने की कोई योजना बनाई थी;

(ख) क्या हड़ताल की अवधि के दौरान कोई अध्यापक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये थे; और

(ग) हड़ताल की अवधि के दौरान दिल्ली प्रशासन और सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा भर्ती किये गये अध्यापकों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार हड़ताल के दौरान स्थानीय रूप से शिक्षक भर्ती करने के लिये प्रशासन की एक योजना थी ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो।

(ख) क्योंकि हड़ताल समाप्त हो गई और शिक्षकों ने 16 अप्रैल, 1979 को पुन: कार्यभार सम्भाल लिया इसलिए कोई भर्ती नहीं की गई।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आपात स्थिति के दौरान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में की गई संकाय नियुक्तियां और पदोन्नतियां

10561. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकाय नियुक्तियों और पदोन्नति के रूप में आपातस्थिति के दौरान जवाहर-लाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षा परिसर से जबर्दस्ती थोपे गए अनुचित कार्यों को सुधारने के लिये सरकार ने ठोस उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और अब तक क्या वास्तविक परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) प्रधान-मंत्री द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ आपात स्थिति के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षण पदों पर नियुक्तियों के मामले में हुई कथित अनियमितताओं की कुछ शिकायतों की जांच की गई थी। ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रधान मत्री की रिपोर्ट के संगत उद्धरण विश्वविद्या-लय के प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ तथा जहां संभव हो उपचारी कार्रवाई करने के लिए भेज दिये गये हैं।

हिन्दी अनुवादकों के लिए भर्ती नियम

10562. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार निदेशालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों की भर्ती के लिए मन्त्रालय ने नियम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों का पूरी तरह पालन किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि बिना किसी अनुभव के व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त कर दिया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, जहां तक डाक-तार निदेशालय का सम्बन्ध है। जहां तक अधीनस्थ कार्यालयों का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है और उसे शीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

मैसर्स स्टेट्समैन प्रिंटिंग प्रेस को अदा किया गया गोदाम का अधिभार

10563. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्टेट्समैन प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली को दिल्ली टेलीफोन्स की ओर से वर्ष, 1978 की अंग्रेजी डायरेक्टरी के मुद्रण के लिए जारी किये गये कागज को रखने हेतु गोदाम अधिभार के रूप में 56,000 रुपये अदा किये गये थे;

(ख) क्या वर्ष 1977 की तथा इससे पहले की डायरेक्टरियों के मुद्रण को भी ऐसे अधिभार अदा किये गए थे; और

(ग) क्या ऐसे अधिभारों की अदायगी सम्बन्धी नियम विद्यमान हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 46,983 रुपया अदा किया गया था।

(ख) अभी हाल दिल्ली टेलीफोन में ऐसा अवसर कभी नहीं आया।

(ग) सामान्यतः छपाई कागज मुद्रक को विभागीय गोदाम से लेना पड़ता है। इस मामले में, चूंकि दिल्ली टेलीफोन के पास भंडारण गोदाम के लिए जगह नहीं थी, अतः मुद्रक के पास ही कागज जमा करना पड़ा था। इस प्रकार, कागज की रीलों की बार-बार की उठा-धराई से भी बचाया गया था।

श्वेत क्रांति कार्यक्रम

10564. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के सहयोग से क्रियान्वित किये जा रहे श्वेत क्रान्ति कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या चार दक्षिणी राज्यों में से किसी भी राज्य में ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना से, जिसकी पूर्ण रोजगार के जरिए विकास सम्बन्धी नीति के संदर्भ में एक निश्चित भूमिका है, 100 लाख फार्म परिवारों की नकद आय में सुधार होने की आशा है। इस कार्यक्रम को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप मिलने वाली जिन्सों की बिक्री से सृजित निधियों विश्व बैंक की सहायता तथा अन्य आंतरिक संसाधनों से वित्तीय सहायता मिल सकती है और इसका परिव्यय 485 करोड़ रु० है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय से जिन्स के रूप में 1,86,000 मीटरी टन स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा 76,200 मीटरी टन बटर आयल की सहायता मिलने की आशा है। इस कार्यक्रम के तहत अनन्तिम रूप से राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा अभिज्ञात किए गए लगभग 155 दुग्ध स्रवण जिले आयेंगे और यह एक लाख से अधिक आबादी वाले 148 शहरों और नगरों को दुग्ध के विपणन के लिए इन दुग्ध स्रवण जिलों से जोड़ेगा। परियोजना की मुख्य बात निम्नलिखित उपायों के जरिए चुनींदा क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना है :— दुधारू पशुओं के लिए उन्नत स्वास्थ्य तथा आहार की व्यवस्था करना, जनन विषयक सुधार के उपाय अपनाकर दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि करना, उत्पादकों को दूध के लिए लाभप्रद तथा स्थायी मूल्य सुनिश्चित करना, दूध के संगठित एकत्रीकरण, परिवहन तथा परिसंस्करण की सुविधायें तथा उपभोक्तओं को विशुद्ध दूध सप्लाई करना। इस परियोजना के अन्तर्गत देश के लगभग 150 लाख दुधारू पशुवृन्द आयेंगे। 7 वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान दुग्ध उत्पादन 270 लाख मीटरी टन से बढ़कर 380 लाख मीटरी टन हो जाने की आशा है।

इस परियोजना का महत्वपूर्ण भाग एक त्रिमुखी सहकारी तंत्र के रूप में लघु तथा सीमांत कृषकों और उत्पादकों के सुधार के लिए एक संस्थागत संरचना की स्थापना करना है। भारतीय डेरी निगम इस परियोजना का कार्यान्वियन प्राधिकरण है और कार्यान्वियन राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन 1500 लाख अमरीकी डालर का ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है, जो 129 करोड़ रु० के बराबर होगा। उपहार स्वरूप प्राप्त जिन्सों से 206 करोड़ रु० की धनराशि सृजित होगी। आपरेशन फ्लड I परियोजना के पुनर्भुगतान से 75·00 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। 75 करोड़ रुपये का शेष अन्तर बजट सहायता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से पुन: ऋण लेकर अथवा दोनों द्वारा पूरा किए जाने की आशा है।

(ख) आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत चारों दक्षिणी राज्य भी आयेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में फील्ड इन्वेस्टीगेटर्स के पद

10565. **श्री राम चरण** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण में फील्ड इन्वेस्टीगेटर्स के कुछ पद भरे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने पद भरे गये हैं और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित उम्मीदवार कितने हैं;

(ग) यदि नहीं तो क्यों; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी और उनकी शिक्षा सम्बन्धी अर्हताएं क्या थीं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, हां। तीन पदों को भरा गया है। चुने गये 3 व्यक्तियों में से एक अनुसूचित जाति का है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, हां, स्नातकोत्तर (भूगोल) की अर्हता वाले 24 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाये गये थे जिनमें से 16 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए आये ।

राष्ट्रीय खेलकूद नीति के बारे में एम० आर० कृष्ण समिति

10566. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेलकूद नीति के बारे में एम० आर० कृष्ण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) सरकार ने अखिल भारतीय खेल परिषद से कहा है कि वे ऐसी मार्गदर्शी रूपरेखाओं के सम्बन्ध में सलाह दें जिनके अनुसार नई राष्ट्रीय खेल नीति तैयार की जा सकें। परिषद ने इस प्रयोजन के लिए संयोजक के रूप में श्री एम० आर० कृष्ण सहित एक उप-समिति गठित की थी। उपसमिति ने एक प्रारूप प्रस्तुत किया है जिस पर अखिल भारतीय परिषद द्वारा अगली बैठक में विचार किया जाना है। सरकार परिषद की राय को पर्याप्त महत्व देगी।

कालेज पुस्तकालय तथा पुस्तकाध्यक्ष

10567. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक कालेज पुस्तकालयों में धन की कमी, कर्मचारियों की अपर्याप्तता तथा भवनों जैसी उचित सुविधाओं का अभाव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुस्तकाध्यक्षों में असन्तोष व्याप्त है, क्योंकि अपने शैक्षिक समकक्षियों की तुलना में कम वेतन पाते हैं; और

(ग) क्या सरकार ने कालेजों के पुस्कालयों का कोई सर्वेक्षण किया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) देश के बहुत से कालेज पर्याप्त सुविधाओं के बिना ही चल रहे हैं। उनमें दाखिले भी बहुत कम होते हैं। यद्यपि ऐसे सभी कालेजों से सम्बद्ध पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, यह सम्भव है कि ऐसे कालेजों में उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधायें तथा सेवायें अपर्याप्त हों।

(ख) जनवरी 1973 से विश्वविद्यालय तथा कालेजों के शिक्षकों को कुछ बेहतर वेतनमान मंजूर किये गये थे। तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये प्रतिस्थापन वेतनमानों के आधार पर पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमानों में भी उसी तारीख से संशोधन किया गया था जो कि शिक्षण स्टाफ के वेतनमानों से कम थे। अतः पुस्तकाध्यक्ष शिक्षकों के समान वेतनमानों की मांग कर रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा कालेज पुस्तकालयों का कोई सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ समय पहले विश्वविद्यालय एवं कालेज पुस्तकालयों के लिये पुस्तकालय स्टाफ सेवाओं, स्थान, उपस्कर इत्यादि के सम्बन्ध में मानदण्डों की सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इसी समिति की प्रेरणा से नमूने के चुनिन्दा कालेजों में उपलब्ध सुविधाओं के साथ-साथ पुस्तकालीय सेवाओं में सुधार सम्बन्धी इनके विचारों के ब्यौरे भी एकत्र किये गये थे। समिति की इस पूछताछ का केवल 28 कालेजों ने ही जवाब दिया है।

आपरेशन फ्लड 2 के लिए टेट्रापाक मशीन का आयात

10568. **श्री सौगत राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/भारतीय डेरी निगम ने आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के लिये विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के अन्तर्गत बिना लाइसेंस के स्वीडन से विदेशी मुद्रा में लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से 'टेट्रापाक' मशीनों का आयात करने के लिए क्रयादेश दिये हैं;

(ख) क्या 'लीन लाइफ' दुग्ध परिष्करण और पैकिंग के लिए इसी प्रकार की मशीनों के बारे में अन्य विख्यात निर्माताओं से कोई टेंडर आमन्त्रित किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का पूरा ब्यौरा क्या है और 'टेट्रापाक' मशीन का चयन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त मामले में पूरी जांच कराने का सरकार का विचार है, जिससे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय डेरी निगम ने मैसर्स टेटरापैक, स्विटजरलैंड को 172.13 लाख रुपये (लागत-भाड़ा आधार पर) के कुल मूल्य की 16 टेटरापैक मशीनें आयात करने का आर्डर दिया है और आयात लाइसेंस जारी होने पर इसके लिए वित्तीय सहायता, आपरेशन फ्लड-2 के लिए विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से दी जायेगी।

(ख) विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समूचे विश्व से संविदायें आमंत्रित करके उपर्युक्त आर्डर को अन्तिम रूप दिया गया था।

(ग) उपर्युक्त संविदा के उत्तर में कम्पनियों से आवेदन प्राप्त हुये थे। रेल पर्यन्त नि:शुल्क गंतव्य स्थान के आधार पर तुलनात्मक यूनिट मूल्यों का विवरण नीचे दिया गया है :—

पार्टी का नाम	यूनिट मूल्य (रुपयों में)
मैसर्स टेटरापैक, स्विटजरलैंड	11,36,023.42
मैसर्स टुओमो हेलोनेन, फिनलैंड	7,59,805.17
मैसर्स ए० पी० वी० अन्तर्राष्ट्रीय, इंगलैंड	35,97,998.33

मैसर्स टुओमो हालोनेन का प्रस्ताव संविदा में निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुकूल नहीं था, अतः इसे तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया था। मैसर्स टेटरापैक की पेशकश का चयन क्वालिटी, प्रतियोगी मूल्य, मशीनों की सुस्थापित कार्य-निष्पत्ति पर विचार करते हुए विश्व बैंक की स्वीकृति से किया गया था।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न नहीं होता।

इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड में सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के स्थान पर की गई नियुक्ति

10569. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मन्त्री इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बंगलौर में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त आयु के बारे में 2 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5619 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनी आदि जैसे आई० टी० आई० के विभिन्न एककों में उन पदों का पता लगा लिया गया है जिन पर काम करने वाले अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की अवस्था में उन पर नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते; यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी के स्थान पर दूसरे अधिकारी का फैक्टरी के भीतर अथवा बाहर से चुनाव करने एवं उसे प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में आई० टी० आई० अधिकारियों द्वारा समय पर क्या कार्रवाई की जाती है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) आई० टी० आई० के विभिन्न एककों में एक हजार रु० तथा उससे अधिक वेतन पाने वाले ऐसे अधिकारियों के पदनाम क्या हैं जो इस वर्ष सेवा निवृत्त होने वाले हैं और उनको सेवा अवधि को बढ़ाया गया है अथवा बढ़ाया जा रहा है अथवा पुनः नियोजित किया गया है और उसके क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले में कितना सेवाकाल बढ़ाया गया है अथवा पुनः नियोजन किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उन पदों का पता लगा लिया गया है जिन पर नियुक्ति के लिए

उपयुक्त उम्मीदवार तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी का सेवाकाल बढ़ाने अथवा उसको पुनः नियुक्ति की कार्यवाही तभी की जाती है जब ऐसी कार्यवाही से बचना सम्भव न हो सके। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के अधीन स्थानापन्न अधिकारियों की तैनाती के प्रयत्न किए हैं, जिससे स्थानापन्न प्रशिक्षु अधिकारियों को विशेषज्ञता मिल सके और ये स्थानापन्न प्रशिक्षु अधिकारी सेवा से निवृत्त होने वाले अधिकारी का कार्यभार सम्भाल सकें।

(ग) वर्ष 1979 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के विभिन्न एककों के सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों में से अब तक केवल एक अधिकारी (वरिष्ठ लेखा अधिकारी) का सेवाकाल 1 जून, 1979 से एक साल के लिए बढ़ाया गया है, क्योंकि कम्पनी में इनकी जगह पर कोई अन्य अधिकारी नियुक्त किये जाने के काबिल नहीं पाया गया।

पंचायतों, जिला परिषदों के चुनाव

10570. **डा० रामजी सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गांव पंचायतों, पंचायत समितियों (जिला अथवा क्षेत्र समितियां) और जिला परिषदों के चुनाव निर्धारित समय सारिणी अनुसार नहीं कराये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या चुनाव कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि इस बीच पंचायत स्तर पर चुनाव हुए हैं तो आगे के दो स्तरों के चुनाव कब तक कराये जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में हिन्दी कक्षाओं का बन्द किया जाना

10571. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु सरकार ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा चलाई जा रही हिन्दी कक्षाओं को बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ये कक्षायें कब से चलाई जा रही थीं और क्या इसके विरोध में सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा गया है तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

किंगस्वे कैम्प, दिल्ली में शरणार्थियों का पुनर्वास

10572. **श्री कंवर लाल गुप्त**
श्री चिमन भाई एच० शुक्ल : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किंगस्वे कैम्प, दिल्ली में रह रहे शरणार्थियों के पुनर्वास के मामले में सरकार ने कितनी प्रगति की है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम को योजना के सम्बन्ध में प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया है;

(ग) सरकार ने दिल्ली नगर निगम को किंगस्वे कैम्प योजना के विकास के लिए 31 मार्च, 1979 के बाद कितना धन दिया है;

(घ) केन्द्रीय सरकार आवाजाही कैम्प तथा प्लाट के विकास के लिए दिल्ली नगर निगम को कब धन देगी; और

(ङ) दिल्ली नगर निगम को अब तक कितनी भूमि सौंपी गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

(क) चरण—I : माई परमानन्द कालोनी में 700 मकानों का निर्माण किया गया था तथा उन्हें पात्र परिवारों को आबंटित कर दिया गया था।

चरण—II : डा० मुखर्जी नगर में 123 एकड़ भूमि पर प्रत्येक 160 वर्ग गज के 1257 प्लाट विकसित तथा आबंटित किए गए थे।

विलम्ब का मुख्य कारण योजना को दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तारण तथा उसे अप्रैल, 1978 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित करना था।

(ख) सरकार ने दिल्ली नगर निगम को आवश्यक निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। कुल 440 लाख रुपए के संशोधित अनुमानों की तकनीकी जांच की जा रही है।

(ग) तथा (घ) 31-3-1979 तक 182·87 लाख रुपए की निधि उपलब्ध करा दी गई है। संशोधित अनुमान मंजूर किए जाने पर ही अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

(ङ) 301 एकड़ (आऊट्रम लाइन्स/हडसन लाइन्स में 106 एकड़ भूमि सहित)।

नई दिल्ली में आयोजित किसान सम्मेलन में की गई मांगे

10573. **श्री लखन लाल कपूर**
डा० बापू कालदाते : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किसान रैली में किसान सम्मेलन द्वारा दिया गया कुछ मांगों वाला एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किसान सम्मेलन की मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसान सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ उक्त मांगों पर चर्चा करने का कोई प्रयास किया है; और

(घ) उक्त चर्चा का तथा उससे निकले निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार को, दिसम्बर, 1978 के दौरान नई दिल्ली में हुई रेली में किसान सम्मेलन द्वारा की गई मांग के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 18 अप्रैल, 1979 को हुई बैठक में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा अपनाये गये पांच संकल्पों की प्रतियां प्रधान मन्त्री को सम्बोधित श्री रशीद मसूद, संसद सदस्य के 25-4-79 के पत्र के साथ प्राप्त हुई हैं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित पांच संकल्पों के विवरण की प्रतियां संलग्न हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त पांच संगठनों में की गई मांगों के बारे में सरकार विचार करेगी और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी।

विवरण

1. किसान सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गेहूँ के समर्थन मूल्य (जो 112.50 रुपये प्रति क्विटल से बढ़ाकर 115 रुपए प्रति क्विटल कर दिया गया है) में की गई आंशिक वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देती है तथापि इस मूल्य पर वह खेद प्रकट करती है क्योंकि इससे कृषकों को उत्पादन की न्यूनतम लागत भी नहीं मिल पाती जो 140 रुपए प्रति क्विटल बैठती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह महसूस करती है कि गेहूं उत्पादकों के लिए, इस कार्य में आने वाले खतरों तथा खर्चों को देखते हुए, कम से कम 125 रु० प्रति क्विटल का उचित समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अतः यह पुनः इस बात पर बल देती है कि इन मूल्यों को तुरन्त संशोधित करने के लिए कदम उठाये जायें और यह निर्णय 1 मई, 1979 से पूर्व घोषित कर दिया जाए।

2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी कपास, धान, मोटे अनाज, दलहन, आलू, प्याज, सब्जी, तिलहन, गन्ना, पटसन आदि जैसी विभिन्न कृषि जिन्सों के मूल्य में हाल ही में आई भारी गिरावट पर गहरी चिन्ता प्रकट करती है। कृषकों को समुचित राहत देने के लिए उनके उत्पादों की अधिप्राप्ति तथा परिवहन की व्यवस्था की जाए ताकि उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सके, इन जिन्सों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए कारगर मशीनरी स्थापित की जाय तथा उनके स्टाक को रखने के लिए कई भण्डार-गृह स्थापित किये जायें। सरकार इस बात को सुनिश्चय करे कि कृषकों को बचनबद्ध ऋणों के रूप में समय पर ऋण दिये जायें। सरकार को इन जिन्सों के शीघ्र निर्यात हेतु भी कदम उठाने चाहिए ताकि देशी मूल्य उचित स्तर पर पहुंच सकें और कृषकों को समुचित लाभ मिल सके।

3. किसान सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात पर खेद प्रकट करती है कि किसानों को ऋण देने वाले बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं इन ऋणों की वसूली के लिए सख्त कदम उठाती है जबकि गत कुछ वर्षों के दौरान किसानों को गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, कपास,

आलू, प्याज, पटसन आदि जैसे अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिला है । अतः कार्यकारिणी दृढ़तापूर्वक यह सिफारिश करती है कि कृषि-ऋण की अदायगी पर एक वर्ष के लिए ऋण-स्थगन की घोषणा की जाये और कृषकों को ऋण के लिये उचित राहत देने के लिए तरीकों का सुझाव देने हेतु एक समिति नियुक्त की जाये।

4. राष्ट्रीय कार्यकारिणी आशा से अधिक खाद्य उत्पादन को उढ़ाने की चुनौती को पूरा करने के लिये देश के आह्वान के प्रति किसान भाइयों की प्रतिक्रिया के लिए बधाई संदेश भेजती है। इस समय, देश के, भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों में 200 लाख मीटरी टन से अधिक खाद्यान्न हैं। तथापि, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दुख है कि देश की गरीब जनता अभी भी क्रय शक्ति न होने के कारण भूखी है। अतः राष्ट्रीय कार्यकारिणी सिफारिश करती है कि सरकार को गरीबों की क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए तुरन्त उपाय करने चाहिए, ताकि पौष्टिकता की वर्तमान खाई को पाटा जा सके, क्योंकि देश के किसान खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने की चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

5. किसान सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जनता सरकार को उनकी पार्टी के चुनाव-घोषणा पत्र का स्मरण कराती है जिसमें लिखा गया है कि "किसानों को अपने उत्पाद के विक्रय मूल्य तथा जिस मूल्य पर वह माल खरीदता है के लिए लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिये। यदि ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाता है तो समग्र राष्ट्रीय नीति के मामले में व्यापार की शर्तें अनुकूल होनी चाहिए। किसानों को आदान उचित मूल्य पर दिए जाने चाहिए।" राष्ट्रीय कार्यकारिणी को खेद है कि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया तथा व्यापार की शर्तें किसानों के विपरीत ही रहीं तथा किसानों को उचित मूल्य पर आदान उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात को दृढ़ता से दोहराती है कि सरकार को अपने वायदे पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

बच्चों को वर्दियों और पुस्तकों की निःशुल्क सप्लाई

10574. **श्री के० ए० राजन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के बारे में आयोजित उस राष्ट्रीय विचार गोष्ठी की ओर सरकार का ध्यान गया है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों को वर्दी और पुस्तकों की नि.शुल्क सप्लाई करने के बारे में सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिश में कहा गया है कि आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों को स्कूल में उपस्थित होने और स्कूल न छोड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क वर्दियों, निःशुल्क पुस्तकें आदि जैसे कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं।

प्रारम्भिक शिक्षा को अधिक से अधिक 10 वर्षों की समय अवधि में सर्व सुलभ बनाने के

सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अपनी-अपनी मास्टर योजनाएं और पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं में समाज के अधिक निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के अलावा निःशुल्क पुस्तकों, लेखन सामग्री और निःशुल्क वर्दियों की व्यवस्था तथा उपस्थिति छात्रवृतियों जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों के प्रस्ताव किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के लिए राज्यों को योजना के राज्य क्षेत्र में संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एकमुश्त अनुदान के रूप में निधियां उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय बीज निगमों के चेयरमैन और सदस्य

10575. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बीज निगम के चेयरमैन का नाम अभी तक घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) भारतीय बीज निगम में कुल कितने सदस्य हैं, अभी तक कितने सदस्य मनोनीत किये जाने शेष हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) श्रीमती अन्ना आर० मल्होत्रा 12-12-1978 से राष्ट्रीय बीज निगम की अध्यक्ष हैं।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम के संचालक मंडल की संख्या 20 है। इस समय केवल एक स्थान रिक्त है।

लारेंस रोड दिल्ली में निर्माणों का गिराया जाना

10576. **श्री चिमनभाई एच० शुक्ल**
श्री राज विश्वेश्वर राव
श्री पीयूष तिरकी
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
चौधरी ब्रह्म प्रकाश

: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अप्रैल, 1979 को सी-8 ब्लाक, लारेंस रोड दिल्ली में कुछ चुनींदा फ्लैटों में बिना पूर्व नोटिस के निर्माण किये गये कुछ भागों को गिराया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इन निर्माणों को गिराने की प्रक्रिया में कुछ अधिकृत निर्माण, जिसके लिए पूर्व अनुमति ली गई थी, भी गिरा दिये गये थे जब कि प्रस्तावित कमरे से आंगन अतिरिक्त कमरे के अनुमोदित नक्शे के अनुसार 5 है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मकान मालिकों को मुआवजा देने का है और इन निर्माणों को गिराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय स्कूल संगठनों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों का खपाया जाना

10577. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्कूलों में कार्य कर रहे राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों को केन्द्रीय स्कूल संगठन में खपा दिया गया है;

(ख) उनमें कितने शिक्षक खपाये गये हैं;

(ग) केन्द्रीय स्कूलों के संगठन में कार्य कर रहे सभी राष्ट्रीय अनुशासन योजना शिक्षकों को न खपाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कुछ व्यक्तियों के मामले अभी तक विचाराधीन हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी): (क) से (घ) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय को बन्द करने के समय 50 राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनुदेशक केन्द्रीय विद्यालयों में कार्य कर रहे थे। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी 50 अनुदेशकों के सेवा रिकार्ड मंगवाए थे किन्तु तब तक केन्द्रीय विद्यालय में कार्यरत कुछ अनुदेशकों को राज्य सरकारों द्वारा खपा लिया गया था। केवल 27 अनुदेशकों को खपाने के मामले ही संगठन के पास आए थे। संगठन ने उनके सेवा रिकार्डों और प्राचार्यों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् उनमें से 25 को खपाने का निर्णय किया।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा विज्ञापन के लिए दैनिक समाचारपत्रों का उपयोग किया जाना

10578. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विज्ञापन के लिए जिन दैनिक समाचार पत्रों का उपयोग किया गया, उनके नामों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के प्रचार पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मुख्यालय द्वारा विज्ञापन देने के लिए इस्तेमाल किये गये दैनिक समाचार पत्रों के नाम विवरण में दिये गये हैं। जोनल कार्यालय भी अधिकृत समाचार पत्रों को परिचालन विज्ञापन देते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान जोनल कार्यालयों ने जिन समाचार पत्रों को इस्तेमाल किया था उनके नाम एकत्रित किए जा रहे हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान फिल्मों सहित विज्ञापनों और प्रचार पर मुख्यालय और जोनों द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है—

1975-76	9,81,032.09
1976-77	17,35,378.15
1977-78	25,21,330.90

पिछले तीन वर्षों के दौरान जन सम्पर्क, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रदर्शनियां भी शामिल हैं पर निम्नलिखित खर्च किया गया था :—

1975-76	54,790.52
1976-77	2,85,508.72
1977-78	4,80,790.65

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 4472/79]

डाक-तार विभाग में करुणामूलक आधार पर वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति

10579. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के सर्किल/यूनिट कार्यालयों में करुणामूलक आधार पर वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों की नियुक्तियां की गई हैं जबकि उक्त पद अत्यधिक तकनीकी हैं और चयन अनुभव के आधार पर किया जाना चाहिए था;

(ख) क्या करुणामूलक आधार पर ऐसे तकनीकी पदों पर नियुक्ति करने के निर्णय के बारे में मन्त्रालय पुनर्विचार करेगा; यदि हां, तो कब तक;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान डाक-तार विभाग में विभिन्न संवर्गों में करुणामूलक आधार पर कितने प्रतिशत पद भरे गये और नियमों के अन्तर्गत कितने प्रतिशत पद भरे जाने चाहिये थे; और

(घ) क्या करुणामूलक आधार पर पदों को भरने के लिए सरकार ने पदों की कुछ प्रतिशतता निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) इस समय विभिन्न संवर्गों में करुणामूलक आधार पर पदों के भरे जाने के बारे में कोई पाबंदी नहीं है । फिर भी, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कुल आरक्षण स्थानापन्न और सार्थक रूप से किसी भी कैलैंडर वर्ष में किसी भी संवर्ग में रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

कोसी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण

10580. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि कोसी परियोजना कमांड क्षेत्र में सिंचाई विकास की गति बहुत धीमी रही है और अधिकांश क्षेत्र रेतीला है और शेष उत्तरी बिहार से भिन्न है और काफी क्षेत्रफल ऊबड़-खाबड़ है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से कोसी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) बिहार सरकार से कहा गया है कि वह वर्तमान प्रणाली की कमियों के बारे में व्यापक अध्ययन करने और विभिन्न निकास-मार्गों के अन्तर्गत सिंचाई कमानों का व्यापक पुनरीक्षण करने के पश्चात कोसी नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की एक स्कीम तैयार करे। इस आधुनिकीकरण की स्कीम में नहरों के पुनरूपण की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि उनमें पर्याप्त क्षमता हो सके, और इसके अलावा अतिरिक्त माइनरों तथा जल-मार्गों के निर्माण, जल-प्रपातों, जलसेतुओं, साइफनों, निकासों (एस्केप्स) आदि जैसी चिनाई संरचनाओं के पुनरूपण/व्यवस्था, कपाटों द्वारा नियन्त्रित स्थायी निकासों की व्यवस्था, नहर प्रणाली की लाइनिंग, कमान में पर्याप्त जल-निकास और भूगत तथा भूतल जल के संयुक्त उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए।

टेलीफोन डायरेक्टरी के मुद्रण में अनुमोदित अपशिष्ट का प्रतिशत

10581. **श्री समर मुखर्जी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्टेट्समैन प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली को दिल्ली टेलीफोन की अंग्रेजी डायरेक्टरी के वर्ष 1978 के संस्करण के मुद्रण के लिये, कन्ट्रोलर आफ प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी द्वारा निर्धारित 1 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत अपशिष्ट (वेस्टेज) की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनियमितता के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) अपशिष्ट (वेस्टेज) की अनुमति के प्रश्न के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेलनगीर से पालियागढ़ के बीच दुहरी ट्रंक लाइन का बनाया जाना

10582. **श्री एन्थू साहू** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलनगीर से पालियागढ़ के बीच वर्तमान ट्रंक लाइन सदैव व्यस्त रहती है और क्या पालियागढ़ से बेलनगीर के बीच दुहरी ट्रंक लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब शुरू होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) संभवतः यह मामला पाटनगढ़ एक्सचेंज के संदर्भ में है। इस समय पाटनगढ़ से बेलनगीर के बीच केवल एक जंकशन है। परियात के आधार पर एक और जंकशन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ख) इस कार्य को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारम्भ किये जाने की संभावना है।

विदेशी मत्स्य नौकाओं को किराये पर लेने (चार्टर करने) के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त

10583. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनन्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिये भूतकाल में विदेशी मत्स्य नौकाओं को किराए पर लेने के सम्बन्ध में सरकार ने किन करारों का अनुमोदन किया;

(ख) क्या उक्त चार्टरों की तिमाही विवरणी (रिटर्न) को दायर किया गया है (जैसा अनुमति के नियमों/शर्तों के अधीन अपेक्षित है);

(ग) क्या सम्बन्धित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच और इसका सत्यापन किया गया है कि इन शर्तों का पालन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त/शर्तें नियम लागू कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि इन्हें कठोरता से लागू किया जाए ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार ने मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयानों को किराये पर लेने के लिये अब तक 9 कम्पनियों को प्राधिकृत किया है। दो पार्टियों के मामले में किराये पर लेने की व्यवस्था को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है और अन्य दो पार्टियों के मामले में किराये पर लेने की अवधि समाप्त हो गई है। एक कम्पनी को चार्टर सम्बन्धी कार्य निलम्बित करना पड़ा था। इसलिये, इस समय, चार पार्टियां किराये पर विदेशी जलयानों को चला रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार चार्टर के मार्गदर्शनों/शर्तों का पुनरीक्षण कर रही है।

राज्य सरकारों के अधीन नेहरू युवक केन्द्र

10584. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेहरू युवक केन्द्रों को राज्य सरकारों के अधीन लाने का जिससे इन केन्द्रों के कार्यक्रम सुचारु रूप से चलाये जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरकार ने नेहरू युवक केन्द्रों के कार्य की जांच करने के लिये एक पुनरीक्षण दल नियुक्त किया था। इस दल ने, जिसने मार्च, 1978 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थीं, यह सिफारिश की है कि यह योजना इसकी वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार जारी रखी जानी चाहिये तथा सरकार चालू

पंचवर्षीय योजना अवधि (1978-83) की समाप्ति के बाद इसे राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में विचार कर सकती है। तदनुसार, मामले की जांच यथासम्भव की जायगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्नातकोत्तर छात्र

10585. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उच्चतर स्नातकोत्तर डिग्रियों के लिए अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता के अभाव में तथा आरक्षण आदि की प्रणाली में कुछ कमियों के कारण बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी इस प्रकार की किसी भी कठिनाई का सामना नहीं कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दालों, तिलहनों सहित रबी की फसल का भुगतान

10586. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में उत्पादन की तुलना में दालों और तिलहन सहित चालू रबी फसलों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : चालू रबी की फसल के उत्पादन से सम्बन्धित पक्के अनुमान इस वर्ष सम्भवतः अगस्त तक उपलब्ध हों जायेंगे। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार दलहनों सहित रबी के खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष के 478.4 लाख मीटरी टन के स्तर की तुलना में लगभग 15 लाख मीटरी टन अधिक होने की सम्भावना है। जहां तक रबी के मौसम में पैदा होने वाले तिलहनों (तोरिया और सरसों, अलसी और रबी/गर्मी की मूंगफली) का सम्बन्ध है गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान उत्पादन 2 से 3 लाख मीटरी टन अधिक होने की सम्भवना है। गत तीन वर्षों के लिए रबी की फसलों के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

उत्पादन (दस लाख मीटरी टन में)

रबी-फसलें	1975-76	1976-77	1977-78
1	2	3	4
1. चावल (ग्रीष्म)	3.99	2.65	3.42
2. ज्वार (रबी)	2.51	3.17	3.13

1	2	3	4
3. गेहूँ	28.85	29.01	31.33
4. जौ	3.19	2.35	2.31
5. चना	5.88	5.42	5.45
6. अन्य रबी-दलहन	2.72	2.04	2.20
7. कुल रबी-खाद्यान्न (1 से 6)	47.14	44.64	47.84
8. तोरिया और सरसों	1.94	1.55	1.62
9. अलसी	0.60	0.45	0.50
10. मूंगफली (ग्रीष्म)	0.65	0.44	0.31

सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति

10587. **डा० बापू कालदाते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनेक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से दिल्ली शिक्षा अधिनियम के विरुद्ध आदेश प्राप्त किया है;

(ख) क्या ये स्कूल दिल्ली शिक्षा विभाग से मंजूरी प्राप्त किये बिना ही अध्यापकों को नियुक्त करते रहे हैं;

(ग) क्या इन स्कूलों के मुख्याध्यापक अध्यापकों की सहमति के बिना ही भविष्य निधि की राशियों की एक बैंक से दूसरे बैंक में अन्तरण कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन स्कूलों के मुख्याध्यापकों द्वारा भविष्य निधि की राशियों को एक बैंक से दूसरे में अन्तरित करने के पीछे उन्हें कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ देता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है तथा जितना जल्दी सम्भव हो सकेगा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

कलकत्ता विश्वविद्यालय में ट्यूटर

10588. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्यूटरों को प्राध्यापक बनाने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को परिपत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस बारे में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अब तक क्या कार्यवाही की हैं; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का परिपत्र जारी होने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में कितने ट्यूटरों को प्राध्यापक बनाया गया हैं और उक्त विश्वविद्यालय में कितने ट्यूटरों के नाम पर अभी भी विचार किया जाना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1-1-1973 से विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के लिए संशोधित वेतन-मानों पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति को सिफारिशों पर आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को 18 अप्रैल, 1975 को यह सलाह दी थी कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में ट्यूटरों तथा निर्देशकों की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है विश्वविद्यालयों से विद्यमान ट्यूटरों तथा निदर्शकों को अपनी योग्यताओं में सुधार करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने का भा अनुरोध किया गया था ताकि अन्ततः वे लैक्चरर के रूप में नियुक्त हो सकें। ट्यूटरों को लैक्चररों में परिवर्तित करने के लिए सब विश्वविद्यालयों को कोई परिपत्र जारी नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनुचित साधनों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेश

10589. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं और धमकी दी है यदि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधनों का अपनाया जाना जारी रहा, तो अनुदानों का दिया जाना बन्द कर दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष जारी किये गये ऐसे अनुदेशों का ब्यौरा क्या है और उन कालेजों और विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जिनके बारे में यह जानकारी दी गई है कि विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों के बारे में उनका कोई नियन्त्रण नहीं है अथवा उन्होंने उन्हें बढ़ावा दिया है और ऐसे संस्थानों के नाम क्या हैं, जिनके मामले में अनुदान बन्द कर दिये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को कोई ऐसे सामान्य निर्देश जारी नह किये हैं कि यदि छात्र विश्वविद्यालीय परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनायेंगे तो अनुदान बन्द करीं दिये जायेंगे। तथापि, मार्च 1979 में इन रिपोर्टों के आधार पर कि मेरठ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कई परीक्षा केन्द्रों पर बड़े पैमाने पर नकल हुई है, आयोग ने विश्वविद्यालय से समुचित कार्यवाही करने के लिए आग्रह किया और कहा कि ऐसा न करने पर आयोग को विश्वविद्यालय एवं उसके कालेजों के अनुदान पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बाद में विश्वविद्यालय ने 23 कालेजों में हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इसलिए मेरठ विश्वविद्यालय अथवा इसके सम्बद्ध कालेजों के मामलों में अनुदान नहीं रोके गये।

ईंटों के लिए परमिट

10590. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान बनाने के लिए ईंटों का परमिट दिए जाने के लिए क्या शर्तें हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मकानों में अतिरिक्त निर्माण तथा फेर-बदल करने के लिये कोई परमिट नहीं दिए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि परमिट के बिना ईंट निर्माता ईंटों की बहुत ऊंची दर ले रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ईंटों के मामले में इस प्रकार की काला बाजारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 200 वर्गमीटर तक के क्षेत्र वाले प्लाट पर भवन निर्माण के लिए ईंटों के परमिट देने के लिए आवेदनों पर विचार किया जाता है और 80 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र वाले प्लाट पर एक मंजिला मकान बनाने के लिए अपेक्षित मात्रा के लिए ईंटों के परमिट जारी किए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) परमिट पर केवल उन्हीं ईंटों की बिक्री नियमित की गई है जो ईंटें प्रर्वातित, योजना के अन्तर्गत रेल द्वारा लाए गए कोयले से बनाई जाती हैं। चूंकि रेल द्वारा कोयले की सप्लाई सीमित है, इसलिए परिवर्धनों और परिवर्तनों के लिए भी मांग पूरी करना सम्भव नहीं है। परि-वर्धनों/परिवर्तनों आदि के लिए ईंटों के जरूरतमन्द लोग सड़क द्वारा लाए गए कोयले से बनी ईंटों में से खुले बाजार से अपनी-अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं।

(घ) जी, हां। चूंकि सड़क द्वारा लाए गए कोयले की लागत रेल द्वारा लाए गए कोयले से काफी अधिक है, इसलिए ऐसी ईंटों की कीमत रेल द्वारा लाए गए। कोयले से बनी उन ईंटों से कहीं अधिक है।

(ङ) सड़क द्वारा लाए गए कोयले से बनी ईंटों की कीमत पर कोई नियन्त्रण नहीं है। ऐसी ईंटों की कीमत प्रतियोगिता के आधार पर खुले बाजार में निर्धारित की जाती है। इस प्रकार ईंटों में काला बाजारी का प्रश्न नहीं उठता।

खेलकूद के सम्बन्ध में कोचिंग स्कूल तथा कालेज स्थापित करना

10591. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे देश की लगातार असफलता को देखते हुए सभी राज्यों में उक्त प्रतिभाओं को चुनने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए खेलकूद

की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में कोचिंग स्कूल तथा कालेज स्थापित करने के बारे में विचार करेगी;

(ख) क्या सरकार हमारे "खेलकूद कार्य निष्पादन" स्तर का विकास कैसे किया जाये, इस बारे में अनेक दक्ष तथा अनुभव खिलाड़ियों से परामर्श करके कोई शीघ्र कदम उठायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) से (ग) सरकार ने अखिल भारतीय खेल परिषद को उन रूपरेखाओं के सम्बन्ध में सलाह देने को कहा है जिनके अनुसार देश में खेलों को व्यापक आधार देने और खेलों के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से एक नई खेल नीति एव कार्यक्रम तैयार किया जा सके । परिषद की सलाह प्रतीक्षित है ।

विश्वविद्यालय के लेक्चरारों को पाठ्यपुस्तकें लिखने के लिए सुविधाएं

10592. **श्री नाथू सिंह**
श्री चरण नरजरी
श्रीमती पार्वती देवी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय स्तर की स्टैंडर्ड की मौलिक हिन्दी पुस्तकें लिखने के लिए विश्वविद्यालय के लेक्चरारों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं;

(ख) क्या ऐसी सुविधाएं दिल्ली विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ग) क्या शोध कार्य जैसे विभिन्न विषयों जिसके लिए एक या दो वर्ष का अवकाश प्रदान किया जाता है, पर स्टैण्डर्ड की हिन्दी पुस्तकें लिखने के लिए अवकाश प्रदान किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही व्यवस्था करेगी कि शिक्षा की नई पद्धति के अनुसार आवश्यक पुस्तकें समय पर तैयार की जायें ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा में सिंचाई सुविधाएं

10593. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में त्रिपुरा में सिंचाई सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों का ब्योरा क्या है;

(ग) इस समय राज्य में संचित तथा असिंचित भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में सिंचित भूमि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) वृहद् और मध्यम परियोजनाओं द्वारा सिंचाई विकास का कार्य त्रिपुरा राज्य में केवल मध्यावधिक योजना 1978-83 के दौरान हाथ में लिया गया है। इसलिए ऐसी स्कीमों द्वारा अभी तक कोई सिंचाई शक्यता सृजित नहीं की गई है। पांचवी योजनावधि के दौरान 1974-75 से 1977-78 तक लघु सिंचाई द्वारा 3812 हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता सृजित की गई थी। 1978-79 के दौरान लघु सिंचाई द्वारा 1800 हैक्टेयर की अतिरिक्त शक्यता सृजित किए जाने की सम्भावना है।

(ग) त्रिपुरा सरकार द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार 31-3-78 को निवल बुआई क्षेत्र 2.45 लाख हैक्टेयर है। 1978-79 के दौरान सिंचित किए जाने वाला कुल सम्भावित क्षेत्र 35,000 हैक्टेयर है।

(घ) राज्य सरकार ने राज्य में सिंचाई विकास के लिए मास्टर योजना तैयार करने का कार्य हाथ में लिया है। 1979-80 के दौरान त्रिपुरा सरकार द्वारा एक बृहद् और एक मध्यम सिंचाई स्कीम को हाथ में लेने का प्रस्ताव है। मध्यम सिंचाई स्कीम को योजना आयोग द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है।

वर्ष 1979 के दौरान मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया गेहूं

10594. **श्री राघव जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, से 20 अप्रैल, 1979 तक भारतीय खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश में कितना गेहूँ खरीदा है; और

(ख) मध्य प्रदेश में नियन्त्रित मण्डियों में 115 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कम दर पर कितना गेहूँ बेचा गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 240 मीटरी टन।

(ख) मध्य प्रदेश की नियन्त्रित मन्डियों में 115 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य से कम मूल्य पर प्राइवेट व्यापारियों को बेचे गये गेहूं की मात्रा के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जहां तक भारतीय खाद्य निगम का सम्बन्ध है, सारा स्टाक किस्म सम्बन्धी ऐसी कटौती, जोकि विहित विनिर्दिष्टियों में निर्धारित की गई है, करके 115 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है।

ई० डी० कर्मचारियों को नियमित करना

10595. **श्री चित बसु** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी सर्कलों में ई० डी० कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) क्या उन्हें पदोन्नत करके नियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री **(श्री नरहरि प्रसाद साय)** : (क) तारीख 31-3-1978 तक, 2,34,877 थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) विभागेतर एजेंट अंश-कालिक कर्मचारी होते हैं और उन्हें केवल अंशकालिक प्रकृति के कार्य के लिये नियुक्त किया जाता है। फिर भी, विभाग के नियमित संवर्गों में खपाने के लिये उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाते हैं।

पंजाब में फसल बीमा योजना

10596. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में फसल बीमा योजना लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय फसल बीमा निगम की स्थापना के लिए कानून बना कर अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पंजाब राज्य में अभी तक कोई फसल बीमा योजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान गेहूं तथा चावल की वसूली

10597. **प्रो० समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान कुल कितनी मात्रा में गेहूँ तथा चावल की वसूली की;

(ख) गेहूँ तथा चावल की वसूली के तत्सम्बन्धी राज्य-बार आंकड़े क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राशन की दुकानों के माध्यम से कितनी मात्रा में गेहूँ तथा चावल की सप्लाई की गई;

(घ) विभिन्न राज्यों को गेहूँ तथा चावल की, की गई सप्लाई के पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) चावल खाने वाले राज्यों को राशन की दुकानों के माध्यम से चावल बड़ी मात्रा में सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है (विवरण-एक)।

(ग) 1977-78 के दौरान, राशन/उचित दर की दुकानों के माध्यम से 68.5 लाख मीटरी टन गेहूँ और 42.9 लाख मीटरी टन चावल दिया गया था। 1978-79 के दौरान, लगभग 63.1 लाख मीटरी टन गेहूँ और 30.7 लाख मीटरी टन चावल वितरित किये गये थे।

(घ) एक विवरण संलग्न है (विवरण-दो)।

(ङ) राशन/उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के आन्तरिक वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।

राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अपनी मासिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाती हैं और आबंटन के लिए केन्द्रीय सरकार को उन मात्राओं के बारे में सूचित करती हैं। इन आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि यदि उन्हें अधिक मात्रा की आवश्यकता हो तो वे स्टाक ले सकते हैं और उसको नियमित करने के लिए हमें सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निकासी कम है तो स्पष्टतः यह खुले बाजार में चावल की सुगम उपलब्धता के कारण है।

विवरण—एक

विपणन मौसम 1977-78 और 1978-79 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की सीधी वसूली को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	गेहूं 1977-78	1978-79	चावल 1977-78	1978-79 (7-5-79 तक)
आन्ध्र प्रदेश	—	—	529	655
असम	नग	नग	6	16
हरियाणा	164	176	74	179
हिमाचल प्रदेश	—	1	नग	नग
जम्मू तथा कश्मीर	8	—	—	—
मध्य प्रदेश	11	20	172	279
मनीपुर	नग	नग	1	1
पंजाब	516	743	565	1037
राजस्थान	122	77	नग	16
तमिलनाडु	—	—	—	18
उत्तर प्रदेश	185	220	नग	15
पश्चिमी बंगाल	नग	16	245	122
अरूणाचल प्रदेश	—	—	नग	1
चण्डीगढ़	नग	1	नग	1
दिल्ली	11	18	—	—
पांडिचेरी	—	—	1	1
जोड़	1017	1272	1593	2341

नग — 500 मीटरी टन से कम।

विवरण—दो

1977-78 और 1978-79 के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल की राज्य-वार सप्लाई को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	1977-78*		1978-79*	
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
आन्ध्र प्रदेश	158.4	—	147.9	11.8
असम	298.7	58.0	287.3	186.9
बिहार	534.3	49.0	504.6	9.3
गुजरात	217.6	6.2	116.9	0.7
हरियाणा	114.1	—	139.2	1.1
हिमाचल प्रदेश	40.5	0.1	45.1	0.4
जम्मू तथा कश्मीर	156.6	95.5	142.2	81.5
कर्नाटक	242.7	—	249 8	—
केरल	79.6	1265.9	83.0	763.4
मध्य प्रदेश	265.4	—	177.5	—
महाराष्ट्र	668 5	300.3	700.1	224.7
मनीपुर	4.5	7.0	4.7	5.4
मेघालय	15.9	51.4	18.7	57.3
नागालैण्ड	11.9	22.1	11.2	31.5
उड़ीसा	170.4	नग	181.9	25.7
पंजाब	235.8	—	252.8	—
राजस्थान	205.7	—	301.8	—
सिक्कम	3.4	8.7	1.5	10.5
तामिलनाडु	451.1	169.2	461.9	—
त्रिपुरा	4.7	19.7	16.7	26.6
उत्तर प्रदेश	822.4	8.9	583.2	0.8
पश्चिमी बंगाल	1199.7	562.1	1060.3	369.2
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप	6.3	13.1	3,2	7.4
अरूणाचल	3.1	15.8	2.6	16.3
चंडीगढ़	22.1	—	31.1	—
गोआ, दमन तथा दीव	30.0	32.9	24.6	21.0
दिल्ली	546.4	41.1	576 5	31.4
लक्षदीप	—	1.4	नग	4.3
मिजोरम	0.9	38.3	0.4	32.0
पांडीचेरी (माहे सहित)	0.7	2.9	1.6	2.5
जोड़	6511.4	2769.6	6128.3	1921.7

* अस्थायी, लेकिन संशोधन हो सकता है।

नग :— 50 मीटरी टन से कम

गोआ में कृषि उत्पादन में आत्म-निर्भरता

10598. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में सिंचाई सुविधाएं बहुत ही असन्तोषजनक हैं और वहां सिंचित भूमि की प्रतिशतता देश में सबसे कम है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने और गोआ को कृषि उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) यह सूचित किया गया है कि गोआ के संघ राज्य क्षेत्र का कुल कृषि योग्य क्षेत्र 1.33 लाख हैक्टेयर और सिंचित क्षेत्र 12500 हैक्टेयर है। इस प्रकार कुल कृषि योग्य क्षेत्र की तुलना में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता 9.4 प्रतिशत है जोकि देश में न्यूनतम प्रतिशतताओं में से एक है।

(ख) गोआ, दमन और दीव सरकार ने सूचित किया है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं (दो बृहद् नामश: सलौली सिंचाई परियोजना और दामनगंगा परियोजना) तथा एक मध्यम नामश: अंजुनेम सिंचाई परियोजना और बहुत सी लघु सिंचाई स्कीमों को तेजी से पूरा करके स्थिति में सुधार करने का प्रस्ताव है। पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक बृहद, मध्यम तथा लघु स्कीमों से कुल 26,000 हैक्टेयर क्षेत्र से अधिक में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था होने की सम्भावना है जिससे इस संघ राज्य क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की प्रतिशतता 9 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगी।

भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए केन्द्रीय सहायता

10599. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में और किस अनुपात में यह सहायता दी जाती है; और

(ग) गत वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई सहायता का ब्योरा क्या है और भविष्य में कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को लघु सिंचाई तथा भूमिगत जल विकास सम्बन्धी वृहत कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु राज्यों में सतही एवं भूमिगत जल (लघु सिंचाई) संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सहायता देती है।

(ख) राज्य सरकारों को यह सहायता तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उपकरणों आदि को खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की समतुल्य अनुदान के रूप में दी जाती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उक्त योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा तथा 1979-80 के लिए अनन्तिम प्रस्ताव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार को भूमिगत जल संगठन को सुदृढ़ करने के लिए दी गई सहायता तथा 1979-80 के लिए प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा

क्रम संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति	केन्द्रीय सहायता (50 प्रतिशत)	मार्च, 1979 तक कुल निर्मुक्त की गई राशि	1979-80 के लिए प्रस्तावित सहायता (अनन्तिम)
1.	80.00 लाख रुपए	40.00 लाख रुपए	10.41 लाख रुपए	12.276 लाख रुपए

रिंग रोड, नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण प्रदान करना

10600. **श्री भगत राम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिंग रोड, नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय के कर्मचारियों को निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उनके 75 मास के वेतन के बराबर गृह निर्माण ऋण नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें भारत सरकार के मुद्रणालय के प्रबन्धकों द्वारा इस लाभ से वंचित रखा गया है;

(घ) क्या सरकार का उनके ऋण की राशि में शीघ्र वृद्धि करने का विचार है ताकि वे अपने मकानों का निर्माण-कार्य पूरा कर सकें और खुले बाजार से ब्याज की ऊंची दरों पर ऋण लेने से बच सकें; और

(ङ) क्या उन्हें मंजूर किये गये गृह निर्माण ऋण की किश्तें देने में भी अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है जिससे कि उन्हें भारी परेशानी हो रही है; और यदि हां, तो विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) :

(क) से (ग) गृह निर्माण अग्रिम को मंजूर करने वाले नियमों के अनुसार, ऋण की राशि सम्बन्धित कर्मचारी के 75 माह के वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापित तथा वास्तविक दी जाने वाली ऋण की राशि का निर्धारण वापिस करने की क्षमता तथा शेष बकाया सेवावधि जिसमें ऋण के साथ-साथ वसूल किया जाना है को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत सरकार मुद्रणालय रिंग रोड नई दिल्ली के जिन 8 कर्मचारियों को 1978-79 में ऋण स्वीकार

किया गया था, उनकी वापस करने की क्षमता तथा सेवावधि को ध्यान में रहते हुए उनके 75 माह के मूल वेतन के बराबर ऋण नहीं दिया जा सका।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भारत सरकार मुद्रणालय रिंग रोड नई दिल्ली के कर्मचारियों को मंजूर किये गये ऋण की किस्त देने में जानबूझ कर विलम्ब नहीं हुआ है। तथापि दो मामलों में गृह निर्माण अग्रिम की किस्त देना सम्भव नहीं हो पाया क्योंकि वर्ष 1979-80 के लिए विभिन्न विभागों को समस्त निधि का नियतन किया जाना है। जैसे ही धन का नियतन किया जायेगा, इन दोनों मामलों में किस्त दे दी जायेगी।

गेहूं उत्पादक राज्यों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग

10601. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० ने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरण करने के सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में गेहूं उत्पादक उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां प्रायोगिक आधार पर आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग आरम्भ किया गया है; और

(ग) क्या सरकार इसके कार्य निष्पादन से संतुष्ट है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) जिन गेहूं उत्पादक राज्यों में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड ने कृषक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को प्रयोगात्मक उपाय के रूप में शुरू किया है वे राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।

(ग) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव के अनुसार क्षेत्र की रिपोर्ट उत्साहवर्धक हैं। तथापि, वे इन केन्द्रों के कार्यनिष्पादन की बारीकी से जायजा ले रहे हैं तथा वर्तमान केन्द्रों को जारी रखने और/अथवा उनको अन्य राज्यों में खोलने के बारे में निर्णय लेने से पहले परिणामों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इन परिस्थितियों में इस स्थिति पर सरकार के संतुष्ट होने या न होने का प्रश्न नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अभिग्रहण और विकास

10602. **श्री राम विलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विगत पांच वर्षों में भूमि के अभिग्रहण विकास आदि शीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग कितना वार्षिक व्यय किया गया;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि/मकानों के निपटान द्वारा कुल कितनी धनराशि अर्जित की; और

(ग) गत पांच वर्षों का लाभ-हानि का विवरण क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) (i) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन, विकास और निपटान योजना के अन्तर्गत अर्जन पर वर्षवार पिछले पांच वर्षों के दौरान किया गया खर्च इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि
1973-74	3,20,68,949.70 रुपये
1974-75	2,61,57,822 54 रुपये
1975-76	3,85,19,495.53 रुपये
1976-77	2,01,16,843.63 रुपये
1977-78	4,71,19,381.60 रुपये

(ii) पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास पर किए गए खर्च के ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) वर्षवार अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	बड़े पैमाने पर भू-अर्जन की योजना के अन्तर्गत भूमि बेचने से आय (लाख रुपयों में)	मकान बेचने से आय (लाख रुपयों में)
1973-74	867.97	769.14
1974-75	570.00	728.22
1975-76	1553.49	664.87
1976-77	982.13	1308.73
1977-78	608.69	1124.73

(ग) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है, पिछले पांच वर्षों के दौरान "सामान्य विकास लेखा" के लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा द्वारा उद्घाटित व्यय पर आधिक्य आय इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1973-74	254.00
1974-75	219.00
1975-76	206.00
1976-77	853.00
1977-78	22.00

भूमि का बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और निपटान के अन्तर्गत उपर्युक्त आंकड़ों में भूमि बेचने से हुई, अतिरिक्त आय शामिल नहीं है जिसे दिल्ली प्रशासन को भेजना अपेक्षित है।

गैर पंजीकृत व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों का आवंटन

10603. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फरवरी, 1978 से ऐसे व्यक्तियों को जिनके नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं थे, कितने फ्लैट आवंटित किये गये हैं और ऐसे अलाटियों के नाम क्या हैं तथा उन्हें आवंटित किये गये फ्लेटों का कितना मूल्य लिए जाने का प्रस्ताव है और किस अधिकारी ने ऐसे आवंटन की स्वीकृति दी है; और

(ख) फरवरी, 1978 में बिना पारी के ऐसे व्यक्तियों को कितने फ्लेट, आवंटित किये गये हैं जिनके नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत थे और भाग (क) में उल्लिखित जानकारी का ब्यौरा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राम-कृष्ण-पुरम, नई दिल्ली में लान

10604. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुर्नवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में सरकारी फ्लेटों के निकट लानों की स्थिति दयनीय है और सम्बन्धित अधिकारी भी इनके प्रति उदासीन है; और

(ख) क्या इन लानों की स्थिति में सुधार करने और पानी देने की समुचित व्यवस्था करने के लिए सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस बात के सदा प्रयास किये जाते हैं कि उपलब्ध विधियों के भीतर लानों के अनुरक्षण में सुधार लाया जाए।

भाषा पुस्तकालयों के लिए राज्यों को सहायता

10605. **श्री पी० एम० सईद**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री से देश में सभी भाषाओं के और पुस्तकालयों को बनाने के लिए आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में सभी भाषाओं के पुस्तकालयों की व्यवस्था कराने के लिए राज्य सरकारों को मदद और सहायता देने का निर्णय किया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जायेगी; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इसे बारे में राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुआ है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों अथवा स्वैच्छिक एजेंसियों से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। तथापि 'क्षेत्रीय भाषा पुस्तकालय' नाम की एक सर्वभाषा पुस्तकालय हाल ही में संस्कृति विभाग द्वारा बहावलपुर हाऊस, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है।

(ख), से (घ) प्रश्न नही उठता ।

नान्देड़ में मराठवाड़ा विद्यापीठ में उप केन्द्र खोला जाना

10606. **श्री केशवराव धोंडगे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नान्देड़ में मराठवाड़ा विद्यापीठ का एक उपकेन्द्र खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चंद्र चंद्र) : (क) जी, हां।

(ख) यह मांग सात संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 26 फरवरी, 1979 के एक पत्र में की गई थी। पत्र में उठाए गए मद्दों में नान्देड़ में एक विश्वविद्यालय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है इसे महाराष्ट्र सरकार ने 1974 में स्वीकार कर लिया था और समाज शास्त्र आधुनिक जीव विज्ञान और प्रबन्ध के पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिए गए थे। ये मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पांचवी योजना के प्रस्तावों में शामिल किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण समिति ने प्रस्तावों का समर्थन करते हुए सिफारिश की थी। तथापि आयोग ने संशोधित मान-दण्डों के आधार पर प्रस्तावों को पुन: तैयार करने की इच्छा व्यक्त की। सशोधित प्रस्ताव की एक समिति द्वारा पुन: जांच की गई और अनुकूल कार्रवाई की सिफारिश की गई। अभी तक आयोग ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार संशोधित प्रस्तावों से सम्बन्धित समिति की सिफारिशों पर आयोग ने मई 1978 में विचार किया था परन्तु आयोग का यह विचार था कि स्नातकोत्तर केन्द्रों की संकलपना की पुन: जांच करने की आवश्यकता है। आयोग ने अभी तक इस समीक्षा को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध का निर्माण स्थल

10607. **श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बाण सागर बांध का निर्माण स्थल किसी सीमा तक बदल दिया गया है और यदि हां, तो क्या फिर से सर्वेक्षण करने और नया डिजाइन तैयार करने का कार्य आरम्भ हो गया है और इसमें कितना समय लगेगा;

(ख) क्या निर्माण स्थल स्थानान्तरित किए जाने के परिणामस्वरूप मुख्य बांध का निर्माण कार्य बन्द हो गया है और यदि हां, तो 14 मई, 1978 के शिलान्यास करते समय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा, कि उक्त बांध 6 वर्ष में पूरा हो जायेगा, को ध्यान में रखते हुए क्या बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1984-85 तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) वर्ष 1978-79 के लिए बाण सागर निर्माण बांध के कार्य-हेतु कितने करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गयी और अब तक उस पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बांध के स्थल में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। केन्द्र द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बांध की धुरी (ऐक्सिल) के संरेखन में केवल कुछ समायोजन कर दिए गए हैं।

(ख) बांध को पूरा करने के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस पर बांध की धुरी (ऐक्सिस) के संरेखन में किए गए परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) वर्ष 1978-79 के लिए बाण सागर बांध के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस वर्ष के दौरान 5·64 करोड़ का वास्तविक व्यय हुआ है।

पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध न होने की वजह से कोल्हापुर में सिंचाई परियोजनाओं को क्षति पहुंचना

10608. **श्री राजा राम शंकर राव माने** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्याप्त मात्रा में बजट में राशि उपलब्ध न किए जाने की वजह से कोल्हापुर जिले में छोटी मध्यम स्तर की और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को क्षति पहुंच रही है और कर्मचारी बेकार हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक छोटी, मंझली और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को आर्थिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; परन्तु अनेक वर्षों से बजट में धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) किस तारीख तक ये परियोजनायें पूरी हो जायेंगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के कोल्हापुर जिले की बृहद परियोजनाओं के लिए धनराशि की उपलब्धता के अनुसार व्यवस्था की गई है और मध्यम तथा लघु परियोजनाओं के लिए व्यवस्था कोल्हापुर जिला आयोजन और विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसार की गई है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उनका स्टाफ बेकार नहीं बैठा है और उनके पास पर्याप्त काम है।

राज्य सरकार द्वारा कोल्हापुर जिले में बृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं के लिए वर्ष 1979-80 के लिए जितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है, वह इस प्रकार है :—

		1979-80 के लिए निर्धारित परिव्यय (लाख रुपयों में)
I.	**बृहद परियोजनाएं**	
1.	तुलशी	25.00
2.	दूध गंगा	365·00
3.	राधानागरी बांध को मजबूत बनाना	80·00
4.	वारणा	698·00
II.	**मध्यम परियोजनाएं**	
1.	चिकोत्रा	10·00
2.	कुम्भी	0·09
3.	काडवी	15·00
4.	कसारी	15·00
5.	पटगांव	3·00
III.	**लघु परियोजनाएं**	
1.	कुल संख्या 18	56·34

(ख) से (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई भी बृहद अथवा मध्यम परियोजना नहीं है जिसे प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो लेकिन जिसके लिए कई वर्षों से बजट में कोई व्यवस्था न की गई हो। लेकिन 13 लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया गया था, 1979-80 के दौरान पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण बजट में व्यवस्था नहीं की जा सकी। इन परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गये गए हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने यह भी सूचित किया है कि आम तौर पर राज्य के प्रत्येक जिले के लिये लघु सिंचाई स्कीमों का एक शेल्फ तैयार रखा जाता है। उन्होंने सूचित किया है कि चूंकि ये लघु कार्य जिला स्तर की स्कीमें हैं इसलिए इन कार्यों के लिए धनराशि का आबंटन जिला आयोजन और विकास परिषदों द्वारा जिला स्तर की स्कीम के लिए आबंटित राशि में से किया जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	लघु सिंचाई स्कीम का नाम	ताल्लुका
1	पटपनहाला टैंक	पनहाला
2.	मसूरली टैंक	राधानगरी
3.	गयाशी टैंक	राधानगरी
4.	मदुर टैंक	भुदारगढ़
5.	हेकरणी टैंक	चान्दगढ़
6.	धनगरवाडी टैंक	अजरा
7.	खानपुर टैंक	अजरा
8.	करनजवान टैंक	कागल
9.	खेडगे टैंक	अजरा
10.	पोम्बरे टैंक	पनहाला
11.	महासवे टैंक	भुदारगढ़
12.	खनकावाडी टैंक	राधानगरी
13.	गवासे टैंक	अजरा

हुब्ली में सेंट्रल स्कूल खोला जाना

10609. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में भारी भीड़ को देखते हुए हुब्ली में एक अन्य सेंट्रल स्कूल खोलने के बारे में सरकार विचार करेगी;

(ख) यदि नहीं, तो क्या नई इमारत के पूरा होने पर विद्यार्थियों की संख्या मे वृद्धि की जाएगी; और

(ग) क्या उपर्युक्त स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा भी आरम्भ की जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रवेश के लिए रश इतना अधिक नहीं है जिससे कि हुबली में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने की जरूरत साबित हो सके और न कहीं से हुबली में एक और विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) छात्रों की उपलब्धता की शर्त पर शैक्षिक सत्र 1980-81 से केन्द्रीय विद्यालय, हुबली में कक्षा XI जोड़ दी जाएगी ।

राजस्थान में अनुमति लेकर "शिकार" खेला जाना

10610. **चौ० हरीराम मक्कासर गोदारा** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र को लिखा है कि वह राज्य की अग्रिम अनुमति के बिना राज्य में शिकार खेलने की अनुमति न दे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ मामलों में केन्द्र सरकार ने ऐसे अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया और विदेशी लोग राज्य में कोई अनुमति लिये बिना आये तथा उन्होंने शिकार खेला तथा चले गये; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

समाचारों के लिए टेलीप्रिंटर लाइनें प्राप्त बिहार के नगर

10611. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में उन नगरों के नाम क्या हैं, जिनमें समाचार पत्रों के लिये समाचार की सुविधा के लिये टेलीप्रिंटर लाइनें उपलब्ध हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : पटना, धनबाद, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर, रांची गोपालगंज, और कटिहार।

नशीली दवाओं की आदत होना

10612. **डा० सुशीला नायर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवकों में नशीली औषधियों और पेयों के लत पड़ने की बढ़ती हुई समस्या के लिये कोई समिति गठित की गई है;

(ख) क्या इस विषय में कोई अनुसन्धान अथवा अध्ययन किये गये हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इस कार्य पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) नशीली औषधियों के व्यसन इत्यादि के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए 1976 में भारत में नशीली औषधियों के दुरुपयोग से सम्बद्ध एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट 5 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी।

(ख) जी, हां। कालेजों के विद्यार्थियों में नशीली औषधियों के दुरुपयोग के संबंध में सात अध्ययन किए गये थे। इन अध्ययनों से प्राप्त हुए समान परिणाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पिछले पांच वर्षों में इन अध्ययनों पर निम्नलिखित धनराशियां खर्च की गई हैं :—

1974-75	शून्य
1975-76	15,500 रुपये
1976-77	74,993 रुपये
1977-78	1,01,224 रुपये
1978-79	10,500 रुपये

विवरण

(1) लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में नशीली औषधियों का दुरुपयोग अधिक पाया गया;

(2) सामान्यतया सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले ड्रग थे एल्कोहल और तम्बाकू;

(3) नशीली औषधियों का दुरुपयोग शहरी पृष्ठ भूमि वाले, ऊंची आय वर्ग के परिवारों से सम्बन्धित, सैनिक/पब्लिक/कोन्वेंट स्कूलों में शिक्षा पाने वाले, कालेजों के छात्रावासों में रहने वाले, मैडिकल/इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों में अधिक था;

(4) नौजवानों को नशीली औषधियों का दुरुपयोग शुरू कराने में मित्रों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई;

(5) नशीली औषधियों के उपयोग में 4 कारण महत्वपूर्ण पाये गए (1) मनोवैज्ञानिक कारण तनाव दूर करना, विषाद दूर करना, कुतूहल पूरा करना, "किक्स लेना" "फीलिंग हाई" प्रत्यक्ष ज्ञान को तेज करना, ऊब दूर करना, इत्यादि; (2) शारीरिक कारण—जैसे कि नींद न आना, इत्यादि, (3) समाजीकरण के सहायक के रूप में, सामाजिक मूल्यों को चुनौती देना इत्यादि तथा (4) विविध कारण जैसे कि अपना अध्ययन सुधारना, धार्मिक अन्तः प्रवृत्ति को तेज करना, आत्मज्ञान बढ़ाना, निजी समस्याओं को हल करना इत्यादि।

(6) नशीली औषधियां अधिकतर मित्रों से प्राप्त की गई।

(7) अधिकतर प्रतिशत छात्र नशीली औषधियों, यहां तक कि तम्बाकू, एल्कोहल, और पीड़ा दूर करने वाली सामाजिक रूप से स्वीकार्य नशीली औषधियों का भी उपयोग नहीं करते;

(8) अधिकतर छात्र प्रयोगात्मक रूप में नशीली औषधियों का प्रयोग करते हैं;

(9) केनाबिस, एल० एम० डी०, पीड़ा दूर करने वाली नशीली औषधियों, अफीम, इत्यादि के प्रयोग की दर बहुत कम थी।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों को सूखे, बाढ़ और ओलों की स्थिति में केन्द्रीय सहायता दिया जाना

10613. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों ने अपने राज्यों में सूखे, बाढ़ और ओलों से प्रभावित क्षेत्रों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने तथ्यों का पता लगाने के लिये एक समिति को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भेजा था कि वहां पर कितनी हानि हुई; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय समिति की सिफारिशें क्या हैं और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश को वास्तव में कितनी सहायता देने की केन्द्र सरकार मे सिफारिश की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) एक केन्द्रीय दल ने जून, 1978 में मध्य प्रदेश के ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा दूसरे दल ने नवम्बर, 1978 में मध्य प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिये फरवरी, 1979 में एक केन्द्रीय दल ने महाराष्ट्र का दौरा किया।

(ग) केन्द्रीय दलों तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश की ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1978-79 में 6.5 करोड़ रुपये की अग्रिम प्लान सहायता आबंटित की गई तथा बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 3.08 करोड़ रुपए आबंटित किए गये। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में निशुल्क राहत के रूप में वितरण के लिये 6000 मीटरी टन गेहूँ भी आबंटित किया गया। 1978-79 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को अभावग्रस्त स्थिति का सामना करने के लिए 5.00 करोड़ रुपए की अग्रिम प्लान सहायता इस शर्त पर आबंटित की गई कि रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत का व्यय 60.00 करोड़ रुपए की स्वीकृत योजना परिव्यय से उतना ही अधिक हो तथा कुल योजना व्यय भी 735.00 करोड़ रुपए की स्वीकृत योजना परिव्यय से उतना ही अधिक हो।

केन्द्रीय विद्यालय

10514. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किस रूप में वे शिक्षा विभाग के साथ सम्बद्ध है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने नये केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया है और यदि हां, तो कितने और किन-किन स्थानों पर उनकी स्थापना की जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) केन्द्रीय विद्यालय निम्नलिखित रेलवे कालोनियों में स्थित है :—

1. आर० डी० एस० ओ० लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
2. जमालपुर (बिहार)
3. मुगलसराय (उत्तर प्रदेश)
4. खुर्दा रोड (उड़ीसा)
5. डी एल डब्ल्यू वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

(ख) ये स्कूल किसी भी राज्य स्कूल पद्धति का अंग नहीं है।

(ग) वर्ष 1979-80 से आरम्भ होने वाले अगले पांच वर्षों के दौरान 100 नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। अभी तक निर्णय वर्ष 1979-80 के दौरान स्थापित किए जाने वाले विद्यालयों के अस्थायी स्थानों के सम्बन्ध में ही हुआ है। अन्तिम स्थान निर्धारण से संबंधित निर्णय संगत और अधिक सूचना एकत्र करने के पश्चात् ही किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

जामतारा कर्मातांड रोड, संथाल परगना (बिहार) में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये मजदूर

10615. **श्री के मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जामतारा कर्मातांड रोड, संथाल परगना (बिहार) में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत काम पर रखे गये मजदूरों को कम अनाज और वेतन दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या इन मजदूरों को 3 किलोग्राम गेहूँ और एक रुपया के स्थान पर 2 किलोग्राम गेहूं और 60 पैसे लेने पर मजबूर किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) — बिहार सरकार ने सूचित किया है कि जामतारा कर्मातांड रोड, संथाल परगना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों पर रखे गये मजदूरों को कम वेतन के भुगतान से सम्बन्धित मामले की स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच की गई है और यह पाया गया है कि मजदूरों को दिया गया वेतन निर्धारित दरों से कम था।

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है।

गोदामों में खाद्यान्नों की मात्रा

10616. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सरकारी गोदामों में अनाज-वार कितनी मात्रा में धान, चावल, गेहू, मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी, रखे हुए हैं;

(ख) देश को मार्च 1980 के अन्त तक इस अनाज में से कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी; और

(ग) मार्च 1979 के अन्त तक इन गोदामों में यह अनाज कितनी मात्रा में दो वर्ष से अधिक समय से पड़ा है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1-4-1979 तक केन्द्रीय तथा राज्य के खाते पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे गये खाद्यान्नों के स्टाक का अनाज-वार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की निकासी उत्पादन, खाद्यान्नों की खुले बाजार में उपलब्धता और उनके तुलनात्मक मूल्यों, अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, जनता की क्रय शक्ति और जनसंख्या में वृद्धि जैसी कई एक बातों पर निर्भर करती है। आगामी मार्च, 1980 के अन्त तक देश को कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी, इसका ठीक-ठीक अन्दाजा लगाना कठिन है क्योंकि यह बहुत अधिक परिवर्तनशील है। तथापि, देश की खाद्य अर्थव्यवस्था को स्थिरता पहुंचाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से खाद्यान्नों का स्टाक तैयार किया गया है। वर्ष 1978 के दौरान केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोलर आटा मिलों, काम के लिए अनाज कार्यक्रम और राहत कार्यों के लिए वितरण हेतु लगभग 87.4 लाख मीटरी टन खाद्यान्न नियुक्त किए गए थे।

(ग) भारतीय खाद्य निगम में रखे गये स्टाक की स्थिति समय-अवधिवार नहीं है और इसलिये मार्च, 1979 के अन्त तक खाद्यान्नों की दो वर्षों से भी अधिक पुरानी मात्रा को नहीं बताया जा सकता है।

विवरण

1-4-1979 तक केन्द्रीय अथवा राज्य खातों पर भारतीय खाद्य निगम के डिपों में रखे हुए खाद्यान्नों के स्टाक का अनाजवार ब्यौरा देने वाला विवरण :—

(000 मीटरी टन में)

अनाज		मात्रा
गेहूं		5142.6
चावल		
7145 8		
चावल के रूप में		
2562 8		
धान के रूप में		
		8893.2
चावल के हिसाब से जोड़		
मोटे अनाज		
माइलो	2 3	
ज्वार	6.0	
मक्का	2.5	
बाजरा	0.4	
जौ	5.0	
रागी—		
जोड़		16.2
सकल जोड़		14052.0

(*) अस्थायी, इसमें परिवर्तन हो सकता है।

बड़े शहरों में कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा अपेक्षित मकानों का सर्वेक्षण

10617. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर बड़े शहरों में नियोजित कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा अपेक्षित मकानों की आवश्यकताओं के बारे में कभी कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या इन वर्गों के प्रति सरकार का रवैया यह है कि उन्हें उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया जाये;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विशेषकर बड़े शहरों में छोटे काम (मीनियल) करने वाले इन गरीब लोगों के लिए 1979-80 में कितने मकान बनाये जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का लक्ष्य सामाजिक आवास योजनाओं का निरुपण इस प्रकार से करने का है जिससे कि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की मकान आवश्यकता की पूर्ति हो तथा ये मकान उनकी देय क्षमता के भीतर भी हों। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों में से निम्न आय वर्गों में बहु-संख्यक बेघर लोगों की जरूरतों के लिए काफी बड़े पैमाने पर स्थलों और सेवाओं के कार्यक्रम आरम्भ करें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) चूंकि आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्यों के नामित अभिकरणों द्वारा किया जाता है इसलिए 1979-80 के दौरान गरीब लोगों के लिए बनाए जाने वाले मकानों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु 1978-83 की योजना अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 18.15 लाख आवास एकक और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1.83 लाख एकक का वास्तविक लक्ष्य रखा गया है

डाक-तार कर्मचारियों को आवास

10618. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार कर्मचारियों को 15 वर्ष की सेवा करने के बाद भी राजधानी में आवास उपलब्ध नहीं हो रहे हैं;

(ख) डाक-तार विभाग में ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक आवास प्राप्त नहीं हुए हैं और उन्होंने 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है;

(ग) दिल्ली से स्थानान्तरित होने पर भी उन्हें ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ता है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या शीघ्र उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

सस्ते तथा टिकाऊ मकानों का निर्माण

10619. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० डी० ए० तथा अन्य एजेंसियां राजधानी में अब सस्ते तथा टिकाऊ मकानों का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने उक्त विचार तथा तत्सम्बन्धी अपेक्षित अनुभव कहां से प्राप्त किया है;

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान ऐसे कितने मकान बनाये जाने हैं; और

(घ) उक्त मकान किस ढंग से बेचे जायेंगे और सरकार ने इस सौदे में यदि कोई लाभ की सीमा निश्चित की है तो वह क्या है ;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

टेलीफोन एक्सचेंज बोर्डों तथा उपकरणों का निर्यात

10620. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश सभी प्रकार के टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की स्थिति में है;

(ख) क्या ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कुछ विदेशी पुर्जों की भी आवश्यकता पड़ती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समारा देश अपने यहां बने टेलीफोन एक्सचेंज बोर्डों और टेलीफोन उपकरणों का निर्यात करता है और यदि हां, तो किन देशों को इनका निर्यात किया जाता है; और

(घ) निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हेतु स्वीचिंग उपस्कर, तार और केबिल, पावर संयन्त्र बैटरियां इत्यादि विविध सामान की काफी मात्रा में आवश्यकता होती है । क्रासबार, स्ट्रोजर और हस्तचल किस्म के टेलीफोन स्वीचिंग उपस्करों का देश में ही उत्पादन किया जाता है । विविध प्रकार के तार, केबिल और पावर संयन्त्र और बैटरियों का भी स्वदेशी उत्पादन होता है । उनके उत्पादन में कुछ आयातित कच्चे माल और घटकों का प्रयोग किया जाता है ।

इतने पर भी, इस समय देश की कुल उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं हैं । इस कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के टेलीफोन एक्सचेंज के उपस्करों और अन्य सामान के लिए आयात का सहारा लेना पड़ता है ।

अभी हाल में कुछ उपस्करों के आयात की जो योजना बनाई गई है उनमें ये शामिल हैं :—

(i) स्थानीय एक्सचेंज

(ii) ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज

(iii) लघु क्षमता-स्थानीय टेलीफोन केबिल

(iv) पी० सी० एम० जंक्शन उपस्कर इत्यादि।

(ग) जी हां। 1978-79 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हेतु निश्चित किस्म के टेलीफोन एक्सचेंज स्वीचिंग और अन्य उपस्कर भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा आस्ट्रेलिया, भूटान, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, नाईजीरिया, मसकट,दुबई, कुवैत, जोर्डन और सूडान को निर्यात किए गए।

(घ) 1978-79 के दौरान दूर-संचार उपस्करों के निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की कुल राशि लगभग 1.6 करोड़ है।

गुजरात में भालनलकांठा खेडूत मण्डल, सर्वोदय आश्रम गुंदी

10621. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के अहमदाबाद जिले में भालनलकांठा खेडूत मण्डल सर्वोदय आश्रम, गुंदी के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मार्च, 1979 में उनसे मुलाकात की थी और उन्हें 16 मांगों का एक मांग पत्र दिया था;

(ख) यदि हां, तो मांगवार उसका संक्षेप में ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मांगों में से किन-किन को कब और कैसे स्वीकार किया जायेगा तथा स्वीकार की जाने वाली मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) किन मांगों को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रतिनिधि मण्डल के साथ क्या बातचीत की गई तथा क्या उन्हें इस सम्बन्ध में कोई लिखित उत्तर दिया गया है और यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) गुजरात के अहमदाबाद जिले में भालनलकांठा खेडूत मण्डल, सर्वोदय आश्रम गुंदी के प्रतिनिधि मंडल तथा अध्यक्ष से कृषि जिन्सों के लाभकर मूल्यों के बारे में दिनांक 1-3-79 को एक ज्ञापन प्रधान मन्त्री के कार्यालय तथा इस मन्त्रालय को प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में दी गई मांगें संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

1. कृषि मूल्य आयोग को समर्थन मूल्य निर्धारित करने से पहले पारिवारिक श्रम, व्यवस्था पर आने वाली लागत तथा मौसम के उतार चढ़ाव, कृमियों, रोगों आदि से फसलों को अकसर होने वाली क्षति को भी ध्यान में रखना चाहिए।
2. जहां तक कपास का सवाल है, सरकार को मानव-निर्मित रेशों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने, कपास का एक बफर स्टाक सृजित करने और निर्यात के कोटे में

वृद्धि करने, निर्धारित अवधि के लिए कपड़ा मिलों द्वारा कपास का प्रयोग करने से सम्बन्धित प्रतिबन्ध को हटाने जैसे उपाय करने चाहिए।

3. क्वालिटी, रंग, पोषण महत्व आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न किस्मों के गेहूं के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित करना। विभिन्न श्रेणी के गेहूं के लिए अलग-अलग मूल्य प्रचलित हैं, अतः यह कार्य जरूरी है।

4. कृषि जिन्सों के मूल्य, कृषि आदानों और कृषक समाज की घरेलू जरूररियात की चीजों के मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए।

5. सिंचाई सहित सभी कृषि आदानों के लिए समान मूल्य-नीति होनी चाहिए और ईंधन लुब्रीकैन्ट आदि के लिये राज-सहायता दी जानी चाहिए। जो कृषक कुंएं आदि के निर्माण में धन लगाते हैं उनको लगाई गई धनराशि तथा आवर्ती लागत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

6. ऐसे क्षेत्रों में वर्षा के पानी के लिए उपयुक्त आकार के हौजों का बड़ी संख्या में निर्माण किया जाना चाहिए ताकि सिंचाई के लिए उनका उपयोग हो सके।

7. सरकार को, विशेषकर सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, निर्माण कार्य हाथ में लेने चाहिए।

8. कमजोर वर्गों के लिए रोजगार की व्यवस्था द्वारा क्रय शक्ति का सृजन करना ताकि वे अपनी खाद्य सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी कर सकें।

9. सरकार को कपड़ा मिलों के लिए और लाइसेंस नहीं जारी किये जायें, और खादी तथा हथकरघे का विकास किया जाए। इसी प्रकार साबुन बनाने, टाइल बनाने, चमड़ा तैयार करने, कागज बनाने आदि जैसे कृषि पर आधारित उद्योगों का भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जाए ताकि रोजगार के अवसर मिल सकें।

10. पशुपालन तथा डेरी उद्योग के कार्यकलापों का विस्तार आदिवासी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी किया जाए।

11. फसल बीमे की योजना को, जो राज्य के कुछ जिलों में कपास तथा मूंगफली की फसलों के लिए लागू है, अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रीमियम की दरें "न लाभ, न हानि" के आधार पर निर्धारित की जायें।

(ग) से (ङ) खेडूत मण्डल सर्वोदय आश्रम के ज्ञापन में उठाई गई बातों का सम्बन्ध कई अन्य मंत्रालयों से भी है जैसे उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा सांख्यिकी विभाग। जहां तक आश्रम द्वारा उठाये गये प्रमुख मदों का सम्बन्ध है, विभिन्न फसलों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित करने और विभिन्न कृषि फसलों के लिए खेती की लागत आदि पर सरकार विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग के विचारणीय विषयों में उपयुक्त परिवर्तन लाने के लिए पहले से ही विचार किया जा रहा है। उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितियों के तहत प्रमुख कृषि जिन्सों के उत्पादन की लागत का आकलन करने के लिए अपनाई गई प्रणाली में बेहतरी लाने के लिए डा० एस० आर० सेन की अध्यक्षता में एक

समिति भी गठित की गई है। इस ज्ञापन की प्रतियां विभिन्न अधिकारियों को विचार एवं आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेजी जा रही हैं। ज्ञापन में दिये गये विभिन्न सुझावों और मांगों के बारे में कोई लिखित उत्तर नहीं भेजा गया है।

जूनागढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना

10622. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ शहर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में हिन्दी समाज, जूनागढ़ ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री को अक्तूबर, 1978 में दो बार तथा 25 अक्तूबर, 1978 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा अधिकारी को तथा 4 दिसम्बर, 1978 को सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली को अनुरोध के साथ लिखा था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं और जूनागढ में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में हिन्दी समाज को कब तक मंजूरी दी जायेगी; और

(घ) क्या जूनागढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (घ) केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों/बैंक कर्मचारियों आदि की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जूनागढ में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिये हिन्दी समाज, जूनागढ़ से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सामान्यत: ऐसे प्रस्ताव को भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाने की आवश्यकता होती है। समाज के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की कथित रूप से सिफारिश की गई है परन्तु यह प्राप्त नहीं हुई। तथापि, समाज से प्राप्त राज्य सरकार के पत्र की प्रतिलिपि से प्रतीत होता हैं कि राज्य सरकार ने उस प्रस्ताव को केवल अग्रेषित ही किया है और सुविधाएं (जैसे कि नि:शुल्क भूमि, जब तक संगठन उक्त भूमि पर स्कूल के भवन का निर्माण नहीं कर लेता तब तक स्कूल चलाने के लिए आवास) उपलब्ध कराने के लिए सहमति नहीं दी है और केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने के लिए ये सुविधाएं प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा पूर्व अपेक्षा के रूप में उपलब्ध कराना आवश्यक है। अत: वर्तमान रूप में उस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। फिर भी, प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से सम्बन्धित सूचना भेजने का अनुराध किया गया है। राज्य सरकार के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय विद्यालय मुख्यत: स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए होते हैं।

मोती भानपरी, जूनागढ़ के उप डाकघर और तारघर खोले जाने के लिए मांग

10623 **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र प्रदेश (गुजरात) में जूनागढ़ जिले के विश्वादार तालुका में मोती मानपुरी गांव की व्यापारी एसोसिएशन द्वारा महाडाकपाल, अहमदाबाद और डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक को अक्तूबर, 1978 में कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मोती मानपरी गांव में उप डाकघर और तारघर खोलने की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या कहा गया हैं और उसमें किस प्रकार की मांग की गई है;

(ग) इस गांव में डाकघर और तारघर खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उनके कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) सौराष्ट्र क्षेत्र (गुजरात) में जूनागढ़ जिले के विश्वादार तालुका में मोती मानपुरी के व्यापारी संघ के प्रधान से दो अभ्यावेदन डाक महाध्यक्ष को क्रमशः नवम्बर, 78 तथा मार्च, 79 में प्राप्त हुए थे ।

(ख) अभ्यावेदन में यह कहा गया था कि यद्यपि उस गांव की 7,000 से अधिक आबादी है, फिर भी, ग्रामवासियों को विभागीय उप डाकघर/तारघर के अधिकार से वंचित रखा गया है । अतः एक पूर्ण उप डाकघर तथा तारघर की मांग की गई थी ।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव की जांच से पता चला कि मोती मानपुरी के शाखा डाकघर का मौजूदा कार्यभार 5 घंटे से भी कम था। अतः विभागीय मानदंडों के अनुसार शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाए जाने का औचित्य सिद्ध नहीं होता । 1971 की जनगणना के अनुसार वहां की आबादी 4,300 थी न कि 7,000 इस प्रस्ताव की नए सिरे से जांच की जा रही है। स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर को खोलने के मामले की जांच मंडल इंजीनियर, तार, जूनागढ़ कर रहे हैं । मोती मानपुरी गांव में तारघर की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

चीनी नियन्त्रण हटाये जाने के परिणामस्वरूप हानि उठाने वाले चीनी कारखानों को छूट तथा वित्तीय सहायता

10624. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में चीनी से नियन्त्रण हटाये जाने के परिणामस्वरूप चीनी कारखानों को किस प्रकार की छूट तथा वित्तीय सहायता दी गयी है; और

(ख) क्या उस समय राज्य में रुग्ण और कमजोर चीनी कारखानों को हुये घाटे के लिए हरियाणा सरकार ने राजसहायता मंजूर की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) हालांकि यह सच है कि विनियंत्रण के तुरन्त बाद चीनी के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति आयी थी लेकिन इस प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है और मूल्यों में स्थिरता आयी है । अतः फिलहाल सामान्य रूप से किसी प्रकार की रियायत देने की कोई तुरन्त आवश्यकता नहीं है । तथापि, सामान्यतया चीनी उद्योग

को सक्षमता प्रदान करने के हितों में, हाल ही में सरकार द्वारा कुछेक उपाय किए गए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, उद्योग को इस प्रकार की कोई राजसहायता नहीं दी जा रही है लेकिन राज्य सरकार ने इस वर्ष अपनी निधि से राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों और न्यूनतम सांविधिक मूल्य के बीच के अन्तर के बराबर अतिरिक्त भुगतान कर गन्ना उत्पादकों को राजसहायता देने का निर्णय किया है।

विवरण

चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(I) **स्टाक रखने पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना** : पिछले बचे भारी स्टाक को रखने से सम्बन्धित भार से निजाद दिलाने में चीनी मिलों की मदद करने की दृष्टि से, लाइसेंसशुदा चीनी व्यापारियों द्वारा स्टाक रखने से सम्बन्धित लगे सभी प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है ।

(II) **टैरिफ मूल्य और उत्पादन शुल्क का निर्धारण** : क्रमिक अवस्थाओं में चीनी पर उत्पादन शुल्क को कम किया गया है। चीनी के टैरिफ मूल्य को भी अगस्त, 1978 के 215 रु० से घटाकर 1-2-1979 से 180 रु० कर दिया गया है, तथापि, इसे 1-4-79 से पुनः बढ़ाकर 200/-रु० कर दिया गया है।

(III) **निर्यात कोटा और निर्यात** : गत वर्ष की भांति इस वर्ष के दौरान भी अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत भारत के 6·5 लाख मी० टन के पूरे कोटे का निर्यात करने का निर्णय किया गया है।

(Iv) **नये यूनिटों और ऊंची लागत के विस्तारों के लिए रियायतें** : बिक्री नियन्त्रण के बाद परिवर्तित परिस्थितियों की दृष्टि में नयी स्थापित फक्ट्रियों और ऊंची लागत पर स्थापित किए गए विस्तार प्रोजेक्टों को प्रोत्साहन देने की योजना का संशोधन करने हेतु नियुक्त किए गए अन्तर मन्त्रालयीय ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वह विचाराधीन है।

(V) **ऋण सुविधाएं** : बैंकिंग क्षेत्र से कहा गया है कि वे विशेषकर गन्ने के बकायों का पूर्ण भुगतान करवाने और उपकरणों की मरम्मत करवाने के लिए प्रति फैक्ट्री को 25 लाख रु० तक साफ नकद ऋण देने की व्यवस्था करें।

(VI) **शीरे का निर्यात** : सरकार ने निर्यात नियन्त्रण (आदेश), 1977 में संशोधन कर शीरे का निर्यात करने की नीति में संशोधन कर दिया है जिसके फलस्वरूप शीरे के निर्यात को ओ० जी० एल०-3 के अधीन कर दिया गया है। आशा है कि इस संशोधित नीति का लाभ चीनी फैक्ट्रियों को पहुँचेगा क्योंकि अधिक मात्रा में शीरे का निर्यात किया जा सकता है।

(VII) **बफर स्टाक का निर्माण** : चीनी का बफर स्टाक तैयार करने के बारे में सिद्धान्त रूप में निर्णय कर लिया गया है और इसके तौर तरीके विचाराधीन है ।

(VIII) **गुड का निर्यात** : गुड़ की मंडी को समर्थन प्रदान करने के लिए एक उपाय के रूप में सरकार ने दिसम्बर, 1978 से इस वस्तु में वायदा व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर

दी और इसके अलावा 10 रु० प्रति क्विंटल की नकद राज-सहायता देकर और बिना किन्हीं कोटा प्रतिबन्धों के गुड़ का मुक्त निर्यात करने की भी अनुमति प्रदान की गई हैं।

(IX) **राज्य सरकारों को ऋण** : राज्य की सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों के बारे में गन्ने के बकायों का पूर्ण भुगतान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 20 करोड़ रु० का ऋण भी दिया गया है।

ग्रामीण भारत में कुओं को खुदाई

10625. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल हेतु कुओं की खुदाई के लिए वर्ष 1979-80 के दौरान सरकारों के लिए सरकार का विचार कितनी राशि का अनुदान निर्धारित करने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान से निष्पादित योजनाओं में बोर वाले कुओं और नलकूपों के साथ-साथ पाइपों द्वारा जल सप्लाई के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था करना है। इसमें कुए खोद कर पेय जल पूर्ति के लिए व्यवस्था करना नहीं है क्योंकि इसे सुरक्षित और स्थायी स्रोत नहीं समझा जाता है। वर्ष 1979-80 के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 करोड़ रुपये के प्रावधान में से, विशेषतया बोर वाले कुओं अथवा नलकूपों के लिए निर्धारित किए जाने के लिए कोई निधि प्रस्तावित नहीं की गई है यद्यपि भारत सरकार ने नलों द्वारा जल पूर्ति को प्राथमिकता देने में एक कम लागत के समाधान के रूप में जहां आवश्यक हो, बोर वाले कुओं/नलकूपों की योजनाओं की सदा सिफारिश की है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिक शहरों में सीधी डायल सेवा प्रणाली

10626. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चालू वर्ष के दौरान और अधिक शहरों में सीधी डायल सेवा प्रणाली आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधा कितने शहरों में दे दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) पच्चीस।

औद्योगिक काम्पलैक्स ओखला, दिल्ली में प्लाटों का आबंटन

10627. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और**

पुनर्वास मन्त्री औद्योगिक काम्पलैक्स ओखला दिल्ली में उद्योगों को स्थानान्तरित करने के बारे में 9 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6474 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्लाटों का आबंटन करते समय दिल्ली की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के मालिकों से अपने प्लाटों पर जाने को कहा गया था तथा क्या ऐसी कोई अवधि निर्धारित की गई थी जिसके अन्दर उन्हें उन प्लाटों पर जाना चाहिए था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि ऐसे औद्योगिक प्लाटों के मालिकों ने उन प्लाटों को किराये पर दे दिया है तथा इस प्रकार वे इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ढोरों की गणना

10628. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में ढोरों की कोई गणना की है अथवा ढोरों की कुल संख्या के बारे में कोई सांख्यिकीय अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो दुधारू ढोरों, विशेष रूप से गायों की संख्या कितनी है और दूध न देने वाले ढोरों, विशेष रूप से गायों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या दूध न देने वाली गायों को चारा खिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए भारत में कोई प्रबन्ध है और यदि हां, तो क्या वे प्रबन्ध पर्याप्त और सन्तोषजनक हैं;

(घ) क्या संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है, क्योंकि इन पशुओं की सुरक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी हां। अन्तिम पंचवर्षीय पशु संगणना 1977 में की गयी थी। आंकड़ों को मिलाया जा रहा है। तथापि सन् 1972 की संगणना के अनुसार दुधारू (3 वर्ष से अधिक आयु की प्रजनन योग्य मादाएं) तथा शुष्क पशुओं की संख्या क्रमश: 3.71 करोड़ और 3.76 करोड़ थी। इनमें से दुधारू तथा शुष्क गायों की संख्या क्रमश: 2.20 करोड़ और 2.63 करोड़ थी ।

(ग) अधिकांश पशु-स्वामी अपने शुष्क पशुओं की देखभाल कर सकते हैं बड़े शहरों में कुछ पशु-स्वामी अपने शुष्क पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। तथापि अत्यधिक कमी के मामलों को छोड़कर भूख के कारण कोई मौत नहीं होती। अत: शुष्क पशुओं की देखभाल करने के लिए आमतौर पर सरकार द्वारा कोई विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है ।

(घ) और (ङ) जी हां। छठी योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि गोशालाओं और गो सदनों आदि के लिए राज्य सरकारों द्वारा सहायता दी जानी चाहिए ताकि स्वामी-विहीन, बूढ़े और अपंग पशुओं की देखभाल करने के लिए इन संस्थाओं की क्षमता में सुधार किया जा सके।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के बारे में समन्वयकारी समिति

10629. **श्री रागावेलू कोलनथाइवेलू** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापक लघु सिंचाई कार्यक्रमों के कार्यान्वियन हेतु केन्द्र और राज्य स्तर पर समन्वयकारी समितियों की स्थापना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी समितियों के सदस्यों के नाम और कृत्य क्या हैं; और प्राप्त की गई अथवा प्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित ठोस उपलब्धियां क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) निम्नलिखित राज्यों द्वारा समन्वय समितियों की स्थापना की गई है :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. हिमाचल प्रदेश
4. कर्नाटक
5. केरल
6. मणिपुर
7. उड़ीसा
8. राजस्थान
9. उत्तर प्रदेश

निम्नलिखित राज्यों द्वारा शीघ्र ही इन समन्वय समितियों की स्थापना किये जाने की सम्भावना है :—

1. महाराष्ट्र
2. पंजाब
3. तमिलनाडु

शेष राज्यों से इन समितियों की स्थापना करने के बारे में सक्रिय रूप से अनुरोध किया जा रहा है। केन्द्र में लघु सिंचाई कार्यक्रम की कृषि विभाग के एक विशेष कक्ष द्वारा देख भाल की जा रही है।

(ख) राज्य सरकारों को सुझाये गये, समन्वय समितियों के गहन का विवरण विवरण में दे दिया गया है। समिति का कार्य लघु सिंचाई कार्यक्रम का समन्वय और देख-भाल करना और कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकित प्रगति का संकलन करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इन समितियों से कठिनाइयों को हल करने और राज्यों में लघु सिंचाई कार्यक्रमों में तेजी लाने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण

समन्वय समितियों में शामिल करने के वास्ते सुझाये गये सदस्यों की
प्रस्तावित सूची

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त	उपाध्यक्ष
3.	सचिव (कृषि)	सदस्य
4.	सचिव (सिंचाई)	,,
5.	सदस्य (विद्युत)	,,
6.	मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई)	,,
7.	कृषि निदेशक	,,
8.	अध्यक्ष राज्य बिजली बोर्ड	,,
9.	अध्यक्ष/राज्य नलकूप प्रबन्धक निदेशक/उठाऊ सिंचाई निगम, यदि कोई हो	,,
10.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	,,
11.	निदेशक, संस्थागत वित्त	,,
12.	अध्यक्ष/राज्य भूमि विकास बैंक का प्रबन्ध निदेशक	,,
13.	ए० आर० डी० सी० का स्थानीय प्रतिनिधि	,,
14.	केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का क्षेत्रीय निदेशक	,,
15.	राज्य भूमिगत जल निदेशक	,,
16.	एस० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी०, आई० आई० डी० पी० (जिनमें लघु सिंचाई एक घटक है) जैसी विशिष्ट परियोजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी	,,
17.	वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि	,,
18.	कक्ष के प्रभारी उप सचिव/संयुक्त सचिव	संयोजक

भोपाल में संगीत अकादमी की स्थापना

10630. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर, मध्य प्रदेश में भारतीय संगीत अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अकादमी के ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित अकादमी के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या अंशदान दिया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में एक हिन्दुस्तानी संगीत संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया था।

इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार करने के लिये संगीत-शास्त्रियों की एक समिति का गठन कर दिया गया है । इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर केन्द्रीय सरकार सहायता देने के सम्बन्ध में विचार करेगी।

मद्रास में सरकारी आवास

10631. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में "डी" तथा "ई" टाइप क्वार्टर कितने-कितने हैं;

(ख) उक्त प्रकार के क्वार्टरों के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या क्या हैं;

(ग) केवल मद्रास शहर में ही टाइप "डी" क्वार्टर लेना अनिवार्य क्यों रखा गया है; और

(घ) क्या अधिकारियों को ऐसे दबाव से बचाने के लिए सरकार कोई उपाय करना चाहेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मद्रास में सामान्यपूल में टाइप 'डी" के 272 तथा टाइप "ई" के 54 क्वार्टर उपलब्ध हैं ।

(ख) उन पात्र सरकारी कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है जिन्होंने इन टाइपों के आवंटन के लिये आवेदन दिये हैं :—

टाइप डी	254
टाइप ई	20

(ग) टाइप "डी" के आवंटन को स्वीकार करना बाध्य नहीं है परन्तु मद्रास में जो कर्म-कर्मचारी टाइप "डी" के लिये आवेदन नहीं देता है या टाइप "डी के मकान को वापस करता है, या टाइप "डी" आवास का आवंटन स्वीकार नहीं करता है, उस कर्मचारी को "आवास न होने का प्रमाण-पत्र" नहीं दिया जाता और इस प्रकार से वह मकान का किराया भत्ता नहीं ले सकता । अन्य जगहों पर भी ऐसे ही प्रतिबन्ध हैं जहां कि सामान्य पूल वास के टाइप विशेष में उपलब्ध मकानों की संख्या की तुलना में मांग अनुकूल नहीं है ।

(घ) सरकार का वर्तमान ढांचे को बदलने का प्रस्ताव नहीं है।

अनधिकृत बस्तियों के निवासियों से विकास शुल्क वसूल करना

10632 **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनधिकृत बस्तियों के निवासियों से विकास शुल्क वसूल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सभी बस्तियों के नियमित किये जाने की मांग की गई है और ऐसी बस्तियों के नियमित करने के लिये, उनके निवासियों को कुछ आवास दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनसे किसी प्रकार का विकास शुल्क लिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) विकास प्रभार उन अनधिकृत कालोनियों के निवासियों से एकत्र किये जा रहे हैं जिन्हें सरकार की घोषित नीति के अनुसार नियमित किया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिसम्बर, 1978 में आयोजित अखिल भारत सिंधी साहित्य सम्मेलन की मांग

10633. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को उल्हासनगर (महाराष्ट्र) में दिसम्बर, 1978 में आयोजित 14वें अखिल भारतीय सिंधी साहित्य सम्मेलन का एक मांग-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें की गई प्रत्येक मांग के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

महाराष्ट्र के लिये पुनरीक्षित बहुक्षेत्रीय परियोजना

10634. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिला थाना (महाराष्ट्र) के कल्याण थाना और भिवंडी उप-क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत पुनरीक्षित बहु-क्षेत्रीय परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा उक्त पुनरीक्षित परियोजना कब प्रस्तुत की गई है; और

(ग) भारत सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) संशोधित प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) संशोधित परियोजना रिपोर्ट फरवरी, 1979 में प्राप्त हुई थी।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

संशोधित परियोजना रिपोर्ट में छ: नगर परिषदों अर्थात कल्याण, डोम्बीविली, अम्बरनाथ, उल्हास नगर, थाना, भिवंडी (गांवों को छोडकर) में कल्याण थाना भिवंडी में उप क्षेत्रों के विकास की व्यवस्था है। प्रस्तावित बहु क्षेत्रीय परियोजना में नगर विकास क्षेत्र शामिल हैं जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

1. क्षेत्र विकास परियोजना
2. स्थल तथा सेवाएं

3. गन्दी बस्ती सुधार
4. लघु औद्योगिक सम्पदा
5. रोजगार के लिये प्रशिक्षण
6. जलपूर्ति तथा मल-निर्यास
7. एकीकृत नगर बस सेवा
8. रोड नेट वर्क
9. स्टेशन क्षेत्र सुधार
10. यातायात प्रबन्ध योजना
11. ग्रस्पताल

परियोजना की कुछ ग्रनुमानित लागत लगभग 10700 लाख रुपये है। इसमें से राज्य सरकार का ग्रंशदान तथा नगरपालिकाओं, हुडकों ग्रादि जैसे अन्य ग्रभिकरणों द्वारा जुटाये गये साधनों के 5065 लाख रुपये हो जाने की संभावना है।

मैसर्स प्लेनेट्स लिमिटेड

10635. **श्री वेदव्रत बरुग्रा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्लेनेट्स लिमिटेड नामक एक उद्यम एक ऐसी वास्तुशिल्पी फर्म है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मान्यता प्रदान कर रखी है;

(ख) क्या सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान ग्रायोग को पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस फर्म की गतिविधियों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या शिकायतें मिली हैं तथा उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं। विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग न तो वास्तुकारों को मान्यता देता है और न सीधे उनसे कोई लेन-देन करता है। ग्रायोग द्वारा जिन विश्वविद्यालयों अथवा कालेजों की भवन परियोजनाएं स्वीकार की जाती हैं, उन्हीं के द्वारा वास्तुकार नियुक्त किए जाते हैं।

(ख) ग्रौर (ग) सरकार ग्रथवा विश्वविद्यालय अनुदान ग्रायोग को मैसर्स प्लेनेट्स (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण समिति के उस वर्ष मार्च-ग्रप्रैल में, गोहाटी विश्वविद्यालय के दौरे के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा समिति को यह सूचित किया गया था कि भवन में कुछ खराब निर्माण करने के कारण ठेकेदार मैसर्स ए० एल० नायर एण्ड कम्पनी तथा वास्तुकार, मैसर्स प्लेनेट्स (प्राइवेट) लिमिटेड का, 1966 में पूरे किए गए विश्वविद्यालय के भौतिकी भवन के विस्तार के काम से संबंधित ग्रन्तिम बिल का भुगतान नहीं किया जा सका।

वेस्टर्न कोर्ट होस्टल इमारत की खराब हालत

10636. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास तथा पूर्ति ग्रौर पुनर्वास**

मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली में वेस्टर्न कोर्ट की वर्तमान इमारत (संसद सदस्यों का होस्टल) में हाल में कुछ ऐसे घातक तथा निश्चित रूप से खतरनाक अवसर आए जिनमें छतों का पलस्तर गिर गया और छत एवं अन्य दीवारों पर से शिलाएं गिर गई जिसके कारण संसद सदस्यों सहित वहां रहने वालों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इमारत की मरम्मत एवं सुधार के लिए क्या तत्काल उपचारी कदम उठाए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) हाल ही में वेस्टर्न कोर्ट की छत से पलस्तर के छोटे-छोटे टुकड़े गिरने की कुछ घटनायें हुई हैं।

(ख) वेस्टर्न कोर्ट होस्टल 1920-21 में बनाया गया था। समय के साथ-साथ आर० एस० कड़ी के नीचे की छत का पलस्तर की अपनी पकड़ समाप्त हो गई है तथा वह पपड़ी के रूप में गिर रहा है। 1-4-1979 को कमरा नं० 48 जो कि माननीय सांसद (श्री पी० जी० मावलंकर) के दखल में है, आर० एस० कड़ी के नीचे का छत का पलस्तर गिर गया। घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को कोई चोट नहीं आई।

(ग) कड़ी के नीचे तथा कड़ी के खुले स्थान के पलस्तर को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

अपशिष्ट पदार्थों से अलकोहल

10637. **मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में बसे एक भारतीय वैज्ञानिक ने अपशिष्ट पदार्थों से अलकोहल बनाने हेतु अपना विशेषज्ञ परामर्श देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस अलकोहल को तरल ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्। सरकार को एक अमरीका में बसे हुए भारतीय विज्ञानी, डा० एच० एस० सराव की कृषि अपशिष्ट से अलकोहल के निर्माण के संबंध में की गयी मौखिक पेशकश और विशेष परामर्श की जानकारी है। उन्होंने यह प्रस्ताव मार्च, 1979 में नयी दिल्ली में हाल में आयोजित मक्का के उपयोग, संसाधन और विपणन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में दिया।

(ख) इस अलकोहल का उपयोग कुछ हद तक तरल ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। ईथानोल और पैट्रोल को 20:80 के अनुपात में प्रयोग किया जा सकता है।

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ का गन्ने के रस से ईथानोल बनाने और फार्म इंजनों के लिए इसे पैट्रोल में मिलाकर प्रयोग करने का एक तदर्थ अनुसंधान प्रायोजना का प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विचाराधीन है। पैट्रोल की कीमतें बढ़ने से, इंजन चलाने के लिए पैट्रोल-ईथानोल के मिश्रण का व्यापक स्तर पर उत्पादन एक मितव्ययी संभावना हो सकती है। ब्राजील पैट्रोल में 40% ईथानोल प्रयोग करने के लिए मशहूर है और अमेरिका में भी कुछ क्षेत्रों में मिश्रित पैट्रोल को गैसोहोल के नाम से शुरू किया गया है। गत विश्व युद्ध के दौरान भारत में भी पैट्रोल में पावर अलकोहल मिलाने का अभ्यास किया गया था। यह प्रौद्योगिकी अनुभूत और जानीमानी है और मिश्रित ईंधन के प्रयोग के लिए इंजनों में मामूली सी तबदीली करनी पड़ेगी।

(ग) सरकार को औपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अतः स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

नई दिल्ली नगरपालिका के सिविल इन्जीनियरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की सम्पत्ति

10638. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय**
डा० महादीपक सिंह शाक्य
श्री लाला जी भाई
श्री सत्यदेव सिंह : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बताया है कि नई दिल्ली नगर पालिका के सिविल इंजीनियरी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की सम्मति उनके ज्ञात आय स्रोतों के अनुपात में नहीं हैं और उन्होंने उपयुक्त विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) उस अधिकारी के विरुद्ध नई दिल्ली नगर पालिका ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

"काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिकों का शोषण किया जाना

10639. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि कुछ राज्यों में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रमों का ठीक प्रकार क्रियान्वयन नहीं

किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) छोटे अधिकारियों द्वारा श्रमिकों का शोषण न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास क्या उचित व्यवस्था है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) एक अथवा दो समाचारों सहित कुछ छुटफुट रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह सूचित किया गया है कि कुछ राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का कार्यान्वियन ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। तथापि कुल मिलाकर यह सच नहीं है, और वास्तव में इस कार्यक्रम का ग्रामीण लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा है।

(ग) राज्य तथा जिला स्तरों दोनों पर संचालन समितियां गठित की गई हैं जिससे कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का सही कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जा सके और यह देखा जा सके कि ग्रामीण बेरोजगार तथा अल्प रोजगार व्यक्तियों, जो इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करते हैं, को कम से कम न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो।

लड़कियों की शिक्षा की निगरानी के लिए अध्ययन दल

10640. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने लड़कियों की शिक्षा की निकट से निगरानी के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जो प्रगति में विषमता बता सके;

(ख) क्या योजना आयोग ने देश में लड़कियों की शिक्षा के लिये अधिक धन आबंटित करने के बारे में कोई सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना 1978—83 में लड़कियों के विशेष कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग ने लड़कियों की शिक्षा हेतु कोई अलग आबंटन नहीं किया है। क्योंकि गैर-दाखिल बच्चों में लड़कियों का अनुपात पर्याप्त है। अतः प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिए प्रस्तावित प्रावधान अधिकतर उनकी शिक्षा के लिए प्रयोग किया जायेगा। लड़कियों की शिक्षा के लिये निधियों की स्पष्ट मात्रा निर्धारित करना कठिन है।

सौर-शक्ति चालित सिंचाई पम्प

10641. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19-4-79 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 19-4-1979 को बोट क्लब के मैदान में सौर शक्ति-चालित सिंचाई पम्प का प्रदर्शन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पम्प का ब्यौरा क्या है जिसका डिजाइन अमरीकी फर्म द्वारा तैयार किया गया है और जो एक भारतीय फर्म के साथ सहयोग द्वारा इसे हमारे देश में बनाने की आशा रखती है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार को सौर शक्ति चालित सिंचाई पम्प के दि० 18-4-1979 से 20-4-1979 तक बोट क्लब के मैदान में हुए प्रदर्शन की जानकारी है जिसकी रिपोर्ट दि० 19-4-1979 में 'टाइम्स आफ इण्डिया' तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित हुई थी। यह प्रदर्शन कृषि राज्य मन्त्री और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने देखा था।

इस प्रदर्शन का आयोजन मैसर्स आई० डी० एल० कैमिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा किया गया था जिन्होंने बताया कि इस पम्पिंग यूनिट के बारे में एक विस्तृत विपणन अनुसंधान भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद ने की है। इसकी सम्भाव्यता के बारे में एक रिपोर्ट सोलार इलैक्ट्रिक इंटरनेशनल, वाशिंगटन, अमेरिका के डा० एस० वी० एलीसन और श्री आर० डब्ल्यू० मैटलिन ने भी तैयार की है जो इन प्रयासों में उनके सहयोगी हैं। उन्होंने सूचना दी कि उन्होंने नमूने के तौर पर छः यूनिटों का आयात किया है जिनको भुवनेश्वर और हैदराबाद में प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शन के बाद पता चला है कि एक यूनिट जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को परीक्षण हेतु दी गई है।

(ख) मैसर्स आई० डी० एल० कैमिकल्स, नई दिल्ली द्वारा बताये गये मैसर्स सौलार इलैक्ट्रिकल इन्टरनेशनल, वाशिंगटन, अमेरिका द्वारा तैयार किये पम्पिंग यूनिट के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

सौर शक्ति चालित माइक्रोपम्प छोटे किसानों के उपयोग के लिए है। सी० ई० आई०-15 सौर पम्प रबी में दो एकड़ तथा खरीफ में 4 एकड़ भूमि को सींचने के लिए बनाया गया है। यह उन इलाकों के लिये उपयुक्त है जहां भूजल सामान्यतया ऊपरीसतह से 5 मीटर तक पाया जाता है। इस यूनिट में सिलिका सौलर सैलों का 2 वर्ग मीटर का व्यूह होता है जो पम्प चलाने के लिये सीधा सूर्य की रोशनी को बिजली में बदल देता है। यह एक घंटे में 3½ मीटर की ऊंचाई तक 10 से 12 हजार लिटर पानी उठा सकता है।

बताया जाता है कि इन यूनिटों की कुछ रख-रखाव तथा लागत सम्बन्धी समस्याएं हैं। अनुमान है कि यदि एक बार में 10,000 यूनिट बनायी जायें तो प्रति यूनिट की लागत 9,500 रुपये होगी। अधिक निर्माण और प्रौद्योगिक सुधार से लगभग 1985 तक कीमत के 5,000 रुपये तक गिर जाने की सम्भावना है।

भारत में किया गया कार्य

एक 120 वाट (0.15 हार्सपावर) का पानी का पम्प, जिसमें सौलर सैल पेनल का उपयोग किया गया है, दो वर्षों से अधिक समय से सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद में चल रहा है। इसकी कार्य प्रणाली का प्रदर्शन प्रमुख बैठकों में किया गया है जैसे कि जनवरी, 1978 में अन्तर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा कांग्रेस, में और समय-समय पर प्रदर्शनियों में। इस पम्प पर आंकड़े

लगातार एकत्रित किये जा रहे हैं।

हालांकि इन सौर विधियों की लाभप्रदता की सम्भावना के प्रदर्शन आमतौर पर छोटे पैमाने पर तो किये गये हैं किन्तु लम्बी अवधि तक प्रयोग और रख-रखाव की लागत के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

हाल ही में, योजना आयोग ने विज्ञापन और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से, दूर-दराज के भारतीय गांवों में सौर पम्प के व्यापक स्तर पर उपयोग की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंकड़े प्राप्त करने हेतु एक वर्ष से दो वर्ष की अवधि से भी अधिक समय के लिए सामूदायिक पीने के पानी की सप्लाई और सिंचाई के लिये सौर जल पम्प के विस्तृत क्षेत्र परीक्षण के कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है। फिलहाल, यह कार्य प्रगति पर है।

मसूरी में पेड़ों का काटा जाना

10642. **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्वाददाताओं के दल द्वारा मसूरी की यात्रा करने के बाद इस आशय के समाचारों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और चूने के पत्थर और राक फास्फेट आदि के लिए खुदाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये परियोजनाएं केन्द्र द्वारा स्वीकृत हैं जो इस प्रकार के पेड़ों की प्रक्रियागत कटाई में राज्य परियोजनाओं में भागीदार हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सारी हरी वनस्पति से पर्वतों को वंचित करने और पारिस्थितिक समस्याओं को रोकने के लिए राज्य सरकार को दिये जा रहे अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। परन्तु इस बात की जानकारी है कि मसूरी की पहाड़ियों में चूने तथा राक फास्फेट की खुदाई के लिए कई पट्टे दिए गये हैं। ये पट्टेदार अपने पट्टे के क्षेत्रों में उत्खनन करते समय पेड़ों को काट रहे हैं।

(ख) इन क्षेत्रों में पेड़ों की योजनाबद्ध तरीके से काटने के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत अथवा केन्द्र की साझेदारी में ऐसी कोई परियोजनाएं नहीं हैं।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को वन कटाई के ऐसे मामलों की स्वीकृति देने से पूर्व प्रत्येक मामलों की बारीकी से जांच करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर लिए हैं।

पशुओं के लिए रोग मुक्त क्षेत्र

10643. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दक्षिण क्षेत्र में पशुओं के लिए एक रोगमुक्त क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के दल की सिफारिशों के अनुसार छठी योजना के पशु पालन तथा डेरी विकास से सम्बन्धित दल ने रोगमुक्त क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया था। इस कार्यकारी दल ने इसे छठीं योजना में शामिल करने की सिफारिश की। प्रस्ताव में क्षेत्रों के समुद्र तथा नदियों जैसे प्राकृतिक अवरोधकों का लाभ उठाते हुए प्रारम्भ में केरल और तमिलनाडु के 18 जिलों में बड़े पैमाने पर टीके लगाकर महामारी और खुरपका तथा मुंहपका जैसे प्रमुख पशु व्यापक रोगों का उन्मूलन करना शामिल है। पशुओं के लाने ले जाने पर नियन्त्रण लगाने के लिए नियन्त्रण चौकियों की स्थापना करके तथा क्षेत्र के अन्दर रोग की कारगर निगरानी द्वारा रोग के पुन: संक्रमण की रोकथाम करने का प्रस्ताव है।

बच्चों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी एजेंसियां

10644. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण विभाग ने बच्चों को कल्याण सेवायें प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को 1978 79 में लगभग 200 लाख रुपये मंजूर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो धन प्राप्त करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक एजेंसी की पृथक-पृथक राशि कितनी हैं;

(ग) उपरोक्त वितरण के परिणाम-स्वरूप बच्चों को कितना लाभ पहुंचा और क्या इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया तथा उसे सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा किये गये कल्याण तथा विकास कार्यों से जम्मू तथा कश्मीर राज्य में कितने बच्चों को लाभ पहुंचा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न

10645. **श्री जी० एम० बनातवाला**
श्री विजय मंडल : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल को आश्वासन दिया है कि खाद्यान्नों के कम-से-कम 110 रैक प्रतिमाह वहां भेजे जायेंगे;

(ख) जनवरी, 1979 से अप्रैल, 1979 की अवधि के दौरान, महीनेवार, पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों के कितने रैक भेजे गये थे; और

(ग) क्या केन्दीय सरकार ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पश्चिमी

बंगाल को खाद्यान्न भेजने के लिए रेलवे द्वारा स्वीकार किए गए संचलन सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 से 4.5 रेक्स प्रतिदिन के हिसाब से खाद्यान्न भेजने थे और इसकी सूचना पश्चिमी बंगाल सरकार को 30 जनवरी, 1979 को दे दी गई थी।

(ख) जनवरी से अप्रैल, 1979 की अवधि के दौरान, पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों के 313.5 रेक भेजे गए थे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

जनवरी, 1979	70.5 रेक
फरवरी, 1979	93.5 ,,
मार्च, 1979	68.0 ,,
अप्रैल, 1979	81.5 ,,

(ग) सचलन कार्यक्रम का कार्यान्वियन हमेशा रेलवे में समय-समय पर चल रही परिचालन सम्बन्धी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न भेजने से सम्बन्धित संचलन कार्यक्रम का रेलवे द्वारा यथा सम्भव कार्यान्वियन किया गया है/किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन

10646. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और उनके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि में किन राज्यों ने अधिक योगदान दिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1974-75 के दौरान कृषि उत्पादन का अखिल भारतीय सूचकांक 108.8 था जो बढ़कर 1977-78 के दौरान 132.7 हो गया (आधार : 1969-70 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष=100) इस प्रकार लगभग 22.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। जिनमें सिंचाई का विस्तार करना दोहरी तथा बहु खेती पद्धति के माध्यम से फसल की बुवाई के क्षेत्र व पैदावार में वृद्धि करना शामिल है। उत्पादिकता में वृद्धि करने के लिए किये जा रहे उपायों में समस्या उन्मुखी अनुसंधान को तेज करना, अच्छी किस्मों के बीजों का उत्पादन और वितरण करना, उर्वरक और खाद का अधिक और सतुलित प्रयोग करना, वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना, कमान क्षेत्र का विकास करना, आदानों की सप्लाई संस्थागत ऋण, भण्डारण, विपणन, परि-संस्करण, विस्तार और प्रशिक्षण आदि के लिये संसाधनों का सृजन करना शामिल है।

(ख) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1974-75 से 1077-78 तक की अवधि में खाद्यान्नों के उत्पादन को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। 1974-75 के स्तर की तुलना में 1977-78 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 257.8 लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई। वृद्धि में बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का अधिक योगदान रहा है।

विवरण

1974-75 से 1977-88 तक कुल खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान

(000 मीटरी टन)

राज्य/संघ क्षेत्र	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78 (अन्तिम)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	9085.9	9428.1	7475.8	8570.0
असम	2114.9	2411.0	2255.4	2424.9
बिहार	8250.9	9177.1	9183.8	9863.9
गुजरात	2152.7	4519.8	4027.8	3873.4
हरियाणा	3339.3	5040.0	5250.9	5362.5
हिमाचल प्रदेश	1053.9	1128.6	932.6	929.3
जम्मू और कश्मीर	1009.2	1007.0	933.8	1041.0
कर्नाटक	6393.6	7083 3	4705.7	7110.1
केरल	1355.7	1386.3	1276.8	1294.1
मध्य प्रदेश	10020.4	12000.6	9575.7	12,115.9
महाराष्ट्र	7784.0	9103 0	9696.5	10,456.0
मणिपुर	300.5	303.1	286.4	321.1
मेघालय	124.3	135.3	142.5	148.2
नागालैंड	60.5	88.6	93.5	97.4
उड़ीसा	3970.6	5569.9	4075.4	5372.4
पंजाब	7957.7	8827.4	9197.6	10,663.0
राजस्थान	4977.5	7735.3	7490.3	7153.4
तमिलनाडु	4797.2	7183.2	6336.3	8088.7
त्रिपुरा	328 5	373.1	352.8	384.6
उत्तर प्रदेश	16453.6	19,477.1	19,908.5	20,826.7
पश्चिम बंगाल	7866.0	8592.7	7453.8	8993.4
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	18.1	15.7	11.8	11.3
अरुणाचल प्रदेश	79.0	91.6	95.7	107.9
दादर और नगर हवेली	13.4	18.2	20.5	21.1
दिल्ली	120.3	119.6	145.3	145.3
गोवा दमन और दीव	78.0	91.3	95.6	97.5
मिजोरम	45.0	44.9	63.2	63.2
पांडिचेरी	75.5	82.5	82.8	68.2
अखिल भारत	99,826.2	121,034.3	111,166.8	125,604.5

राष्ट्रीय नगरीकरण नीति

10647. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय नगरीकरण नीति की मुख्य बातें क्या हैं और समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में नीति को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : नगरीकरण की राष्ट्रीय नीति को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। योजना आयोग द्वारा बनाया गया नगर विकास पर कार्यकारी ग्रुप उनको भेजे गये विचारार्थ विषय के अन्तर्गत राष्ट्रीय नगरीकरण की नीति तथा नगर विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है।

शिक्षा पर राष्ट्रीय गोष्ठी

10648. **श्री निहार लास्कर**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री हरि राम मक्कासर गोदारा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष 60 प्रतिशत बच्चों के स्कूल छोड़ जाने से उत्पन्न समस्या और विभिन्न राज्यों में उपलब्ध अवसरों में असमानता के बारे में बातचीत करने के लिये 19 अप्रैल, 1979 को नई दिल्ली में शिक्षा के बारे में दो दिन की राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो अन्य किन विषयों पर बातचीत हुई;

(ग) क्या कोई सिफारिश की गई है;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह गोष्ठी शिक्षा मन्त्री ने आयोजित की थी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी नहीं। शिक्षा पर सेमिनार नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष पर एक राष्ट्रीय सेमिनार नई दिल्ली में 19-20 अप्रैल, 1979 को आयोजित किया गया था। इसमें न केवल बीच में स्कूल छोड़ देने की समस्या पर विचार विमर्श किया गया बल्कि स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, समाज कल्याण और विधि, संसाधन जुटाने और जन संचार के व्यापक विषयों पर भी विचार किया गया।

(ग) और (घ) जी हां, सेमिनार द्वारा स्थापित पांच विषयों के पांच कार्य दलों की सिफारिशों का एक विवरण संलग्न है।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 4473/79]

(ङ) यह सेमिनार शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय लोक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान जोकि भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है के सहयोग से आयोजित किया गया था।

छोटे किसानों के लिए कृषि उपकरण

10649. **श्री निहार लास्कर**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान छोटे किसानों को कृषि उपकरण सप्लाई करने पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार ने अभी तक ऐसा किया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य से राज्यों को ऋण देने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों को ऋण दिये गये हैं; और

(ङ) कितने राज्यों ने ऋण मांगे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) छोटे तथा सीमांत कृषकों के बीच उन्नत कृषि-उपकरणों का प्रसार करने के कार्य में तेजी लाने की जरूरत को समझते हुए केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए गत वर्ष केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में एक विशेष योजना प्रारम्भ की। इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, लघु कृषक विकास एजेन्सी के नमूने पर प्रादर्शनों के लिए स्वीकृत उपकरणों की खरीद तथा छोटे और सीमांत कृषकों द्वारा ऐसे उपकरणों की खरीद पर राज-सहायता देने के लिए सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती थी। यह योजना केन्द्रीय सरकार के लघु कृषक विकास एजेन्सी तथा अन्य चालू क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अलावा है, जिनके तहत भी छोटे तथा सीमांत कृषकों को स्वीकृत कृषि उपकरणों की खरीद के लिए राज-सहायता दी जाती है। हालांकि लघु कृषक विकास एजेंसी तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली राज-सहायता चालू वर्ष के दौरान भी जारी रहेगी, तथापि गत वर्ष प्रारम्भ की गयी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

(ख) गत वर्ष चालू की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत दी जाने वाली सहायता का असम, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र ने लाभ उठाया है।

(ग) से (ङ) इस समय इस उद्देश्य के लिए राज्यों को ऋण देने की किसी योजना के बारे में केन्द्र सरकार विचार नहीं कर रही है। तदनुसार किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे ऋण मांगने या उनको दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रचार डिवीजन के प्रसार निदेशालय में हिन्दी भाषा में कार्य हेतु पद

10650. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रचार डिवीजन के प्रसार निदेशालय में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं के सम्पादकों,

सहायक सम्पादकों, सह-सम्पादकों और सूचना सहायकों के अलग-अलग पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या हिन्दी भाषा के लिए उपर्युक्त पदों की संख्या अंग्रेजी भाषा की तुलना में कम है जबकि हिन्दी में निकाले जाने वाली पत्रिकाओं और साहित्य की मांग अंग्रेजी में निकाले जाने वाली पत्रिकाओं और साहित्य की तुलना में अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो हिन्दी भाषा के कम पद होने के क्या कारण हैं और क्या हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम अंग्रेजी भाषा के पदों के बराबर की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विस्तार निदेशालय में अंग्रेजी के कार्य के लिए सम्पादकों, सह-सम्पादकों तथा सूचना सहायकों के कुल 13 पद तथा हिन्दी के कार्य के लिए 5 पद हैं।

(ख) और (ग) अंग्रेजी की सामग्री सभी राज्यों को उपलब्ध करानी होती है, जबकि हिन्दी प्रकाशनों की आवश्यकता केवल हिन्दी भाषी राज्यों के लिए होती है। पदों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की गई है।

विस्तार निदेशालय में उप-सम्पादकों की पदोन्नति

10651. **श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्तार निदेशालय के प्रचार प्रभाग में काम कर रहे अंग्रेजी भाषा के उप-सम्पादकों को पदोन्नति के क्या-क्या अवसर दिये गये हैं;

(ख) क्या अंग्रेजी भाषा के चार उप-सम्पादकों तथा क्षेत्रीय भाषाओं के चार उप-सम्पादकों पर सहायक सम्पादक का केवल एक पद है और उप-सम्पादक सामान्यतया सहायक सम्पादक के पद पर कितने समय तक पदोन्नत कर दिये जाते हैं और क्या सभी उप-सम्पादकों की उनकी सेवा-निवृत्ति से पहले पदोन्नति कर दी जाती है; और

(ग) उप-सम्पादकों के लिये पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है;

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्तमान भर्ती नियमों में अंग्रेजी भाषा के उप-सम्पादकों को अंग्रेजी भाषा के सहायक सम्पादक के पद पर पदोन्नति करने की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) विस्तार निदेशालय में सहायक सम्पादक के दो पद (अंग्रेजी और हिन्दी प्रत्येक का एक एक पद), हिन्दी भाषा के उप-सम्पादक का एक पद, अंग्रेजी भाषा के उप-सम्पादकों के चार पद और क्षेत्रीय भाषाओं के उप-सम्पादकों के चार पद हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में उप-सम्पादकों के लिए पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। उप-सम्पादकों की पदोन्नति के लिए लिया जाने वाला समय उच्च संवर्ग में रिक्त पदों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय अनुदान

10652. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष 1978-79 में गांवों में सड़कों के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि की मंजूरी दी है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनुदान की राशि का अब तक उपयोग नहीं किया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1978-79 के दौरान ग्रामीण सड़कों के लिए राज्यों को कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी थी। 1977-78 के दौरान शुरू की गई केन्द्रीय योजना बन्द कर दी गई थी क्योंकि संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान किए गये थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के लिए तार और खम्भों की कमी

10653. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र चालू करने के लिए नई लाइनें बिछाने हेतु तार और खम्भों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों को अपेक्षित तार और खम्भे आबंटित करेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) देश में कच्चे माल के कुछ आवश्यक मदों जैसे स्टोर आदि की कम सप्लाई के कारण कुछ ऐसे मदों की सामान्य कमी है।

(ख) देश के सभी दूरसंचार सर्किलों को उपलब्धता के अनुसार आंध्र सहित आवश्यक माल का उत्तरोत्तर आबंटन किया जा रहा है।

शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों का पता लगाया जाना

10654. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रसार के बारे में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने ऐसे राज्यों का पता लगाया है;

(ग) इन राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक तथा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने इन आठ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिये कार्य किया; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक तथा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का विचार इन पिछड़े

राज्यों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए 'फील्ड आफिसरों' को सुदृढ़ बनाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : जी, नहीं; केवल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों का पता लगाने के लिये ही नहीं, बल्कि एक निश्चित समयावधि के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने का एक व्यावहारिक कार्यक्रम तैयार करने हेतु एक कार्य दल का गठन किया गया था जिसने फरवरी, 1978 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इससे पता लगाया है कि गैर दाखिला प्राप्त बच्चों का 74 प्रतिशत आठ राज्यों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं ।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व-व्यापक बनाने में मदद करने हेतु अनेक नए शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया है । इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(i) 9-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु आवश्यकता पर आधारित शिक्षण सामग्रियों के "माडयूल्ज" का निर्माण;

(ii) आठ राज्यों में से छः (अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़िसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में यूनिसेफ की सहायता से दो परियोजनाओं (अर्थात प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण तथा सामुदायिक शिक्षा और सहभोगिता में विकास कार्यकलाप, के कार्यान्वयन में शामिल होना;

(iii) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 'न्यूनतम शिक्षण के कान्टीनम' को विकसित करना तथा स्थानीय आवश्यकताओं और बच्चों की जीवनस्थितियों के अनुसार शिक्षण को अधिक लचीला बनाना ।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा हरियाणा द्वारा दी गई गन्ने की कीमत

10655. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा हरियाणा राज्य सरकारें गन्ना उत्पादकों को भुगतान कर रही हैं; और

(ख) गत वर्ष प्रति क्विंटल दी गयी वास्तविक कीमत तथा इस वर्ष सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम कीमत के बीच अन्तर कितना है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) पता चला है कि इन राज्य सरकारों ने अपनी निधि से गन्ना उत्पादकों को राजसहायता देने का निर्णय किया है जोकि पिछले वर्ष के मूल्य और चालू वर्ष के लिए निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य के

अन्तर के बराबर अतिरिक्त भुगतान करने के रूप में होगा। यह अन्तर 2·50 रुपये से 3·50 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है ।

आंध्र प्रदेश राज्य को गृह निर्माण के लिए "हुडकों" द्वारा ऋण

10656. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हुड़कों" गांवों में मकान निर्माण के लिये ऋण की व्यवस्था कर रहा है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए ऋण देने के बारे में "हुड़कों" से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वह ऋण दे रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

बाढ़ प्रभावित पश्चिम बंगाल को बैलों तथा भैंसों की सप्लाई के लिए सहायता

10657. **डा० विजय मण्डल**
श्री शंकर सिंह जी वाघेला
श्री चिमन भाई एच० शुक्ल : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष पश्चिम बंगाल में विनाशकारी बाढ़ों से 16 जिलों में 10 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) प्रत्येक बाढ़ प्रभावित जिले में कितने पशुओं की हानि हुई;

(ग) क्या उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को राज सहायता दरों पर बैलों और भैंसों की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने उपरोक्त उल्लिखित सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को कहा है और यदि हां, तो उस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1978 के दौरान नौ जिले तथा सफलता शहर बाढ़ से प्रभावित हुए थे;

(ख) राज्य सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से मरे पशुओं की संख्या नीचे दी गई है :—

जिला	मृत पशुओं की संख्या
मिदनापुर	23,500
हुगली	52,910

जिला	मृत पशुओं की संख्या
बर्दवान	80,044
बीरभूम	25,000
मुर्शिदाबाद	12
नादिया	8,500
बांकुरा	9,000
24 परगना	2,379
योग	2,01,345

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) जी नहीं ।

लीबिया में आरम्भ किए गए काम के लिए एजेंसी कमीशन

10658. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या निर्माण **और** आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 7 अप्रैल, 1979 के "ब्लिट्ज" (अंग्रेजी) में पृष्ठ 7 पर प्रकाशित समाचार में बताई गई बातों की जानकारी है जो भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण द्वारा लीबिया में आरम्भ किए गए कार्यों के लिए एजेंसी कमीशन के रूप में लाखों रुपयों के कथित भुगतान के बारे में है; और

(ख) क्या इस बारे में कोई कार्रवाई की गई है और यदि नहीं तो क्यों ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्नों का आयात और निर्यात

10659. **श्री एस० एस० सोमानी**
श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किए गए खाद्यान्नों के आयात और निर्यात का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम स्टाक में खाद्यान्नों का मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्यान्नों का आयात कब तक बन्द कर दिया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) (I) जून, 1976 से आगे विदेशों से अनाजों की खरीदारी बन्द कर दी गई थी। तथापि, जून, 1976 से पहले किए गए आयात सम्बन्धी प्रबन्ध के प्रति 1977-78 में सहायता के रूप में गेहूँ की

कुछ मात्रा प्राप्त हुई थी । 1978-79 के दौरान, अनाजों का कोई आयात नहीं हुआ है और मौजूदा संकेतों के अनुसार, निकट भविष्य में अनाजों का कोई आयात किए जाने की सम्भावना नहीं मालूम पड़ती है । वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान आयात की गयी मात्राओं के मदवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(हजार मीटरी टन में)

1976-77	गेहूँ	4819.1
	चावल	145.8
1977-78	गेहूँ	178.6

(II) क्योंकि दालों के उत्पादन में अपेक्षित स्तर तक वृद्धि नहीं हुई है इसलिए विदेशों से दालों की कुछ मात्राओं का आयात करना आवश्यक हो गया है । 1977-78 के दौरान, भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) के माध्यम से 10 हजार मीटरी टन दालों का आयात किया गया था । पहली अप्रैल, 1978 से दालों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है और 1978-79 के दौरान दालों के कुल आयात के बारे में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(III) दालों के निर्यात पर रोक लगी रहेगी । बासमती चावल को छोड़कर कोई अन्य खाद्यान्न निर्यात के प्रयोजन के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं रखा गया है । तथापि. सहकारी खाते में, गेहूं, गेहूं के आटे और चावल की कुछ मात्राओं के निर्यात की अनुमति दी गई है जोकि अंशत: 1973-74 के दौरान सोवियत संघ से उधार में प्राप्त गेहूं की शेष मात्रा के बदले में है और अंशत: पड़ोसी मित्र देशों की मौजूदा कठिन खाद्य स्थिति से निपटने में उनकी सहायता करने के लिए है । 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान निर्यात किए गए अनाजों के ब्यौरे बताने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण—1)

(ख) एक विवरण संलग्न है (विवरण) जिसमें 1-4-1977, 1-4-1978 और 1-4-1979 को भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध मदवार खाद्यान्नों के स्टाक के बारे में बताया गया है।

विवरण—I

1976-77, 1977-78, और 1978-79 के दौरान निर्यात किए गए अनाजों के ब्यौरे को बताने वाला विवरण

(मात्रा हजार मी० टन में)

	1976-77	1977-78	1978-79
गेहूं	—	485.4	727.5
गेहूं का आटा	—	8.1	50.8
चावल	—	40.5	11.9

विवरण—2

भारतीय खाद्य निगम के पास 1-4-1977, 1-4-1978 और 1-4-1779 को
मदवार खाद्यान्नों का स्टाक बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार मी० टन में)

जिन्स	1-4-77 को	1-4-78 को	1-4-79 को
गेहूं	9700.9	7273.1	5142.6
चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)	5358.1	5891.6	8893.2
मोटे अनाज	392.0	17.8	16.2
जोड़	15451.0	13182.5	14052.0

रेगिस्तान विकास बोर्ड

10660. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1959 से 1969 के दशक के पूर्वार्द्ध में रेगिस्तान विकास बोर्ड स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या यह अभी भी चल रहा है;

(ग) इसके कर्तव्य, कृत्य और शक्तियां क्या-क्या थी और क्या-क्या हैं;

(घ) क्या बोर्ड द्वारा अब तक किये गये कार्य को दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ङ) इस समय इसके सदस्य और कार्मिक कौन-कौन हैं; और

(च) बोर्ड के कार्य के सम्बन्ध में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (च) देश के मरुभूमि इलाकों की ओर पर्याप्त ध्यान देने हेतु मरु भूमि विकास बोर्ड की स्थापना सर्वप्रथम जून, 1966 में केन्द्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में की गई थी। बोर्ड का अक्तूबर, 1971 में पुनर्गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के भूतपूर्व राज्य मन्त्री थे। बोर्ड का कार्य केन्द्रीय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को मरु-भूमि इलाकों के विकास के बारे में राय देना तथा देश के मरु-भूमि इलाकों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की देख रेख तथा पुनरीक्षा करना था। सचिव, भारत सरकार, कृषि विभाग, उपाध्यक्ष थे। श्री अमृत नहाटा, संसद् सदस्य, लोक सभा, श्री मोहम्मद उस्मान, संसद् सदस्य, राज्य सभा, श्री गोलाभाई पटेल, अध्यक्ष, जिला पंचायत बनसकंठा, पालनपुर तथा कैप्टन, श्री कंवल, जिला रोहतक गैर-सरकारी

सदस्य थे। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात की राज्य सरकारों, योजना आयोग, वित्त मन्त्रालय प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि तथा मरु-भूमि विकास कार्यक्रम के प्रभारी संयुक्त सचिव, कृषि विभाग सरकारी सदस्य थे। उप-सचिव, कृषि विभाग, भारत सरकार सदस्य-सचिव थे। बोर्ड की चार बैठकें, 25 जनवरी, 1968, 15 मई, 1968, 10 जनवरी, 1972, 19 सितम्बर, 1972 को हुई तथा लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, वनरोपण, घास के मैदान तथा चारागाह विकास आदि के क्षेत्रों में 197'32 लाख रुपये की लागत की योजनाएं अनुमोदित की गई थी। यह कार्यक्रम हरियाणा में मोहिन्दरगढ़ गुजरात में बनसकंठा तथा राजस्थान में बाड़मेर तथा जैसलमेर के चार जिलों में कार्यान्वित किया गया था। 1969-70 से 1973-74 की अवधि के दौरान 183.38 लाख रुपए का व्यय सूचित किया गया था।

भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान इज्जत नगर में पक्षियों का बेचा जाना

10661. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर "जापानी क्वैल" नाम से जानी जाने वाली परियोजना पर काम कर रहा है;

(ख) क्या कठोर प्रतिबन्ध होने के बावजूद अनेक जीवित पक्षी, संस्थान के कुछ कर्मचारियों द्वारा चोरी छिपे स्थानीय बाजार में बेच दिये गये थे;

(ग) क्या उक्त मामले में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) इस मामले की जांच की जा रही है।

भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद् का पुस्तकालय और प्रलेखन केन्द्र

10662. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान दिनांक 13 अप्रैल, 1979 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मंत्रालय की जांच समिति द्वारा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के पुस्तकालय और प्रलेखन केन्द्र की जांच के परिणामस्वरूप लाखों रुपयों के दुर्विनियोग का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय द्वारा कोई जांच समिति गठित नहीं की गई। तथापि, भारतीय ऐतिहासिक अनु-

संधान परिषद् ने मामले की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए मुसलमानों का समर्थन

10663. **श्री एस० एस० सोमानी : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विख्यात मुसलमान राजनैतिक नेताओं अथवा पर्याप्त मुसलमान जनसंख्या वाले राज्यों के कुछ राजनैतिक नेताओं ने भी गोहत्या पर प्रतिबन्ध का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नेताओं के नाम क्या हैं और वे किन-किन राज्यों के हैं तथा केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) सरकार के पास गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की कोई सूची नहीं है, तथापि स्थिति यह है कि जम्मू व कश्मीर राज्य में (जहां मुसलमानों की संख्या काफी अधिक है) गोहत्या पर प्रतिबन्ध है।

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976

10664. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन नगरीय क्षेत्रों, जिन्हें भूमि की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए, कृषि भूमि की अनुकूलता, छूट की कसौटी, भूमि के वितरण के सिद्धान्त, खाली भूमि अथवा निर्मित सम्पत्ति के अन्तरण और प्रक्रिया के सरलीकरण के बारे में नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने के बारे में कुछ राज्य सरकारों द्वारा दिये गये सुझावों पर निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत सरकार संशोधन पर विचार करने से पहले अधिनियम के उपबन्धों को अनेक याचिकाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में दी गई चुनौतियों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का इन्तजार कर रही है।

आबादी, कृषि और वनों के अन्तर्गत भूमि

10665. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी भूमि में आबादी है;

(ख) कृषि के लिये कितनी भूमि प्रयोग में लायी जा रही है;

(ग) 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में वनों को काट कर कुल कितनी भूमि को कृषि भूमि बनाई गयी; और

(घ) इसी अवधि में वन भूमि को कृषि भूमि बनाने पर कुल कितना व्यय हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भूमि संबन्धी आंकड़े नौ प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार एकत्र किये जाते हैं। 'आबादी वाली भूमि' के बारे में कोई पृथक वर्गीकरण नहीं है। तथापि एक वर्गीकरण "गैर-कृषि उपयोग के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" सम्बन्धित है जिसमें वह सभी भूमि शामिल है जो मकानों, सड़कों और रेलों की पटरी, नदियों, नहरों तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग के लिए रखी गयी है। 1975-76 की स्थिति के अनुसार देश की लगभग 173.9 लाख हैक्टार भूमि गैर कृषि उपयोग के अन्तर्गत है।

(ख) 1975-76 तक की नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार कृषिगत (बुवाई व मौजूदा परती भूमि) का क्षेत्र 1547.5 लाख हैक्टार है।

(ग) कृषि विभाग में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) ऐसी सूचना इकट्ठी करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह परिवर्तन पूर्णतः प्राइवेट लाभानुभोगियों द्वारा स्वयं किया जाता है।

मन्सा मंडी (पंजाब) में टेलीफोनों के मीटर लगाना

10666. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्सा मन्डी (पंजाब) के प्रयोक्ताओं ने उस एक्सचेंज में टेलीफोनों के मीटर लगाने के विरुद्ध कोई विरोध प्रकट किया है;

(ख) क्या प्रयोक्ताओं के मासिक बिल मीटर लगाये जाने से पहले की तुलना में दुगने हो गए हैं और;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथासमय शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पशु चिकित्सालयों की स्थापना

10667. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पशु चिकित्सालयों की स्थापना के लिए हाल ही में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि किस राज्य में विभिन्न रोगों के कारण पशुओं की मृत्यु दर सबसे अधिक है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मध्यावधि योजना तथा वार्षिक योजना तैयार करने के लिए पशुपालन सम्बन्धी कार्यकारी दल ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों की जांच करके अन्य बातों के साथ-साथ नए पशु चिकित्सा अस्पताल स्थापित करने की सिफारिश की है ।

(ख) ऐसी संस्थाओं की संख्या के बारे में अन्तिम निर्णय योजना परिव्यय को अन्तित रूप देने के बारे में राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा।

(ग) यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तथापि कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई सूचना के अनुसार छूत के प्रमुख रोगों के कारण गोपशुओं (जिसमें भैंसे भी शामिल हैं) की मृत्यु की अधिकतम संख्या 1978 के दौरान (एक लाख पशुजातियों में से होने वाली मृत्यु के रूप में) संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम में और उसके बाद कर्नाटक राज्य में रिकार्ड की गई थी।

दिल्ली में संसद सदस्यों के टेलीफोनों का खराब रहना

10668. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली में संसद सदस्यों के घरों पर अनेक टेलीफोन प्रायः खराब रहते हैं, जिससे उन्हें भारी सुविधा होती है; और

(ख) यदि हां तो स्थिति में प्रभावी ढग से और अविलम्ब असुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी नहीं, संसद सदस्यों के घरों के नई दिल्ली के टेलीफोन प्रायः खराब नहीं रहते । फिर भी, सरकार द्वारा टेलीफोन सेवा को और सुचारु रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(i) संसद सदस्यों सहित महत्वपूर्ण टेलीफोन उपभोक्ताओं के टेलीफोन के दोषों के निवारण के लिए चल सुधार सेवा रात भर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यवस्था की गई है। इस सेवा का टेलीफोन नं० 343098 है ।

(ii) ट्रंक और विशेष सेवाओं के एक्सचेंज के साथ-साथ केन्द्रीय तारघर में उनकी ट्रंक कालों, विशेष सेवाओं और फोनोग्राम सेवाओं की शिकायतें सुनने के लिए विशेष टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं। ये टेलीफोन स्टाफ के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा परिचालित किए जाते हैं ।

(iii) उपरोक्त सेवाओं के टेलीफोन नम्बरों के साथ-साथ अनुरक्षण कार्यालय के आवासों और कार्यालयों के टेलीफोन नम्बरों के छपे सूचना कार्ड प्रत्येक संसद सदस्य को दे दिए गए हैं।

अहमदाबाद में डाक न बांटा जाना

10669. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन तक अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों में तथा समूचे अहमदाबाद शहर में डाक नहीं बांटी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) डाकियों की विभिन्न शिकायतें तथा मांगें क्या हैं; और

(घ) उन शिकायतों को तथा मांगों को किस प्रकार दूर किया गया तथा पूरा किया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) वितरण कर्मचारियों की उग्र-हड़ताल के कारण अहमदाबाद, जी० पी० ओ० नवरंगपुरा मुख्य डाकघर और नरनपुरा विस्तार उप डाकघर द्वारा 29 और 30 मार्च, 1979 और 7, 9 तथा 10 अप्रैल को भी डाक का वितरण नहीं किया गया :

(ख) (i) यह विवाद एक विद्यार्थी को मनीआर्डर के भुगतान के प्रश्न पर उसकी पहचान में कठिनाई के कारण हुआ । उनमें से एक विद्यार्थी ने पोस्टमेन को धमकाया और उसके साथ दुर्व्यहार किया ।

(ii) स्टाफ यह चाहता था कि डाक के भार का ध्यान किए बिना ही प्रत्येक पोस्टमैन को समान दर से कुली प्रभार का भुगतान किया जाए, जबकि इस समय 8 कि० ग्रा० के पहले स्लैब के लिए कुली प्रभार नहीं दिया जाता है ।

(ग) (i) प्रत्येक पोस्टमैन हेतु पुलिस सुरक्षा ।

(ii) हमले के मामलों की विभाग द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना और स्टाफ की ओर से उसके आगे की कार्यवाही करना ।

(iii) ढोई डाक के भार का ध्यान किए बिना कुली प्रभार का भुगतान जैसा कि (ख) (ii) में दिया गया है ।

(घ) (i) विभाग पहले ही एक विशेष मामले की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कर चुका था पुलिस अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि सिर्फ विशेष क्षेत्र में पोस्टमैन को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी । प्रत्येक पोस्टमैन को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ii) संघ की इच्छा पर पोस्टमास्टर जनरल गुजरात द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी यूनिटों को ऐसे अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि जब कभी भी सामान्य व्यक्ति और पोस्टमैन के बीच हुए झगड़े के मामले की खबर मिले तो सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए और पी० आर० आई०/निरीक्षक डाकघर इत्यादि द्वारा कोर्ट की कार्यवाहियों को देखने के लिए उपस्थित रह कर क्षुब्ध पोस्टमैन की सहायता की जाये ।

(iii) इसकी मंजूरी न दी जा सकी क्योंकि नियमों में ढोई गई डाक का बिना वजन किये कुली प्रभार भुगतान करने की व्यवस्था नहीं हैं ।

ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली में वाणिज्यिक इमारत समूह में निर्माणगत परिवर्तन

10670. **श्री के० लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्ट आफ कैलाश समुदाय केन्द्र वाणिज्यिक इमारत समूह में जमीन के कुछ मालिकों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर नक्शों का उल्लंघन करके तहखानों का निर्माण किया है और इसमे उनके लिए स्थायी आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कर्मचारी निर्माण की अवस्था में इसका पता कैसे नहीं लगा सके और क्या इस उल्लंघन के लिए जमीन के मालिकों को कोई नोटिस दिये गये थे; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ग) इमारत के नक्शे का इस प्रकार जानबूझकर किये गये उल्लंघन के लिए क्या दण्ड लगाया गया है अथवा लगाया जाना है; और

(घ) इनके नक्शों को किस प्रकार नियमित किया गया है और इमारत का निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र किस प्रकार दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि :—

(i) निर्माण कार्य के निरीक्षण करने का प्रश्न तभी होता है जब कभी उसका मालिक सफाई उप-नियमों में अपेक्षित फार्म "सी" तथा "डी" में आवेदन करता है ।

(ii) निर्माणाधीन इमारत का पूर्ण निरीक्षण तब किया जाता है जब उसका मालिक उसको तैयार घोषित करता है ।

(iii) अनुमोदित नक्शों का उल्लंघन करते हुए निचले फर्श का अधिक विस्तार जैसी असमानताओं को उनके मालिकों और कैलाश समाज सदन के मामले में भी उनके ध्यान में लाया गया है ।

(ग) भवन उप-नियमों के अनुसार निचले फर्श का अनुमेय सीमा से अधिक विस्तार को ठीक करना/गिराना पड़ेगा :

(घ) इन मामलों में ना तो नक्शों को नियमित किया गया है और ना ही कार्य समापन प्रमाण-पत्र जारी किया गया हैं ।

राष्ट्रीय भू-सर्वेक्षण और भू-उपयोग आलोचना ब्यूरों में श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों की नियुक्ति

10671. **श्री के० लकप्पा : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भू-सर्वेक्षण और भू-उपयोग आयोजना ब्यूरों में हाल ही के वर्षों में

स्थानीय रोजगार कार्यालय से सम्पर्क किये बिना श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978 और 1979 में इन श्रेणियों में कितने व्यक्तियों की, नियुक्तियां की गई और इनमें के कितने व्यक्तियों की उनकी नियमित नियुक्ति से पूर्व कुल समय के लिए नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में नियुक्ति की गई थी; और

(ग) रोजगार कार्यालयों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), से और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और जब भी संभव होगा, यह लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

सरकार द्वारा की गई खरीदों के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा पुनरीक्षण

10672. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा की गई खरीदों का पुनरीक्षण करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति ने किस तारीख को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) अनेक सिफारिशों के बारे में सिफारिश वार की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च शक्ति प्राप्त समिति में केन्द्रीय क्रय संगठन से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट का पहला भाग फरवरी, 1977 में प्रस्तुत किया था । सिफारिशों का सारांश विवरण के रूप में इसके साथ संलग्न है । समिति ने अपने रिपोर्ट के भाग 2 और 3 को भी अन्तिम रूप दे दिया है जो कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में क्रय से सम्बन्धित अपनाई गई नीति के सम्बन्ध में किया है । आशा है कि वे शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) रिपोर्ट के भाग 1 में सिफारिशों की स्वीकृति के बारे में स्थिति निम्न प्रकार हैं :—

(1) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें :—

1 (क), 1 (ख), 2 (क), 2 (ख), 3 (क), 3 (ख), 3 (ग), 4, 6 (आंशिक), 8, 9 (क), 9 (ख), 9 (ग), 9 (घ), 10 (क), 10 (ख), 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 (क), 19 (ख), 19 (ग), 19 (घ), 19 (ङ), 19 (च), 19 (छ) 21 (क), 24, 27, 28 (क), 28 (ख), 29, 31 (आंशिक), 33, 34 (क), 34 (ख) 35, 36 (क), 36 (ख), 38 (च), 38 (छ), 38 (ज), 38 (झ), 38 (ङ), 39 (क), 39 (ग), 40 (आंशिक), 42, 44 और 45

(2) सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार योग्य नहीं पाई गई :—

5, 21, (घ), 25, 26 और 30 और 38 (घ)

(3) सिफारिशें जिन पर विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है :—

2 (ग), 6 (अशंतः), 7, 13, 15, 19 (ज), 20, 21, (ख), 21, (ग), 22, 23, 31 (अशंतः), 38, (क), 32 (ख), 37, 38 (क), 38 (ख), 38 (ग), 39 (ख), 40 (अशंतः), 41 और 43

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 4474/79]

नई दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में पीने के पानी की व्यवस्था

10673. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के निवासियों ने पीने के पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने के लिए कई बार सरकार से अनुरोध किया है और अभ्यावेदन दिये हैं परन्तु अनधिकृत कालोनियों में पीने के पानी की सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1979-80 में अनधिकृत कालोनियों में पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वन सम्पदा की घटना

10674. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन सम्पदा निरन्तर घटती जा रही है और यदि हां, तो क्या सरकार वन सम्पदा के घटने की प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार कर रही है; और

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान "वन महोत्सव" पर सरकार का विचार कितनी राशि खर्च करने का है?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में लगभग 92.3 प्रतिशत वन भूमि की व्यवस्था नियमित कार्यकारी योजनाओं में निहित निर्देशों के अनुसार राज्य वन विभागों द्वारा की जाती है। वन भूमियों पर जैविक दबाव में वृद्धि होने के कारण राज्य वन विभागों के नियन्त्रण से बाहर वाले क्षेत्रों में वृक्षों की बड़े पैमाने पर अवैधानिक कटाई की गई है। इसके अलावा गत 25 वर्षों के दौरान लगभग 42 लाख हैक्टार वन भूमि को विभिन्न प्रकार के अल्प वैकल्पिक प्रयोगों में लाया गया हैं।

देश की वन सम्पदा में वृद्धि करने के उद्देश्य से विकासयोजनाओं के तहत आने वाले कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य क्षेत्रों में रोपण कार्यक्रमों तथा अन्य प्रकार के

पुनर्जनन कार्यों के जरिए बेकार भूमियों, पंचायत की भूमियों तथा उजड़े वनों वाले क्षेत्रों में वन-रोपण तथा पुनरोपण करना है ।

(ख) भारत सरकार "वन महोत्सव" पर कोई खर्च नहीं कर रही है ।

संग्रहालय विकास योजना

10675. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों के लिए तैयार की गई संग्रहालय विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : संस्कृति विभाग द्वारा संचालित अन्य संग्रहालयों के पुनर्गठन और विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण, भवनों के मामूली विस्तार और मरम्मत, कला वस्तुओं और/अथवा कैमरों, पारापार चित्रदर्शियों (एपीडिया स्कोप) स्लाईड प्रोजेक्टरों, वातानुकूलन सयन्त्रों की खरीद तथा प्रकाशनों और संग्रहालयों की, प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों के विकास के लिए निजी तथा अर्ध-सरकारी संग्रहालयों को सहायक-अनुदान दिये जाते हैं।

महाराष्ट्र में करनाला में पक्षी विहार की स्थिति

10676. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्काटलैण्ड के विदेशी पर्यटक, प्राकृतिवादी और प्रसिद्ध जंगली जीव फ़ोटोग्राफर श्री डोनातट स्मिथ ने महाराष्ट्र में करनाला में पक्षी विहार की दयनीय स्थिति की समाचार पत्रों में आलोचना की है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस पर्यटन स्थल के सुधार और रखरखाव के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पक्षी विहार की प्रारम्भिक आवश्यकताओं पर विचार किया है और यदि हां, तो इसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने और इसकी स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार को इस प्रकार के समाचार की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उक्त (ख) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

उर्वरकों का उत्पादन एवं उनकी मांग

10677. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्बनिक और अकार्बनिक उर्वरकों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 1979 और 1980 में उपरोक्त प्रत्येक किस्म के उर्वरकों की मांग कितनी है; और

(ग) उर्वरकों, कम्पोस्ट आदि के देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) मोटे अनुमानों के अनुसार देश में 6600 लाख मीटरी टन कार्बनिक कम्पोस्ट का उत्पादन करने की क्षमता है।

43 लाख मीटरी टन पोषाहार अकार्बनिक उर्वरकों के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता मौजूद है।

(ख) कार्बनिक कम्पोस्ट अधिकांशतः अपने ही उपयोग के लिए स्वयं तैयार किया जाता है। देश में पैदा किए जाने वाले कुल कम्पोस्ट के केवल एक हिस्से का ही विपणन किया जाता है। सरकार शहरी तथा ग्रामीण व्यर्थ पदार्थों से कार्बनिक कम्पोस्ट बनाने की दिशा में अधिकाधिक प्रोत्साहन दे रही है, किन्तु कार्बनिक उर्वरकों की मांग के ऐसे कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए अकार्बनिक उर्वरकों की अनुमानित मांग क्रमशः 56·1 तथा 63·00 लाख मीटरी टन है।

(ग) सरकार ने कार्बनिक तथा अकार्बनिक उर्वरकों के देशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

कार्बनिक उर्वरक

गत कुछ वर्षों से स्थानीय खाद सम्बन्धी संसाधनों के विकास की एक समेकित योजना चल रही है। इसके अन्तर्गत यांत्रिक कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना करना, जैव गैस संयंत्रों को अधिष्ठापित करना, मलजल/कचरा उपयोग को कार्यान्वित करना, प्रदर्शन-एवं-प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना, ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों को पुरस्कार प्रदान करना, भूमिहीन श्रमिकों द्वारा कम्पोस्ट बनाना, हरी खाद के बीजों की रियायती दर पर बिक्री करना, आदि।

अकार्बनिक उर्वरक :

देश में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अनेक नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

गऊओं और दुधारू पशुओं के संरक्षण सम्बंधी कानून का क्रियान्वयन

10678. **श्री सी० के० चंद्रप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने अब तक गाय और अन्य दुधारु पशुओं के संरक्षण के बारे में कानून अपनाये हैं और ऐसे प्रत्येक कानून की मुख्य बाते क्या हैं;

(ख) क्या जिन राज्यों में इस प्रश्न के (क) भाग में उल्लिखित कानून हैं, वे उन कानूनों के क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त उपाय कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तथा (ग) भिन्न-भिन्न राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना सम्बन्धित राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

गोवध सम्बंधी संकल्प

10679. **श्री सी० के० चंद्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवध की समस्या के बारे में 12 अप्रैल, 1979 को लोक सभा में पारित गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प की सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारु और भारवाही पशुओं के वध निषेध के विषय को संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में एक बिल पेश करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) फिलहाल प्रश्न ही नहीं होता।

राज्यों में मद्यनिषेध

10680 **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मन्त्री राज्यों में मद्यनिषेध के बारे में 26 फरवरी, और 2 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या, क्रमश: 942 और 5638 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन राज्यों में किसी वर्ग के लोगों को मद्यनिषेध से पूर्णत: अथवा अशंत: छूट प्राप्त है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन वर्गों के लोगों को शराब खरीदने के लिये विशेष लाइसेंस दिये जाते हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा मद्यनिषेध को लागू करने के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों के लोगों के लिए परमिट पद्धति की व्यवस्था की गई है :—

(क) व्यसनी;

(ख) डाक्टरी चिकित्सा लेने वाले व्यक्ति;

(ग) अस्थायी विदेशी नागरिक;

(घ) आपातकालिक मामलों में औषधियों के रूप में प्रयोग;

(ङ) विशेषाधिकार वाले व्यक्ति, जैसे कि राज्यों के प्रधान, राजदूत, डिप्लोमेटिक उप-राजदूत इत्यादि;

(च) यहां रहने वाले विदेशी;

(छ) पर्यटक;

(ज) आदिवासी क्षेत्र जहां समारोहों पर शराब पीना संस्कृति का एक भाग है।

राज्य सरकारें इन वर्गों के व्यक्तियों को कानून के अधीन नियम बना कर लाइसेंस देने में सक्षम है।

6—14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन

10681. **श्री सरत कार** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982-83 तक 6—14 आयु वर्ग के 90 प्रतिशत बच्चों के स्कूलों में दाखिले का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छठी योजना में 90 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उन राज्यों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है जो इस सम्बन्ध में पीछे रह गये हैं और जिनमें 75 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में दाखिल नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां। योजना आयोग ने 1978-83 योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए 900 करोड़ रु० आबंटित किए हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। विशेष तौर पर आठ राज्यों के (अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के सम्बन्ध में नहीं जिनमें कुल मिलाकर गैर दाखिल बच्चों का 74 प्रतिशत है परन्तु प्राथमिक शिक्षा के वस्तुपरक कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए अत्यन्त अद्यतन आंकड़े एकत्र करने हेतु 30 सितम्बर, 1978 को एक संदर्भ तिथि के रूप में रखते हुए चौथे शैक्षिक सर्वेक्षण को शुरू कर दिया गया है।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था

10682. **श्री सरत कार** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में उन गांवों की जिलावार संख्या कितनी है जहां मार्च, 1979 तक पेय जल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में "गैसोहल" का आविष्कार

10683. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली ने "गैसोहल" नामक एक नई ईंधन का आविष्कार किया है जो सभी प्रकार की मोटरगाड़ियों में, उनके इंजनों में कोई फेर-बदल किये बिना, इस्तेमाल किया जा सकता है; और

(ख) उसके वाणिज्यिक उपयोग के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दहन इंजनों में एथोनोल गैसोलीन ब्लैंड के उपयोग से संबन्धित कार्य दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में चल रहा है। इस कार्य के आधार पर "अनकूलतम" ब्लैंड विकसित किया गया है। संस्थान ने आगे सूचित किया है कि विद्यमान मोटरों में किसी बड़े फेर-बदल परिवर्तन के बिना इस ब्लैंड का उपयोग किया जा सकता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

मंत्रालय में हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक के पद

10684. **श्री राम चरण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में और उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक ग्रेड 1 और 2 के कितने पद हैं;

(ख) उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं और इन श्रेणियों के कितने कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं;

(ग) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई कर्मचारी वहां काम नहीं कर रहा है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आरक्षण के आदेश वहां लागू होते हैं, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

व्यवसायरत कला समूहों को वित्तीय सहायता दिया जाना

10685. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यवसायरत कला समूहों को अपने कलाकारों के रख-रखाव के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं और वित्तीय सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें वार्षिक वित्तीय सहायता देने का भी सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) प्रत्येक वर्ष संस्कृति विभाग तथा संगीत नाटक अकादमी को व्यवसायरत कला समूहों से बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं।

इन आवेदन-पत्रों पर या तो संस्कृति विभाग या संगीत नाटक अकादमी की अनेक योजनाओं के अन्तर्गत विचार किया जाता है । इनमें से कुछ समूहों को एक विशेषज्ञ अनुदान समिति की सिफारशि पर अनुदान दिए जाते हैं ।

उन संस्थाओं के सम्बन्ध में जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान स्वीकृत नही किए जा सके सूचना संकलित करने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वह लगने वाले श्रम के अनुरूप नहीं होगा ।

(ग) तथा (घ) वे, जिन्हें किसी विशेष वर्ष में अनुदान नहीं मिला है, अगले वर्ष में पुनः आवेदन पत्र दे सकते हैं ।

फास्फेट उर्वरकों की बिक्री पर राज सहायता का दुरुपयोग

10686. **श्री० जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 के दौरान कुछ राज्यों में फास्फेट उर्वरकों की बिक्री के बारे में राजसहायता के दुर्विनियोग और दुरुपयोग के मामलों के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या राजसहायता के लाभ को सेल्समैन और सहकारिता अधिकारियों आदि ने बांट लिया था; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) भारत सरकार विभिन्न उर्वरक पोषाहारों का अधिक संतुलित प्रयोग सुनिश्चित करने तथा फास्फेटपूरक उर्वरकों की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से फास्फेटपूरक उर्वरकों पर देशी विनिर्माताओं को प्रत्यक्ष रूप से राज, सहायता दे रही है । सेलमैनों, सहकारी कर्मचारियों आदि द्वारा इस राजसहायता के गबन और दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं होता और ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

2. तथापि, पंजाब हरियाणा आदि कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में फास्फेटपूरक उर्वरकों की बिक्री पर राजसहायता का भुगतान किया था । इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में इस राजसहायता के गबन और दुरुपयोग की स्थिति निम्नलिखित है :—

(1) पंजाब

पंजाब सरकार को कुछ मामलों की सूचना मिली थी । राज्य सरकार ने पहली दृष्टि से अपराधी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए है और मामले की जांच करने के लिए एक समिति भी स्थापित की है । राज्य सरकार ने सम्बन्धित कर्मचारियों को निर्देश भी जारी कर दिये हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता का समुचित रूप से उपयोग किया जाता है तथा वह यथार्थ किसानों को ही दी जाती है ।

(2) हरियाणा

अभी तक राज्य सरकार को एक मामले की सूचना मिली है। इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत्त व्यक्तियों को मकानों का आबंटन

10687. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत श्रमिकों से 80 प्रतिशत लागत मूल्य की वसूली करके उनकी सेवा निवृत्ति के समय उन्हें मकानों का आबंटन करने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान निम्नलिखित अभिकरणों द्वारा बनाये जाते हैं :—

(1) राज्य सरकारें, सांविधिक आवास बोर्डों और स्थानीय निकाय,

(2) नियोक्ताओं, और

(3) औद्योगिक कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी समितियां।

राज्य सरकारों और उनके नामित अभिकरणों को उनके द्वारा बनाए गए मकानों को मौजूदा दखलकारों को बेचने की अनुमति देने के लिए फरवरी, 1978 में एक निर्णय लिया गया था। दूसरा निर्णय फरवरी, 1979 में लिया गया था। जिसमें सहकारी समितियों और नियोक्ताओं को जो मोजूदा दखलकारों को मकान बेचने के इच्छुक हैं अनुमति दी गई ये दोनों निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिए गए हैं। देय मूल्य वास्तविक लागत का 80 प्रतिशत होगा और किराया खरीद सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सहकारी समितियों द्वारा निर्मित मकानों के मामले में, सदस्यों द्वारा अदा की गई 10 प्रतिशत लागत को भी बिक्री मूल्य से निकाल दिया जाएगा। इन रियायतों के अन्तर्गत टैनामेंट बेचने से पहले, दखलकार को सभी किराया बकाया और अन्य देयों का भुगतान करना होगा। उसे खरीद की तारीख से 10 वर्षों के भीतर टैनामैंट दुबारा बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डेरी विकास के लिए विदेशी सहायता

10688. **श्री सौगत राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच से अधिक देशों ने अपने देशों में डेरी विकास के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आपरेशन फलड-2 योजना के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन आदि से लगभग 20 विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करना राष्ट्रीय हित में होगा;

(ग) क्या सरकार यह बात सुनिश्चित कराने के लिए तुरन्त कदम उठाएगी कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/भारतीय डेरी निगम के पास किसी भी विशेषज्ञ के लिए जो देश में पांच वर्ष से अधिक रह चुका हो, सरकार की सामान्य नीति के अनुसार, और कार्यावधि नहीं बढ़ाई जाएगी; और

(घ) क्या इस नीति और राष्ट्रीय स्वाभिमान और सुरक्षा के अनुसार सरकार यह बात सुनिश्चित कराएगी कि आनन्द में 10 वर्ष से ठहरे हुए खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों के लिए और जो वर्ष 1962 से आगे विशेषतया कार्यों के बारे में प्रेस समाचारों के सन्दर्भ में (ब्लिटिज, 27 जनवरी, 1979) संदेहास्पद स्थित में रहे हैं और कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आपरेशन फ्लड तथा सहकारी डेरी पद्धति 'अमूल' के अन्तर्गत भारत द्वारा प्राप्त सफलता को देखते हुए अनेक देशों में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार की परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए भारत से सहायता मांगी है।

(ख) आपरेशन फ्लड-2 को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए इस परियोजना में कृषक संगठन, बायो-इंजीनियरिंग, अनुवंशिकी के लिए कम्प्यूटर के उपयोग, डेरी डिजाइन इंजीनियरिंग आदि के संदर्भ में डेरी संयत्र प्रबन्ध के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का चयनात्मक एवं न्यूनतम उपयोग के लिए प्रावधान रखा गया है। ऐसे विशेषज्ञों के न्यूनतम उपयोग को नियंत्रित करने के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय ढंग से भर्ती किए गए विशेषज्ञों के साथ काफी स्वदेशी विशेषज्ञता का भी साथ-ही-साथ विकास हो सके। डेरी के क्षेत्र में हमसे कम विकसित देशों को तकनीकी विशेषज्ञता देने तथा हमसे अधिक विकसित देशों से परामर्श लेने तथा/अथवा सहायता देने के सम्बन्ध में भारत में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। निरन्तर ज्ञानवर्धन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

(ग) जी नहीं। कुछ विशेष मामलों में जहां सरकार को पूरा विश्वास हो कुछ ऐसे विदेशी विशेषज्ञों को देश में रहने दिया जाता है जिन्हें उन परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जिनके अन्तर्गत भारत में डेरी उद्योग प्रगति कर सकता है।

(घ) नीति इस प्रकार की है कि सभी विदेशी विशेषज्ञों के प्रतिस्थानी होने चाहिए ताकि उनकी दक्षता का विभिन्न स्थानों पर उपयोग हो सके। सरकार की नीति यह है कि जहां आवश्यक हो कम-से-कम विशेषज्ञ रोके जाएं तथा उन विशेषज्ञों को जाने दिया जाए जिनकी सेवा की महत्वपूर्ण अवधि समाप्त हो गई हो। आनन्द के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन 'क' में केवल एक ही विशेषज्ञ की स्वीकृति दी गई है। वह खाद्य एवं कृषि संगठन के दल के अध्यक्ष हैं तथा उनका नाम श्री माईकल हाल्से है। सरकार का विचार है कि उनकी सेवाएं अधिक समय के लिए जरूरी हैं तथा सरकार समाचार पत्र (साप्ताहिक ब्लिटज 27 जनवरी, 1979) में दिए गए विचारों से सहमत नहीं है। आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत आनन्द में खाद्य एवं कृषि संगठन के सभी

विदेशी विशेषज्ञों के कार्यकलापों के समन्वय आदिक के लिए तथा प्रशासनिक दृष्टि से दल के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता है। विदेशी विशेषज्ञों की परियोजनाओं के लिए प्राय: एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है जो यह सुनिश्चित करता है कि क्या विदेशी विशेषज्ञों का परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित ढंग से उपयोग किया जा रहा है। सरकार का विचार है कि भारतीय डेरी उद्योग के सम्बन्ध में श्री हाल्से अपनी योग्यता, अनुभव तथा ज्ञान की दृष्टि से दल के नेता के रूप में उपयुक्त हैं। विशेषकर आपरेशन फ्लड के सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों के बारे में उनकी जानकारी लाभप्रद है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने अनुरोध किया था कि उनका कार्य जारी रहना चाहिए। सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में कर्मचारी नियुक्त करने की पद्धति

10689. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद के प्रशासनिक स्टाफ कालेज से केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में कर्मचारी नियुक्त करने की पद्धति और भिन्न-भिन्न योजनाओं आदि से सम्बन्धित कार्य का अध्ययन करने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कालेज ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए हैदराबाद के प्रशासनिक स्टाफ कालेज को कितनी राशि अदा की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें हैं : भारतीय भाषाओं के एक आयोग• का गठन, हिन्दी भाषा योजना बोर्डों का सृजन, सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रसार, पारिभाषिक शब्दावली कार्यक्रमों से सुधार तथा क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने के लिए वातावरण का निर्माण। यह रिपोर्ट, जो कि एक विभागीय दस्तावेज है, सरकार के विचाराधीन है।

(घ) 90,000/-रुपये।

संसद सदस्यों को आबंटित बंगले

10690. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों को आबंटित बंगलों की संख्या और उनके नाम राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे जाते हैं;

(ख) क्या हाल में 40 अशोक रोड की संख्या और नाम केवल अंग्रेजी में लिखा गया है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर हां में है तो इस सम्बन्ध में कानूनी उपबन्धों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सामान्यतया केवल बंगलों के नम्बर अरेबिक अंकों में लिखता है। कुछ मामलों में सड़कों के नाम अंग्रेजी में भी लिखे गये हैं। अधिकांश मामलों में नाम नहीं लिखे गए हैं।

(ख) सड़क का नाम अंग्रेजी में 2-1-1979 को लिखा गया था। अब इसे हिन्दी में भी लिख दिया गया है।

(ग) यह गलती जानबूझकर नहीं की गई थी। इसे ठीक कर दिया गया है।

गुजरात में सहकारिताओं के माध्यम से फार्म उत्पादों का विपणन तथा परिस्करण

10691. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों ने मन्त्री महोदय को गुजरात राज्य द्वारा फार्म उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य तथा फार्म आदानों की उचित दरों के लिये कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) क्या सरकार का मूंगफली के तेल तथा रुई के विपणन एवं परिष्करण जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रयोग के माध्यम से गुजरात में डेरी उद्योग में सहकारिता आन्दोलन के विकास पर विचार करना चाहेगी; ताकि किसानों को उनके श्रम का लाभ मिल सके;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि सहकारिताओं द्वारा फार्म उत्पादों के विपणन तथा परिष्करण से बिचौलिये लुप्त हो जायेंगे जो कि आय का एक बहुत बड़ा भाग हड़प कर जाते हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), से (ग) कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के मामलों के बारे में विभिन्न एजेंसियों/व्यक्तियों से समय-समय पर अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। कृषि वस्तुओं के लाभकारी मूल्यों के विषय में हाल ही में उप-प्रधान मन्त्री एवं वित्त मन्त्री को सम्बोधित एक ज्ञापन अध्यक्ष, माल नालकंठा खेडत मण्डल, गुंधी, जिला अहमदाबाद, गुजरात से प्राप्त हुआ है। सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त होने चाहिए। सरकार विभिन्न उपायों द्वारा फार्म निवेशों के उचित मूल्यों को भी सुनिश्चित करना चाहती है। इस प्रकार के कई उपाय चालू वर्ष के बजट में घोषित किए जा चुके हैं।

यह भी एक स्वीकृत सिद्धान्त है कि सहकारी विपणन तणा प्रोसेसिंग से किसानों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित हो सके। सरकार राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से प्रोसेसिंग तथा विपणन के क्षेत्रों में सहकारी प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पास डेरी विकास के लिए इसके द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के आधार पर कुछ अन्य राज्यों के अलावा गुजरात में तिलहन विकास के लिए एक परियोजना है। 1975 में गुजरात राज्य सहकारी कपास विपणन परिसंघ की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि इसकी

सदस्य सहकारी सोसायटियों के माध्यम से सामान्य रूप में कपास की खेती तथा उसके प्रोसेसिंग तथा विशेष रूप से कपास के विपणन का विकास किया जाए।

भूमि, व्यापार अथवा रोजगार के बिना वाले परिवार

10692. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1979 तक देश में ऐसे परिवारों की संख्या क्या थी जिनके पास केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई कृषि भूमि, कोई व्यापार अथवा कोई रोजगार नहीं था तथा वर्ष 1978-79 के दौरान उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या थी;

(ख) दैनिक, मासिक तथा वार्षिक प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने का आधार क्या है तथा क्या प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करते समय उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित आय को भी ध्यान में रखा जाता है, और

(ग) उन भूमिहीन श्रमिकों के उत्थान के लिए पांचवीं, छठी योजनाओं के दौरान कितनी राशि निर्धारित की गई थी;

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 31 मार्च, 1979 को देश में ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई कृषि भूमि, कोई व्यापार अथवा कोई रोजगार नहीं था और उनकी आय से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन मूल उद्योग के राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार करता है। आंकड़ों की उपलब्धि के आधार पर या तो उत्पादन का दृष्टिकोण या आय का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अपनाई गई प्रणाली का ब्यौरा 1967 में प्रकाशित 1960-61 से 1964-65 तक के ब्रूशर आन रिवाइजड सीरीज आफ नेशनल प्रोडक्ट नामक केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के प्रकाशन में दी गयी है देश कीं कार्यशील कुल जन संख्या द्वारा अर्जित वार्षिक आय का अनुमान क्षेत्रों द्वारा लगाया जाता है। प्रश्न के भाग (क) में जिनकी आय का उल्लेख किया गया है उसमें उन प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रों की जिनमें वे लगे हुए हैं कुल आय शामिल है। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय राष्ट्रीय आय को अनुमानित आबादी से भाग दे के निकाली जाती है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति मासिक और दैनिक आय निकाली जा सकती है। तथापि, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन आबादी के विभिन्न भागों की आय के अनुमान तैयार नहीं करता है।

(ग) अपेक्षित जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है और यह यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पब्लिक स्कूलों द्वारा शुल्क वसूल किया जाना

10693. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पब्लिक स्कूलों द्वारा बच्चों से अग्रिम तिमाही शुल्क लिया जा रहा है;

(ख) क्या ये स्कूल प्रायः छात्रों से स्कूल इमारतों और अन्य प्रयोजनों के लिए तदर्थ आधार पर धनराशि ले लेते हैं;

(ग) क्या ये प्रभार बच्चों के माता/पिता को असुविधा में डाल देते हैं और समय-समय पर प्राधिकारियों द्वारा बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त किये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में इन स्कूलों द्वारा अपनाए जा रहे ऐसे कार्यों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुक्षेक पब्लिक स्कूल बच्चों से अग्रिम तिमाही शुल्क ले रहे हैं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ग) अभिभावक ऐसा भुगतान स्वेच्छा से करते हैं तथा इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) विद्यमान दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए विशेष रूप से अल्पसंख्यक द्वारा चलाए गए स्कूलों के मामले में कोई ठोस कार्यवाही करना संभव नहीं है तथा ऐसे स्कूल मान्यता प्राप्त है परन्तु सहायता प्राप्त नहीं हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दक्षिणी दिल्ली में सड़कों के धरातल को ऊंचा किया जाना

10694. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आनन्द निकेतन, शान्तिनिकेतन तथा नानकपुरा के तिराहे पर अनेक दुर्घटनाओं के हो जाने को देखते हुए राव तुलाराम मार्ग को दक्षिणी मोती बाग नानकपुरा, शान्तिनिकेतन, गली नं० 2 तथा आनन्द निकेतन के साथ जोड़ने वाली केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सड़क पर, गति रोधक (स्पीड ब्रेकर) बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या कुछ स्थानों पर इस सड़क का धरातल बहुत नीचा है जिसके कारण वर्षाऋतु में वहां गदला पानी इकट्ठा हो जाता है और उसमें मच्छर तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं; यदि हां, तो इस सड़क के धरातल को ऊंचा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आमतौर पर मुख्य सड़कों पर गतिरोधक नहीं बनाये जाते, गति सीमा वाले साइन बोर्ड सड़कों पर लगाये जाते हैं ।

इस सड़क पर भारी यातायात होने के कारण यातायात की गणना की गई है तथा सड़क को चौड़ा करने के प्रस्ताव पर भी कार्यवाही की जायेगी इसके अतिरिक्त सड़कों के मुख्य सड़क से मिलने वाले स्थानों पर सड़क से पहले "गति सीमा" तथा "सावधान" लिखे बोर्डों को लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) भारी वर्षा के दौरान आनन्द निकेतन के पास भूमि के छोटे से भाग में पानी जमा हो जाता है । पहले यह पानी निचली सतह के क्षेत्र से बह जाता था परन्तु अब यह रास्ता मकानों के बन जाने से बन्द हो गया है । पानी जमा होने की समस्या को हल करने की दृष्टि से सड़क के साथ नाली बनाने की कार्यवाही आरम्भ की जा रही है । सड़क को ऊंचा करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

त्रिपुरा तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में बायो गैस संयंत्र के बारे में लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 1991 के उत्तर का शुद्धि करने वाला विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : त्रिपुरा तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में बायो गैस संयंत्र के बारे में श्री सचीन्द्र लाल सिंघा तथा श्री एम० ए० हनान अलहाज द्वारा लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 1991 के उत्तर में 31 जुलाई, 1978 को एक विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया था कि 1976-77 के दौरान मणिपुर में 7 संयंत्र तथा मेघालय में 2 संयंत्र (1974-75 तथा 1976-77 के दौरान एक-एक) लगाए गए थे। मुझे पता चला है कि इस संबंध में वर्षवार वास्तविक स्थित निम्नलिखित है :

लगाये गए गोबर गैस संयंत्रों की संख्या

राज्य	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	योग
मणिपुर	5	2	शून्य	11	18
मेघालय	शून्य	2	शून्य	शून्य	2

विभिन्न वर्षों में लगाए गए गोबर गैस संयंत्रों की संख्या के बारे में प्रत्येक जिले में सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया में समय लगने के कारण इस विवरण को 7 दिन की निर्धारित समय-सीमा में ठीक नहीं किया जा सका।

वरिष्ठ एन० डी० इन्स्ट्रक्टरों के तबादले से सम्बन्धित श्री एस० एस० सौवानों संसद सदस्य द्वारा 30-4-1979 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 9177 के उत्तर का शुद्धि करने वाला विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि दिल्ली में वरिष्ठ ग्रेड-1 एन० डी० एस० अनुदेशकों के पदों पर कार्यरत 9 व्यक्तियों में से दो ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति मांग ली थी और उन्होंने सेवायुक्त होने के लाभ प्राप्त कर लिए थे, वरिष्ठ ग्रेड-1 के शेष सात एन० डी० एस० अनुदेशकों को अन्ततः दिल्ली प्रशासन द्वारा 1-11-1976 से उनके व्यक्तिक ग्रेडों में एन० डी० एस० अनुदेशकों के रूप में नियुक्त कर लिया गया।

2. यह अनजाने में हुई गलती का एक मामला प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी आगे जाँच करने पर यह पाया गया है कि वास्तविक स्थिति, जो कुछ उत्तर में कहा गया था, उससे थोड़ी सी भिन्न है। वास्तविक स्थिति यह है कि वरिष्ठ ग्रेड-1 के 8 एन० डी० एस० अनुदेशक थे, जिसमें से एक ने दिल्ली प्रशासन के नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया था और सेवा मुक्त होने के लाभ प्राप्त कर लिए थे और शेष सात वरिष्ठ ग्रेड-1 एन० डी० एस० अनुदेशकों को अन्ततः दिल्ली प्रशासन द्वारा 1-11-1976 से उनके व्यक्तिक ग्रेडों में नियुक्त कर लिया गया था।

3. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, जो कि मेरे ध्यान में आए हैं, 30-4-1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9177 का उत्तर निम्न प्रकार होना चाहिए :

'दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में कार्यरत वरिष्ठ ग्रेड-1 के एन० डी० एस० अनुदेशकों को वर्ष 1972 में कनिष्ठ ग्रेड के एन० डी० एस० अनुदेशकों के साथ शिक्षा निदेशालय में नहीं खपाया गया था क्योंकि उस समय निदेशालय में पर्यवेक्षीय स्टाफ का कोई पद उपलब्ध नहीं था। उनको खपाए जाने के प्रश्न पर मेरे मंत्रालय द्वारा दिल्ली प्रशासन से समय-समय पर पत्र व्यवहार किया गया। प्रभावित ग्राठ व्यक्तियों में से एक ने दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार नही किया ग्रौर सेवा मुक्त होने के लाभ प्राप्त कर लिए ग्रौर वरिष्ठ ग्रेड-1 के शेष सात एन० डी० एस० ग्रनुदेशकों को ग्रन्ततः दिल्ली प्रशासन द्वारा 1-11-1976 से उनके व्यक्तिक ग्रेडों में एन० डी० एस० ग्रनुदेशकों के रूप में नियुक्त कर लिया गया।'' (व्यवधान)

ग्रध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे लिखित रूप में दीजिए। मैं मामले पर ग्रवश्य विचार करूंगा। मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि वह मामले की जाँच करें ग्रौर यह देखें कि क्या कार्यवाही की जा सकती है। ग्रब ग्रौर कुछ नहीं। (व्यवधान)× ×

ग्रध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये। मुझे इस शोरगुल में कुछ समझ में नहीं ग्रा रहा। यदि 20 व्यक्ति मिलकर शोर मचाएं, तो क्या मैं कुछ समझ सकता हूं ? ग्राप में से कोई सदस्य लिखित रूप में क्यों नहीं देता ? मैं मामले पर विचार करूंगा। (व्यवधान)× ×

श्री एस० एस० सोमानी, ग्रापका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री एस० एस० सोमानी (चित्तौड़गढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे पास ग्रन्स्टार्ड क्वेश्चन की हिन्दी ग्रौर इंग्लिश दोनों की कापी है। एजूकेशन मिनिस्टर को प्रश्न के जवाब में स्टेटमेंट देना था। वह इंग्लिश की कापी में है ग्रौर हिन्दी की कापी में नहीं छपा है। ग्राफिस की व्यवस्था के लिए मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं इसको जाँच करूंगा।

श्री मनी राम बागड़ी (मथुरा) : ग्रध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर है। यह ग्रछूतों का ...इस तरह से × × (व्यवधान) × ×

ग्रध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाये। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हरिजनों ग्रौर गैर हरिजनों के बीच भेद-भाव कर के भारत के संविधान का उल्लंघन किया गया है···। × × (व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाये। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान) × ×

× × कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल न किया जाये।.........
(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं मामले की जांच करूंगा। आपने पहले सूचना नहीं दी। मैं क्या कर सकता हूं ? मैं अब कुछ नहीं कर सकता ।

श्री एन० कुडनथई रामलिंगम (मयूरम) : श्री साठे ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है...।

अध्यक्ष महोदय : मैं आदेश दे चुका हूं...। **(व्यवधान)** × ×

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाये। **(व्यवधान)** × ×

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगन प्रस्तावों को लेते हैं। मेरे सामने चार स्थगन प्रस्ताव है। पहला "भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा दल के 121 अधिकारियों, जिनमें सैनिक आसूचना और सीमा सुरक्षा दल के अतिरिक्त गुप्तचर विभाग और 'रा' के कर्मचारी भी शामिल हैं, जासूसी के लिए गिरफ्तारी के बारे में है, जिसकी सूचना श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा दी गई है। यह कोई हाल की घटना नहीं है। इस विषय पर पहले के स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान आकर्षण प्रस्तावों की सूचना रद्द की जा चुकी है। अतः मैं इसके लिए अनुमति नहीं देता।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह घटना दो दिन पहले हुई है। मैं आपको सन्तुष्ट करूंगा...।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाए। **(व्यवधान)** × ×

अध्यक्ष महोदय : दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री बनातवाला द्वारा दी गई है। प्रस्ताव इस प्रकार है :

> "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध 10 और 11 मई, 1979 को पुलिस की अवांछनीय और नृशंस कार्यवाही, निर्दयी पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना जिसके परिणामस्वरूप अनेक लोगों की मृत्यु हुई और चोटें आई; मुस्लिम अल्पसंख्यकों में व्याप्त चिन्ता तथा असुरक्षा की भावना तथा सरकार के 'निष्क्रिय तथा उदासीन रवैया।"

यह एक राज्य विषय है। गत गुरुवार को ही हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर हुई घटना के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की थी। मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहा, परन्तु मैं इस पर ध्यान आकर्षण की अनुमति दे रहा हूँ। यह कल या परसों होगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्ननी) : ध्यान आकर्षण से न्याय नहीं हो पायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभी समुदायों के प्रति न्याय करना है।

× × कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैं ध्यान आकर्षण की अनुमति दे रहा हूँ। हम रोज अलीगढ़ पर ही चर्चा नहीं कर सकते।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरी केवल एक प्रार्थना है। जब आप ध्यान आकर्षण की अनुमति दे ही रहे हैं, तो उन सभी सदस्यों के नाम दिये जायें, जिन्होंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : सदन के नियमों का पालन किया जायेगा।

तीसरे स्थगत प्रस्ताव की सूचना भी श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा दी गई है। इसका बिषय है—बोइंग विमानों के कार्यचालन पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा कटु आलोचना किये जाने के बावजूद विमानों की सप्लाई के लिये इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा बोइंग कम्पनी के साथ समझौता करना।

यह कोई ऐसा मामला नहीं जिसके लिये हम सभा की कार्यवाही स्थगित करें।

उसके बाद स्थगन प्रस्ताव संख्या 4 है जो इस प्रकार है :

"पंजाब (12 में से 10 जिलों में) व्यापक पुलिस विद्रोह के अभूतपूर्व दमन और भारत सरकार द्वारा इस मामले में राज्यों को एहतियाती उपाय करने की सलाह देने का कथित निर्णय।"

यह कोई ऐसा मामला नहीं जिस पर हम चर्चा करें। यह एक राज्य विषय है। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा···।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सेना को बुलाया गया है। अतः मामले पर संसद में विचार किया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र करने जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आन्ध्र प्रदेश वन विकास निगम, हैदराबाद, त्रिपुरा वन विकास तथा बागान निगम लि० अगरतला का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) आंध्र प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०-4452-79]

(दो) त्रिपुरा वन विकास तथा बागान निगम लिमिटेड अगरतला का वर्ष 1976-77 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (क) त्रिपुरा वन विकास तथा बागान निगम लिमिटेड का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (ख) प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4453/79]

प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई, के वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा प्रमाणित लेखे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा बाल-भवन सोसायटी नई दिल्ली का 1977-78 का प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) प्रादेशिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4454/79]

(2) विश्व भारती शान्ति निकेतन के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन(@) (संक्षिप्त हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4455/79]

(3) (एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1977-78 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1977-78 के प्रमाणित लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (ख) लेखे के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4456/79]

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा निवृत्ति तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 13 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 613 में प्रकाशित हुए थे।

@ प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 26 मार्च, 1976 को सभा पटल पर रखा गया था।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा निवृत्ति तथा सेवा की शर्तें) (तीसरा) संशोधन नियम, 1978, जो दिनांक 18 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 31 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा विवरणियों तथा सूचना नियम, 1979 जो दिनांक 18 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 32 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—4457/79]

(5) निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) बाल भवन समिति, भारत, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) बाल भवन समिति, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4458/79)

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1979

निर्माण और आवास तथा पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम किंकर) : मैं नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 271 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4459/79]

राष्ट्रपति का आदेश

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : मैं संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत जारी किए गए दिनांक 10 मई, 1979 के राष्ट्रपति के आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 10 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 263 (ङ) में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन की अवधि 12 मई, 1979 से 6 महीने के लिए और बढ़ाई गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4460/79]

बाजार ऋणों सम्बन्धी अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (10) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों सम्बन्धी दिनांक 10 मई, 1979 की अधिसूचना संख्या एफ 4 (1) डब्ल्यू एण्ड एम/79 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 4461/79]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अलवाय स्टेशन के निकट त्रिवेन्द्रम-बम्बई जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी के साथ एक बस की टक्कर

अध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी—वह यहाँ पर नहीं हैं। श्री सी० एन० विश्वनाथन !

श्री एन० सी० विश्वनाथन (तिरुपट्टूर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर रेलमंत्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें।

9 मई, 1970 को अलवाय स्टेशन के निकट गाड़ी संख्या 82 अप त्रिवेन्द्रम-बम्बई जयन्ती जनता एक्सप्रेस के साथ एक बस की टक्कर होने, जिसमें बहुत से व्यक्ति मारे गये, का समाचार।

वक्तव्य

रेलमन्त्री (श्री मधु दण्डवते) : सदन के माननीय सदस्य केरल में अलवाय के निकट एक एक्सप्रेस ट्रेन और बस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों के मर जाने के बारे में पहले से अवगत हैं। 9/5/1979 को लगभग 15·17 बजे जब 82 अप त्रिवेन्द्रम-बम्बई जनता एक्सप्रेस 13 सवारी डिब्बों के भार के साथ डीजल इंजन से दक्षिण रेलवे के ओल्लावकोड्ड मंडल के कोचीन हार्बरशोरेनूर बड़ी लाइन के इकहरे खण्ड पर जा रही थी, 80/12-13 किलोमीटर पर स्थित बिना चौकीदार के 'सी' श्रेणी समपार संख्या 64 पर टूरिस्ट बस संख्या टी० एम० एक्स० 755 से टकरा गयी। बस 80/4-5 किलोमीटर तक खिचती चली गयी और उसमें आग लग गयी। बताया जाता है कि बस मद्रास के निकट अर्राण से आदि शंकर के जन्म-स्थान कलादि के लिए टूरिस्टों को लेकर जा रही थी। वे सभी तमिलनाडु सरकार के भूमि लेखा सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्य थे।

दुर्घटना के फलस्वरूप बस में सवार 59 व्यक्तियों में से 36 दुर्घटनास्थल पर ही मर गये और चार की अस्पताल में मृत्यु हो गई; इस प्रकार मृतकों की संख्या 40 हो चुकी है। शेष 19 व्यक्तियों में से 13 को गम्भीर चोटें आयीं और अन्य 6 को साधारण चोटें लगीं। ट्रेन के चालक या सवारियों में से किसी को भी चोट नहीं लगी।

[श्री मधु दण्डवते]

दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल शोरेनूर और एर्नाकुलम् से दुर्घटना स्थल के लिए चिकित्सा सहायता वाहन भेजे गये। घायलों को अंगमाली, अलवाय और एर्नाकुलम् के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही महाप्रबंधक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गये। एर्नाकुलम के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी और अलवाय के पुलिस उप अधीक्षक भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये।

रेल प्रशासन द्वारा मृतकों और घायलों के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह भुगतान की व्यवस्था कर दी गयी है।

मोटर वेहिकिल रूल्स में व्यवस्था है कि किसी भी बस के ड्रायवर को बिना चौकीदार के समपार से पहले ही कुछ दूरी पर रुक जाना चाहिए और बस को सुरक्षित पार ले जाना सुनिश्चित करने के लिए अपने कंडक्टर को बस के आगे चलने के लिए तैनात करना चाहिए। खासकर इस समपार के दोनों ओर उन्हें चेतावनी देने के लिए बोर्ड पहले से लगे हुए हैं। मौजूदा मामले में दुर्घटना स्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ व्यक्तियों ने बस के ड्राइवर को आती ट्रेन के बारे में चेतावनी दी लेकिन उसने चेतावनी की कोई परवाह नहीं की और रेलवे लाइन पार करने के लिए आगे बढ़ गया।

इस दुर्घटना की जांच रेलवे सुरक्षा के अपर आयुक्त 13/5/1979 से एर्नाकुलम में शुरू कर रहे हैं।

यह बड़ी भारी दुर्घटना थी और मेरा विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट करने में सदन मेरे साथ है।

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरुपट्टूर) : मंत्री जी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर एक वक्तव्य दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस दुर्घटना में हुए घायल यात्री शीघ्र स्वस्थ हों। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मोटर यान नियमों में यह उपबन्ध है कि बस के ड्राइवर को बिना चौकीदार वाला समपारों से कुछ दूरी पर बस खड़ी करनी चाहिए।

समाचार पत्र में यह भी बताया गया है कि नियमानुसार बिना चौकीदार वाला फाटक पार करते समय इंजन ड्राइवर को सीटी बजानी चाहिए थी। उस बस में यात्रा करने वाले एक सहयात्री, श्री धर्मलिंगम, जो ड्राइवर के पीछे बैठे थे, का यह कहना है कि उसने इंजन की सीटी नहीं सुनी। इसके अलावा, दक्षिण रेलवे के महा प्रबन्धक, श्री मूर्ति, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, ने कहा कि उस क्षेत्र में आधे किलो मीटर तक स्पष्ट दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर रेलवे लाइन खुले खेत में से होकर जाती है। इसके साथ-साथ समाचार पत्रों में यह भी रिपोर्ट छपी थी कि एक टैक्सी ड्राइवर, जो इस स्थान पर रहता है, कई बार यहाँ से गुजरा है और उसका कहना है कि पश्चिम दिशा से आने वाली गाड़ी दक्षिण दिशा से आने वाली रेल गाड़ी को देख नहीं सकती क्योंकि बीच में इमारतें, वृक्ष बाधा डालते हैं। अतः 'हिन्दू' में महाप्रबन्धक के

वक्तव्य और इस वक्तव्य में अन्तर है। दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक ने कहा कि वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता था। वास्तव में बस ड्राइवर भी उत्तरदायी है। केरल में 5 महीने पूर्व दिसम्बर, 1978 में त्रिचूर के निकट ऐसी ही दुर्घटना हुई थी जिसमें 16 व्यक्ति मारे गये थे। यह दुर्घटना भी बिना चौकीदार वाले फाटक पर हुई।

बिना चौकीदार वाले फाटकों पर अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। मैं मंत्री को दोष नहीं देता। मैं मंत्रालय को दोष नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है। सदन उस रेल दुर्घटना को कभी भूल नहीं सकता जिसमें हमारे प्रिय मित्र श्री प्रकाश वीर शास्त्री, जो राज्य सभा के सदस्य थे, की मृत्यु हुई थी। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिये कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिये।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या ठोस कदम उठा रहे हैं ? भारत में बिना चौकीदार वाले अनेक फाटक हैं। क्या मैं इनकी संख्या जान सकता हूँ? क्या उनके पास स्वतः समपार फाटकों का आयात करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव है ? क्या मंत्री जी मामले की पूर्ण जाँच करेंगे ? क्या वह ऐसे बिना चौकीदार वाले फाटकों पर चौकीदार तैनात करने के लिये देश में उपलब्ध जन शक्ति का प्रयोग करेंगे ? मेरा अन्तिम प्रश्न यह है : वह क्या ठोस कदम उठा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक भारत में समपारों का सम्बन्ध है, 40,000 समपारों में से 12,000 समपार बिना चौकीदार के हैं।

एक सांविधिक उपबन्ध के अनुसार यदि बिना चौकीदार वाले किसी समपार पर चौकीदार तैनात करना हो और यदि यह राष्ट्रीय राज पथ पर पड़ता हो, तो यह रेलवे का उत्तरदायित्व है; परन्तु, यदि यह राष्ट्रीय राजपथ के अलावा कोई राजपथ है, तो यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा। यदि सम्बन्धित सड़क नगरपालिका या निगम के क्षेत्र में पड़ती है, और समपार सड़क के उस भाग में है, तो यह नगरपालिका या निगम का उत्तरदायित्व है। परन्तु, दुर्भाग्यवश यह उपबन्ध न तो नगरपालिका या नियम प्राधिकारियों द्वारा और न ही राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है।

अतः वर्ष 1978-79 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह घोषणा की थी कि चूंकि राज्य सरकारें यह उत्तरदायित्व नहीं ले रही है और सुरक्षा का पहलू अत्यन्त महत्वपूर्ण है, रेलवे स्वयं बिना चौकीदार वाले समपारों, विशेषकर खतरनाक समपारों पर चौकीदार तैनात करने का उत्तरदायित्व लेगी। 22,000 बिना चौकीदार वाले समपारों में से कुछ एक खतरनाक हैं और हम यातायात घनत्व का पता लगा कर ऐसे समपारों का स्वरूप निर्धारित करते हैं। रेलगाड़ियों की संख्या गुणा मोटर गाड़ियों की संख्या का गुणनफल यूनिट कहलाता है। यदि यह अधिक है और बिना चौकीदार के है, तो हम वहां पर चौकीदार तैनात करने का प्रयास करते हैं। जहां तक इस विशेष स्थान का सम्बन्ध है, गत पांच वर्षों में एक भी दुर्घटना यहां नहीं हुई, अतः इस बिना

[प्रो० मधु दण्डवते]

चौकीदार वाले फाटक को ऐसा नहीं समझा गया कि यहाँ दुर्घटना हो सकती है, और इस पर चौकीदार तैनात नहीं किया गया।

जहां तक मोटरयान अधिनियम का सम्बन्ध है, इसमें यह उपबन्ध है और इन बिना चौकीदार वाले फाटकों पर नोटिस बोर्ड भी हैं कि बस को खड़ा किया जाये और बस के समपार से कुछ फुट दूर खड़ा होने के बाद कंडक्टर नीचे उत्तर कर बस को मार्गदर्शन करे। इस मामले में प्रेस ने भी यह रिपोर्ट दी कि अनेक चश्मदीद गवाह चिल्ला रहे थे कि गाड़ी आ रही है और इसके बावजूद भी बस ड्राइवर ने निकल जाने का प्रयास किया।

हम विभिन्न फाटकों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करेंगे और जिन फाटकों पर चौकीदार तैनात करना आवश्यक होगा, हम उन पर चौकीदार तैनात करने का प्रयास करेंगे।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मंत्री जी, ड्राइवर के उत्तरदायित्व सम्बन्धी मेरे प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कहा।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक इंजन ड्राइवर के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है, यह एक बिना चौकीदार वाला फाटक है और यहां पर कोई गेट नहीं है। यह एक रन-थ्रू ट्रेक है और यहां पर सिगनल सम्बन्धी व्यवस्था नहीं है। समय-समय पर ड्राइवर सीटी बजाते रहते हैं। रेलवे संरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त ने यह तर्क दिया कि यह आरोप लगाया गया कि सीटी नहीं बजाई गई। रेलवे संरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त मामले की पहले से जांच कर ही रहे है, अत: माननीय सदस्य द्वारा सभा में की गई यह विशिष्ट शिकायत भी उनके पास भेज दी जायेगी और वह इस बात की भी जांच करेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके पहले पैरे में उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि समपार संख्या 64 पर कोई चौकीदार नहीं था और आखिरी पैरा से पहले उन्होंने मोटर वीहिकल्ज़ रूल्ज़ का हवाला दिया है और कहा है कि बस ड्राइवर को पहले ही रुक जाना चाहिए था और अनुमति लेनी चाहिए थी। लेकिन जब चौकीदार ही नहीं था तो अनुमति किसकी लेने के लिए वह रुकेगा ? सब से गम्भीर बात उन्होंने यह बताई है कि पाँच हजार ऐसे फाटक हैं जहां कोई चौकीदार नहीं हैं और उसके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं सलाहकार समिति का भी सदस्य हूँ। मंत्री महोदय हम लोगों को समय-समय पर बराबर इस प्रकार की दुर्घटनाओं की जानकारी भी देते रहते हैं। दुर्घटनाओं के बारे में इन्होंने हमें एक समीक्षा भी दी है। उसके अनुसार ट्रेन बसिस या इस तरह की दूसरी दुर्घटनाओं की संख्या उन्होंने हमें बताई है। उसके अनुसार इस तरह की 1975-76 में 105 घटनाएं हुई थीं, 1976-77 में 86, 1977-78 में 93 और 1978 के दिसम्बर मास तक 65 इस तरह की घटनाएं घटी थीं।

ओर मैं समझता हूं कि यह जो दुर्घटना है यह सबसे बड़ी है, जैसा कि प्रेस रिपोर्ट्स से भी मालूम होता है। और दुर्घटनाओं के पीछे प्रति वर्ष करीब 3 करोड़ रु० से अधिक की क्षति होती है। सरकार कभी-कभी कमेटी नियुक्त करती है, एक जांच कमेटी 1968 में नियुक्त की गई तो उसने अधिकांश लायेबिलिटी रेलवे कर्मचारियों पर दी है और कहा कि रेल कर्मचारियों का भी किसी न किसी रूप में हाथ रहता है। मंत्री जी ने हमें रेल भवन में एक ट्रेन भी दिखलाई थी जिसमें था कि जब इस प्रकार के खतरे की सम्भावना होती है, रेल के इंजन में आवाज आने लगेगी और ड्राइवर को मालूम हो जाएगा। इस प्रकार की दुर्घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। अभी हम लोग खगरिया से आ रहे थे और खगरिया के बगल में मान्सी में जहां आपका चौकीदार है वहां गाड़ी नहीं भी आती है तो भी क्रिमिनल्स की सांठ-गांठ से रेल का फाटक गिर जाता है और बसों और ट्रक्स को लूट लिया जाता है। तो एक तरफ तो आपके पास फाटक पर चौकीदार नहीं हैं उसके लिए आपने कहा है कि ओवरब्रिज और अन्डरब्रिज की व्यवस्था है, और आपने कहा है कि 40 से अधिक ओवरब्रिज और अन्डरब्रिज बन चुके हैं। 22,000 जो फाटक हैं बिना चौकीदार के उन पर कब तक चौकीदार रख दिया जाएगा और आने वाले सालों में आपने कितने ओवरब्रिज और अन्डरग्राउन्ड ब्रिजेज़ की व्यवस्था की है, और आप क्या तरीका अपना रहे हैं जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न घटें ?

प्रो० मधु दण्डवते : पहला सवाल पूछने में माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के तहत कोई भी मोटर बस अनमैंड लेविल क्रौसिंग के पास आती है तो गेटमैन की अनुमति से रुकना चाहिए। अनमैंड का मतलब ही है कि वहां चौकीदार ही नहीं होता, इसलिए किसी अनुमति का सवाल नहीं होता। इसलिए मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में कहा गया है, अगर चौकीदार होता तो वही फाटक बन्द कर देता, लेकिन जो अनमैंड गेट्स हैं वहां कानून के मुताबिक और बोर्ड पर भी लिखा होता है कि हर बस ठहरे और कंडक्टर आगे जाए और सेफ्टी देखने के बाद बस आगे जाने के लिए कहे।

माननीय सदस्य ने कहा कि 22,000 ऐसे फाटक हैं जो अनमैंड हैं, उन पर चौकीदार अगर रखना है तो यह जिम्मेदारी हम कब तक निभा सकेंगे ? मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो 22,000 अनमैंड गेट्स हैं अगर एक अनमैंट गेट को मैंड गेट में परिवर्तित करना है तो उसके लिये 60,000 रु० की लागत आती है। इसलिये 22,000 अनमैंड गेट्स को मैंड गेट करना है तो 132 करोड़ रु० का खर्चा है। यह तो शुरू में खर्चा है और साथ ही साथ हर साल इंतजाम करने के लिए 30 करोड़ रु० का खर्चा और लगेगा। आज हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि सारे अनमैंड गेट्स को मैंड गेट्स में परिवर्तित करके 132 करोड़ रु० उस पर खर्च करें। लेकिन हम बार-बार रिव्यू करेंगे और जिन अनमैंड गेट्स पर ज्यादा दुर्घटना होने की गुंजाइश है ऐसे अनमैंड गेट्स को प्राथमिकता देकर उनको मैंड गेट में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

11वां प्रतिवेदन

श्री डी० जी० गवई (तुलडाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

गुजरात में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों के बारे में दिनांक 24 अप्रैल 1979 के अतारांकित प्रश्न सं० 851 के उत्तर में शुद्धि करना तथा उसमें बिलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शांति भूषण) :

अध्यक्ष महोदय,

24 अप्रैल, 1979 को तारांकित प्रश्न सं० 851 के अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का प्रस्ताव 30 नवम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ था। मुझे इस सदन को यह सूचित करते हुए खेद है कि सदन को दी गई जानकारी में कुछ त्रुटि हो गई थी जिसे मैं सुधारना चाहता हूं। विचाराधीन सभी अन्य नामों के सम्बन्ध में प्रस्ताव 30 नवम्बर, 1978 को प्राप्त हुए थे किन्तु विचाराधीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के संबंध में प्रस्ताव 9 मई, 1978 को प्राप्त हुआ था। उनके संबंध में तत्पश्चात् राज्य प्राधिकारियों के साथ और आगे पत्र व्यवहार करना पड़ा था और भारत के मुख्य न्यायाधिपति के साथ परामर्श की प्रक्रिया पूरी की गई थी।

इस संबंध में हुई त्रुटि की जानकारी मुझे 9 मई, 1979 को प्राप्त हुई। इस कारण शुद्धि इसके पूर्व नहीं की जा सकी। विलम्ब के लिये मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नांडीज एक विधेयक पुनः स्थापित करेंगे।

श्री पी० पार्थसारथी (राजमपेट) : मैंने आपको एक सूचना दी है; आन्ध्रप्रदेश में समुद्री तूफान आये हैं; मन्त्रीजी को एक वक्तव्य देना चाहिए; यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : हम किसी अन्य मामले पर विचार करने जा रहे हैं। इस मामले को यथा समय अनुमति दी जाएगी।

श्री पी० पार्थसारथी : क्या मंत्री महोदय वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं?

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। मंत्री जी को जानकारी मिलनी चाहिये। हमें क्रम से कार्य करने दीजिए। मंत्री जी इसके लिये उत्तरदायी नहीं हैं। हम मामले पर चर्चा करेंगे।

हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) संशोधन विधेयक

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करवे की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन उठाये जाने वाले मामलों पर चर्चा करने से पूर्व मैं उन बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं जो गत गुरुवार को हुई थीं। जब हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, श्री कुरेशी ने कतिपय आपत्तियाँ उठाईं और ऐसी धारणा व्यक्त की कि मैं विरोधी दलों के सदस्यों की तुलना में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के प्रति अधिक उदार हूं। मैं सभा के समक्ष विभिन्न दलों द्वारा लिया गया वास्तविक समय रखता हूं। इस स्थगन पर चर्चा में 3 घंटे 20 मिनट का कुल समय लगा, जिसमें से 32 मिनट प्रस्तावक, श्री बनातवाला ने लिये। इसे कम करने के बाद शेष 2 घंटे 48 मिनट बचते हैं। जनता पार्टी के लिए नियत किया गया समय 1 घंटा 38 मिनट थे और इसके द्वारा लिया गया समय 1 घंटा 39 मिनट, अर्थात् 1 मिनट अधिक था। विरोधी पक्ष के लिये नियत समय 1 घंटा 10 मिनट था और उन्होंने 1 घंटा 9 मिनट का समय लिया। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सम्बन्ध है, इसके लिये 19 मिनट का समय नियत था और इस ने 33 मिनट का समय लिया।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सीमेंट उद्योग के श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के सम्बन्ध में मध्यस्थ निर्णयों को कार्यान्वित न किया जाना

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : 3 मई, 1979 को उद्योग मंत्री ने लोक सभा में सीमेंट उद्योग सम्बन्धी एक उच्च स्तरीय समिति के सिलसिले में वक्तव्य दिया था। अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने यह बताया था कि "पहले की मूल्य अवधि के 31 मार्च, 1979 को समाप्त हो जाने बाद सरकार ने सबसे पहले, मूल्य तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों की जांच करने का निश्चय किया है।" उन्होंने तीन स्तरीय अवरोधन मूल्य व्यवस्था सामने रखी है। ये तीन मूल्य हैं, 185 रुपये, 205 रुपये और 220 रुपये प्रति टन जो क्रमशः कम लागत, माध्यमिक लागत और उच्च लागत एककों के लिये होंगे। मूल्य में प्रति बोरी 1.35 रुपये की वृद्धि हो गई है। उन्होंने यह दलील दी है कि मजदूरी में वृद्धि के फलस्वरूप मूल्य वृद्धि की मांग की गई है।

1978 में इस सभा के शीतकालीन अधिवेशन में एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर के बाद मैंने एक अनुपूरक प्रश्न उठाया था, जो सीमेंट उद्योग के एक लाख मजदूरों को अधिक मजदूरी से सम्बन्धित वर्तमान और पहले के निर्णयों को लागू न किये जाने के बारे में था। मैंने यह कहा था कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को सीमेंट के मूल्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। श्री जॉर्ज फर्नांडीज ने मेरी दलील फौरन स्वीकार कर ली थी और यह आश्वासन दिया था कि जब तक प्रबन्धक वर्तमान और पहले के पंच निर्णयों को पूरे देश में लागू नहीं करेंगे, तब तक किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि की अनुमनि नहीं दी जायेगी। मैं ने इण्डिया सोमेंट-संकरी, तमिलनाडु का उदाहरण दिया, जिसने अभी तक पंच निर्णय को पूरी तरह लागू नहीं किया। सीमेंट में संविदा श्रम, नैमित्तिक मजदूरों तथा अस्थायी मजदरों के बारे में इन पंच निर्णयों को बिल्कुल लागू नहीं किया। मैं सरकार से आग्रह करता हूं उसे देश के उन सीमेंट उद्योगपतियों का साथ नहीं देना चाहिये, जिन्होंने वेतन पंचाट को लागू नहीं किया जिसके लिये अब मूल्य वृद्धि की अनुमति दी जा रही है।

मैं माँग करता हूं कि जब तक प्रबन्धक पहले के और वर्तमान के निर्णयों को लागू नहीं करते, तब तक अवरोधन-मूल्यों की तीन स्तरीय व्यवस्था के क्रियान्वयन को स्थगित रखा जाये।

आपकी अनुमति से मैं मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूँ कि वह मध्यस्थ निर्णयों को लागू करने के प्रश्न को हल करने के लिये श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा प्रबन्धकों की एक बैठक बुलायें।

(दो) लोक सभा के कतिपय सदस्य द्वारा कृषि भवन के सामने भारतीय खाद्य निगम द्वारा ठेके पर मजदूरों को नियुक्त करने की प्रणाली को समाप्त करने की अपनी मांग के समर्थन में धरना

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित मामला उठाता हूँ। लोक सभा के पाँच सदस्य कृषि भवन के सामने कृषि मंत्रालय से न्याय मांगने के

लिये धरना दे रहे हैं । उनकी मांग है कि भारतीय खाद्य निगम में विद्यमान ठेका प्रणाली को समाप्त किया जाये । कृषि राज्य मंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह ने सभा को आश्वासन दिया था कि ठेका प्रणाली समाप्त कर दी जायेगी । इसके विपरीत ठेकेदारों को श्रमिकों का शोषण करने की पूरी छूट दी जा रही है । इन संसद् सदस्यों ने, सम्बन्धित मंत्री तथा प्रधानमंत्री सहित अनेक प्राधिकारियों से आग्रह किया है । जब उनके सभी प्रयास विफल हो गये, तो उनके पास कृषि भवन के सामने धरना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया । भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों ने ठेका प्रणाली के विरुद्ध प्रदर्शन किया था, और उन्होंने भी सम्बन्धित मंत्री के निवास के सामने अनशन किया था । मंत्रियों द्वारा दिये गये उत्तर परस्पर विरोधी हैं । इन परिस्थितियों में कृषि मंत्री के लिये यह आवश्यक है कि वह स्थिति को स्पष्ट करें और इस विषय पर सभा में एक वक्तव्य दें । अतः मैं मांग करता हूँ कि पुरानी हो गई ठेका प्रणाली को समाप्त किया जाये और श्रमिकों को निहित स्वार्थों के शिकंजे से मुक्त कराया जाये ।

(तीन) कलकत्ता विश्वविद्यालय को गैस की सप्लाई में कथित कमी के कारण व्यावहारिक भौतिक विज्ञान विभाग में शैक्षिक तथा अनुसंधान कार्यकलाप बन्द होना

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूँ :

मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के व्यावहारिक भौतिकी विभाग के कार्यकरण सम्बन्धी एक गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं । मुझे बताया गया है कि विभाग की ग्लास ब्लोइंग के लिये गैस प्राप्त करने में भारी कठिनाई हो रही है । विश्वविद्यालय के इस विभाग के सामान्य शिक्षा कार्य के लिये गैस की सप्लाई अत्यावश्यक है । प्रयोगशाला में व्यावहारिक विज्ञान का अनुसन्धान कार्य करने के लिये भी गैस अत्यावश्यक है ।

दुर्गापुर से गैस की सप्लाई अनियमित हो गई है । पीछे कई बार यह पाया गया कि दुर्गापुर से सप्लाई की गई गैस का ग्लास ब्लोइंग के लिये पूरा दबाव नहीं है ।

मुझे बताया गया कि सर रास बिहारी घोष, व्यावहारिक भौतिकी के प्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 13 सितम्बर, 1978 को श्री एच० एन० बहुगुणा को अभ्यावेदन भेजे जिनमें इस विभाग और विश्वविद्यालय को सामान्य शैक्षिक कार्य के लिये गैस की सप्लाई न किये जाने के कारण यहां की दयनीय स्थिति का उल्लेख किया गया है, किन्तु मंत्रालय ने पत्र-व्यवहार का न तो कोई उत्तर दिया है और न ही यह समस्या हल ही की है।

गैस ब्लोइंग के लिय सही दबाव की गैस की सप्लाई के अभाव में कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षिक तथा अनुसन्धान गतिविधियां रुक गई हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार, विशेष रूप से पेट्रो-रसायन मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष ध्यान देगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रार्थना पर तुरन्त ध्यान दिया जाये ।

(चार) राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय को विजयवाड़ा से हटाने के कथित प्रस्ताव को लेकर आंध्र प्रदेश में व्याप्त असंतोष

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

मैं सरकार और इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय को उसके गोदामों सहित विजयवाड़ा से हटाकर हैदराबाद ले जाने के कथित प्रस्ताव से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के किसानों में भारी रोष व्याप्त है। इस मामले में उस क्षेत्र के विभिन्न राजनैतिक दलों के विधायकों ने पहले ही भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्री को एक अभ्यावेदन भेज दिया है।

राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय को विजयवाड़ा से अन्यत्र स्थान पर ले जाने से राज्य में बीजों के उत्पादन पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उन किसानों को गम्भीर रूप से हानि होगी जो कि पिछले 15 वर्षों से अच्छी किस्म के धान के बीज पैदा करने में सहायता करते रहे हैं।

यह क्षेत्रीय कार्यालय और उसके गोदाम 1963 में भारत सरकार ने बीजों के उत्पादन की आधारभूत सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाये थे तथा आधुनिकतम कृषि तकनीक का प्रयोग करने वाले तटीय क्षेत्रों के उद्यमी किसान इन वर्षों में देश के अनेक भागों को अच्छे किस्म के बीज सप्लाई करते रहे है।

धान उत्पादक क्षेत्रों में स्थित आदिगोपुला और वेंकटरामन्गुडम बीज उत्पादक केन्द्र विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से स्थापित किए गए हैं। वे अच्छे बीज तैयार कर रहे हैं और उनके कार्य की निगरानी जितनी अच्छी तरह विजयवाड़ा स्थित राष्ट्रीय बीज निगम का क्षेत्रीय कार्यालय कर सकता है उतनी अच्छी तरह हैदराबाद स्थित कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्र नहीं कर सकता।

राष्ट्रीय बीज निगम के प्रबन्धकों का तर्क यह है कि चूंकि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकन्दराबाद में है अतः यदि इस क्षेत्रीय कार्यालय को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया जाए तो बीजों के निर्यात के लिए मालडिब्बे आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। परन्तु यह तर्क मान्य नहीं है। विजयवाड़ा से भी पिछले 15 सालों से बिना किसी भारी समस्या के बीज निर्यात किए जा रहे हैं। विजयवाड़ा से बीजों का निर्यात उस समय से किया जा रहा है जबकि यह सारा क्षेत्र पहले दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत था जिसका कि मुख्यालय मद्रास में है।

1979-80 के उत्पादन कार्यक्रमों के अनुसार, तटीय क्षेत्रों में 1900 एकड़ भूमि में बीजों का उत्पादन किया जाएगा जिसमें से इस प्रयोजन के लिए तेलंगाना में केवल 13 एकड़ भूमि रखी गयी है। अतः इस वजह से यह और भी अधिक जरूरी है कि राष्ट्रीय बीज निगम का क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा में ही बना रहने दिया जाए।

पता चला है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले अधिकारियों ने राष्ट्रीय बीज निगम का क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद स्थानांतरित किये जाने का विचार रखा था ताकि वे आसानी से हैदराबाद नगर के पास रह सकें जोकि हमारी इस राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है कि उद्योग विशेषकर कृषि पर आधारित उद्योग महानगरीय क्षेत्रों के समीप न होकर ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहियें।

कृषि और सिंचाई मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच करें और सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय को विजयवाड़ा से अन्य स्थान पर स्थानांतरित न किया जाए ताकि अच्छे किस्म के बीजों के उत्पादन और अन्य क्षेत्रों को उनके निर्यात का कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहे।

(पांच) इंडियन कोआपरेशन मिशन हाईवे प्रोजेक्ट (नेपाल) में सेवा की कथित असंतोषजनक शर्तें

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

इण्डियन कोआपरेशन मिशन हाईवे प्रोजेक्ट (नेपाल) में कार्यरत कर्मचारियों की असंतोषजनक सेवाशर्तों की बात और वैध आधारभूत मांगों के लिए कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन को कुचलने के लिए नेपाल सरकार द्वारा उन्हें अत्यधिक परेशान करने तथा उनके दमन करने की बात इस सदन में 30 अप्रैल, 1979 को एक तारांकित प्रश्न संख्या 932 के जरिये उठाई गई थी। इसके अतिरिक्त यह भी पता चला है कि नेपाल पुलिस ने बिना किसी वजह के 7 भारतीय श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इसका मतलब केवल लोकतांत्रिक ढंग से अपनी उचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय कर्मचारियों में आतंक पैदा करना है। गिरफ्तार किए गए सातों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है तथा आन्दोलनकारी कर्मचारियों को प्रशासन अपने काम पर वापस आने के लिए विवश कर रहा है। यह कार्य सशस्त्र पुलिस की सहायता से संगीनों की नोकों के बल पर किया जा रहा है। सरकार, यह बताए कि उसने उन 7 भारतीय श्रमिकों छुड़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं जो कि अभी भी जेल में हैं। सरकार को चाहिए कि वह नेपाल सरकार द्वारा किए जा रहे उस निर्मम दमन के मामले में हस्तक्षेप करे जिसका लक्ष्य उन भारतीय श्रमिकों को आतंकित करना है जो कि काफी लम्बे समय से सेवा में हैं। इन श्रमिकों को 1973 में दूसरा रोजगार दिलाने का वचन दिया गया था। अतः इन्हें पुनः काम पर लगाने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इन गिरफ्तार श्रमिकों को रिहा किया जाए।

(छः) तिनसुकिया मेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधाएँ

श्री इस्माइल हुसैन खां (बारपेटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय महत्व के मामले पर निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :

1 नवम्बर, 1978 से आसाम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से भारत की राजधानी नई दिल्ली तक एक नयी सुपर फास्ट ट्रेन तिनसुकिया मेल चलायी गई थी। इस गाड़ी को चला कर रेल मंत्री

ने नयी दिल्ली से बोमाई जाने वाले द्वितीय श्रेणी के बड़ी लाइन के यात्रियों को कुछ अधिक सुविधाएं प्रदान की हैं तथा पुरानी समयसारणी के मुकाबले अब गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगभग 10 घंटे से कम समय लगने लगा है। कुछ दिनों तक यह गाड़ी ठीक समय पर चलती रही तब सभी यात्रियों ने इस गाड़ी का स्वागत किया था।

1 अप्रैल, 79 में समय सारिणी में परिवर्तन होने के साथ-साथ कठिनाई आरम्भ हो गई। तिमसुकिया सुपर फास्ट टेन हर रोज 2 से 7 घण्टे तक विलम्ब से जाती है। यात्रियों को भोजन यान, गलियारेदार डिब्बों और गद्देदार सीटों आदि की जो बेहतर सुविधाएँ प्रदान की गई थीं, वे हमेशा अनियमित रहती है। उसमें दूसरे दर्जे का वातानुकूलित डिब्बा हफ्ते में तीन बार लगता है परन्तु उसमें भी बिस्तर के गद्दे नहीं होते तथा उनका रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं होता है। ट्रेन अधीक्षक भी गाड़ी का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं करते। उसके न होने पर कोई जनता की शिकायतें सुनने वाला नहीं होता। कई मौकों पर गाड़ी में रोशनी और पंखे नहीं होते। इन गर्मी के दिनों में पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं होती। देखा गया है कि 7-5-79 को गाड़ी में मुगलसराय से इलाहबाद तक बाथरूम में भी पानी नहीं था। जब गार्ड को इसकी रिपोर्ट दी गयी तो उसने कुछ नहीं किया तथा यात्रियों से जंजीर खींचने के लिए कहने लगा।

28-4-79 को गाड़ियों में बिना टिकट यात्रियों को रोकने के लिए कोई कर्मचारी नहीं था। जब यह गाड़ी बिहार राज्य में पहुँची तो हमारे एक संसद सदस्य को जबकि उन्होंने अपने डिब्बे में एक आदमी के घुसने पर आपत्ति की, तो उन्हें गाड़ी से बाहर फेंक देने की धमकी दी गयी।

हम वातानुकूलित डिब्बे में थे। उसमें भी दानापुर में 12 लड़के घुस आए और उन्होंने हमें धमकी दी कि यदि उन्हें यात्रा नहीं करने दी गई तो वे अनिश्चित काल तक के लिए गाड़ी को रोक देंगे। कोई सुरक्षा की व्यवस्था गाड़ियों में नहीं थी। हम सभी पूरी तरह असहाय थे।

उस दिन इस गाड़ी में भोजन यान भी नहीं था, परिणामतः यात्रियों को नाश्ते, भोजन आदि के बिना रहना पड़ा। यह अकेली घटना नहीं है। तिनसुकिया मेल द्वारा मुगलसराय से साहबगंज तक सफर करना भयावह है। इस हिस्से की यात्रा में कोई प्रशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था नहीं होती। यात्री अपनी मरजी से बिना उचित टिकट के यात्रा करते हैं। इस हिस्से में बार-बार गाड़ी की जंजीर खिंचती है। पीछे 1 अप्रैल, 1979 को पटना में भोजन यान लूट लिया गया था तथा यात्रियों को डराया धमकाया गया था। यात्रियों की सुरक्षा के लिए गाड़ी में कोई व्यवस्था नहीं होती।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बात का पता लगायें कि पुरानी समय सारिणी से चलने वाली गाड़ी नियमित रूप से कैसे चलती थी और 1 अप्रैल, 1979 से गाड़ी का समय बदल जाने पर इतनी सब अनियमिततायें क्यों शुरू हो गयी हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह भी अपील करूंगा कि वे यात्रियों को बेहतर सुविधायें प्रदान करने के अपने वायदे का पालन करें और गाड़ी की समय की पाबन्दी को बनाये रखे।

अन्यथा रेल अधिकारियों को कोई नैतिक अधिकार नहीं होगा कि वे यात्रियों से सुपरफास्ट गाड़ी के नाम से अधिक किराया वसूल करें।

मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि देश की अन्य सभी सुपर फास्ट गाड़ियों के समान ही इस गाड़ियों में भी पीने के पानी की व्यवस्था की जाये जोकि इस गरमी के दिनों में बहुत जरूरी है।

यह भी अनुरोध है कि माननीय रेल मंत्री जी तिनसुकिया मेल की वर्तमान समय सारणी में परिवर्तन करें ताकि इन सभी असंगतियों से बचा जा सके।

मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे तिनसुकिया मेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के कष्टों को दूर करने के लिए हर सम्भव सावधानी के उपाय करें।

(सात) टांडा, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए आवश्यक स्टेपल धागे और अन्य कच्चे काल के मूल्य में वृद्धि

श्रीमती मोहसिना किदवई (आजम गढ़) : श्रीमान्, मैं सरकार तथा सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद के स्थान टाण्डा के कुटीर एवं लघु उद्योगों के सामने आ रही समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं। टाण्डा में कुटीर तथा लघु उद्योगों के अन्तर्गत 8000 से अधिक विद्युत चालित करघे तथा 5000 हथकरघे चल रहे हैं जो कि 16 मिलों के उत्पादन के बराबर है। उनकी प्रतिदिन की खपत स्टेपल धागे की 400 गांठें हैं जिस से प्रतिदिन 4 लाख मीटर कपड़ा तैयार किया जाता है। इस उद्योग में एक लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। (बुनकरों) को स्टेपल धागा मिल मालिकों के उन 11 एजेन्टों के जरिये सप्लाई किया जाता है जिन के डिपो टाण्डा में हैं। 1975 में स्टेपल यार्न का मूल्य 75 रुपये प्रति बण्डल (5 कि० ग्रा०) था। फरवरी, 1979 में विद्यमान मूल्य 80/82 प्रति पांच कि० ग्रा० था। पिछले एक-डेढ़ महीने में मूल्य अचानक बढ़ कर 102 रुपये प्रति 5 कि० ग्रा० हो गया। फलत: मूल्य में 26 रुपये प्रति बण्डल अर्थात् 500 रुपये प्रति गांठ की वृद्धि हो गयी। कुल खपत 400 गांठें प्रति दिन होने के कारण प्रति दिन 2 लाख रुपया मिल मालिकों की जेब में जा रहा है और ऐसा केवल सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहा है।

पहले भी 1972 में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, तो केन्द्र सरकार ने एक आदेश संख्या 180/4/72-टैक्स (एफ) जारी किया था जिस में यह निर्धारित किया गया था कि 50 प्रतिशत उत्पादन, बुनकर को 52 रुपये प्रति बण्डल के हिसाब से सप्लाई किया जायेगा तथा मिलों को अपना बाकी 50 प्रतिशत उत्पादन खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गयी थी।

स्टेपल धागे तथा रसायनों के मूल्य में हो रही इस तीव्र वृद्धि के कारण स्थिति अत्यन्त कठिन हो गयी है। सरकार ने यदि शीघ्र समुचित कार्यवाही नहीं की तो हथकरघा और विद्युत चालित करघा क्षेत्र जल्दी समाप्त जायेगा तथा 35 लाख से अधिक बुनकर बेरोजगार हो जायेंगे।

परिणामत: राज्य के लिए और सामान्यत: देश के लिए यह एक अत्यंत गंभीर समस्या हो जायेगी।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह स्टेपल धागे और रसायनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन लाये, इस धागे के उत्पादन और बिक्री को नियमित किया जाये, स्टेपल धागे का मूल्य है टैरिफ बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाये तथा टैरिफ बोर्ड में एक प्रतिनिधि बुनकरों का रखा जाये और स्टेपल धागे की बिक्री के लिए डिपो खोले जायें और सरकार को चाहिये कि वह टाण्डा में रंगाई, छपाई और फिनिशिंग का एक संयुक्त कारखाना स्थापित करे ताकि बुनकर आवश्यक कच्चा माल उचित दरों पर प्राप्त कर सकें।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : मैंने भी 377 में लिखकर दिया है। वह आता ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

(आठ) भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मै नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व और राष्ट्रीय महत्व के एक मामले के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहूंगा :

25 अप्रैल, 1979 को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सतीश अग्रवाल ने वित्त विधेयक पर हुई बहस के दौरान मेरे द्वारा उठाये गये एक मामले का उत्तर देते हुए कहा था कि वित्त मंत्रालय ने वर्तमान वित्त वर्ष में परिवर्तन करने (1 अप्रैल के स्थान पर अगले वर्ष की 31 मार्च करने) के प्रश्न पर विचार किया है और यह निर्णय किया है कि इसमें परिवर्तन न किया जाये।

यह कुछ विचित्र बात है कि भारतीय वित्तीय वर्ष आजादी के इन तीस वर्षों के बाद भी ब्रिटेन के वित्तीय वर्ष से चिपका हुआ अथवा जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन की सरकार ने अपनी सुविधानुसार ब्रिटेन और अपने सम्पूर्ण साम्राज्य और अपने उपनिवेशों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होनी निश्चित की थी। यह उनके देश का प्राकृतिक जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों की दृष्टि से उनके लिए सुविधाजनक था क्योंकि दिसम्बर से मार्च तक के भारी शीत के महीनों के दौरान घर से बाहर जाकर काम करने में कठिनाई होती है। तथापि, वे इस शीत काल में अपने बजट तैयार कर लेते हैं और अपनी परियोजनाओं की रूप रेखा तथा योजनायें पहले से तैयार कर लेते हैं ताकि अप्रैल से अक्तूबर तक के काम करने के महीनों के दौरान पर उन पर निरन्तर कार्य किया जा सके। ब्रिटेन में वित्तीय वर्ष की उक्त अवधि निर्धारित किये जाने का यही कारण है और जहां तक भारत, बर्मा और सीलोन (अब श्रीलंका) की बात है, ब्रिटेन के वित्त विभाग की सुविधा की बात सर्वोपरि थी क्योंकि अपने हित साधन और अपेक्षापूर्ति के

ग्रलावा ब्रिटेन का भारत के लिए कोई विकास कार्यक्रम नहीं था ।

भारत में वाणिज्यिक ग्रौर ग्रौद्योगिक वर्ष न्यूनाधिक रूप से ग्रक्तूबर के ग्रन्त में या नवम्बर के ग्रारम्भ से ग्रर्थात् खरीफ की फसल की कटाई तथा रबी की फसल की बुवाई के तत्काल बाद विक्रम सम्वत के ग्रारम्भ से शुरू होता है । इस के ग्रतिरिक्त जहां तक मुझे पता है, न तो उत्तर में मुगलों ने ग्रौर न ही दक्षिण में शिवाजी ग्रौर मराठा राजाग्रों ने वित्त वर्ष की गणना 1 ग्रप्रैल से 31 मार्च तक की । इसके ग्रालावा संसार के ग्रलग-ग्रलग देशों में वित्तीय वर्ष की ग्रवधि भिन्न-भिन्न है ।

प्रशासनिक सुधार ग्रायोग ने, वर्तमान प्रधान मंत्री जिसके ग्रध्यक्ष थे······

अध्यक्ष महोदय : ग्राप भी उसमें थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : वर्तमान प्रधान मंत्री जिसके ग्रध्यक्ष थे ग्रौर जिसका मैं एक सदस्य था, विभिन्न सुझावों तथा विकल्पों पर विचार करने के बाद यह सिफारिश की थी कि 2 नवम्बर से ग्रारम्भ होने वाला वित्तीय वर्ष भारतीय परिस्थितियों तथा ग्रपेक्षाग्रों की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा । ग्रब समय ग्रा गया है कि कोई संसदीय समिति ग्रार्थिक तथा वित्तीय विशेषज्ञों की सहायता से तथा केन्द्रीय सरकार ग्रौर राज्य सरकारों के परामर्श से इस महत्वपूर्ण मामले का गहराई से ग्रध्ययन करे तथा यदि सम्भव हो तो इस शताब्दी के नवें दशक ग्रारम्भ होने से काफी पूर्व ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया जाना चाहिये ।

इस मामले के बारे में सरकार का कुछ दुराग्रह सा है ग्रौर हो सकता है कि वह किसी समिति के गठन का विरोध करे । इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि इस प्रयोजन के लिए ग्रापके मार्ग दर्शन तथा निर्देशन में एक संसदीय समिति का गठन किया जाये । इस समय मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं, शायद इस मामले में कोई वक्तव्य दें ।

ग्रध्यक्ष महोदय :—इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर वे वक्तव्य नहीं दे सकते ।

श्री हरि विष्णु कामत : किसी ग्रन्य दिन श्री कुण्डु······

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ग्रपना निर्णय पहले ही दे दिया था (**व्यवधान**) उन्हें सोचने के लिए कुछ समय दो ।

गोग्रा, दमन ग्रौर दीव बजट 1979-80 सामान्य चर्चा तथा वर्ष 1979-80 के लिये (गोवा, दमन ग्रौर दीव) की 7 लेखानुदानों की मांगें

अध्यक्ष महोदय : ग्रब सदन गोग्रा, दमन ग्रौर दीव के बजट पर विचार करेगा । यदि सदन सहमत हो तो यह संख्या 11 ग्रौर 12 दोनों पर एक साथ विचार किया जा सकता है ।

इन मदों पर चर्चा के लिए दो घण्टे का समय नियत किया गया है । मेरे विचार से सदन इससे सहमत है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोग्रा) : ग्रध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं ग्रपनी बात ग्रारम्भ करूं, मैं सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा ? वह स्पष्टीकरण इस बारे में है । ग्रध्यक्ष

महोदय, हम वस्तुतः बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि हम 5 महीने से ग्रन्यून ग्रवधि के लिए लेखानुदान पर चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक गोग्रा के वित्तीय वर्ष का सम्बन्ध है, यह उसका दूसरा लेखानुदान है। पहला ग्रनुदान 3 महीने के लिए था, ग्रब दूसरा लेखानुदान 5 महीने के लिए है। ग्रब उस ग्रवधि को लीजिये जिसके लिए यह लेखानुदान होगा, यह चर्चा केवल औपचारिक चर्चा नहीं होगी, ग्रौपचारिक होनी नहीं चाहिये क्योंकि जैसाकि सामान्यतः लेखानुदान के मामले में होता है कि इसमें भी बजट सम्बन्धी चर्चा के समान किसी भी व्यक्ति को प्रशासनिक समस्याग्रों पर विचार करने, प्रशासन सम्बन्धी प्रश्नों की जांच करने का हक होता है। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कुछ महीने पहले इस सदन में पाण्डिचेरी के बजट पर चर्चा हो रही थी। उस समय एक प्रश्न उठाया गया था कि सदस्यों द्वारा यहाँ कई मामले रखे जायेंगे ग्रौर उन पर विचार किया जायेगा जो इस प्रकार के होंगे कि वित्त मंत्री जो कि इस समय श्री ग्रग्रवाल हैं, ग्रौर मैं कहना चाहूंगा, जिस शानदार ढंग से ग्रपने विभाग का कार्य सम्भाल रहे हैं, उसके लिए हमारी प्रशंसा के पात्र हैं,—बावजूद इसके कि उनकी ग्रपनी सीमायें हैं—सभी प्रशासनिक समस्याग्रों का निपटारा नहीं कर सकेंगे। उनका सम्बन्ध केवल उनके वित्तीय पक्ष से होता है ग्रतः हमने उस समय कहा था कि उस समय गृह मंत्री भी उपस्थित रहें तथा उठायी जाने वाली कई शंकाग्रों, प्रश्नों तथा सुझावों का उत्तर दें। इस समय वे यहाँ वैसे ही बैठे हुए हैं। मैं नहीं कह सकता कि वे इसी प्रयोजन के लिए ग्राये हैं क्योंकि पिछली बार वे उस समय उपस्थित नहीं थे ग्रौर न ही पीठासीन ग्रधिकारी ने उनसे कुछ पूछा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि मैं यहाँ इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाता हूं तो क्या गृह मंत्री उनका जवाब देंगे ग्रथवा क्या स्थिति है: क्या वे उसका बिल्कुल उत्तर नहीं देंगे? क्या केवल ग्रकेले वित्त मंत्री ही वादविवाद का उत्तर देंगे, उस स्थिति में ये प्रश्न नहीं उठाये जा सकते। यदि वित्त मंत्री के साथ-साथ गृह मंत्री भी उत्तर दें तो मैं इन प्रश्नों को उठाऊंगा। इसलिए कृपया मुझे सही स्थिति बताई जाये।

ग्रध्यक्ष महोदय :—मैं इस मामले में नहीं ग्राता। उनकी इच्छा है वे जवाब दें या न दें।

श्री एडुग्रार्डो फैलीरो – क्या माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे?

ग्रध्यक्ष महोदय :—मण्डल जी, क्या ग्राप प्रशासन या उस सबसे सम्बन्धित किसी प्रश्न का उत्तर देंगे?

श्री धनिक लाल मण्डल : जैसा ग्राप निदेश दें।

ग्रध्यक्ष महोदय : इस मामले में मैं ग्रापको कोई निदेश नहीं दे सकता। यह ग्रापके ग्रपने ऊपर है। यदि आप तैयार हों, तो ग्राप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं उत्तर दूंगा।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप तैयार हैं, चलिये ठीक है।

श्री एडुग्रार्डो फैलीरो : ग्रध्यक्ष महोदय, जिस समय बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, मैंने यह शंका व्यक्त की थी कि यदि यह लेखानुदान है ग्रौर यदि राष्ट्रपति का शासन केवल छः

महीने तक रहता है, तथा छः महीने समाप्त होने पर चुनाव होने हैं तो ऐसी स्थिति में आप केवल लेखानुदान क्यों नहीं करते ? आप बजट क्यों पेश कर रहे हैं ? आप अब जबकि बजट पेश कर रहे हैं और लेखानुदान के लिए भी कह रहे हैं, उसका सामान्यतः यह अर्थ होगा कि समय की कमी की वजह से बजट पर पूरी चर्चा नहीं की जा सकती और चूंकि बजट और उसकी मांगों पर चर्चा के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, अतः सामन्यतः लेखानुदान किया जाता है अर्थात् बजट प्रस्तुत करने के साथ-साथ लेखानुदान कराया गया है, सामान्य धारणा यही है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि उक्त संघ राज्य क्षेत्र में छः महीने के भीतर चुनाव कराये जायेंगे। यदि यह सही है, तो मेरा प्रश्न है, आप बजट क्यों पेश कर रहे हैं ? जब आप लेखानुदान के साथ-साथ बजट प्रस्तुत करते हैं तो यह धारणा पैदा होती है कि आप इस समय में बजट पास नहीं करना चाहते क्योंकि समय कम है। मुश्किल से एक हफ्ता बाकी है और आप इसे अगले सत्र में पास करेंगे। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि में और वृद्धि की जा रही है।

संविधान के अनुच्छेद 116 के अधीन लेखानुदान तीन आवश्यकताओं के कारण कराया जाता है। पहली स्थिति यह है जो हमारे सामने है अर्थात् बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी आकस्मिक स्थिति में, राज्य संसाधनों के सम्बन्ध में उत्पन्न अप्रत्याशित मांग को पूरा कराने के लिए लेखानुदान किया जाता है। उस स्थिति में बजट पेश किये बिना ही लेखानुदान प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार तीसरी आकस्मिक परिस्थिति में भी बजट पेश किये बिना ही विशेष अनुदान प्राप्त करने हेतु लेखानुदान प्राप्त किया जा सकता है जोकि किसी वित्तीय वर्ष विशेष की चालू सेवाओं का भाग नहीं होती। अतः यदि आपका इरादा छः महीने के भीतर चुनाव कराने का था तो आप बजट पेश किये बिना लेखानुदान प्राप्त कर सकते थे। परन्तु आपने ऐसा क्यों नहीं किया ? इससे यह धारणा बनती है कि आप राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि पिछले अवसर पर मैंने यह प्रश्न उठाया था और अब पांडेचेरी संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा दी गयी है। हालांकि उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि ऐसा नहीं किया जायेगा। अतः माननीय मंत्री महोदय से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आप का विचार गोआ में राष्ट्रपति शासन की अवधि में वृद्धि करने का है ? यदि आपकी यह इरादा नहीं है, तो आप ने बजट क्यों पेश किया है ? आपने यह कार्य जनता पर ही क्यों नहीं छोड़ दिया क्योंकि उनके पास इस समस्या से निपटने का बेहतर साधन अर्थात् विधान सभा के सदस्य है ?

मैं विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र और राज्य की तुलना करके एक अन्य प्रश्न उठाना चाहूंगा। हम से बार-बार कहा जाता है कि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए ऐसा संघ राज्य क्षेत्र राज्य के समान है। उसे राज्य का दर्जा दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों समान स्तर पर हैं। परन्तु अब हम देखते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के मामले में हमेशा

ही स्वतः और तत्काल एक सलाहकार समिति का गठन हो जाता है जिसमें सदन के विभिन्न वर्गों के संसद सदस्य तथा उस राज्य विशेष के संसद सदस्य होते हैं जो उसके विधान कार्य की देखभाल करते हैं। परन्तु इस मामले विशेष में किसी सलाहकार समिति के गठन की कोई बात ही नहीं है। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों है ?

इस संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनिधि सरकार है और इसकी और एक राज्य है। राज्य अपेक्षाकृत बड़ी इकाई हो सकता है परन्तु सारभूत रूप से मेरे विचार में उनका दर्जा बराबर का है, मेरे विचार से, चाहे वह संघ राज्य क्षेत्र हो या राज्य, वहां प्रतिनिधि सरकार अथवा जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण होना ही चाहिये। इसलिए सरकार से मेरी अपील है और यह सुझाव देता हूँ जो कि वहां की जनता का है कि जैसाकि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने पर हमेशा होता आया है, शीघ्रातिशीघ्र संसद सदस्यों की एक सलाहकार समिति का गठन किया जाये। जिसमें उस संघ राज्य क्षेत्र के संसद सदस्य भी सम्मिलित किये जायें। इससे वहां का नियंत्रण जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में रहेगा।

मेरे विचार से जहाँ तक संघ राज्य क्षेत्रों विशेषकर गोवा की बात है, उसके मामले में किसी अन्य राज्य के मुकाबले सलाहकार समिति गठन की अधिक आवश्यकता है क्योंकि जहाँ राज्यों में नौकरशाही के लोगों की अर्थात् असैनिक सेवा के कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या स्वयं उन राज्यों की होती है क्योंकि वहाँ अधिकारियों का एक राज्य संवर्ग होता है, वही संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग की भरती सम्पूर्ण देश से की जाती है और जैसाकि गोआ के मामले में है, वहाँ प्रशासन-तंत्र के 15 अथवा 20 शीर्षस्थ अधिकारियों में से केवल एक अधिकारी इस संघ राज्य क्षेत्र का है।

इस स्थिति में आप राष्ट्रपति शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रशासन नौकरशाही के हाथ में सौंप रहे हैं जो हो सकता है बहुत अच्छे हों और जो कई मामलों में अच्छे होते हैं, परन्तु इस मामले विशेष में ऐसा है कि वे संघ राज्य क्षेत्र की समस्याओं से परिचित नहीं होते क्योंकि वे बाहर के हैं और मेरे विचार से क्योंकि वे वहाँ थोड़े समय के लिए रहेंगे अतः हो सकता है कि वे अधिक रुचि न लें। अक्सर देखने में आता है कि वरिष्ठ अधिकारियों को पता नहीं है कि भारगोआ और भारमागोआ दो स्थान हैं, वे इन्हें एक ही समझते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में इस से पूर्व किसी गोआवासी को देखा नहीं। यह सूदूर क्षेत्र है। कुछ दिन पहले श्री पटेल कह रहे थे कि केन्द्रीय सरकार का आदेश उत्तर प्रदेश में नहीं चलता वह दिल्ली के पास है। लेकिन गोआ में अधिकारी लोग मुखिया हो जाते हैं और मन के मालिक होते हैं। वे संघ राज्य क्षेत्र के निवासी नहीं होते अतः उन्हें उसकी समस्याओं का पता नहीं होता और वे वहाँ केवल थोड़े समय के लिए होते हैं। वे केवल अपना स्थानान्तरण दिल्ली कराने का प्रयास करते हैं। दोपहर एक बजे के बाद वरिष्ठ अधिकारी प्रायः आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। जिस पर नियंत्रण होना चाहिये, नियंत्रण शब्द यदि कठोर है तो मैं कहूंगा कि वे संघराज्य क्षेत्र के लोगों और संसद सदस्यों के सुझावों के अनुसार काम करें क्योंकि वे वहाँ के लोगों की कठिनाईयों के बारे में जानते हैं। अतः

मैं जोरदार शब्दों में सिफारिश करता हूं कि सरकार राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन में सरकार को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति गठित करे।

कई समस्यायें ऐसी हैं जिन पर संघ राज्य क्षेत्र में विवाद चल रहा है। ये समस्यायें केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जब हम इन समस्याओं के बारे में भारत सरकार से कहते हैं तो सरकार कहती है—"कि वह संघीय शासन प्रणाली के प्रति इतनी प्रतिबद्ध है कि वह राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का विचार तक नहीं रखती और इस मामले में अवसर खास दोष स्थानीय प्रशासन या स्थानीय सरकार के मत्थे मढ़ा जा रहा है। अब आपके सामने इस स्थिति से निपटने और संघ राज्य क्षेत्र का कुछ भला करने का अवसर है। काफी समय से एक समस्या है जिसे थोड़ी सी प्रशासनिक व राजनैतिक इच्छा, या कहना चाहिये, राजनैतिक इच्छा के मुकाबले प्रशासनिक इच्छा से कहीं अधिक आसानी से हल किया जा सकता है क्योंकि इस मामले में कोई राजनैतिक विवाद नहीं है। यह समस्या मछियारों की है। देहाती मछियारे हैं, वे छोटी नावों का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर मशीन युक्त नौकाओं वाले मछियारे हैं वे भी बड़े आदमी नहीं हैं, वे बड़े मत्स्य नौकाओं के मालिक नहीं हैं, वे बहु राष्ट्रों के भी नहीं हैं, उनके बीच में एक निपटारा करना है और यह समझौता उनके मछली पकड़ने के क्षेत्रों का सीमांकन करके किया जा सकता है। उन्होंने 15 मील के जोन की मांग की है। भारत सरकार 5 कि० मी० के लिए तैयार हो गयी है जो कि उन की मांग का मुश्किल से एक चौथाई भाग है। लेकिन उन्हें वह भी नहीं दिया गया है यह केवल उनके लिए क्षेत्र निर्धारित करने का प्रश्न है। जब अन्य स्थानों पर यह किया जा रहा है तो पश्चिमी तट पर भी किया जा सकता है जिसमें न केवल गोआ बल्कि सम्पूर्ण कोंकण का समुद्रतट आ जाता है। केवल आवश्यकता कुछ पेट्रोलिंग नौकाओं की है। आपके पास भी कुछ पेट्रोलिंग नौकायें हैं जिनका प्रयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन होता यह है कि सरकारी कर्मचारी जो भी मछलियां पकड़ते हैं बेच देते हैं। यह बहुत बुरी बात है। नौकाओं पर रहने वाले व्यक्ति गहरे समुद्र में मछलियाँ बेचते हैं और जब हजारों रुपये खर्च होने के बाद किनारे पर आते हैं तो उनके पास 1 कि० ग्रा० मछली होती है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : यह बहुत खराब बात है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इसलिए मेरा कहना है कि आप की जो नावें वहाँ हैं आप फिलहाल तबतक उनका प्रयोग कीजिये जब तक कि आपकी अपनी पैट्रोलिंग वाली नावें नहीं आ जातीं जोकि 5 कि० मी० के इलाके की निगरानी कर सकें। मांग इससे भी ज्यादा क्षेत्र के लिए, इससे भी लम्बे क्षेत्र के लिए है। आप इस पर विचार करें तथा वहाँ के लोगों के हितों को ध्यान में रखें। फिलहाल 5 कि० मी० क्षेत्र के लिए तो हरेक सहमत है। लोगों का जबरदस्त अनुरोध है कि आप पहले इसे कार्यान्वित करें।

इसके अतिरिक्त कितनी हास्यापद बात है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में आवास के लिए लाखों-करोड़ों रुपये का नियतन किया गया है। मेरा निवेदन है कि पहले इस संघराज्य क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की दर लगभग 5-6 प्रतिशत थी, परन्तु पिछले दशक में यह 100 प्रतिशत से भी अधिक थी। हमारे बड़े शहरों में विकास कार्यों, श्रमिकों के आगमन तथा कई अन्य बातों के कारण आबादी 100 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ी है। इससे अत्यंत गम्भीर आवास समस्या पैदा हो गयी है। इस संघराज्य क्षेत्र का लोग प्रायः भ्रमण करते हैं तो क्योंकि वे पत्रिकाओं में बड़े रंगीन विज्ञापनों में पढ़ते हैं कि यह बड़ी रमणीक जगह है। एक बार वे वहां पहुंच जाने के बाद फिर वापस नहीं जाते। अतः आवास समस्या बहुत भीषण हो गयी है। इसी वजह से अधिकारी लोग दिल्ली वापस आना चाहते हैं क्योंकि वे पाते हैं कि जीवन बहुत अधिक व्ययसाध्य हो रहा है—विशेषकर मकानें बहुत मंहगे होते जा रहे हैं। भारत सरकार को संघ राज्य क्षेत्र के लिए आवास की कोई सारभूत योजना तैयार करनी चाहिये जिससे कि समस्या का हल हो सके और जो कि समस्या को जड़ से समाप्त कर सके। अब यह सरकार का कर्त्तव्य है। भारत सरकार के लिए यह कठिन नहीं है। आखिरकार एक छोटा सा संघ राज्य क्षेत्र है। तुलनात्मक रूप से भारत सरकार की दृष्टि से एक महत्वहीन क्षेत्र है यद्यपि स्थानीय जनता और स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से यह समस्या बड़ी भारी है।

मैं आप का ध्यान दो और महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा। एक समस्य कोकणी भाषा की है जोकि यहां की जनता की भाषा है। इसका विकास किया गया है और इसे वहां प्रोत्साहन दिया गया है। भारत सरकार हमेशा यह कहती रही है कि वह उन सभी क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय भाषाओं का विकास करने में रुचि रखती है जोकि अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं की गयी है। जब कभी हम किसी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हैं कि सरकार कहती है, इस की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात केवल गोआ की जनता पर ही लागू नहीं होती बल्कि केरल तक फैले सम्पूर्ण कोंकण क्षेत्र पर लागू होती है।

श्री हरि विष्णु कामत : कोंकणी मेरी मातृभाषा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मध्य प्रदेश होशंगाबाद तक है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : परन्तु मैं देखता हूं कि इस महत्वपूर्ण भाषा के लिए जोकि हरेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक पैसा नहीं दिया गया है, हो सकता है; मैं गलत हूं। उत्तरी कोंकण से लेकर केरल तक लगभग 1 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस भाषा को बोलते हैं और इसके विकास में रुचि रखते हैं। लेकिन भारत सरकार कहती है कि इसे अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां के सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं······

श्री हरि विष्णु कामत : वास्तव में श्रीमती पार्वती कृष्णम् की मातृभाषा भी कोकणी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार इसका क्षेत्र दिल्ली तक फैला हुआ है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं इस सारी बातचीत के दौरान चुप रहा हूँ क्योंकि मुझे कोंकणी के मामले पर समर्थन मिल रहा है अन्यथा मैं इस सदन के प्रख्यात सदस्यों का समर्थन प्राप्त न करता । मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी और समस्या को हल करेगी क्योंकि इस क्षेत्रीय भाषा का विकास होने से वहां की जनता में एकता स्थापित करने और उन्हें एक दूसरे के समीप लाने तथा अंग्रेजी और अन्य भाषायें जो वहाँ चलती हैं, उन्हें हटाने में मदद मिलेगी । यह कई दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण है ।

अब मैं अपनी आखरी बात पर आता हूँ जो कि गोवा विश्वविद्यालय के बारे में है । आप इस विश्वविद्यालय के बारे में क्या करने जा रहे हैं ? यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय रहेगा या राज्य का विश्वविद्यालय रहेगा ? इसका क्या स्वरूप रहेगा ? इसके अतिरिक्त चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही इस योजना को स्वीकृत कर दिया है और प्रत्येक कार्य हो चुका है, क्या आप इसे तत्काल किसी न किसी तरह कार्यान्वित करेंगे ? चूंकि उसके बाद केवल तीन महीने बाकी रहेंगे । क्या आप ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे यह पता चले कि जब आप इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो आप यह गम्भीरतापूर्वक कहते हैं ? क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ शुरू करेंगे ?

मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि सरकार ने इस संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन कर दिया है जिस में उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी होंगे । इसे मैं एक साहसिक कदम कहूंगा जोकि काफी समय पहले उठा लिया जाना चाहिये था क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास की कोई बृहद् योजना नहीं है । इस तरह हम कैसे आगे बढ़ रहे थे, हम आगे नहीं बढ़े । इसी लिए मैं कहता हूँ कि यह एक साहसिक कदम है और यदि इसी प्रकार कार्यवाही चलती रही तो सरकार छः महीने के भीतर अपने कार्य से भारी सद्भाव अर्जित कर लेगी । मैं अभी कल ही अपने संघ राज्य क्षेत्र से वापस लौटा हूँ । उनकी यह जोरदार मांग थी । अब मुझे स्थिति स्पष्ट हो गयी है । मुझे यह आभास मिला कि प्रशासक के व्यवहार से वहाँ के लोग प्रसन्न हैं । वह अपना प्रशासनिक उत्साह और रुचि से कर रहे हैं । वह कई कदम उठा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं । लेकिन यही काफी नहीं है, अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता । मेरा अपना और सम्भवतः इस संसद के कई सदस्यों का यह विचार है कि चाहे प्रशासक कितना भी अच्छा क्यों न हो, परन्तु यह हमेशा अच्छा रहता है कि उस पर कोई नियत्रण हो और जनता के प्रतिनिधियों और जनता के साथ उसका सम्पर्क हो । तभी स्थिति में सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

इन विचारों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं गोवा का निवासी नहीं हूँ और न ही उन की समस्याओं को जानता हूं परन्तु मैं सरकार का ध्यान केवल एक समस्या अर्थात् परम्परागत मछियारों की सम-

स्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह समस्या अत्यंत गम्भीर है। मैंने उनकी ओर से कई अभ्यावेदन दिये हैं तथा हाल ही में उन के नेता भी मुझ से मिले थे।

एक प्रश्न यह है कि श्री फैलीरो भी पहले ही यह प्रश्न उठा चुके हैं—भारत सरकार का एक दिनांक 29 मार्च, 1978 का आदेश संख्या डी० ओ०एफ० 300/35/1077 था जिसमें स्पष्टतः पांच किलो मीटर का क्षेत्र इन परम्परागत मछियारों के मछली पकड़ने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन दुर्भाग्य से उनकी शिकायत यह है कि पिछली सरकार ने उक्त आदेश में "पांच फैदम (एक फैदम छ: फुट की गहराई)" शब्द जोड़कर केन्द्रीय सरकार के उक्त आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया। मेरे पास पिछली सरकार द्वारा प्रकाशित एक अधिसूचना की प्रति है जिसमें यह कहा गया है :

> "अन्तरदेशीय जल" का तात्पर्य ऐसे किसी भी जलमार्ग से है जहां मछली पकड़ी जा सकें, इसमें धान के खेतों या खजान भूमि में इकट्ठा हुआ वह रुका जल भी सम्मिलित है जहां मछली पकड़ी जा सकती है। साथ ही इस शब्द के अन्तर्गत गोवा और दीव संघ राज्य क्षेत्र के समुद्रतट के किनारे का, तट से 5 फैदम गहराई तक का अथवा तट से पांच किलोमीटर से आगे तक का इन में जो भी अधिक हो,—समुद्र भी सम्मिलित है।"

उपर्युक्त अधिसूचना में 'पांच फैदम' शब्द होने से ट्रालर और मशीन बोटों के मालिकों को पांच किलोमीटर के इस आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिल गया है और वस्तुत: इसके कारण परम्परागत मछियारे मछली पकड़ने के अपने अधिकार से वंचित हो गये हैं। स्थिति इस सीमा तक पहुंच चुकी है कि उन्होंने निरन्तर भूख हड़ताल करके आन्दोलन शुरू कर दिया है। मुझे कुछ महीने पहले एक पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि भूख हड़ताल 300 दिन से अधिक चली और एक पत्र मैं देख रहा हूं कि यह पत्र कृषि मंत्री को लिखा गया है—जिस में कहा गया है कि कृषि मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार के आदेश को लागू किया जायेगा :—

> "......आपने कहा था कि हाल में अपदस्थ किए गए गोआ की समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार थे। आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि यह समस्या कितनी गम्भीर है तथा गोआ के हमारे मछियारे कितने निराश हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ रहा है, जो इस हद तक पहुंच गया है कि कम गहरे पानी में चोरी से घुसने वाले 2 ट्रालरों को फरवरी, 1979 में जला दिया गया।"

इस प्रकार संघर्ष जारी है तथा इसकी वजह से लाखों मछियारों के आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। अब केन्द्रीय सरकार वहां पर प्रशासन की प्रमुख है अत: मेरा विचार है कि केन्द्रीय सरकार के आदेश को पूरी तरह लागू किया जायेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा अन्य कुछ स्थानों पर यह आदेश पहले ही

लागू किया जा चुका है। यह एक अत्यंत गंभीर समस्या है जिस की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

सामान्य रूप से अन्य पहलुओं के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि जैसाकि सामान्यतः राष्ट्रपति शासन के मामले में भी एक सलाहकार समिति होनी चाहिये। मैं यह भी मांग करता हूँ कि छः महीने के भीतर चुनावों की घोषणा होनी चाहिये और उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाये।

श्री अमृत कासर (पणजी) : सर्वप्रथम मैं गोवा, दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र में लगाये गए राष्ट्रपति शासन पर असंतोष तथा विरोध प्रकट करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने गोवा, दमन तथा दीव में राष्ट्रपति शासन लागू करने में गलती की है क्योंकि वहाँ वैकल्पित सरकार बनाने की हर सम्भावना थी। गोवा के संघर्ष का इतिहास तथा गोवा में जो कुछ घटनाएँ घटी उसकी यहाँ पूर्ण जानकारी नहीं है, उसके समस्त तथ्यों का पता नहीं है। तीन विधायकों ने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के विरुद्ध विद्रोह किया था उन्होंने ऐसा अपनी व्यक्तिगत क्षमता से किया, उन्होंने दल नहीं छोड़ा। उस दल के केवल विधान सभा के सदस्य ने ही नहीं बल्कि कुछ कार्यकारिणी के सदस्यों तथा कुछ संसद सदस्यों ने भी तत्कालीन मुख्यमंत्री के निरंकुश शासन का विरोध किया। वह उस समय मुख्यमंत्री तथा दल के अध्यक्ष दोनों पदों को सम्भाले हुए थे। संघर्ष हाल ही में शुरू नहीं किया गया, यह जून 1967 में विधानसभा के चुनाव के तत्काल बाद ही शुरू हो गया था। मैंने उस समय व्यक्तिगत रूप से यह माँग की थी कि एक ही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और दल के अध्यक्ष के पद पर नहीं होना चाहिए। मैं लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक तरीकों से दल के कार्य करने में वि‍ करता हूं इसलिए मैंने वह कार्यवाही शुरू की। मेरी इस कार्यवाही को बाद में दल की का के कुछ सदस्यों, कुछ विधान सभा सदस्यों ने भी समर्थन किया जो अन्ततोगत्वा बहुत झाने के बाद दल के सक्रिय कार्यकर्ताओं की लोकतांत्रिक माँग का समर्थन करने त विश्वास करने के लिए राजी हुए। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने दल बदल समझा। जब महाराष्ट्र में कुछ ऐसी ही घटनाएँ घटीं तो इसे दल बदल नहीं माना गया और जब सिद्धान्तों के ऊपर बहुत से राज्यों में दल का विभाजन हुआ तो इसे भी दल बदल का नाम नहीं दिया गया लेकिन इसे केवल गोवा के मामले में दल बदल की संज्ञा दी गई।

यदि आप दल के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो आपको पता लगेगा कि दल का गठन सन् 1963 में हुआ था और उस समय सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गई थी। सन् 1979 तक महाराष्ट्र गोमंतक दल के कोई चुनाव नहीं हुए। सन् 1963 में जो कार्यकारिणी के 22 सदस्य बनाए गए थे उनमें से कुछ मर गए तथा कुछ दल छोड़कर चले गए। आज कार्यकारिणी में केवल 6 सदस्य हैं जिनमें दल का अध्यक्ष, जो मुख्यमंत्री भी थे, सम्मिलित थे। दल की यह स्थिति है। हम दल में लोकतांत्रिक सिद्धांत तथा लोकतांत्रिक कार्यपद्धति लाने के इच्छुक थे : यह सामान्य रूप से दल बदल नहीं था। मैंने अभी दल का संक्षिप्त इतिहास बतलाया है।

अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। अभी-अभी मेरे मित्र श्री फैलीरो ने एक सलाहकार समिति के बारे में कहा है जिसमें जनता के प्रतिनिधि तथा दो संसद सदस्य सम्मिलित हों, यह समिति इस क्षेत्र में सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में उप राज्यपाल तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देगी। मैं इस माँग का समर्थन करता हूँ तथा मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी तथा दो संसद सदस्यों तथा गोवा, दमन और दीव की जनता के प्रतिनिधियों की माँग को स्वीकार करेगी।

अब मैं वर्ष 1979-80 के बजट प्रस्तावों को लेता हूं। यदि आप बजट प्रस्तावों का अवलोकन करें तो आपको पता लगेगा कि इस बजट में इस राज्य की समस्याओं को नजरअन्दाज कर दिया गया है। मेरा विचार है कि उस सरकार ने जो भी बजट प्रस्ताव तैयार किए थे उन्हें ज्यों का त्यों ही यहाँ रख दिया है। बजट प्रस्तावों से यह पता लगता है कि महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी हमेशा यही नारा देती रही है कि वह जनता पार्टी के सिद्धान्तों एवं केन्द्र में जनता पार्टी की नीति का अनुसरण कर रही थी लेकिन इन बजट प्रस्तावों में जनता पार्टी की नीति को कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस बात का पता ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए किए गए प्रावधान से लगेगा। वर्ष 1978-79 में, 65,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी इनमें से केवल 10,000 रुपये ही उपयोग में लाए गए। इससे इस क्षेत्र के ग्रामीण उद्योगों की स्थिति का पता लगता है। सरकार ने कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं की। इस क्षेत्र में दी जाने वाली प्राथमिकताओं पर बिना विचार किए की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एक नौकरशाही कार्यवाही है।

इस संघ राज्य क्षेत्र की सबसे कठिन समस्या मछली पालन की है जो इस राज्य में हलचल पैदा करती है। इसका उल्लेख दो माननीय सदस्यों ने पहले ही कर दिया है। अब इस राज्य में केन्द्रीय सरकार प्रशासन चलाने की जिम्मेवार है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार परम्परागत मछियारों को कम से कम पाँच किलोमीटर क्षेत्र देकर अपने मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कार्यान्वित करेगी। वास्तव में, मछियारों के वक्ता हाल ही में राजधानी में आए और वे कृषिमंत्री जी से मिले तथा मंत्रीजी ने उनकी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुना। मैं आशा करता हूँ कि यदि जनता पार्टी हालांकि कुछ नीतियों के कारण गोवा में उसका महत्व घट रहा है, इन मछियारों के लिए 5 किलोमीटर के नियम को कार्यान्वित कर दे तो इससे यह पददलित समाज फिर उसको अपना समर्थन देना शुरू कर देगा। वास्तव में गोवा में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की संख्या बढ़ रही है। 1 किलोमीटर के फासले के लिए कम से कम चार मत्स्य नौकाएं हैं। यह संख्या अधिकतम संख्या को भी पार कर चुकी है। इसके बाद यदि इनकी संख्या बढ़ने दी गई तो गोवा की जनता के लिए कोई मछली नहीं रहेगी और हमारे राज्य में मछली एक आवश्यक वस्तु है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई इस परम्परागत मछुओं को संरक्षण देने तथा उन्हें इस राज्य से बाहर फेंकने से बचाने की मांग का समर्थन करता हूं।

मेरा दूसरा प्रश्न जिसके बारे में मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, वह कृषि है। हालांकि बजट प्रस्तावों में खानों के लिए रायल्टी बढ़ा दी गई है लेकिन राज्य में खनन कार्यों के फलस्वरूप नष्ट

हुई कृषि भूमि के लिए कृषकों को संरक्षण प्रदान करने हेतु कोई कानून नहीं बनाए गए हैं। आज-कल बिचोली, सांगी तथा सतारी ताल्लुकों के कुछ भागों में खनन कार्य चल रहा है। वहाँ धान के खेत नष्ट हो गए हैं लेकिन कृषकों को एक नया पैसा भी क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि हर समय उद्योग विभाग यह कहता है कि उनके प्रार्थनापत्रों को खान विभाग के पास भेज दिया गया है तथा खान विभाग का यह कहना है कि यह केन्द्र का विषय है तथा जब यह मामला केन्द्र सरकार के पास पहुंचता है तो वे इसे राज्य सरकार के पास यह कह कर वापिस भेज देते हैं कि यह मामला कृषि के अन्तर्गत आता है और कृषि राज्य सरकार का मामला है। इन कृषकों के संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है जिन्हें खनन कार्यों के फलस्वरूप हानि उठानी पड़ रही है। गत वर्ष मैंने एक पत्र माननीय खान मंत्रीजी को लिखा था। उन्होंने मेरे पत्र को तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास टिप्पणी के लिए भेज दिया जो स्वयं एक खान की स्वामिन थी। लेकिन उन्होंने भी इस मामले में कुछ नहीं किया। इस राज्य में कृषक अब भी परेशानी उठा रहे हैं।

कृषकों की दूसरी समस्या कृषक अधिनियम के अन्तर्गत भूमि की है जिसे न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में चुनौती दी गई थी तथा इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में कर दी गयी। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस राज्य में भूमि जोतने वाले कृषकों के तत्सम्बन्धी कानूनी संरक्षण देने के मामले को लड़ने में सभी प्रकार की सावधानी बरतेगी।

इस राज्य की तीसरी समस्या शिक्षित बेरोजगारों की है। सन् 1961 में स्वतंत्र होने के बाद इस राज्य में शिक्षा विकास बड़ी तेजी से हुआ तथा आज हम बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि सरकार ने आज तक उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं बनायी है। इसी तरह सरकार ने पर्यटन विकास, जिसकी इस राज्य में काफी सम्भावना है, के लिये भी कोई नीति नहीं बनाई है।

स्थानीय सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है कि राज्य में बड़े उद्योग या लघु उद्योग या मध्यम उद्योग लगाते हैं या राज्य में पर्यटन का विकास करना है। राज्य में अब पर्यटन की काफी सम्भावना है। इसलिए राज्य में बहुत से पर्यटक जा रहे हैं और इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वह इस समस्या को सुलझाने के लिये अपर्याप्त है। समस्या यह है कि वहां निम्न और मध्यम वर्ग की आय वाले व्यक्तियों के लिये कोई होटल नहीं है। ताज वर्ग के होटल बन रहे हैं। ओवराय-शेरातन होटल भी बन रहे हैं। ये होटल केवल धनी वर्ग के व्यक्तियों के लिये हैं तथा उत्तर हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों से आने वाले मध्यम और गरीब पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होटल उद्योग को राज सहायता दी जा रही है लेकिन यह समस्त राज सहायता पूंजीपतियों की जेब में जा रही है जो ओवराय-शेराटन या ताज होटलों का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि जनता सरकार की नीति है मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य में बड़े-बड़े गृहों को लाइसेंस नहीं देगी और वह गरीब जनता के लिये जनता होटलों को ही बनवाने की कोशिश करेगी।

इस राज्य की एक समस्या यह है कि राज्य में ग्रामीण विकास के लिए कोई समेकित योजना क्रम नहीं है। मन्डोवी का पुल बन कर तैयार हो गया है और जौरी पुल सन् 1980-81 में बन कर तैयार होगा।

लेकिन परनेम तालुक, सतारी, संगुइम तथा कनकोना तालुकों में बहुत से गांवों में तालुकों तक जाने के लिये आज भी सड़कें नहीं हैं। बरसात के दिनों में सड़कों के टूट जाने और विभिन्न स्थानों को मिलाने वाली सड़कों की कमी के कारण इन गाँवों का अन्य भागों से सम्पर्क टूट जाता है। इस राज्य में असंतुलित प्रगति हुई है।

दिल्ली में बैठे हुए बहुत से अधिकारी जो इस राज्य के लिए प्रस्ताव पास करते हैं, उन्हें इस राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गोवा केवल एक ही शहर नहीं है। पंजिम इसकी राजधानी है तथा इसमें 11 तालुक हैं। इस राज्य में बहुत से गाँव हैं और यहाँ की अधिकांश जन संख्या गांवों में बिखरी हुई है। गोवा में गांवों की प्रगति गोवा की प्रगति होगी और यह प्रगति केवल पंजिम की ही प्रगति नहीं होगी।

अब तक केवल पंजिम में ही अन्तर्राज्यीय बस अड्डों का निर्माण किया गया है किन्तु उनकी हालत भी ठीक नहीं है हालाँकि उन पर लाखों रुपये खर्च किये गये हैं। यदि भारत सरकार इसकी जाँच करे तो इससे लाखों रुपये के गलत खर्च करने का पता लग जायेगा। गोवा में बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में जांच की जानी है लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं आशा करता हूँ कि राज्य में जो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उससे बहुत सी बातों में सुधार हो जाएगा जो पीछे खराब हो गई थी तथा सरकार सलाहकार समिति की स्थापना करने के हमारे प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी स्वीकार करेगी जिससे यहां की दिन प्रतिदिन की समस्याओं को सरकार की जानकारी में लाया जा सके।

आजकल गोवा में डीजल की कमी है और बसें नहीं चल रही हैं। गोवा को जाने वाली केवल एक ही छोटी रेल लाइन है जो यातायात की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। मैं आशा करता कि सरकार इस राज्य में डीजल की कमी को पूरा करने के लिये डीजल की ज्यादा कोटा देने के लिये तत्काल फैसला करेगी।

मेरे मित्र ने इस क्षेत्र में आवास की सुविधाओं का पहले ही हवाला दिया है। वास्को, मुर्गाओं, पांजिम तथा मपूसा जैसे विकसित होने वाले शहरों में आवासों की बहुत कमी है। पांजिम में ज्यादातर आवास केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये गये हैं, और आजकल स्थिति यह है कि आवास केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए भी पूरे नहीं हैं। बहुत से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवास की समस्या की वजह से गोवा जाने के लिये अनिच्छुक हैं। आशा करता हूँ कि सरकार गोवा में आवास की समस्या को आसान बनाने के लिए अपेक्षित कदम उठायेगी।

श्रीमान, यदि आप बजट प्रस्तावों को देखें तो आपको पता लगेगा कि सहकारिता के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन एक सरकारी आन्दोलन हो गया है। वह जनता की कोई एसोशिएशन नहीं है। वर्ष 1978-79 के लिये 29 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। अब यह बढ़ाकर 1·36 करोड़ रुपये कर दिया

गया है। यह धनराशि संजीवी चीनी कारखाने के घाटे को पूरा करने के लिए ही बढ़ाई गयी है। यह चीनी कारखाना इस राज्य के लिए एक सफेद हाथी बन गया है। हमारे नेता महाराष्ट्र के नेताओं की नकल करके यहां चीनी के कारखाने की स्थापना करना चाहते हैं। वे ऐसा वहां की भूमि की जांच किये बिना ही करना चाहते हैं, कि क्या यहाँ कि भूमि में गन्ना उगाया जा सकता है या नहीं। इस कारखाने में काफी घाटा हो रहा है। चूंकि गन्ने की कोई खरीद कीमत निश्चित नहीं की गयी है अतः कृषकों ने गन्ने की खेती करना बंद कर दिया है। इसलिए यह कारखाना इस वर्ष बंद कर देना चाहिए।

इसलिए इससे इस राज्य को भविष्य में दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

पश्चिमी घाट विकास योजना के बारे में ऐसा कहा गया है कि पश्चिमी घाट विकास की एक समेकित योजना के लिये पृथक से 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। इस समेकित योजना के लिये तीन तालुकाओं का चयन किया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि ये तीन तालुकाएं कौन से हैं जिन्हें इस योजना के लिये छांटा गया है? अब जबकि इसके लिये धन दिया गया है, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस धन राशि में से कितना धन पश्चिमी घाट योजना के लिये खर्च किया जा चुका है अर्थात् सतारी, संगगुइम तथा परनम तालुकाओं के लिये जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं। मैं एक दूसरे तालुक के दौरे पर गया जहां एक पुल का निर्माण पूरा होने वाला था जिससे गोवा तथा बेलगांव शहर एक अत्यन्त छोटे मार्ग से जुड़ सकेंगे। वह कार्य भी पूरा नहीं हुआ था। केवल एक नदी के पास कुछ पत्थरों का ढेर लगा हुआ था लेकिन काम की शुरुआत नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट योजना में एक सिंचाई योजना भी आरम्भ की जानी थी लेकिन उसे भी अब तक आरम्भ नहीं किया गया है। मैं सरकार से इस उद्देश्य के लिये एक पुनरीक्षण समिति की स्थापना करने की प्रार्थना करूंगा तथा यह भी प्रार्थना करूंगा कि केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी वहां जाकर देखें कि पश्चिमी घाट योजना की क्या प्रगति हुई है और क्या इस योजना पर अब तक किया गया खर्च उचित है। असलीयत में हम अब तक यह प्रतीक्षा करते रहे हैं कि केन्द्र का कोई मंत्री गोवा जाये तथा वह स्वयं यह देखे कि वहां की जनता के सामने क्या परेशानियां है। मंत्री गण शायद यह सोचते हों कि गोवा एक छोटा सा संघ राज्य क्षेत्र है तथा इसके यहां केवल दो ही संसद सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं तथा यहां उनकी पुकार कोई नहीं सुनती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि जैसे राज्यों के बहुत से संसद सदस्य सदन में हैं तथा मंत्री गण भी इन्हीं राज्यों का दौरे करते हैं। लेकिन वे गोवा नहीं जाते हैं। इसलिये मैं यह अनुरोध करूंगा कि पश्चिमी घाट योजना पर हुए खर्च का पुनरीक्षण किया जाये जिससे खर्च के सही आंकड़ों का पता लग सके तथा इस बात की भी जानकारी हो सके कि योजना को कार्यान्वित करने में कितना धन व्यय किया गया है तथा उन्हें यह भी पता लग सके कि दिया गया धन इसी काम के लिये खर्च किया गया है या अन्य किसी कार्य के लिये खर्च किया गया है। यह योजना पहाड़ी या पिछड़े क्षेत्र में आरम्भ की जानी है तथा इसके लिये दी गयी धनराशि इस क्षेत्र के विकास के लिये खर्च की जानी चाहिए न कि किसी अन्य काम के लिये। वास्तव में 90 प्रतिशत आय इस

राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है तथा 80 प्रतिशत धनराशि 5 कस्बों के विकास के लिये खर्च की जाती है तथा शेष भागों की यों ही उपेक्षा की जाती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझाव को स्वीकार करेगी तथा उस राज्य की जनता के कल्याण की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : उपाध्यक्ष महोदय, गोवा राज्य का क्षेत्र बड़ा नहीं है लेकिन इसकी समस्याएं बड़ी जटिल हैं और अब उन्हें इनकी जटिलता की जानकारी हो जायगी क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मैं यह आशा करूंगी कि यह सरकार जो लोकतांत्रिक स्वतन्त्रता तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनःस्थापना का नारा देकर बनी है, अपने दिमाग में यहां एक सलाहकार परिषद की स्थापना करने की बात को ध्यान में रखेगी और तत्काल इसके लिए कदम उठायेगी। क्योंकि वे भी वास्तव में यह जाना चाहते हैं कि गोवा की जनता कैसा प्रशासन चाहती है। यह राज्य वर्षों तक राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग रहा तथा वहां पुर्तगाली साम्राज्यवादियों का साम्राज्यवाद बना रहा और हम भी इस राज्य से दूर रहे लेकिन स्वतन्त्रता के बाद हमने गोवा की जनता से सुना था कि यहां की जनता जिसका वर्षों तक राष्ट्र से कोई सम्पर्क नहीं था उसकी समस्याएं क्या हैं। जब वहां अधिकारी गण गये तो वे उस राज्य की जनता की भाषा को ही नहीं जानते थे। वहां की जनता कंकणी या पुर्तगाली भाषा जानती थी। शुरुआत में अधिकारियों को अपने साथ दुभाषियों को लेकर जाना पड़ता था। उस राज्य की जनता ने वयस्क मताधिकार द्वारा दो संसद सदस्यों को चुना है और इसलिये वहां के लिए एक सलाहकार परिषद् अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा, आपको यहां भी उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा जिसका कि पांडिचेरी में करना पड़ा जिसके लिये प्रधान मंत्री ने यह टिप्पणी दी है कि पांडिचेरी को तमिलनाडु में मिला दिया जाये। और आपको पता है कि वहां क्या हुआ ? हमने उस पर यहां सदन में बहस की है। पांडिचेरी की जनता में इसके प्रति काफी रोष था क्योंकि इस कथन में वहां की जनता की इच्छाओं या आकांक्षाओं का कोई हित नहीं था। इसलिये इस प्रकार के छोटे राज्यों में, जहां जनता हमेशा तथा लगातार यही सोचती रहती है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, जब तक राष्ट्रपति शासन रहता है तब तक आप वहां कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाएं, आपको सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाये। मैं आशा करती हूं कि पांडिचेरी की तरह आप वहां भी राष्ट्रपति शासन की अवधि नहीं बढ़ायेंगे।

मैं नहीं जानती हूँ कि आपने पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन की अवधि क्यों बढ़ायी थी। क्या यह इसलिये बढ़ायी थी कि जनता पर नशाबंदी जबरदस्ती थोपी जा सके ? मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि यदि आपने गोवा में भी यही खेल खेलने की कोशिश की तो गोवा में पांडिचेरी से ज्यादा भयंकर उपद्रव होंगे क्योंकि गोवा में काजू पैदा होता है और उसकी फेनी नामक शराब बनायी जाती है।

मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगी कि जब हम यहां तट रक्षक विधेयक पर बहस कर रहे थे तो आपको याद होगा कि इसे यहां अनुचित ढंग से जल्दबाजी में लाया गया था।

क्योंकि जिस दिन प्रधान मंत्री को उद्घाटन करना था उसकी तिथि की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। इसे श्री कमाथ ने पेश किया था। हम सबने इसमें सहयोग दिया तथा इसे पेश करने की अनुमति दी लेकिन उस समय हमने कहा कि मशीनयुक्त मत्स्य नौकाओं द्वारा मछियारों को शोषित होने से बचाने के लिए तट रक्षकों को बुलाया जाना चाहिए। इसलिये आप के पास पहले ही तंत्र है। आप ने तट रक्षक कानून को पेश करने में जल्दबाजी क्योंकि जब तक कि आपको यह विश्वास नहीं था कि तट रक्षक को वास्तविक रूप से हमारी सीमाओं के हितों की रक्षा करनी है। हमने यह प्रश्न उसी समय उठाया था। हमें मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रो० शेर सिंह से आश्वासन मिला जो कि विधेयक पेश रहे थे कि मछियारों के हितों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा तथा तट रक्षक उन्हें मदद देंगे। अतः आपके पास मछियारों को मदद देने तथा उनके लिए आरक्षित सीमाओं की रक्षा के लिए, हालांकि वे सीमाएं अपर्याप्त हो सकती हैं, पहले ही तंत्र उपलब्ध है।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु तट रक्षक के पास केवल दो गश्ती जलपोत तथा पांच गश्ती नौकायें हैं जो इस उद्देश्य के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : आखिरकार यह चीन या ऐसे देशों में से कोई नहीं है जो आप की सीमाओं पर आक्रमण करने आ रहे हैं। तट रक्षक को हमारे मछियारों की सुरक्षा करने के बारे में कुछ करना चाहिए। आप दस वर्ष के भीतर बेरोजगारी समाप्त करने की बात कर रहे हैं। दस वर्षों में से दो वर्ष पहले ही बीत चुके हैं, यदि आप प्रधान मंत्री को कहेंगे कि दो वर्ष तो बीत चुके हैं तो वह आप के साथ सहमत होंगे तथा कहेंगे कि अभी आठ वर्ष और हैं परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप इन मछियारों के हितों पर ध्यान नहीं देते हैं तो देश में यह परम्परागत उद्योग समाप्त हो जाएगा तथा हजारो मछियारें तथा मछियारियां बेरोजगार हो जायेंगे जो कि अपनी जीविका कमा रही हैं तथा जो हजारों वर्षों से किसी पर भार बनकर नहीं रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि श्री मंडल तथा श्री अग्रवाल दोनों ही शाकाहारी हैं, परन्तु यह कोई खास बात नहीं है। प्रश्न यह है कि ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप की बेरोजगारी को समाप्त करने की योजना कहां है? कम से कम आप उनके रोजगार की रक्षा क्यों नहीं करते हैं जो पहले ही स्वयं रोजगार में हैं।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि गोवा के साथ परिवहन तथा संचार का विकास करना अत्याधिक आवश्यक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से अलग रहा। मिशाल के तौर पर पांडिचेरी को ले लीजिए। कम से कम पांडिचेरी में संचार की व्यवस्था इतनी बुरी नहीं है जितनी कि गोवा में। श्री कामत मेरी इस बात से सहमत होंगे कि केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक में रहने वाले अधिकांश लोगों के वंशज गोवा में रह रहे हैं लेकिन वे गोवा नहीं जा सके। गोवा स्वतंत्र हुआ तो ये लोग वहां जाना चाहते थे तथा अपने उन परिवारों के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे जिनके पुर्तगाल शासन के दौरान बहुत वर्षों तक सबंध विच्छेद रहे। वहां संचार व्यवस्था की नितान्त आवश्यकता है। रेल द्वारा बहुत समय लगता है। आपके पास तटीय जल-

मार्ग है। आपने सड़कों का विकास करना है, सड़कों के निश्चित रूप से विकास की आवश्यकता है। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार को इसकी जाँच करना चाहिए, यह राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है। इन सड़कों के विकास के बारे में क्या किया जा रहा है? गोवा पर्यटन के विकास के लिए सही स्थान है। मैं केवल जनता होटलों के बारे में नहीं सोच रही हूँ। हम देख चुके हैं कि जनता होटल क्या हैं। परन्तु इस समूचे तटीय क्षेत्र के साथ-साथ जो एक पर्यटन क्षेत्र है, आप निश्चित रूप से "होली डे होम" का निर्माण कर सकते हैं। यदि पर्यटकों के लिये नहीं तो आप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए इनकी स्थापना कर सकते हैं। देश के निम्न आय वर्गों के लिए इनका निर्माण कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि सरकार इन मामलों पर विचार करेगी। मैं माननीय मंत्रीजी से यथा शीघ्र सलाहकार समिति का गठन करने तथा गोवा में शीघ्र चुनाव करने और वहाँ एक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने के निवेदन के साथ अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर) : मैं थोड़े समय के लिए गोवा गया था और मैंने वहां जो कुछ देखा उससे मुझे आश्चर्य हुआ। सेना में जनरल फील्ड अफसर अर्थात् मेजर रखता है। वह अपने अफसर को भेजता है। तब वहाँ लेफ्टीनेन्ट होता है, लेफ्टीनेन्ट को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वहाँ लेफ्टीनेंट उपराज्यपाल, लेफ्टीनेंट मुख्य मंत्री हैं। यहां लेफ्टीनेंट मंत्री हैं। यह 30 व्यक्तियों की एक छोटी संस्था है। चूंकि सारे कार्य गौण कार्य हैं, अतः हम इस सदन में भी उपस्थिति देखते रहे हैं; इस सदन में गणपूर्ति के लिये कम से कम अपेक्षित सदस्यों का 50% है। मैं कामरेड पार्वती कृष्णन की इस बात से सहमत हूं कि क्या भारत के अंग के रूप में गोवा का दर्जा रखा जाएगा? वहाँ पुर्तगालियों की पैतृक सम्पत्ति थी। जो गोवा जाता है यह देख सकता है कि छोटे वर्गों के लोग तथा आम आदमी यह महसूस करते प्रतीत होते हैं कि वे तब बड़े खुश थे जब वहाँ पुर्तगाली शासन था। वहाँ ऐसी भावना है। पुर्तगालियों से आजाद होने के बाद गोवा के प्रशासन द्वारा वहां के लोगों में शेष देश के साथ मिलके रहने तथा भारत का अंग होने की भावना पैदा की जानी चाहिए थी। पुर्तगाली जो कुछ गोवा में छोड़ कर गये हैं, राजनीतिक दल भी उस पर गर्व करते हैं। इसके मुकाबले में जो हम समतावादी समाज, विश्व-बन्धुत्व समाज, ईसाई, गैर ईसाई के रूप में बना सकते हैं जो पुर्तगाली भाषा में शिक्षित हुये थे तथा जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षित हुये थे।

श्री हरि विष्णु कामत : वे वहाँ 400 वर्ष से थे।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : अधिकाँश पुरावशेष जैसे सुरक्षित शव वहां दर्शकों के लिए देखने हेतु सजा कर रखे गये हैं। मैंने देखा कि वहाँ इस प्रकार की आकर्षक चीजें हैं। वहाँ बन्दरगाह, समुद्रतट तथा अन्य चीजें हैं। वास्कोडी गामा, डबलीन हवाई अड्डा तथा अन्य स्थान हैं। मंडवी आकर्षित नदी है। जैसे श्रीमती पार्वती कृष्णन ने बताया है कि डबलीन से राजधानी जाना कठिन है क्योंकि सड़कें ठीक नहीं हैं तथा कुछ नदियाँ पार करनी पड़ती है, सिवाय राजकीय अतिथियों को छोड़ कर जिन्हें सरकारी वाहनों द्वारा ले जाया जाता है, अन्य लोगों के लिए परेशानियाँ हैं। अन्य व्यक्तियों को बाहर से नगर में जाने में कठिनाई होती है। वहां ये कठिनाइयाँ हैं। इन सब बातों से एक मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या गोवा को ऐसा ही

रहने दिया जाएगा जैसा कि वह है । यद्यपि यह भारत का अंग है तथापि यह देश से पृथक-सा है गृह मंत्री चेम्बर के बाहर तथा लाबी के बाहर कुछ अपसरों से सलाह-मशविरा ले रहे हैं । गोवा के लोगों की भाषा महाराष्ट्र के लोगों के लिए विदेशी नहीं है । महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। बम्बई प्रेजीडेन्सी एक बड़ा राज्य था । गोवा के लोगों की भाषा तथा महाराष्ट्र की कोंणकण भाषा मिलती-जुलती है ।

अतीत में, कांग्रेस दल ने भाषा के के आधार पर राज्यों की सीमाओं का पुर्नवितरण किया था । इसलिए महाराष्ट्र में बोली जाने वाली कोणकण वही भाषा होने के कारण महाराष्ट्र के साथ गोवा के मिल जाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है । आर्थिक दृष्टि से भी उनकी मदद करना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है । जब एक बार यह केन्द्रीय सरकार का उत्तर-दायित्व है और जब इसकी देखभाल केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही है तो इसको देखने के लिये लोगों तथा इससे कोई लाभ उठाने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को अनुमति देने हेतु महाराष्ट्र सरकार की कोई भावना है कि गोआ में कोई गाड़िया जाएगी, कि गोवा में माल जाएंगे आदि । गोवा अपनी संस्कृति बनाए रखे । गोवा के अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है, उन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को जो आरक्षण प्राप्त है, उससे वंचित कर दिया गया है । इसलिये मैं समझता हूँ यह विचार गोवा के लोगों के दिमाग में भी पहुंचना चाहिए तथा माननीय सदस्य जो गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं वे यह कहें कि क्या उन्होंने इसको महाराष्ट्र में मिलाने का फैसला किया है तथा महाराष्ट्र राज्य के माध्यम से वे इसे देश का अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं तथा वे लाभ उठाना चाहते हैं जो बाकी देश को उपलब्ध है ? हम छोटे-छोटे भाग रखने के विरुद्ध हैं । मेरे अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक छोटा क्षेत्र मुख्य भूमि से अलग किया जा रहा है तथा वहां के लोगों को एक पृथक जाति का रूप देने के लिए अलग राज्य बनाया जा रहा है । हम नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार के राजस्व पर निर्भर हैं । प्राय: उनके सब के अपने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं । **(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं उनके सारे भाषण का घोर विरोध करूंगा ।..........
(व्यवधान)

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : मैं इस प्रकार की जन आकांक्षा के आधार पर देश के किसी छोटे भाग के पुन: बसाने के विरुद्ध हू । इसका आर्थिक विकास के आधार पर बंटवारा होना चाहिए, इसका उनके विकास के उद्देश्य के लिए पिछड़े क्षेत्रों के आधार पर बंटवारा होना चाहिए तथा मुख्य कारण यह होना चाहिए कि गोवा, नागालैंड के लोगों को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि गोवा अथवा नागालैंड की सीमा पार करने से कि वे भारत में आ रहे हैं ।.........
(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कृपया तुलना मत कीजिए......**(व्यवधान)**

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ । मैं केवल अपने अनुभव से कह रहा हूँ । नागा लोग जब असम में आते हैं और नागालैंड सीमा पार करते हैं यदि तब उनसे पूछते हैं

कि वे कहाँ जा रहे हैं तो वे कहते हैं कि हम भारत जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फलीरो : यह बात रिकार्ड में रखी जाये कि इस किस्म की बात का मैं घोर विरुद्ध हूँ।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : मैं गोवा के बारे में किसी बात का आरोप नहीं लगा रहा हूं। **(व्यवधान)**

मैं गोवा के बारे में किसी बात का आरोप नहीं लगा रहा हूं। मुझ को गलत नहीं समझा जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : वर्तमान संसद सदस्यों में से अधिकांश सदस्य स्वतन्त्रता सेनानी थे। **(व्यवधान)**

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : नहीं श्रीमान, मैं गोवा के बारे में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो केवल यह बता रहा हूं कि क्या कुछ हुआ है। **(व्यवधान)** इसलिये यह भावना कि गोवा भारत का अंग नहीं है जो लोगों के दिमाग में घर कर रही है, निकाल देनी चाहिए और हर गोवा निवासी को भारत के कार्यों में भाग लेना चाहिए; भारत के अंग के रूप में महाराष्ट्र के माध्यम से गोवा को स्वयं महाराष्ट्र का अंग महसूस करना चाहिए। मेरा यह विचार है।

अभी हाल में प्रधान मन्त्री गोवा, दमन व दीव तथा नागर हवेली गये थे। मैं समाचार पत्रों में पढ़ चुका हूं कि उन क्षेत्रों के लोग स्वयं प्रधान मन्त्री से निकटवर्ती बड़े राज्य में इन क्षेत्रों को मिलाने का अनुरोध कर चुके हैं। **(व्यवधान)** वहां के लोगों की यह भावना है। मैं अपनी स्वयं की कल्पना से नहीं बोल रहा हूं। मैं यह समाचार-पत्रों में पढ़ चुका हूं। जनता ने एक ज्ञापन तीन दिन पहले प्रधान मंत्री को दिया है। दीव, दमन तथा नागर हवेली के लोगों की यही मांग थी। आप रिपोर्टों से तुलना कर सकते हैं तथा प्रधान मन्त्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, वह आप को बता सकते हैं कि दीव, दमन तथा नागर हवेली का अभ्यावेदन क्या था; उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों को निकटवर्ती राज्य के साथ मिला दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये तीन क्षेत्र निकटवर्ती गुजरात राज्य में आते हैं।

श्री हरिविष्णु कामत : नागर हवेली गोवा क्षेत्र का अंग नहीं है।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : मैं जानता हूं। दमन तथा दीव तथा नागर हवेली उन तीन क्षेत्रों को निकटवर्ती राज्य में मिलाया जाना है क्योंकि भाषा की दृष्टि से ये सभी लोग एक जैसे हैं। मैं समाचार पत्रों की रिपोर्ट से बोल रहा हूं...... **(व्यवधान)**। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के भाग के रूप में गोवा को विकास तथा भावनात्मक मिलन के लिए बहुत सुविधाएं मिलेंगी। पुर्तगाली शासन के अवशेष तथा पुर्तगाली नाविकों की पैत्रिक सम्पत्ति समाप्त होनी चाहिए तथा यह केवल तभी की जाएगी जब यह महाराष्ट्र के निवासियों के साथ घुल मिल जायगी तथा वे महाराष्ट्र के निवासियों के समाज का अंग बन जायें। **(व्यवधान)**

श्री अमृत कासर : क्या आप गोवा निवासियों के समाज के इतिहास को जानते हैं ? इस समय महाराष्ट्र में गोवा के अनेक भाग हैं उन भागों को गोवा के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए... **(व्यवधान)**।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : भारत को 300 छोटे राज्यों में भाजित किया जा सकता है प्रत्येक कहेगा : कि मैं नैतिक रूप से अलग व्यक्ति हूं तथा आर्थिक रूप से मेरा अलग अस्तित्व है; मेरा इतिहास भिन्न है तथा इसी प्रकार···**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि गोवा को राज्य का दर्जा दिया जाएगा।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : इसके विपरित मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि उन्हें मुख्य राष्ट्रधारा के साथ रहना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से देश की मुख्यधारा के साथ रहना चाहिए तथा अन्य देशवासियों के साथ मिलकर रहना चाहिए। मैं कहता हूं : देश के विभाजन को बढ़ावा मत दो तथा जो भी विभाजन हो गया था उसे पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाना चाहिए तथा इसको देश की मुख्यधारा के साथ मिला देना चाहिए।

श्रीमती पार्वती कृष्णन ने होटलों के बारे में बोला। मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए होटलों की तत्काल आवश्यकता वहाँ निश्चित रूप से हैं। जो गोवा जाते हैं वे न केवल होटलों को मंहगे पाते हैं बल्कि सम्माननीय व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष कारणों से रहने लायक नहीं पाते हैं। मैं सारी बातें रिकार्ड में लाना चाहता हूँ, ऐसा कहीं-कहीं है प्रत्येक जगह नहीं। कुछ स्थानों पर वातावरण गंदा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पता लगाने के लिये अनुरोध करूंगा कि क्या कहीं से भी कुछ दर्शकों को वातावरण के परिवर्तन या आराम तथा निवृत्ति क उद्देश्य से गोवा आने की अनुमति देना संभव है। समुद्र के किनारे पर उनके लिए कुछ 'होलीडे होम' होना चाहिए जहाँ कम कपड़े पहने हुये हिप्पियों की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ सम्माननीय कालोनी अथवा बस्तियाँ बनाकर समाप्त किया जा सके ताकि गोवा लोगों के आकर्षण का वास्तविक रूप से स्थल बन सके। वहाँ संचार की सुविधाओं का भी विकास किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका गोवा जाने का इरादा कुछ और ही है। केन्द्र द्वारा समुचित ध्यान देकर गोवा को पूर्ण रूप से बदल देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि चुनाव होंगे तथा वहाँ लोकतान्त्रिक उत्तरदायी सरकार बनेगी; राजनीतिक तत्वों के थोड़े अधिक ध्रुवीकरण के साथ मैं आशा करता हूँ कि नई टिकाऊ सरकार आयेगी तथा अपनी कुछ उपलब्धियाँ दिखायेगी। वहाँ संचार का विकास करना है तथा निकटवर्ती क्षेत्रों तक अधिक सड़कें बनायी जानी हैं ताकि निकटवर्ती क्षेत्रों के लोग व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अधिक भावनात्मक एकता तथा आदि-आदि के लिए वहाँ जा सके। दूसरे, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, न केवल समुद्रों को पार करने के यातायात के लिये बल्कि नगर के अन्दर से तथा अन्य स्थानों से लोग गोवा देखना चाहते हैं। इस कारण नहीं देखना चाहते हैं कि वहाँ हिप्पी है बल्कि वह एक अच्छा स्थल है तथा वह एक आकर्षक स्थल है। दिल्ली के धनी व्यक्ति इस गर्मी में जैसी कि आजकल है, गोवा प्रवास के लिए जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उसको अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए जबकि यह संघीय सरकार के नियंत्रणाधीन है। मैं समझता हूँ कि हमारे राज्य मंत्री दो नौजवानों के साथ जो गोवा के लोगों के प्रतिनिधि होंगे, इस सत्र के समाप्त हो जाने के बाद गोवा के निवासियों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, लगभग दो सप्ताह के लिए वहाँ जाएंगे। मन्त्री महोदय दो सप्ताह ठहरेंगे तथा मालूम करेंगे कि वे कौन से स्थल हैं जिनका विकास किया जाना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आप चार मन्त्रियों को भेजना चाहते हैं या एक को ?

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : हमारे दोनों मन्त्री जाएं तथा वहाँ ठहरें तथा गोवा निवासियों की समस्याओं का अध्ययन करें। सर्दी में वे चुनाव करें तथा शासन उत्तरदायी विधान सभा को सौंप दें। (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल हिप्पियों के साथ व्यवहार करने में बड़े चतुर हैं तथा उन्हें अनुभव है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हिप्पियों को इतना मत सताओ।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : मैं छोटे मछियारों की दयनीय स्थिति आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं राज्य में लोगों की आर्थिक स्थिति से अवगत होना चाहता था। मैंने एक नाई से पूछा सब्जी, आलू या दाल का क्या भाव है? उसने कहा कि उसका दाल, आलू या सब्जी से कोई वास्ता नहीं है। वह नमक, मछली तथा चावल से सम्बन्धित है। यह वहाँ के लोग का मुख्य भोजन है। मैं मानता हूं मेरे माननीय मित्र एडुआर्डो फैलीरो तथा श्री अमृत कासर सहमत होंगे कि उनका सब्जी अथवा आलू से कोई वास्ता नहीं है।

मैंने न केवल नाई से सम्पर्क किया बल्कि अनेक अन्य लोगों से भी सम्पर्क स्थापित किया। उनकी रुचि छोटी मछली जो भी उपलब्ध हो तथा नमक, छोटी मिर्च तथा चावल में है।

मछिआरे गोवा के मूल अथवा आदिम निवासी हैं। मैं मानता हूँ उन्हें उस तरह से रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है परन्तु उनके रहन-सहन का स्तर सुधारा जाना चाहिए अथवा ऊपर उठाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हमें वहाँ अधिक व्यापार-व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करने हैं। मंडप नदीं से भी आगे लोह-अयस्क का कार्य किया जा रहा है।

गोवा में खान मजदूरों की दशा बहुत बुरी है। मैंने बेलाडिल्ला, बिहार तथा अन्य स्थानों पर भी देखा है। सरकार को लोगों की दशा को सुधारने के लिए कुछ सोचना चाहिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मंडल) : गोवा के माननीय सदस्यों ने मुझे गोवा आने का आमंत्रित किया है। मैं अवश्य वहां जाना चाहूंगा। मुझे खेद है कि अभी तक मैं वहाँ की यात्रा नहीं कर सका।

चुनाव कराने के सम्बन्ध में माननीय सदस्या, श्रीमती पार्वती कृष्णन ने माँग की है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ चुनाव कराए जाने चाहिए और राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं माननीया सदस्या से पूर्णतः सहमत हूँ। परन्तु चुनाव हम नहीं कराते। चुनाव निर्वाचन अयोग द्वारा कराए जाते हैं। चुनावों के लिए तिथियां निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। हम केवल चुनाव आयोग की सहायता करते हैं और हम निरन्तर चुनाव आयोग के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि वहाँ वर्ष 1975 में मतदाता सूचियों में व्यापक रूप से संशोधन किये गये हैं और चुनाव आयोग चाहता है और यह सही भी है कि इससे पूर्व चुनाव कराए जायें। मतदाता सूचियों को व्यापक स्तर पर संशोधित किया जाना चाहिए।

इसलिए, यह काम करना है और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जितना शीघ्र हो सके कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए, हमने सुझाव दिया है कि 15 मई, 1979 को मतदाता सूचियों के व्यापक संशोधन की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए ताकि जितना जल्दी संभव हो सके चुनाव संपन्न कराए जा सकें। परन्तु इस कार्य में साढ़े चार पांच माह का समय लग जाएगा। इसमें थोड़े से कम ज्यादा दिन लग सकते हैं। परन्तु चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे इसमें कोई सन्देह नहीं है। हम माननीया सदस्या से सैद्धान्तिक तौर पर इस बात से सहमत है कि राष्ट्रपति शासन एक काम चलाऊ व्यवस्था है और चुनाव शीघ्र कराये जाने चाहिए और जितना शीघ्र संभव हो सके पूर्ण प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की जाएगी। किसी भी बहाने पर राष्ट्रपति शासन की अवधि नहीं बढ़ायी जानी चाहिए। इसलिए हम इस बात के लिए उत्सुक हैं कि यथा संभव शीघ्र चुनाव कराए जायें और हम निश्चित रूप से माननीय सदस्या के सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

उपराज्यपाल या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति का जहां तक सम्बन्ध है, माननीया सदस्या ने कहा कि जहां कहीं भी विधान सभा है वहां ऐसी परम्परा रही है। परन्तु गोवा एक राज्य नहीं हैं, यह एक संघ क्षेत्र राज्य है। इस प्रकार इस विचार के समर्थन में अनेक दलीलें दी गई हैं। वे बहुत ही अच्छी और तर्क संगत हैं और निश्चय ही माननीया सदस्या द्वारा कही गई इन बातों पर कोई विवाद नहीं हो सकता। हम अवश्य ही माननीया सदस्या द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर विचार करेंगे।

मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के अधिकार और मशीन युक्त जलपोतों और नौकाओं द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण का जहां तक सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कुछ समझौता हुआ है। एक पांच फ़ैथम रेखा निर्धारित की जा चुकी है।

श्री हरि विष्णु कामत : पांच फेथम नहीं पांच किलोमीटर।

श्री धनिक लाल मंडल : पांच किलोमीटर का क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा चुका है। हमने गश्त लगाने वाले तंत्र को भी मजबूत कर दिया है। इसलिए, छोटे मछुआरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : आप पानी पर सीमा कैसे निर्धारित कर सकते हैं?

श्री धनिक लाल मण्डल : मेरी जानकारी यह है कि पाँच किलोमीटर का क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा चुका है।

श्री मती पार्वती कृष्णन : मछुआरों ने पाँच किलोमीटर के विस्तार की मांग की है क्योंकि आती-जाती लहरों के कारण मछली पकड़ने के लिए उनके पास अपर्याप्त क्षेत्र है। इसलिए, आपको पाँच किलोमीटर की सीमा बढ़ा देनी चाहिए और उनकी ज्ञापन माँगों की पूर्ति की जानी चाहिए।

श्री धनिक लाल मंडल : पिछड़े वर्गों के आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है। उस आयोग में श्री सुब्रह्मण्यम भी हैं और मछुआ समुदाय के हितों का निश्चय ही ध्यान रखा जाएगा। जो भी सिफारिशें ये करेंगे, हम उस पर विचार करेंगे।

कोंकणी भाषा के सम्बन्ध में, सभी भाषाएं चाहे वे आठवीं अनुसूची में शामिल की गई हैं या नहीं……

श्री हरि विष्णु कामत : तथा पिछड़े वर्गों का आयोग मछली पकड़ने में आने वाली समस्याओं पर भी विचार करेगा ?

श्री धनिक लाल मंडल : हां, मछुआरों की समस्याओं पर, मछली पकड़ने की समस्याओं पर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछड़े वर्गों का आयोग उस समस्या पर भी विचार कर सकता है।

श्री धनिक लाल मंडल : कोंकणी भाषा के विकास का जहां तक सम्बन्ध है, यह हमारा विषय नहीं है, यह शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित मामला है। परन्तु किसी भी भाषा का चाहे वह अनुसूची में शामिल हो या न हो, विकास किया जाएगा। इसलिए, उस सम्बन्ध में आप आश्वस्त रहें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने उस वाद-विवाद में भाग लिया और अपने रचनात्मक सुझाव दिए हैं। मैं अपने साथी श्री धनिक लाल मंडल का भी आभारी हूँ जिन्होने कुछ ऐसी दलीलों को स्पष्ट किया है जिनका वित्त मंत्रालय से कोई वास्ता नहीं है।

सर्वाधिक सुदृढ़ दलील यह दी गई है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ और अधिक धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए। इस सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पाँचवी योजना के दौरान, केवल 85 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। परन्तु छठी योजना के दौरान उस धनराशि को व्यावहारिक तौर पर दुगुना किया जा चुका है। यह राशि 156 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है।

जहां तक आवास की समस्या का सम्बन्ध है, उस विशेष क्षेत्र के माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि प्रावधान बहुत ही अपर्याप्त हैं। परन्तु माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गत वर्ष के दौरान आवास के लिए केवल 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष यह 135 लाख रुपए तक बढ़ गया है। इसी प्रकार, गंदी बस्ती हटाओ योजना के तहत 192 मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा और अधिक भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जीवन बीमा निगम योजना के तहत 100 मकानों का निर्माण किया जा रहा है। कोरलिन और भारमोगा में पहले से ही एक राज सहायता प्रदत्त औद्योगिक आवास योजना शुरू की जा चुकी है।

जहां तक पर्यटन का सम्बन्ध है, उसमें कोई सन्देह नहीं है कि गोआ एक अत्याकर्षक स्थान है। मैंने कन्याकुमारी से रामेश्वरम सहित एक सिरे से दूसरे सिरे तक कल्कट्रेट के सम्पूर्ण क्षेत्र का खास तौर पर दौरा किया। मैंने बहुत से स्थानों की दुबारा या तीसरी बार भी यात्रा की। मैंने दिसम्बर 1978 में गोआ जाने का कार्यक्रम बनाया था। मैं गोवा में समस्त जिलाधीशों का सम्मेलन आयोजित कर रहा था। चूंकि मैंने तीस वर्ष में पहली बार दक्षिण में मद्रास में बोर्ड की बैठक की, इसी प्रकार मैं गोआ में सभा आयोजित करने का विचार कर रहा हूं। परन्तु कुछ कलेक्टर इस बजट के अधिक काम से थक जाने के कारण अवकाश पर चले गए हैं। मैं इस महीने की 26 और 27 तारीख को सम्मेलन आयोजित करने का विचार कर रहा था परन्तु अब, उस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। परन्तु मैं माननीय सदस्य का आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं स्वयं उस आकर्षक स्थान की यात्रा करने के लिए बहुत अधिक इच्छुक हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : कृपया श्री मंडल को भी अपने साथ ले जायें।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं श्री मंडल का इसमें साथ नहीं दे पाऊंगा।

पर्यटन का जहाँ तक सम्बन्ध है, 1978-79 में केवल 69 लाख रुपए का प्रावधान था। इस वर्ष, यह धनराशि 155 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं गोआ के माननीय सदस्यों को यह जानकर खास तौर पर प्रसन्नता होगी कि देश में गहन विकास के लिए तीन पर्यटन स्थल निर्धारित किए गए हैं और गोआ उन तीन स्थानों में से एक है। उन स्थानों पर पर्यटकों के लिए आवास मुहैया करने की योजना भी शुरू की जा चुकी है।

श्री सी० एम० विश्वनाथन : दूसरे दो स्थान कौन से हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : यह वह मंत्रालय नहीं है जिसके बारे में यहां चर्चा की जा रही है। खासतौर से गोआ के सम्बन्ध में एक बात उठायी गई थी। और माननीय सदस्यों को मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने तुरन्त वह जानकारी प्राप्त की जो सम्बद्ध विभाग को गोआ के सम्बन्ध में बतानी थी।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में दूसरे दो स्थान कौन से हैं, मुझे जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। हम गोआ के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं और मैं गोआ के सम्बन्ध में उस विधेयक का पथ-प्रदर्शन कर रहा हूं। इसलिए, जब एक बात पूछी गई तो मैंने तुरन्त जानकारी हासिल की और उससे सदन को अवगत करा दिया। यदि आपको उसमें बहुत अधिक दिलचस्पी है और यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो मुझे इस बात का विश्वास है कि आप को अपेक्षित जानकारी मिल जाएगी। परन्तु जहां तक मुझे याद है, मद्रास का नाम इन तीनों में नहीं है।

अंत में, गोआ के माननीय सदस्य श्री फैलीरो द्वारा पूरे एक वर्ष का बजट प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में एक मुद्दा उठाया गया था जब सरकार अक्टूबर की किन्ही तारीखों में चुनाव सम्पन्न कराने का विचार कर रही है। हम केवल पाँच महीनों के लिए लेखानुदान चाहते हैं। दो

महीने अर्थात् अप्रैल, मई के लिए गोश्रा विधान सभा द्वारा लेखानुदान प्राप्त किया गया था। हम जून से अक्टूबर तक पांच महीने के लिए लेखानुदान मांग रहे हैं। प्रश्न उठाया गया था कि जब लेखानुदान केवल पांच महीने के लिए है तो पूरे साल के लिए बजट प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है। आखिर लेखानुदान पूरे वर्ष के बजट के आधार पर आंका जाता है। यहां तक कि केन्द्रीय बजट के मामले में भी ऐसा ही किया जाता है। पांडिचेरी और मिजोरम के मामले में भी हमने ऐसा ही किया है जहां कि बजट का प्रस्तुतीकरण पूरे वर्ष के लिए था, जबकि लेखानुदान वर्ष के कुछ भाग के लिए ही था। संविधान के तहत, अनुमानित आय और व्यय को दिखाते हुए एक साल के लिए सम्पूर्ण बजट प्रस्तुत करना होता है, ताकि सदन लेखानुदान सदन के लिए अपेक्षित धनराशि का निर्धारण और मूल्यांकन कर सके। इसलिए पूरे वर्ष के लिए बजट आय और व्यय अनुमानों को दिखाते हुए प्रस्तुत किया जाता है, और आनुपातिक धनराशि लेखानुदान के रूप में दिखाई जाती है। दो महीने के लिए लेखानुदान पहले ही गोश्रा विधान सभा द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और हम पांच महीनों के लिए लेखानुदान, इस प्रकार लेखानुदान कुल 7 महीनों के लिए चाहिए, जिनमें उन दो महीनों का लेखानुदान भी सम्मिलित है, जिसकी स्वीकृति गोवा विधान सभा द्वारा दी गई है।

इस समय मुझे और ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नही है। उसमें कुछ शुद्धि होनी है, क्योंकि उसमें मुद्रण की एक अशुद्धि है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य उसके लिए मुझे माफ करेंगे। समय की कमी थी और हमें सारा बजट मुद्रित कराना था, खास तौर पर हिन्दी में और उससे कुछ समस्या पैदा हो गई और अशुद्धि हो गई। अनुसूची के पृष्ठ चार पर अंतिम राशि 44.50 करोड़ रुपए है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं बाद में स्थिति को स्पष्ट कर दूंगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं गोश्रा के माननीय सदस्यों को इस बात से आश्वस्त करना चाहूंगा कि आकर्षक भूभाग के विकास लिए समुचित वित्तीय प्रावधान किया गया है। मैं उन्हें इस बात से भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि गोश्रा के विकास के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मैं उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध भी करूंगा कि जो भी प्रावधान किए जाते हैं, पूरी तरह उनका उपयोग हो। हालांकि, मैं उन सब आंकड़ों को नहीं देना चाहता, गत वर्ष उपलब्ध धनराशि के इस्तेमाल में कमी रही है। मांग की जाती है तथा हम और अधिक धन प्रदान कर देते हैं। परन्तु यह जान कर सदन को खेद होगा कि 1978-79 के दौरान वहां 600 करोड़ रुपए की धनराशि का कम उपयोग हुआ, जहां तक इस्तेमाल किए जाने का सम्बन्ध है, हमारे उसके परिणामस्वरूप जो कि 1,500 करोड़ रुपए का घाटा था, वह 900 करोड़ रुपए तक नीचे आ गया जो कि एक अच्छी बात है। परन्तु, इस्तेमाल किए जाने का जहां तक सम्बन्ध है, राज्य, सारी की सारी धनराशि का उपयोग करने में समर्थ नहीं है। इसलिए, मामले के क्रियान्वयन पहलू पर ज्यादा जोर देना होगा। इसीलिए, जब माननीय सदस्य वित्त

मंत्रालय से या भारत सरकार से श्रौर ज्यादा धनराशि की मांग करें तो उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत योजनाश्रों को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाये श्रौर सही समय पर उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए श्रौर उन्हें श्राबंटित की गई धनराशि का पूरी तरह उपयोग करना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान, मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्रपने भाषण के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 600 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग नहीं हुश्रा। मैं समझता हूं यह सारे देश के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, पूरे देश के लिए।

श्री हरि विष्णु कामत : फिर गोश्रा में कितना है ?

श्री सतीश अग्रवाल : यह श्रतिरिक्त जानकारी है जो श्राप जानना चाहते हैं। जहां तक गोश्रा का सम्बन्ध है, इस वर्ष के लिए बजट प्रावधान 73.41 करोड़ रुपए का है। गत वर्ष बजट प्राक्कलन 63.08 करोड़ रुपए था। और पुनरीक्षित प्राक्कलन 68.59 करोड़ रुपए था। श्रतः इस वर्ष का बजट प्रावधान बढ़ा दिया गया है। श्रांकड़ों का विस्तृत व्यौरा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी मुझे 10 तारीख को मिली थी जब मैं श्रपने निर्वाचन क्षेत्र में 11, 12 श्रौर 13 तारीख के दौरे पर जा रहा था। मैं सारे निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के बाद श्राज वापस लौटा हूं। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों की धूल की वजह से मेरा गला खराब हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन श्रौर दीव के बारे में दिखायी गयी निम्नलिखित लेखानुदानों की मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुये वर्ष के दौरान संबंधित श्रनुदानों से श्रतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राशियों से श्रनधिक राशियां संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन श्रौर दीव की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

मांग संख्या	शीर्षक	राशि			
1	2	3		4	
		राजस्व Rs. रु०	पूंजी Rs. रु०	राजस्व Rs. रु०	पूंजी Rs. रु०
1.	संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल ग्रौर निर्वाचन	1,64,000	—	4,11.000	—
2.	विविध सामान्य सेवाएं	17,86,000	—	44,64,000	—
3.	न्याय प्रशासन	3,40,000	—	8,51,000	—
4.	भू-राजस्व, स्टाम्प ग्रौर पंजीकरण	3,56,000	—	8,89,000	—
5.	ग्राबकारी, बिक्री कर ग्रौर ग्रन्य कर ग्रौर शुल्क	4,75,000	—	11,89,000	—
6.	वाहनों पर कर	88,000	—	2,21,000	—
7.	पुलिस ग्रौर ग्रग्नि शमन सेवाएं	26,97,000	—	67,44.000	—
8.	जेलें	1,95,000	—	4,88,00	—
9.	लेखन सामग्री ग्रौर मुद्रण	4,50,000	—	11.25,000	—
10.	ग्रन्य सामान्य सेवाएं	1,88,000	—	4,72,000	—
11.	पेंशनें	12,67,000	—	31,66,000	—
12.	लोक निर्माण, ग्रावास ग्रौर नगर विकास	48,79,000	64,19,000	1,21,98,000	1,60,48,000
13.	सड़कें ग्रौर पुल	22,68,000	36,32,000	56,71,000	90,78,000
14.	शिक्षा, कला ग्रौर संस्कृति	1,76,45,000	2,89,000	4,41,13,000	7,23,000
15.	चिकित्सा, परिवार कल्याण ग्रौर लोक स्वास्थ्य, सफाई ग्रौर जल पूर्ति	1,10,65,000	46,00.000	2,76,61,000	1,15,00,000
16.	सूचना ग्रौर प्रचार	2,55,000	—	6,38,00	—
17.	श्रम ग्रौर रोजगार	9.72,000	—	24,30,000	—

1	2	3		4
18. समाज सुरक्षा श्रौर कल्याण, दैवी विपत्तियों के लिए राहत श्रौर खाद्य	11,78,000	1,50,25,000	29,46,000	3,75,60,000
19. सहकारिता श्रौर सामुदायिक विकास	13,71,000	9,81,000	34,28,000	24,52,000
20. अन्य आर्थिक सेवाएं श्रौर खान श्रौर खनिज	5,64,000	—	14,12,000	—
21. कृषि श्रौर संबद्ध सेवाएं	60,47,000	64,07,000	1,51,16,000	1,60,17,000
22. सिंचाई श्रौर विद्युत परियोजनाएं	1,16,67,000	1,59,41,000	2,91,66,000	3,98,52,000
23. उद्योग	9,52,000	20,92,000	23,82,000	52,29,000
24. सड़क श्रौर जल परिवहन सेवाएं (पत्तनों सहित)	9,34,000	2,05,000	23,34,000	5,14,000
25. पर्यटन	5,17,000	22,50,000	12,91,000	56,25,000
26. संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऋण श्रौर अग्रिम	—	10,32,000	—	25,79,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गोश्रा, दमन श्रौर दीव विनियोग (दूसरा लेखानुदान) विधेयक

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1979-80 के एक भाग की सेवाओं के लिये गोवा, दमन श्रौर दीव संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियों को बताइए ।

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमान, अनुसूची के पृष्ठ चार पर कुल योग में दी गई राशि "44, 58, 12, 00" के स्थान पर "44, 58, 12, 000" पढ़िये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें एक शून्य छोड़ दिया गया है ।

श्री सतीश अग्रवाल : हां, एक शून्य गायब है। लेकिन यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसे अन्त में रखा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : और उसमें कुछ अन्य छोटी गलतियां भी हैं, मैं समझता हूं उनको ठीक कर दिया जाएगा।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 के एक भाग की सेवाओं के लिए गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमान, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के 23वें तथा 24 वें प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री धनिक लाल मण्डल द्वारा 9 मई, 1979 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव के सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे, अर्थात्

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1974-75 और 1975-76 तथा 1976-77 के 23वें और 24वें प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 1 मार्च, 1978 और 9 मई, 1978 को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

श्री आर० एल० कुरील (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस चल रही है। ऐसा मालूम देता है कि यह एक सैरिमोनियल टाइप से रिपोर्ट पढ़ ली जाती है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता।

शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का जहाँ तक सवाल है रिजर्वेशन में हम देखते हैं कि कैबिनेट में जहां पर सरकारी पौलिसी तय होती है वहां पर भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों का रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। कैबिनेट में पहले दो मिनिस्टर हुआ करते—श्री भोला पासवान शास्त्री और माननीय जगजीवन राम जी। दूसरी बार श्री जगजीवन राम और श्री डी० संजीवैया मन्त्री हुआ करते थे। लेकिन इस सरकार के आते ही उसमें एक ही रह गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हाउस में भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारी 400 अफसरों में से केवल दो ही हैं। यह इस मन्दिर में रिजर्वेशन का हाल है। बाकी जगह क्या होगा इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। जहाँ तक पब्लिक अन्डरटेकिंग्स की बात है जितने इन्चार्ज हैं उसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के ज्यादा नहीं हैं। करीब 150 अन्डरटेकिंग्स हैं, लेकिन एक भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के नहीं हैं। इससे इंटेंशन और पौलिसी का अन्तर समझा जा सकता

है। यही नहीं जितने गवर्नर्स हैं, बड़ी पोस्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेज़ हैं उनमें भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। रिजर्वेशन तो है और प्रोमोशन भी है, लेकिन वह नामचार का है। पहले ही सी० आर० खराब कर दी जाती है जिससे प्रोमोशन के समय बाधा पड़े। हमने देखा है विशेषकर कृषि विभाग, एफ० सी० आई० तथा अन्य विभागों में जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनकी सी०आर० जानबूझ कर खराब कर दी जाती है और जानबूझ कर उनको प्रोमोशन नहीं दिया जा रहा है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही है शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर लेकिन न गृह मंत्री हैं और न दोनों गृह राज्य मंत्री ही सदन में मौजूद हैं। माननीय राम किंकर जी बैठे हैं। तो यह तो जवाब नहीं देंगे। इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही हो और गृह मन्त्री न हों तो कौन इसका जवाब देगा? हमको कहिये तो ऐसे ही पास कर दें। तो उस तरह से पास करवाना हो तो पास करवा दीजिए, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें पास करने की बात नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : कोरम भी नहीं है।

श्री मोहन लाल पिपिल : यह हाउस इस तरह से नहीं चलने देंगे **(व्यवधान)** दूसरे कोरम नहीं है। **(व्यवधान)**।

श्री नथुनि राम (नवादा) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा की जा रही है, और गृहमन्त्री, जोकि सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, इस सदन में नहीं हैं। समाज भी उदासीन है, सरकार भी उदासीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ मेरी भी सुनेंगे या आपने सदन से बहिर्गमन करने का निश्चय कर लिया है।

श्री मोहन लाल पिपिल (खुरजा) : हमें वहिर्गमन करने का पूरा अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ज्ञात होना चाहिए कि कुछ संसदीय प्रक्रियाएं भी हैं। जब आप खड़े होते हैं और अध्यक्ष पीठ से अपनी बात कहते हैं तो आप को भी अध्यक्ष पीठ की बात अवश्य सुननी चाहिये। अन्यथा आप भी कोई अनुरोध न कीजिए।

मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मन्त्रीजी को यहाँ उपस्थित होना चाहिए, और यह बड़ी गलत बात है कि कोई भी सम्बन्धित मन्त्री यहां नहीं हैं। कम से कम राज्यमन्त्री तो यहां हों मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय को यहाँ बुलाया जाना चाहिए। अब हम चर्चा को अभी बढ़ा सकते हैं।

श्री मोहन लाल पिपिल : जब तक वह नहीं आते हम कार्यवाही आगे नहीं चला सकते।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यहाँ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ गणपूर्ति नहीं है। गणपूर्ति केवल नियमों का ही मामला नहीं है, परन्तु धारा 100 के तहत एक संवैधानिक अनिवार्यता है।

(तब कुछ माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए)

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजायी जा रही है। अब गणपूर्ति पूरी है। अब माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री आ रहे हैं। इसलिए, माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी रखना चाहिए···**(व्यवधान)**···

श्री आर० एल० कुरील : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सुनना भी नहीं चाहते शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल ट्राइब्ज़ की बात···**(व्यवधान)**···

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : गृह राज्यमन्त्री अभी दो मिनट के लिए बाहर गए हैं, वह अभी आ रहे हैं।···**(व्यवधान)**···

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम किंकर) : वह अभी दो मिनट के लिए गए हैं, मैं नोट कर रहा हूं।

श्री आर० एल० कुरील : यहाँ होम मिनिस्टर नहीं हैं और कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं, इसीसे सरकार की नीयत क्या है इसका पता चलता है। सरकार की नीयत और नीति दोनों में फर्क है, यह आप देख रहे हैं। नीति और नीयत का अन्तर बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बताना चाहता हूं कि इस साल का बजट 19 हजार करोड़ रुपये का बना, उसमें शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज़ के लिए देना तो चाहिए तथा ज्यादा लेकिन वह नहीं दिया गया, 25 परसेंट भी अगर दिया जाता तो वह 5 हजार करोड़ रुपये होना चाहिए था। लेकिन 5 हजार करोड़ रुपये की जगह पर 31 करोड़ दिया गया है, इससे अधिक विडम्बना और शर्म की बात और क्या हो सकती है? इससे क्या यह पता नहीं चलता है कि सरकार केवल ज़बानी सहानुभूति दिखाती है, वह शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए केवल सिम्पैथी दिखाना चाहती है। प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि पाँच साल के अन्दर छूआछूत दूर हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कैबिनेट में जहाँ पालिसी डेसीशन लिया जाता है, पालिसी डिसाइड की जाती है वहाँ भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का रिप्रेजेन्टेशन पूरा नहीं है, इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है? जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन का कोटा 18 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और साढ़े सात परसेंट शेड्यूल ट्राइब्ज़ के लिए है, इससे अधिक वह सौ परसेंट तक जा सकता है लेकिन जैसे ही शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का कोटा पूरा करने की बात आती है सरकार की नीयत है कि 18 परसेंट और साढ़े 7 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन न दिया जाए। अगर सरकार इस तरह से रिजर्वेशन को लिमिट करना चाहती है तो ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य के लिए भी उनकी पापुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन कर दीजिए। फिर हमें भी 18 के ऊपर 19वां नहीं चाहिए। लेकिन गवर्नमेन्ट की यही इन्टेंशन है, पहली गवर्नमेन्ट की भी यही इन्टेंशन थी

और इस सरकार की भी यही इन्टेंशन है। रिजर्वेशन का कोटा कहीं भी पूरा नहीं है क्योंकि उसमें सूटेबिलिटी का क्लाज लगा हुआ है। अनसूटेबिल कहकर नौकरियाँ नहीं दी जाती हैं। सरकार स्पेशल कोर्ट बना रही है लेकिन उसके प्राविजन्स शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की प्राबलम्स को डील करने के लिए क्यों नहीं एक्सटेंड किए जाते ? सरकार शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कोई इन्ट्रेस्ट क्यों नहीं दिखाती? इसका कारण यह है कि सरकार में जो बैठे हैं उच्च पदों पर, प्राइम मिनिस्टर तक, वे मुंह से तो कहते हैं कि तुम्हारी प्राब्लम्स को दूर कर देंगे लेकिन उनके दिल काले हैं। आज तक उन लोगों के दिल दिमाग में कोई फर्क नहीं आया है। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए वे यह खेल खेल रहे हैं। होम मिनिस्टर अपने कानों में रूई ठूंस कर बैठते हैं, वे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की प्राब्लम्स पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज पर कहीं अत्याचार होते हैं तो हमारे मोरारजी भाई कहते हैं कि यह स्टेट मैटर है और जब यहां पर अत्याचार होते हैं तो कहते हैं यह लॉ ऐंड आर्डर सिच्युएशन है। ऐसी हालत में हम लोग हिन्दुस्तान के किस कोने में किसके पास जायें और किससे फर्याद करें ? स्टेट वाले भी हमारी बात नहीं सुनते हैं और आप भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इनकांपिटेंट हैं, यह गवर्नमेन्ट अयोग्य है। ऐसी गवर्नमेन्ट को तो रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसी गवर्नमेन्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन इस तरह का हो तो यह गलत है। और अगर इसी तरह का इंटेंशन रहा तो वह दिन दूर नहीं जब निश्चित रूप से यह देश बटेगा। डा० बी० आर० अम्बेदकर ने तीस साल का समय दिया था हिन्दू धर्म को परिवर्तन करने के लिए, उन्होंने कहा था कि जिस धर्म में इन्सान को इन्सान न माना जाए, इन्सान को कुत्ते बिल्ली से बदतर माना जाए, जानवरों की तो रक्षा की जाए, बूढ़ी गायों का कत्ल रोकने के लिए आमरण अनशन किया जाए, इस सब्जेक्ट को कानकरेन्ट लिस्ट में लाया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, माइनारिटीज, बैकवर्ड क्लासेज के कत्ल होते हों, उनकी मां-बहनों की इज्जत लूटी जाती हो तब सरकार मौन रहती है। इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या हो सकती है !

जहां तक आर्थिक उन्नति की बात है, मैंने बताया कि 19 हजार करोड़ में से 5 हजार करोड़ देना चाहिए था लेकिन 5 हजार करोड़ छोड़ दीजिए, 500 करोड़ भी नहीं दिया, सिर्फ 31 करोड़ का प्राविजन किया गया है। क्या इसी को आप कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज उन्नति करेंगे ? इसका मतलब है कि सरकार की नीयत खराब है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए मेडिकल कालेजेज में एडमीशन के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। सरकार ने एडल्ट एजुकेशन के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कुछ नहीं कर सकती है। (व्यवधान) इससे बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से लेकर बी० डी० ओ० तक कौन लोग हैं ? वही हैं जो कि इन पर अत्याचार करते हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेटों में कौन लोग हैं ? वही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आई० पी० सी०, सी० आर० पी० सी० और एविडेन्स ऐक्ट में परिवर्तन करना होगा।

हमें बर्डन-आफ-प्रूफ की जिम्मेदारी हत्यारे पर डालनी होगी। आज होता क्या है—बेनिफिट-आफ--डाउट हत्यारे को दिया जाता है और वह साफ छूट जाता है। आज आपका कानून हमारे फेवर में नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई जाय। यह ठीक है आपने बहुत से कमीशन्ज बना दिये हैं—माइनारिटीज कमीशन बन गया है, शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स कमीशन बन गया है, बैकवर्ड क्लासेज का कमीशन बन गया है—लेकिन यह सब आपने माइण्ड के डाइवर्शन के लिए किया है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से रिफ्यूजीज को बसाने के लिये रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनी थी, उसी तरह से आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनायें।

जहां तक रिजर्वेशन की बात है—मैं चाहता हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिथर्वेशन खत्म कर दिया जाए और उन लोगों के लिए रिजर्वेशन कर दिया जाए जिनकी संख्या 18 परसेन्ट से ज्यादा है। कहते हैं कि ऐसा करने से सिविल-वार हो जाएगी। सिविल-वार का आपको बड़ा डर है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो इन्सानी जिन्दगी से भी बदतर जिन्दगी गुजारते हैं, जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, जो कपड़ा बुनता है उसे पहनने को नहीं मिलता, जो खेत में मेहनत करता है, जमीन को जोतता है, उसके पास जमीन नहीं है, जो मकान बनाता है लेकिन उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वह पेड़ों की छाया में रहता है—उनकी आपको कोई डर नहीं है। आज हमारे यहाँ जाति-व्यवस्था चलती है—जिसकी जड़ वर्ण-व्यवस्था है और इस वर्ण-व्यवस्था की जड़ हिन्दू धर्म है। यदि आप छुआ-छूत को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको जाति-प्रथा को समाप्त करना होगा, वर्ण-व्यवस्था को समाप्त करना होगा। ये जो मन्दिरों में बैठे हुए पुजारी हैं, ये जो आपके शंकराचार्य हैं—ये लोग हिन्दुस्तान में छुआछूत को फैला रहे हैं। रामचरितमानस जैसी पुस्तक—जिसमें लिखा है—"शूद्र गंवार ढोर पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी", जिसमें लिखा है—पूजिये विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न पूजिये गुण-गण गीना"—जब तक ऐसी पुस्तकों को जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, जलाया नहीं जाता, तब तक हिन्दुस्तान में वर्ण व्यवस्था, जाति-व्यवस्था और छूआछूत चलता रहेगा और वह दिन दूर नहीं है—जब टुकड़ों-टुकड़ों में बंट जाएगा—मैं बार-बार इस बात को कहता आया हूँ और आज भी कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान टुकड़ों में बंटे, मैं चाहता हूं कि उस में एकता बनी रहे, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं—उनको अधिकार मिले, उनको भी इन्सानियत का दर्जा दिया जाए।

हम देखते हैं कि रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं होता—क्यों पूरा नहीं होता? जहाँ पर कोटा पूरा न हो, वहाँ के उच्च अधिकारियों को उसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाय और उसके लिए उनको पनिशमेन्ट दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कानून बनाया जाए—अगर हम ऐसा कानून नहीं बनायेंगे तो यह कोटा कभी पूरा नहीं होगा। सूटेबिलिटी की क्लाज को समाप्त किया जाए। स्पेशल कोर्ट्स के बिल को शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मामलों

के लिए भी एक्सटेण्ड किया जाए। कोटा, परमिट, लाइसेंस शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, वीकर सैक्शन्ज के लोगों को दिया जाय। उनसे किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी न मांगी जाए। मैं चाहता हूँ कि भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाए। आज हम देखते हैं कि जो जमीन को जोतता है, उसके पास जमीन नहीं है। भूमिपति दूसरे हैं और जोतने वाले दूसरे हैं। जो अनाज पैदा करता है उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। इसलिए जरूरी है कि भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाए। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेन्ट्स के लिए चाहे इन्जीनियरिंग हो या पी० एम० टी० हो, सब में रिजर्वेशन होना चाहिए। उनको हर महीने स्कालरशिप दिया जाए। जब हमको हर महीने तनख्वाह मिल सकती है तो स्कालरशिप हर महीने क्यों नहीं दिया जा सकता—यह कितने शर्म की बात है। आज उनको साल बीत जाने के बाद स्कालरशिप दिया जाता है—जिससे उनको बहुत कठिनाई होती है।

मैं चाहता हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक अलग से फाइनेन्शल कारपोरेशन बनाई जाए जिसकी पूंजी 100 करोड़ रुपये रखी जाए और उस रुपये को हरिजनों के उत्थान में लगाया जाए। एक व्यक्ति—एक व्यवसाय को लागू किया जाए। बाबा साहेब अम्बेदकर जो हमारे संविधान के निर्माता थे—हम देखते हैं कि उनका एक भी फोटो यहाँ नहीं लगा है, सैन्ट्रल हाल में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऐसे महान, योग्य और सम्मानित व्यक्ति का फोटो न लगाना उसी जाति भावना का प्रतीक है। दूसरे लोगों के फोटो यहाँ पर लगते जा रहे हैं—लेकिन बाबा साहेब का फोटो यहाँ पर न लगाना अच्छी बात नहीं है। यह वह महान व्यक्ति था, जिसने इस देश की संविधान दिया, जिसने हमको समता और समानता का अधिकार दिया, स्त्री और पुरुषों को बिना किसी रंग-भेद और जाति-पांति का ध्यान रखते हुए समान अधिकार दिया—उसका फोटो यहाँ पर न लगाना बड़े शर्म की बात है—इस सरकार के लिए भी और पिछली सरकार के लिए भी शर्म की बात है।

हम देखते हैं कि जो मेहनत करता है, आज उस को खाना नसीब नहीं होता है और जो झूठ बोलता है और झूठ बोलकर काफी पैसा कमाता है, उसको साहू कहते हैं। जो भंगी है या चमार है या धोबी, उनको नीचा माना जाता है। आज चमार इसलिए नीचा माना जाता है क्योंकि वह चमड़े से जूते बनाता है, जूतों का काम करता है। धोबी इसलिए नीचा माना जाता है क्योंकि वह लोगों के कपड़ों की गन्दगी को खत्म करता है और लोगों को साफ-सुथरे कपड़े पहनाकर बाबू बनाता है। अगर भंगी गन्दगी को साफ न करे, तो रसोई तक में सैकड़ों कीड़े चल जाएंगे। वह इसलिए नीचा माना जाता है क्योंकि वह गन्दगी को साफ करता है। आप यह देखिये कि जो गन्दगी को साफ करने वाला है, वह नीचा माना जाता है और गन्दगी को फैलाने वाला ऊंचा माना जाता है वाह री दुनिया, यह तेरा सिद्धान्त है। ऐसी दुनिया और इस तरह का सिद्धान्त कब तक चलेगा, यह मैं आप के माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ।

अन्त में मैं यही कहूंगा जो 4 हजार रिकमेंडेशन्स शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्टों में हैं, उनमें से कितनों को अभी तक इम्पलीमेंट किया गया है? कितने अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ यह साबित हो चुका है कि उन्होंने अन्याय किया है, उनमें से कितने

लोगों को आप पनिश कर चुके हैं ; क्या सरकार भविष्य में इस तरह के लोगों को पनिश करेगी ? क्या कोई पीनल क्लाज बनाएगी, जिससे लोगों को सजा मिल सके ? जब तक इस तरह की पीनल क्लाज नहीं बनाई जाएगी, तब तक कोई फायदा नहीं है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम यह देखते हैं कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, वे शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की प्राब्लम्स को हमेशा इगनोर करते हैं । जब भी उनसे इस तरह की बातें कही जाती हैं, वे कान में रुई डालकर बैठ जाते हैं । इसका मतलब यह है कि या तो उनमें योग्यता नहीं है कि वे शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की प्राब्लम को डील करें या उनकी इन्टेंशन नहीं है कि वे इन लोगों के साथ न्याय करें । दोनों हालतों में उनको रिजाइन करना चाहिए, योग्यता नहीं है तो भी और इन्टेंशन नहीं है, तो भी ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : सभापति महोदय जब कभी इस सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों का प्रश्न उठाया जाता है, वे हमेशा यही कहते हैं कि भारत सरकार पूरी तरह राज्य सरकारों के दृष्टिकोण और उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है । वे हमेशा यही कहते हैं कि हम उन योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्णतः असहाय हैं जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की जाती हैं, वे राज्य सरकारों पर निर्भर करते हैं । उदाहरण के लिए, भारत सरकार अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लाभ के लिए कई करोड़ रुपये दे रही है परन्तु ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जो यह सुनिश्चित कर सके कि राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत धनराशि को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है । एक रिपोर्ट के अनुसार, गत दो तीन वर्षों में राज्य सरकारों ने भारत सरकार द्वारा दिये गए अथवा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुदानों का बीस प्रतिशत भी खर्च नहीं किया है । राज्यों में ऐसी ही स्थिति है। मैं केवल एक राज्य पर भी दोषारोपण करना नहीं चाहता । खास तौर से मैं यहाँ उपस्थित अपने सम्मानीय दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि उनकी राज्य सरकारें योजनाओं को सही रूप से क्रियान्वित कर रही हैं और वे भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत धनराशि का अच्छी तरह उपयोग कर रही हैं ? कुछ सदस्य इसमें रुचि नहीं लेते। मैं ऐसा वहीं तक कह रहा हूं कह रहा कि सभी रुचि नहीं लेते । वे गुटबन्दी की राजनीति का आश्रय ले रहे हैं। जहां तक, अनुसूचित जातियों और जन जातियों का सम्बन्ध है, इसमें किसी भी प्रकार की दलीय राजनीति अथवा गुटबन्दी की राजनीति नहीं होनी चाहिए । परन्तु दुर्भाग्य से, आन्ध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जामियों से सम्बद्ध योजनाओं के क्रियान्वयन में भी गुटबन्दी की राजनीति और दलीय राजनीति चल रही है । मैं एक उदाहरण दूंगा । कुछ दिन पहले यह समाचार पत्रों में छपा है । यह उच्च न्यायालय में उठाया गया है । सरकारी नियम न केवल अनुसूचित जातियों और जन जातियों के बारे में अपितु समस्त गरीब व्यक्तियों के बारे में हैं । दो ढाई एकड़ तक की अपर्याप्त नम या शुष्क भूमि रखने वाले गरीब व्यक्तियों को हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि यह निकटस्थता के नियम की रख रखाव के प्रयोजन से यह आवश्यक नहीं हो जाता । उन्होंने एक परि पत्र जारी किया है । एक

रिपोर्ट के बारे में मुझे कुछ दिन पहले जानकारी मिली है जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मामले में, जिसमें कि कुछ हरिजन बस्तियों में 1 से 6 एकड़ तक की कुछ छोटी जोतों का अधिग्रहण कर लिया था, स्थगन आदेश दिया था। इस भूमि के मालिक कुछ हरिजन हैं और वे भू-स्वामी हैं और वे अब भूमिहीन गरीब हो गए हैं। सौभाग्य वश, उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है। मैं 1974 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए शासनीय आदेश को पढ़ना चाहूंगा। उसमें कहा गया है :

"कुछ ऐसी शिकायतें हैं कि छोटे भूस्वामियों की जमीनें, यद्यपि वे अलाभकारी जमीनें हैं, अधिग्रहण कार्यवाहियों के तहत आ गई है, जबकि उनकी निकटवर्ती बड़े भूस्वामियो की जमीन को छोड़ दिया गया है···।"

यह शासकीय आदेश है। वे कहते हैं :

"गरीब व्यक्तियों को जिनके पास दो ढाई एकड़ तक से भी कम जमीन है, सामान्यतः तब तक नहीं छेड़ा जा सकता जब तक कि यह निकटस्थता के नियम को कायम रखने और गांव से सामीप्य को कायम रखने के प्रयोजन से अनिवार्य नहीं होता।"

भारत सरकार क्या कर रही है जब राज्य सरकार आपकी नीतियों और कार्यक्रमों की इस तरह अवहेलना कर रही है? उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या भारत सरकार राज्य सरकारों को कुछ कह नहीं सकती? उन गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की कितनी दुदर्शा है? हमारा सम्पूर्ण देश, सम्पूर्ण राष्ट्र ऋणग्रस्त है। किसी भी दूसरे देश में अनुसूचित जातियों जैसा कोई वर्ग नहीं है। अब भी आप गावों में और ज्यादा ऐसे वर्ग पैदा करते जा रहे हैं। आप पृथक रूप से कुछ और अधिक हरिजन वर्ग बना कर रहे हैं। इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। आप नई-नई हरिजन बस्तियों का निर्माण क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें पृथक रखना चाहता हैं। अब भी वहां इस तरह की पंचमा जाति है। आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद भारत सरकार और राज्य सरकारों को एक नीति तैयार करनी चाहिए कि हरिजनों के लिए अलग से कोई बस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरे समुदाय के साथ उन्हें मिला दिया जाना चाहिए। खास तौर पर आप अब भी पृथक हरिजन बस्तियां बनाए जा रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं चाहता हूं राज्य सरकारों और केन्द्र को एक निर्णय लेना चाहिए कि इसके बाद वहां हरिजनों या अनुसूचित जातियों के लिये अलग से कोई बस्ती नहीं होगी। नगरों में उस तरह की परिस्थितियां नहीं हैं। वे दूसरे समुदायों के साथ घुलने-मिलने के लिये तैयार हैं। मेरे क्षेत्र में, हरिजन, मुसलमान तथा इसाई हैं। आप केवल उन्हीं लोगों को जगह दीजिए जो दूसरे समुदायों या गरीब लोगों के साथ मिलने के लिये तैयार हों। परन्तु वे गरीब व्यक्तियों को भी पृथक रूप से जमीन दे रहे हैं और हरिजनों के साथ नहीं। हरिजन बस्तियां अलग से बनाई जा रही हैं। यह हमारे सम्पूर्ण देश के लिए लज्जा की बात है। महात्मा गांधी की मृत्यु के 30-40 वर्ष बाद की स्थिति उस तरह की है। इससे यही जाहिर होता है कि दोनों ही सरकारें—पहली और वर्तमान सरकार—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों के हित से कोई रुचि नहीं ले रही हैं।

अन्य पिछड़े वर्ग भी इसी तरह की स्थिति का अहसास कर रहे हैं। वे परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उनका कहना है कि केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को ही कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं और अन्य दूसरी जातियों को नहीं यद्यपि वे भी गरीब हैं। गरीब लोगों को भी वैसी ही सुविधाएं और वैसा ही महत्व दिया जाना चाहिए जैसा कि अनुसूचित जातियों के लोगों को प्राप्त है। केवल दो ही वर्ग हैं—अमीर और गरीब। उनको भी एक समान स्तर पर सभी रियायतें दी जानी चाहिए। अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति भी अपने बच्चों के लिए रियायतें मांगते हैं जिनके पास 10-15 लाख रुपये की सम्पत्ति होती है। रियायतें केवल आर्थिक मानदण्डों के आधार पर ही दी जानी चाहिए।

एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति आरक्षित क्षेत्र के आधार पर चुनाव लड़ कर यहाँ आ सकता है परन्तु दूसरी सुविधाएं समान रूप से सभी गरीब व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। गरीब लोगों को भूमि का आबंटन किया गया है। वे कहते हैं कि यह एक राज्य का विषय है। यह राज्य का विषय नहीं है। आप अनुदान दे रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को भी अधिकार प्राप्त है। यदि यह राज्य का विषय है, तो फिर कृषि भवन बनाए रखने का क्या उपयोग है और इतने सारे कार्यालय बनाए रखने का भी क्या उपयोग है? उन सबको समाप्त कर दीजिए। आपको प्रत्येक अधिकार है क्योंकि आप अनुदान दे रहे हैं। उसमें राज्य का विषय होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का कार्य प्रभारी विभाग से खास तौर पर अनुरोध करना चाहूँगा। वे अपने राज्य में किये जा रहे कदाचारों को रोक सकते हैं।

मैं एक और बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

मेरे स्थायी निवास क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश के एलुरु में एक कृषि विपणन समिति है। इसका गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है परन्तु भारत सरकार उसके वित्तीय उपयोग के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि कह दिया जाता है कि यह राज्य का विषय है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि जब कभी कोई धन राशि दी जाये तो यह पता लगाने के लिए किसी तन्त्र की व्यवस्था की जानी चाहिए कि क्या उस धन का सही उपयोग हो रहा है अथवा नहीं।

श्रीमान, आपात स्थिति के दौरान वहाँ के स्थानीय उपनिदेशक ने 16 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। यह भूमि पिछड़े वर्गों की है। चूंकि मैं राज्य विधान सभा में इस अधिग्रहण के विरुद्ध आवाज उठाने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं इस बारे में इस सदन में अपनी आवाज उठा रहा हूं। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री और वर्तमान मुख्यमन्त्री ने मुझे पत्र लिखा कि अधिग्रहीत भूमि को वापस किया जा रहा है, व्यावहारिक तौर पर मैंने यही पाया है कि राज्य प्रशासन तंत्र ने उस मामले में अभी तक कुछ नहीं किया है। जमीन जून 1976 में अधीग्रहीत की गयी थी और इन गरीब लोगों को भूमिहीन बना दिया गया है। चौदह परिवार इससे प्रभावित हुए हैं और इन परिवारों

में अनेक विधवाएं हैं। अधिग्रहीत जमीन इन स्थानों पर है—एलुरु नगर, कृष्णा डेल्टा क्षेत्र। वे सभी पिछड़ी जातियों के लोग हैं। चूंकि वे किसी मन्त्री अथवा विधान सभा सदस्य के नजदीक नहीं हैं और किसी राजनीतिक दल से समृद्ध नहीं हैं इस लिए उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है। 1976 से वे विभिन्न अधिकारियों को शिकायतें करते रहे हैं परन्तु अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। अतः आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे अधिग्रहीत भूमि को मुक्त करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को लिखें। मुझे पता चला है कि इस क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिये साढ़े तीन लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। परन्तु मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में इस धनराशि को भूमि को समतल बनाने के उपयोग में लाया जाएगा। यह मेरी जानकारी और शिकायत भी है। इस जमीन को हमारी राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध अधिग्रहीत किया गया है। इन सब बातों के लिए कौन जिम्मेदार है ? वे न्यायालय में गये हैं। भूतपूर्व सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। परन्तु उस समिति में अधिकांशतः जमींदार ही थे। यह निश्चय किया गया कि, अतिरिक्त उत्पादन का तथा कथित बाजार यार्ड में विपणन किया जाएगा। परन्तु ये व्यवस्थाएं सिर्फ जमीदारों के फायदे के लिये होंगी। जमीन को गरीब व्यक्तियों को सौंपने के बजाय, उन्होंने उनकी जमीनों को जोता है और उनके उत्पादों के विपणन के माध्यम से होने वाला लाभ जमीदारों द्वारा हथिया लिया गया है। इस तरह उनका शोषण किया जा रहा है।

जहाँ तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उत्थान का सम्बन्ध है, केवल नारे लगाने का कोई लाभ नहीं है। वे केवल खोखले नारे हैं। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि संसद और राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित किये गये कानूनों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अब मैं जानना चाहूंगा कि आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उत्थान की नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में कहां तक सफल हुए हैं। जहाँ तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का सम्बन्ध है, भूतपूर्व सरकार ने तमाम कार्य करने का वायदा किया था। परन्तु उन्होंने उनमें से अधिकांश को लागू नहीं किया। इसी तरह आप भी अपने आपको वचनबद्ध मत बनाइए। जब उन वचनों को कार्यान्वित ही नहीं करना है तो फिर ऐसे वायदों को करने का क्या लाभ है। जिस रूप में हम आपसे आशा करते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं। जहाँ तक आपकी अच्छी नीतियों और कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, हम यहां आपका सहयोग करने के लिए हैं। आपकी नीतियां और कार्यक्रम उन गरीब काश्तकारों और छोटे किसानों के लिए लाभकारी होना चाहिये जो अधिकांशतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से समबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 80 प्रतिशत कृषि मजदूर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हैं। उनके हितों की सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ? श्रम मन्त्रालय की मार्फत आप तमाम कानून पारित कर रहे हैं। परन्तु क्या आपके पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि इन कानूनों का पालन किया जा रहा है या नहीं ? हम उनकी समस्याओं का तुरन्त समाधान करने की आपसे आशा करते हैं ताकि इन व्यक्तियों के शोषण को समाप्त किया जा सके। एक बार पुनः, मैं सर-

से अनुरोध करूंगा कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की भावनाओं पर गम्भीर रूप से विचार करे और उनके हितों का भरसक ख्याल रखे। परन्तु सरकार उनकी सहायता के लिए सच्चे दिल से आगे नहीं आ रही है।

आप कहते हैं कि यह राज्य का विषय है। तो फिर इस सम्बन्ध में इतने सारे कानून पारित करने का क्या लाभ है? दिल्ली में, कोई उनकी समस्याओं के प्रति किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं लेता है। परन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि आप राज्यों को इन कानून को लागू किये जाने के लिये निदेश दे सकते हैं। हम 10-11 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि यह राज्य का विषय है। परन्तु इन कानूनों पर कार्यवाही नहीं की जाती है और नीतियों और कार्यक्रमों को समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है, केन्द्र सरकार योजनाओं और कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए और कानूनों को समुचित रूप से लागू किए जाने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। सामाजिक विधान के सम्बन्ध में, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें संसद सदस्यों और विभिन्न राज्यों के विधायकों ने भाग लिया। उस सम्मेलन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सामाजिक विधान सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। कहा गया है कि सामाजिक विधान महज किताबों में है और जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों का सम्बन्ध है इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए संविधान में मुहैया किये गये प्रमुख संरक्षण में छुआछूत का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसको किए जाने की मनाही, उनके शैक्षणिक आर्थिक हितों का उत्थान और सामाजिक अन्याय से उनका संरक्षण है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अयोग्यता, देयता, दुकानों, सार्वजनिक रेस्तराओं, होटलों और सार्वजनिक महत्व के स्थानों पर उनके आने-जाने के सम्बन्ध में शर्त या प्रतिबन्ध को हटाना, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मामले में, सरकारी नौकरियों में, पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण किए जाने के लिए राज्यों को अनुमति देना, आदि। फिर भी इन संरक्षणाओं से हरिजनों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह यह सुनिश्चत करने के लिए कि इन लोगों की किस तरह सेवा कर सकते हैं, राज्य सरकारों को सक्रिय बनाए और आवश्यक कदम उठाए।

श्री एस० के० सरकार (जयनगर) : सभापति महोदय, मैं बंगाली में बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं एक बीमार व्यक्ति हूं और अपने ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहूंगा।

***श्री शशि कुमार सरकार** (जयनगर) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुचित जन जातियों के आयोग की पाँच वर्ष की रिपोर्ट पर सदन में बहस चल रही है। इससे यह स्पष्ट है कि आयुक्त के कार्यालय को अभी भी "अछूत" के रूप में माना जाता है। यदि हमने इस

*बंगाली में दिये गये अंग्रेजी भाषण का हिन्दी रूपान्तरण।

कार्यालय को कोई महत्व दिया होता तो हम इस रिपोर्ट को सदन में पांच वर्ष बाद न लाते। सभापति महोदय, यह चर्चा ऐसे लग रही है जैसे कि किसी शव का डाक्टरी इलाज किया जा रहा हो। जैसे कि शव की परीक्षा करते हुए लाश को चीरते हैं ऐसी ही बातें इन रिपोर्टों में विभिन्न घटनाओं के बारे में हैं किंतु कुछ ऐतिहासिक मूल्यों के कारण यह चर्चा भविष्य की कार्यवाहियों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेगी।

महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के कार्यालय का काफी महत्त्व है। यह एक संवैधानिक कार्यालय है जिसका तात्पर्य है कि भारत के संविधान में इस पद के लिए विशेष व्यवस्था है। इसकी ऐसी संवैधानिक स्थिति होने के बावजूद भी देश में इस कार्यालय के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे अछूतों के साथ किया जाता है।

यह कार्यालय लगभग एक अवांछनीय कार्यालय समझा जाता है। महोदय, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आयुक्त का कार्यालय रामकृष्ण पुरम, दिल्ली में स्थिति है, जबकि इसे गृह मंत्रालय के अन्तर्गत नार्थ ब्लाक में होना चाहिए था। पिछले कुछ वर्षों से हम इस कार्यालय को गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। काफी बाद में यह कार्यालय गृह मंत्रालय के अन्तर्गत लाया गया है किन्तु इसका कार्यालय रामकृष्ण पुरम में ही चल रहा है। इससे प्रकट होता है कि सरकार इस कार्यालय को कितना कम महत्व देती है। इतना ही नहीं, आयुक्त के कार्यालय के प्रति सरकार की उदासीनता के कई और सबूत भी हमें मिलते हैं। महोदय, आपको शायद याद होगा कि उपायुक्तों के पांच पद थे किंतु इन सभी पदों को समाप्त कर दिया गया तथा केवल आयुक्त का एक ही पद रहने दिया गया। यह उस समय किया गया है जबकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों की तथा अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएं बढ़ रही हैं, जबकि उन पर अत्याचार की घटनाएं बराबर बढ़ती जा रही तथा जब हम इन पीड़ित लोगों की शिकायतों पर संसद में, जनता के मंच पर चर्चा कर रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है? क्या इसका यह अर्थ नहीं कि हम आयोग के हाथ जानबूझ कर काट रहे हैं तथा विशेष रूप से उस समय जबकि हमें ज्यादा शक्ति के साथ इनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करनी चाहिए; हम इसे कमजोर बना रहे हैं। निसन्देह इससे सिद्ध होता है कि सरकार चाहे कितनी भी अच्छी भावनाएं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों के लिए क्यों न रखती हों, तथापि कितनी ही नरमी के साथ वे अपनी सहानुभूति प्रकट करती है, वास्तविकता में वह इस कार्यालय को इसका महत्त्व अपेक्षित सरकार द्वारा नहीं दिलाया जा रहा है। अतः मैं समझता हूं कि परिहार्य विलम्ब के बाद आयोग की रिपोर्ट संसद में मात्र प्रस्तुत कर देने तथा उस पर संसद में कुछ चर्चा करने से उन लोगों को वास्तव में कोई लाभ नहीं होने वाला जिनके लिये यह रिपोर्ट है। इससे पूरे संसद में अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए एक स्थाई संसदीय समिति है। यह समिति समय-समय पर नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किन्तु इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है, इसके विषय में हमें कुछ मालूम नहीं। यह सब कुछ देखते हुए, हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनुसूचित जातियों की

समस्याओं का सरकार के लिए कोई महत्व नहीं है। जब तक इस देश में विधान परिषदों के चुनाव हेतु मतदान पेटियाँ रहेंगी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों का सभी राजनैतिक दलों के लिए कुछ महत्त्व रहेगा, चाहे वह जनता पार्टी हो अथवा कांग्रेस हो या कम्युनिष्ट हों किन्तु देश के सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचे में उन्हें उचित स्थान नहीं मिलेगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमश: 15% और 5% के आरक्षण पर कार्यान्वियन किया जा रहा है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र नहीं है। इसलिये, सामान्य रूप से मात्र चर्चा कर लेने से हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला नहीं है। हमें इन बातों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों हेतु राजनैतिक पदों के दिये आरक्षण 1980 के अन्त में समाप्त हो जायेगा। इससे सम्बन्ध रखने वाले लोग भ्रम में हैं। आज लोग यह नहीं जानते कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा अथवा नहीं। यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है अत: मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जब वे बहस का उत्तर दें तो इसका एक स्पष्ट रूप से उत्तर दें।

महोदय, मोटे तौर पर, अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लोगों की समस्याओं को तीन शीर्षों —शिक्षा, सेवा तथा आर्थिक समस्याओं में विभक्त किया जा सकता है। जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। महोदय, मुझे गहरे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि बंगाल की राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों ने ही भेदभाव की नीति अपनाई हुई है। जब मैं विद्यार्थी था, मैंने कोई छात्रवृत्ति नहीं ली जो कि अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों को दी जाती है।

उन दिनों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले छात्रों के लिये के चार छात्रावास थे। अब तक लगभग 30 वर्ष गुजर चुके हैं। क्या हम यह सही आशा नहीं कर सकते कि इस दीर्घावधि के दौरान छात्रावासों की संख्या 4 से बढ़कर कम से कम दस अथवा बारह हो जानी चाहिए थी। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संख्या बढ़ने की बजाय, छात्रावासों की संख्या पश्चिमी बंगाल में आज केवल दो रह गई। ऐसा क्यों किया गया है ? क्या मैं मंत्री महोदय से सरकार द्वारा इस कार्यवाही के किए जाने के कारण को जान सकता हूँ जो केवल यही प्रकट करते हैं कि सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रति पहले से ही उदासीन है। क्या मंत्री महोदय, उत्तर देते समय इसे भी स्पष्ट करेंगे।

अब मैं कुछ शब्द अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति की मात्रा के विषय में कहूंगा। महोदय, समय के गुजरने के साथ-साथ जीवन-निर्वाह व्यय में वृद्धि हुई है किंतु इन छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि के बढ़ाये जाने के लिये सरकार ने शीघ्र कभी कोई उपाय नहीं किया है। आज इंजीनियरी तथा चिकित्सा में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों ता अनुसूचित जनजातियों के छात्र इस प्रकार की मंहगी शिक्षा के लिये खर्च वहन नहीं कर सकते। महोदय, ये छात्रवृत्तियां उन छात्रों को दी जाती हैं जिनके अभिभावकों

की मासिक आय 700/- रुपये है। अब प्रत्येक निम्न श्रेणी लिपिक अथवा बैंक का चपरासी, यही राशि कमा लेता है। परिवार का खर्च उठाने के बाद क्या वह वास्तव में अपने बच्चे को इंजीनियरिंग अथवा मेडीकल में पढ़ने के लिये भेज सकता है ? वह नहीं भेज सकता। अतः मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इन वर्गों से इंजीनियरिंग अथवा मेडिकल शिक्षा में जाने वाले सभी छात्रों को उदार छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिये।

महोदय, जब कभी हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं तो भूमि सुधारों से सम्बन्धित सुझाव भी दिये जाते हैं।

इस सुझावों पर मुझे केवल हंसी आती है क्योंकि वे अच्छे नारे तो हो सकते हैं किन्तु उन से समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। जब कोई चीज है ही नहीं तो उसका विभाजन क्या होगा। यदि भूमि सुधारों को भूमि के वितरण के रूप में लिया जाये, तो कोई अच्छी स्थिति सामने नहीं आती, क्योंकि वितरण के लिए अपर्याप्त भूमि उपलब्ध होगी तथा इससे सीमांत तथा छोटे किसानों का अहित होगा। अतः मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इन छात्रों के लिए प्रत्येक ब्लाक में आई० आई० टी० जैसी संस्थाओं की स्थापना की जाये जिससे की वे जीवोन्मुख अथवा रहन-सहन उन्मुख शिक्षा प्राप्त कर सकें। वास्तव में मैं यह शिक्षा प्रदान किए जाने के पक्ष में हूं, यदि मैं इसके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिए दबाव डाल रहा हूं तो उसका कारण यह है कि ये छात्र भूमिहीन वर्गों से आते हैं जिनके पास आर्थिक जीवन को कोई साधन नहीं होता। अतः, इस शिक्षा के जरिये वे अपने आपको आर्थिक रूप से स्थिर कर सकेंगे। यह मेरी व्यक्तिगत धारण है। महोदय, मैं प्रसिद्ध अमरीकी अर्थशास्त्री गलब्रैथ, जो भारत में अमरिकी राजदूत थे, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्र के विकास में सबसे पहले पूंजी का शिक्षा पर किया गया निवेश होता है। जब हम विकासोन्मुख राष्ट्र की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं तो इससे ज्यादा सच्ची बात कोई और नहीं हो सकती। अतः किसी राष्ट्र को आर्थिक सम्पन्नता के लिये, शिक्षा में हमारा निवेश सबसे ज्यादा होना चाहिए, किन्तु क्या हमारे देश में ऐसा हो रहा है ? आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के लिए हम कितना आबंटन करते हैं। यहीं से जब हम शिक्षा हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आबंटन पर दृष्टि डालते हैं तो सामान्य रूप से निराशा होती है। आयोग की रिपोर्ट को पढ़कर मालूम होता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के छात्रों में शिक्षा के विकास में वृद्धि होने की अपेक्षा स्थिरता ज्यादा आई है। अतः स्थिति में सुधार के लिए हमारे पास ज्यादा छात्रावास होने चाहिए तथा हमें छात्रवृत्तियों की राशि बढ़ानी तथा छात्रवृत्तियां उदारता से बांटनी चाहिए। महोदय, मैं छात्रवृत्तियों के भुगतान में विद्यमान अनियमितताओं का भी उल्लेख करना चाहता हूं। वर्तमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के केवल दो बच्चे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं।

अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के तीसरे, चौथे तथा अगले पुत्रों अथवा पुत्रियों के लिए अभिभावकों को छात्रवृत्तियां नहीं दी जाएंगी। महोदय, मैं इसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों कें लिये शिक्षा के रोके जाने के लिये, नौकरशाही का एक

'षडयन्त्र' मानता है। मैं 'षडयन्त्र'' शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि प्रशासन में उच्चाधिकारी यहाँ तक कि मन्त्री तक इस 'षडयन्त्र' के विषय में नहीं जानते। मैं महसूस करता हूं कि अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के शैक्षणिक विकास में इस प्रकार के नियम बहुत बाधक हैं तथा हमें ऐसे नियमों को हटाना चाहिए। जितनी जल्दी ऐसा किया जायेगा, उतना ही अच्छा होगा। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे।

महोदय, मैं अवश्य कहूँगा कि जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद, श्री धनिक मण्डल की अध्यक्षता में 1978-79 की मध्यावधि योजना अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित कार्यकारी दल का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। मैं यह अवश्य कह सकता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं को समेटे हुये एक अच्छा पुलंदा है। यदि इस प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों पर कार्यान्वियन किया गया होता, तो हमारी अनेक समस्याएं, कष्ट तथा शिकायतें दूर हो जाते। किन्तु इस प्रतिवेदन को सदन के पटल पर नहीं रखा गया? इसमें दी गई सिफारिशों पर कार्यवाही के लिये सरकार बाध्य नहीं है। यह सद्भावना पत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तथा इसे लोगों की भावनाओं तथा आकांक्षाओं के अनुसार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसे लागू नहीं किया जा सकता। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि श्री धनिक लाल मण्डल, जिन्होंने इस दल का सभापतित्व किया है, पिछड़े वर्गों से आते हैं तथा कृषक-वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। मुझे विश्वास है कि वे इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने मात्र से संतुष्ट नहीं होंगे अपितु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों की भावनाओं को पूरा करने के लिए तथा सिफारिशों पर कार्यान्वियन के लिए वे हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

महोदय, अब मैं इन लोगों के लिए नौकरी के अवसरों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इसमें सन्देह नहीं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों के लिए क्रमश: 15% तथा 5% की सीमा तक आरक्षण किया गया है। सरकार के अन्तर्गत श्रेणी-एक से श्रेणी-तीन तथा चतुर्थ श्रेणियों के लिए तथा सरकारी उपक्रमों में भी यह आरक्षण किया गया है। किंतु यद्यपि 30 वर्ष बीत चुके हैं, इसे पूरी तरह से अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। केवल भंगियों के मामले में यह लागू किया गया है। महोदय, इन पदों को इस तर्क के आधार पर नहीं भरा जाता कि सरकार को उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिल रहे। किन्तु इसका निर्णय कौन करेगा? जो इन उम्मीदवारों पर विचार करते हैं उनका सम्बन्ध समाज के ऊँचे वर्गों से होता है जो सामाजिक साधनों का शोषण अपने निजी स्वार्थों के लिये लम्बे समय से करते आये हैं, जिन्होंने समाज को बाँटा हुआ है तथा जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कभी भी सद्भावना स्थापित नहीं होने दी है। इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था का कोई कानूनी आधार नहीं है तथा इसे लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यही मुख्य कारण है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाता है क्योंकि वह असहाय हैं तथा जब तक वर्तमान स्थिति चलेगी, वे न्याय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आरक्षण की व्यवस्था को कानून का सहारा दिया जाए। प्रतिवेदन में

स्थिति को ठीक तरह से कहा गया है जिसमें बताया गया है, "आरक्षणों के लिए कोई कानूनी समर्थन नहीं है तथा राज्यों एवं सरकारी उपक्रमों के अन्तर्गत सेवाओं में वर्तमान आरक्षण मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के आधार पर किये जाते हैं। आरक्षणों के लागू किये जाने के लिए सरकारी नीति में निर्धारित किया हुआ है; को जब इसे कानूनी समर्थन मिल् जाएगा तो इसे अधिकतम सीमा तक कार्यान्वित किया जाएगा। वर्तमान आरक्षण के लिए कार्यकारी निदेश, संविधान की धारा 16 (4) के आधार पर बनाए गए हैं। इसे धारा 16(1) के अपवाद के रूप में बनाया गया था जिसमें राज्य के अन्तर्गत किसी कार्यालय में रोजगार अथवा नियुक्ति के समान अवसर की व्यवस्था है। खण्ड 4 अनिवार्य नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यह खण्ड 4 अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।

अतः जब तक इन आरक्षणों को संवैधानिक समर्थन नहीं मिलता, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की दशा में किसी प्रकार से कोई सुधार नहीं होने वाला। महोदय, मुझे हर रोज अनेक ज्ञापन मिलते रहते हैं जिनमें प्रार्थियों द्वारा शिकायत की जाती है कि उन्हें पदोन्नति के मामले में जानबूझकर छोड़ दिया गया अथवा स्थाई बनाने के स्थान पर उनको छटनी कर दी गई। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि आरक्षण की व्यवस्था में स्वविवेक के आधार को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए तथा ऐसा किया जा सकता है जब हम व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान करें। महोदय, श्री सूरजभान ने एक गैर-सरकारी विधेयक के लिए नोटिस दिया है जिसमें उपरोक्त आपत्ति उठाई गई है। जिसमें आरक्षण की व्यवस्था की वैधानिक स्वीकृति दिए जाने की बात है। किन्तु दुर्भाग्यवश, मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय ने इस विधेयक पर कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की है। ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने यह कहा है कि यह महत्वपूर्ण विधेयक नहीं है अतः इसे अलग रखा जा सकता है। जब तक कि गृह मंत्रालय अथवा जब तक कि सरकार इस विधेयक को स्वीकृति नहीं देती तब तक इसे सदन के समक्ष चर्चा के लिए नहीं रखा जा सकता। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे श्री सुरजभान को विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए तथा उसे पारित कराने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार का विधेयक पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद, यहां पर नौकरशाही तंत्र का क्या रवैया है? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। पश्चिमी बंगाल में एक कार्यकारी अभियन्ता की पदोन्नति देय हो गई, उसे सुपरिंटेन्डेन्ट इंजीनियर बनना था? क्या हुआ? राज्य के मुख्य अभियन्ता का कहना था कि वह उसे पदोन्नति नहीं देगा। संबंधित राज्य के कानून में व्यवस्था थी कि यदि कोई अनुसूचित जातियों को पदोन्नति के आदेश देने से इंकार करता है, तो उसे 250 रु० जुर्माना देना होगा। मुख्य अभियन्ता कहता था कि वह जुर्माना देने के लिए तैयार है किन्तु वह पदोन्नति देने के लिए तैयार नहीं है। मुख्य अभियन्ता ब्राह्मण है। यदि उसका यह रवैया है तो आप दलित लोगों को बकाया मामलों में कैसे सुधार लायेंगे? बिना वैधानिक समर्थन के यह सम्भव नहीं है। उनके आर्थिक विकास के मामलों पर अनेक बातें लिखी हुई हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये केवल कागजों पर ही लिखी हुई नहीं होनी चाहियें; इन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए; अपेक्षित वित्तीय संस्थाओं की रचना की जानी चाहिए, प्रतिवेदन में उन्होंने कहा है कि आज तक केन्द्र की

ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है । क्या कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए ? मैं चाहता हूं कि इस संस्थान को यथेष्ट वित्तीय समर्थन दिया जाना चाहिए ।

माननीय मंत्री महोदय को यह नहीं समझना चाहिए कि यह अछूत विभाग उनके अन्तर्गत है; तथा उसके कार्य को छूआ नहीं जाना चाहिए । सम्भवतः इसीलिए उन्होंने 5 वर्ष के बाद यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । यदि वे इस तरह से सोचते हैं तो हमें कहते हुए दुःख हो रहा है कि उन्होंने ऐसा करके छूआछूत को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया है ।

मैं अपने भाषण को रविन्द्रनाथ टैगोर की दो पंक्तियों से समाप्त कर रहा हूँ जिसमें बताया गया है कि छूआछूत के प्रश्न से किस प्रकार निपटा जाए । छूआछूत को केवल दिलों के द्वारा दूर किया जा सकता है, उसे कानून द्वारा दूर नहीं किया सकता क्योंकि कानून के द्वारा तो हमने छूआछूत पर निषेध लगा ही दिया है, परन्तु फिर भी हम छूआछूत दूर नहीं कर पाये हैं । इसके लिए दोनों ओर से अर्थात् ऊपर के वर्ग तथा निम्नवर्ग दोनों ही की ओर से प्रयास किया जाना चाहिएं । मैं महान् कवि रविन्द्र नाथ टैगोर की दो पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ :

"ऐसो ब्राह्मण, शुचि करि मोन धरा हाथ सबाकार,
एसो हे पतीत, होक अबनीत सब अपमान भार ।"

इसका अर्थ है : हे ब्राह्मण, आगे आओ और अपने मस्तिष्क शुद्ध करो, अपना हाथ आगे बढ़ाओ केवल तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर होने वाली चर्चा में भाग लेने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ । मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिये समय दिया । अभी कुछ दिन पहले इस सदन में यह चिन्ता व्यक्त की गई थी कि अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट इस सभा में प्रस्तुत नहीं हो रही है और उस के लिये यहां पर काफी रोष व्यक्त किया गया था । उस के बाद तीन-चार साल की इक्ट्ठी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई । मैं सरकार से मांग करता हूं कि बहुत सारी रिपोर्टों का पुलन्दा पेश करने के बजाय हर साल बजट सेशन के अन्त में रिपोर्ट को पेश किया जाना चाहिये ।

पिछली बार जब अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर यहां चर्चा हो रही थी, उस समय यह माँग की गई थी कि हमारे इस पवित्र सदन—लोक सभा में—भी हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिये अलग से कोई मंत्रालय नहीं है । पिछली बार पुरज़ोर शब्दों में सरकार से मांग की गई थी कि उन के लिये अलग से मंत्रालय बनाया जाय, लेकिन आज तक इस सरकार ने उस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है ।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए आरक्षण 1980 में समाप्त हो रहा है जैसा कि मेरे से पूर्ववक्ताओं ने मांग की है कि यह आरक्षण कम से कम 30 साल के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए, यह मांग बिल्कुल उचित है और सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी, ऐसी मुझे आशा है ।

मैंने आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि अनुसूचित जातियों और जन-जातियों पर ऊंचे स्तर से अत्याचार और अन्याय होते हैं। मैं आयुक्त की रिपोर्ट के पेज 21 की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिस में कहा गया है कि लोक सभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो पद आरक्षित किये गये हैं, पारसाल परिसीमन के द्वारा चार पद कम कर दिये गये हैं। अब आप यह देखिये कि हिन्दुस्तान की सर्वोच्च संस्था लोक सभा में चार स्थान कम कर दिये गये हैं। यह आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट है। इस की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस में यह कहा गया है :

"....लोक सभा के कुल 542 स्थानों में क्रमशः 78 और 38 स्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रारक्षित थे। परिसीमन आयोग द्वारा उक्त स्थानों का पुनर्निधारण किया गया। लोक सभा के स्थानों की कुल संख्या 526 से बढ़कर 542 हो गई। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 77 से बढ़ कर 78 हो गई और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 42 से घट कर 38 रह गई।"

इस से बढ़ कर अन्याय और अत्याचार क्या हो सकता है कि लोक सभा में सदस्यों की संख्या कम कर दी है और जब यहां के लिए ऐसी बात है तो बाकी नौकरियों में क्या हाल होगा, यह कहा नहीं जा सकता।

इसी प्रकार से विधान सभाओं में कुछ स्थान कम किये गये हैं। आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है :

"लोक सभा के लिए मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से दो अतिरिक्त स्थान अर्थात् मध्य प्रदेश में वर्तमान 8 स्थानों के बदले 9 स्थान तथा महाराष्ट्र में वर्तमान 3 स्थानों के बदले 4 स्थान अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है।"

जैसा कि आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, यह प्रस्ताव सरकार को मान लेना चाहिए और दोबारा परिसीमन आयोग की बैठक होनी चाहिए और जन-गणना के आधार पर यह होना चाहिए। 1971 की जन-गणना के आधार पर यह सब चीज़ चलती है और अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की जो संख्या बढ़ी है, उन फीगर्स के बढ़ने के अनुपात के आधार पर परिसीमन होना चाहिए और जैसाकि रिपोर्ट में कहा है, उन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। राज्य विधान सभाओं के बारे में यह कहा गया है :

"राज्य विधान सभाओं में 16 अतिरिक्त स्थान अर्थात् बिहार में (2), गुजरात (1), हिमाचल प्रदेश (1), कर्नाटक (4), महाराष्ट्र (1), राजस्थान (1) तथा उत्तर प्रदेश में (3) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है।"

आयुक्त महोदय ने यह प्रस्ताव किया है : "इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश (4) गुजरात (1), केरल (1), मध्य प्रदेश में (11), महाराष्ट्र (5) और तमिलनाडु (1) विधान सभाओं में 21 और स्थान आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।"

इसलिए जब तक लोक सभा और विधान सभाओं में ये आरक्षित स्थान आप नहीं बढ़ाएंगे, तब तक दूसरी जगहों के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है।

यही नहीं, राज्य सभा और विधान परिषदों में संविधान में जो व्यवस्था की गई हैं, उसके अनुसार आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जब राज्य सभा और विधान परिषदों में ऐसा नहीं है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सभा और विधान परिषदों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

अनुसूचित और जनजातियों के कल्याण के लिए समिति गठित होती है और आयुक्त महोदय को भी एक कमरे में बिठा दिया है लेकिन उनकी जो रिपोर्ट आती है, उस का एक्जीक्यूशन पूरी तरह नहीं होता है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि उन की रिपोर्ट पर या तो सरकार खुद अमल करे या कम से कम आयुक्त को पूरा अधिकार होना चाहिए कि कहीं भी किसी प्रकार की खामी हो, तो उस पर वह अमल करवा सके।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में मैं एक और चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आई० ए० एस०, आई० पी० एस, फर्स्ट क्लास आफीसर्स और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनमें उनका पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके साथ-साथ राजदूत, राज्यपालों की नियुक्ति में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ घोर अन्याय किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार करे। इस सदन में हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इन लोगों के हित की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन जनता सरकार से अब अपेक्षा है कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए विशेष रूप से ध्यान रख कर कार्य करे और उनके हितों की रक्षा करे।

आपको मालूम होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर इस सदन में चर्चा की जाती है और उस चर्चा के दौरान जो प्वाएंट उठाये जाते हैं वे पुस्तक में रह जाते हैं, उन पर कभी गौर नहीं किया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वे राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दी जाती हैं। मैं चाहूंगा कि ये सुविधाएं उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति और पिछड़ेपन को देख कर दी जानी चाहिएं। मेरा स्पष्ट मत है कि ये सुविधाएं फाइनेंशियल आधार पर दी जानी चाहिएं। मैंने देखा है कि जिन लोगों की नेताओं तक पहुंच है वे इन सुविधाओं का सारा का सारा लाभ ले जाते हैं और जो बहुत पिछड़े हैं उन तक इन सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन सुविधाओं का पूरा सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए बजट में जो प्रावधान किया जाता है, उसका उपयोग पूरे साल नहीं हो पाता। वित्तीय वर्ष के अन्त में मार्च में जाकर योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति हो पाती है और फिर कहा जाता कि 31 मार्च तक उसे खर्च किया जाए। इस प्रकार इन लोगों के कल्याण के लिए रखी गयी राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और बहुत सारी राशि सरेण्डर करनी पड़ती है। मैं चाहूंगा कि हर महीने के लिए पैसा निर्धारित होना चाहिए कि छात्रवृति पर हर महीने इतना पैसा खर्च होगा और अन्य सुविधाओं पर इतना पैसा खर्च होगा।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ घोर अन्याय होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी अधिकांश में—यह

बात रिपोर्ट में भी कही गयी है— सी० आर० खराब कर दी जाती है। इस तरह से इन लोगों को पदोन्नति का समान अवसर नहीं मिलता। सेवाओं में आरक्षण के मामले में यह कह कर टाल दिया जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते। योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है लेकिन जो ऊंचे पदों पर आसीन लोग हैं वे अपने लोगों को भाई भतीजावाद के आधार पर इन पदों पर बिठाने के लिये ऐसा कह देते हैं। लोग इन आरक्षित पदों को इसलिए नहीं भरते कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। इस तरह से ये लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। जब तक इन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तब तक इस देश का और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का भी भला नहीं होगा। इन लोगों के बारे में राजनीतिक लोग इसीलिए आंसू बहाते हैं कि उनकी संख्या काफी है और आंसू बहा कर उनके वोट बटोरने हैं। यह तीस साल से बराबर चला आ रहा है। अब सरकार को वास्तविक रूप से उनके हितों की ओर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, वर्क चार्ज और डेली वेजिज पर जो लोग काम करते हैं, उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता है। दस-दस और बीस-बीस साल से लोग वर्क चार्ज पर चले आ रहे हैं लेकिन उनको स्थायी नहीं किया जाता है। डेली वेजिज पर जितने कर्मचारी हैं और जिनकी सेवा तीन साल से ऊपर हो गयी है उन सभी को स्थायी किया जाना चाहिए।

सफाई कर्मचारी के रूप में हमारे बालमीकि भाई, मेहतर भाई निकृष्ट से निकृष्ट काम करते हैं। उस काम के एवज में उनको बहुत कम पैसा मिलता है। अन्याय यह होता है कि उनके ऊपर जो दारोगा होता है वह कोई पंडित जी होते हैं या कोई दूसरा होता है। जो लोग इस काम को क ते हैं उन में से ही किसी को दारोगा पद मिलना चाहिये। साथ ही हरिजन भाई सफाई का काम करते हैं जिन को स्वीपर कहते हैं उनकी तनख्वाह भी कम से कम एक हजार होनी चाहिये ताकि दूसरे लोग भी इस काम को करने के लिए आगे आ सकें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए जो पद सुरक्षित हैं उनको अनारक्षित किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिये। इसकी सिफारिश आयुक्त महोदय ने भी अपनी रिपोर्ट में की है। ऐसा करके दूसरे लोगों को उन पदों पर बिठा दिया जाता है। अगर यह चीज जारी रही तो इन लोगों के साथ अन्याय होगा। इस वास्ते इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए भारतीय सेवाओं में 18 प्रतिशत रिजर्वेशन है। संविधान के अनुसार यह कोटा उनको मिलना चाहिये। यह कह दिया जाता है कि योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं। मैं समझता हूं कि इस शब्द को हटा दिया जाना चाहिये। योग्य उम्मीदवारों की आज के जमाने में कोई कमी नहीं है। डा० अम्बेदकर अनुसूचित जाति में पैदा हुए थे और उनके जैसे लोग, कई अम्बेदकर आपको देश में मिल जाएंगे जो मारे-मारे रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। इस वास्ते इस शब्द को आपको निकाल देना चाहिये।

उनकी आर्थिक स्थिति को भी आपको सुधारना चाहिये। तभी उनका भला हो सकता है। भूमि वितरण की बात शुरू से सुनते आ रहे हैं। यह कहा जाता रहा है कि प्राथमिकता के

आधार पर उनको भूमि दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि पंद्रह दिन के अन्दर यह काम सारे देश में सम्पन्न हो सकता है। पिछली सरकार यह नारा देती रही है कि हम उन में भूमि बांट रहे हैं और हमारी सरकार भी कह रही है कि हम उनको भूमि दे रहे हैं। लेकिन यह सब कागजों में हीं बांटी गई है वास्तविक रूप से उनको कोई भूमि नहीं मिली है। मुझे अपने जिले के बारे में मालूम है। पिछली सरकार ने भूमि वितरण समिति के माध्यम से भूमि बांटी। अन्य लोगों को तो भूमि मिल गई लेकिन हरिजनों और आदिवासियों को किसी नदी का पट्टा, किसी को नाले का पट्टा और किसी को पहाड़ का पट्टा दे दिया गया। भूमि वितरण का काम योजना-बद्ध तरीके से एक महीने में पूरा कर दिया जाना चाहिये। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके बिना उनका वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि वह भूमि वितरण का कार्य तीस जून तक समाप्त कर देगी। मुझे नहीं लगता है कि यह तब तक हो पाएगा। अगर हो गया तो मैं समझूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर दिखाया है। राजस्थान सरकार ने अन्त्योदय कार्य को हाथ में लिया है। यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है। इसको सारे देश में लागू किया जाना चाहिये ताकि देश में अनुसूचित जातियों और जन जातियों का भला हो सके।

संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उल्लेख किया गया है। इस सदन में और सारे देश में इस बात की जोरशोर से चर्चा होती है कि हरिजनों का हम को भला करना है। अब हरिजन शब्द संविधान में कहीं नहीं है। जिस शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है उस शब्द का सारे देश में क्यों ढिंढोरा पीटा जाता है यह मेरी समझ में नहीं आया है। यह हरिजन क्या बला है, मेरी समझ में नहीं आता है। यह शब्द निकाल देना चाहिये और इसके स्थान पर अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिये। इस हरिजन शब्द से लोगों में खाई बढ़ती जा रही है कि यह हरिजन है और सवर्ण है। इस खाई को पाटना होगा। मेरी स्पष्ट मान्यता है और मेरे मुंह से भी हरिजन शब्द कभी-कभी निकल जाता है, यद्यपि मैं इसका घोर विरोधी हूँ। गांधी जी की उस समय कुछ भी मंशा हो और उन्होंने इसका प्रचलन किया हो; लेकिन आज स्थिति यह है कि सवर्ण और हरिजन के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा हो रही है जिससे लोगों में विद्वेष की भावना पैदा हो रही है। इसलिये हरिजन शब्द निकाला जाय और इसकी जगह अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाय।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये कुछ सुविधाओं का उपबन्ध किया गया है, जैसे छात्रवृत्ति है। यह छात्रवृत्ति उनको इकट्ठी अप्रैल के महीने में मिलती है जिसके कारण उसका वास्तविक उपयोग नहीं होता है। मेरी मांग है कि यह हर महीने मिलनी चाहिये ताकि वह इसका उपयोग कर सकें। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये हल, बैल, खाद, बीज, डीजल पम्प और कूएं के लिये भी सुविधा दी जाती है। यह पैसा भी उनको मार्च के अन्त तक दिया जाता है और लास्ट में अधिकांश पैसा सरेंडर हो जाता है। यह पैसा जुलाई से ही मिलना चाहिये। मैं मांग करता हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये जो सुविधायें दी गई हैं, जो पैसे का प्रावधान किया गया है वह वास्तविक रूप में उन पर

खर्च होना चाहिये। अगर कोई अधिकारी इस पैसे का दुरुपयोग करता है तो उसको दंड भी देना चाहिये। जो पैसा बजट में उनके लिये है वह उनको मिलना चाहिये।

एक बात और कहनी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिये सैपरेट मिनिस्ट्री निश्चित रूप से होनी चाहिये और इस पर सरकार जरूर ध्यान दे। आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये मैं आभारी हूं।

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरूपत्तूर) : सभापति महोदय, जब हम इस प्रस्ताव पर पिछले दो दिनों से सदन में चर्चा कर रहे हैं, आज सुबह हम ने देखा है कि एक सदस्य किस प्रकार तेज आवाज में चिल्लाकर कुछ सदस्यों को कुछ फोटो दिखा रहा था। इससे सिर्फ यही प्रकट होता है कि सभी आयोगों के बावजूद, जो हम ने नियुक्त किए हैं तथा जो चर्चा में हमने सदन में की हैं, उनके बावजूद भी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग पहले की तरह ही परेशानियों का सामना कर रहा है तथा यहाँ तक कि राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों द्वारा संचालित अस्पतालों में भी उन्हें यथोचित उपचार नहीं मिलता। परन्तु, इस पर भी हमारे पास अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून है, इसे पूरी तरह से दूर नहीं किया गया है तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोग अभी तक गैर-सरकारी स्तर की तो बात क्या, सरकारी स्तर पर भी कष्ट उठा रहे हैं। यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर भी छुआछूत के व्यवहार में अनेक चित्र जनता पार्टी के अनेक सदस्यों ने इसी सदन में अपने वक्तव्यों को प्रमाणित करने के लिये दिखाये हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उचित रूप में कानून का पालन से किया जाये। कोई भी अपराधी, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को परेशान करता हो अथवा उनसे दुर्व्यवहार कर रहा हो, उसे मांफ न किया जाये और उसे जेल में बन्द कर दिया जाए।

अस्पृश्यता कानून के अन्तर्गत एक वर्ष की कैद तथा 1000 रु० तक जुर्माने का प्रावधान है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कानून में संशोधन कर सजा दो अथवा तीन वर्ष कर दी जानी चाहिये। यद्यपि यह गैर-जमानती अपराध है, तो तभी इसको प्रभावी रूप में लागू किए जाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए हमारे पास विशेष न्यायालय हैं। जो लोग समाजविरोधी गतिविधियों में फंसे हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के विरुद्ध हैं उन्हें इन विशेष न्यायालयों की परिधि में लाया जाना चाहिए।

जहाँ तक कानून को प्रभावशाली रूप से लागू करने का सम्बंध है, मैं कह सकता हूँ कि एक वकील के रूप में हिन्दुओं की जाति के विरुद्ध अस्पृश्यता कानून के अन्तर्गत मैंने बहुत से मामलों की पैरवी की है तथा इसके परिणामस्वरूप तिरुवन्नामली में मैंने कुछ हिन्दू जातियों को एक वर्ष सजा तथा 1,000 रु० की जुर्माना करवाया है। सभापति महोदय, वास्तव में अस्पृश्यता के कानून का कार्यान्वयन उचित ढंग से किया जाना चाहिए तथा इसे उचित रूप लड़ा जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में सरकार तथा मंत्रालय को यथोचित छानबीन करनी चाहिए।

मेरे से पूर्व बोलने वाले मेरे माननीय मित्र ने कहा कि अकेले गृहमंत्री के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे इन समाज-विरोधी तत्वों के कुकृत्यों की छानबीन करें। अतः इस कार्य के लिए एक पृथक मंत्रालय का गठन किया जाना चाहिए। यह प्रार्थना उचित है तथा मंत्रालय को एक पृथक मंत्रालय तथा एक पृथक एकक (सेल) के गठन पर विचार करना चाहिये जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सारे देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा हरिजन और पिछड़े लोगों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाये।

सभापति महोदय, जहां तक तमिलनाडु राज्य का सम्बन्ध है, तमिलनाडु सरकार अन्तर्जातीय विवाहों का स्वागत कर रही है। तमिलनाडु सरकार अन्तर्जातीय विवाहों के लिए स्वर्ण पदक तक दे रही है। इस प्रकार भारत सरकार राज्यों को इन आधुनिक नीतियों जैसे अन्तर्जातीय विवाह आदि के कार्यान्वियन हेतु कहे तथा अन्य जातियों में विवाह करने वाले लोगों को सुविधायें प्रदान करे। सरकार को जो अनुसूचित जाति में विवाह करेंगे उनके लिए नौकरी के अवसर का एक निश्चित आश्वासन देना चाहिए। ऐसा करने से सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक जाति-विहीन समाज की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। अतः मैं भारत सरकार ने निवेदन करता हूँ कि मेरे सुझाव पर गम्भीरता से विचार करे।

प्रधान मंत्री सभी राज्यों को मद्य-निषेध की नीति पर कार्यान्वयन करने के लिए कह रहे हैं। किन्तु मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रधान मंत्री विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुसूचित जन-जातियों तथा हरिजनों के उत्थान की नीति को कार्यान्वित करने के लिए भी कह रहे हैं। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं ? मुझे स्वतः ही सन्देह है कि सरकार वही कुछ गलती तो नहीं कर रही जो कांग्रेस ने की। वे पिछले दो साल से जाँच आयोगों की नियुक्ति के अतिरिक्त सरकार द्वारा और कुछ नहीं किये गये हैं।

जहाँ तक पदों के आरक्षण का प्रश्न है, अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनेक पदों को भरा नहीं जाता। क्योंकि उनका प्रतिशत 10 से 20 होता है, कोई उन्हें भरने की परवाह नहीं करता। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियाँ उचित ढंग से भरी जानी चाहियें। गत वर्ष गृह राज्य मंत्री ने इस सदन में एक विवरण दिया था जिसमें बताया था कि अनेक रिक्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा भरा नहीं गया। इसके पीछे क्या कारण है ? क्या अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के लोग इन पदों के योग्य नहीं हैं ? यह इसलिए है कि इन पदों के भरे जाने हेतु समूचे भारत में तथा विशेषकर दक्षिण के राज्यों में उचित प्रचार नहीं किया जाता, मंत्रालय को सबसे पहले यह मालूम करना चाहिए कि कहाँ पर पद भरे नहीं गए हैं। पदों को तुरन्त भरा जाना चाहिए तथा सभी कर्मचारियों को एक परिपत्र भेजा जाना चाहिए जिसमें रिक्त पदों की संख्या, तथा भरे जाने वाले पदों की संख्या तथा यह सब कुछ उचित ढंग से किया जाना चाहिए तथा पदों को बिना किसी विलम्ब के तुरन्त भरा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेषकर तमिलनाडु के आदिवासी की ओर दिलाना चाहूंगा, तथा उत्तर भारत के अन्य आदिवासियों की ओर भी। तमिलनाडु में हम

आदिवासियों को **नारी कुरावार** अर्थात् जिप्सी आदिवासी के नाम से पुकारते हैं। उन्हें आदिवासियों की सूची में कहीं भी शामिल नहीं किया गया। सामाजिक दृष्टि से वे बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं तथा इन लोगों के पास मकान भी नहीं हैं। वास्तव में, उनका काम जंगलों में होता है तथा ये **नारी कुरावार** बहुत गरीब लोग हैं। इसलिए इन्हें अनुसूचित जातिलों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में बिना बिलम्ब अबिलम्ब शामिल किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में आदि वासी लोग **नारी कुरावार** हैं तथा मैं माननीय मंत्री श्री मण्डल जी से, जो काफी न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, से इन **नारी कुरावार** को आदिवासी लोगों के रूप में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को अनुरोध करूंगा।

अण्डेमान से मेरे माननीय मित्र ने मुझे अभी-अभी बताया है कि आदिवासी आयोग में क्या कुछ चल रहा है। अण्डेमान के लिए राशि का आबंटन किया गया तथा मुख्य आयुक्त को नियुक्त किया गया है। आयोग में उनकी अपनी पत्नी सदस्या हैं। मुख्य आयुक्त तथा उनकी पत्नी इस राशि को अपने स्वयं के लाभ के लिए खर्च कर रहे हैं, तथा आदिवासी लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे। अण्डेमान में 'ओंजे' नाम के आदिवासी जाति हैं। उनकी वहाँ 97% जनसंख्या है, किन्तु उन पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। मंत्री महोदय को इस मामले की छानबीन करनी चाहिए। अण्डेमान से माननीय सदस्य ने सभी ब्यौरे दिए हैं तथा एक चुनौती भी दी है।

हरिजनों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्थान के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा तीन बातें तुरन्त की जानी चाहियें। उन्हें निःशुल्क मकान दिए जाने चाहिये, जैसा कि हमने तमिलनाडु में किया है। हमने अब तक 8,000 मकान बना कर प्रत्येक जिले में 1,000 मकान की दर से दिए हैं। अब आदिवासी क्षेत्रों का चयन करके 5,000 से 10,000 रु० की लागत के मकान बना सकते हैं। सरकार कह सकती है कि धन की कमी है किन्तु हम जानते हैं कि कितना करोड़ों रुपया इतनी सारी प्रयोजनाओं पर नष्ट किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, एक दिन पेट्रोलियम और रसायन मंत्री, श्री बहुगुणा से कोटबा फर्टिलाइजर प्लाण्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया, तथा यह ध्यान दिलाया गया कि 24 करोड़ रु० नष्ट किए गए हैं, उन्होंने कहा कि यह केवल एक छोटी राशि है तथा वे इसकी जाँच नहीं करा सकते। जबकि भारत सरकार के लिए 24 करोड़ रु० छोटी राशि है, तो क्या आप हरिजनों तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े तथा गरीब लोगों को निःशुल्क मकान नहीं दे सकते?

भूमि सुधारों के बारे में अनेक मित्रों ने बात कही है। तमिलनाडु में हमने इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया है, तथा ऐसा ही अन्य राज्यों में भी किया जाना चाहिए। इसे एक केन्द्रीय कानून के द्वारा निश्चित रूप से किया जा सकता है।

यह अन्तर्राष्ट्रीय बाल-वर्ष है। मेरे माननीय मित्र ने ध्यान दिलाया है कि अधिकांश बाल-मजदूर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में आते हैं। सरकार को इस वर्ष के दौरान इसे रोकना चाहिए तथा उन्हें मुक्त करना चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के बच्चों को भारत सरकार द्वारा उचित शिक्षा, उचित आहार तथा वर्दी दी जानी चाहिए। अब यह आसान है क्योंकि शिक्षा का विषय अब समवर्ती सूची में है।

अंत में, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकारी स्तर पर जाति नाम पर रोक लगाने के के लिए क्या सरकार आगे आयेगी ? मैंने यह मामला पिछले सत्र में भी उठाया था। केवल ऐसा करने से क्या वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के साथ न्याय करेगी ? हमें जाति नामों को हटा देना चाहिये। हमारी ए०आई०ए०डी०एम०के० पार्टी में किसी को अपने नाम जाति का नाम जोड़ने की अनुमति नहीं है। मैं जनता, कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के युवा संसद सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बुराई से लड़ने के लिए वे एक संगठन बनायें तथा सरकारी स्तर पर, जाति नाम पर, तुरन्त प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार पर दबाव डालें। सरकार को ऐसा करने के लिए आगे आना होगा। अन्यथा, एक दिन आयेगा जब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को इस प्रकार के रवैये के विरुद्ध क्रांति लानी आरम्भ करनी होगी। यदि ऐसा न किया गया तो अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के लोग यह क्रांति शुरू करने के लिए बाध्य हो जायेंगे।

श्री गोविन्द मुण्डा (किओन्झार)* : सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के 23वें तथा 24वें प्रतिवेदन पर कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मैं समझता हूँ, इस प्रतिवेदन पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। यह समय की अनावश्यक बर्बादी है; इससे ज्यादा अच्छा यह होता कि इस समय को सदन की अन्य कार्यवाही के लिए आबंटित कर दिया जाता। हमारे देश में एक कहावत है कि व्यर्थ परिश्रम करने में कोई लाभ नहीं है; क्योंकि प्रतिवेदन में जो कुछ भी कहा गया है उसे हमारे देशवासी स्वीकार कर चुके हैं।

जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारे नेताओं ने आदिवासियों तथा हरिजनों के उत्थान को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। गरीबी के कारण वे बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे थे इसलिए इन लोगों के उत्थान के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई थी। स्वतंत्रता के बहुत पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देशवासियों को सुझाव दिया था कि वे हरिजनों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े लोगों के लिए कार्य करें। पद-दलित लोगों के लिए देशवासियों का आगे आना मुख्य कार्य समझा गया था। महोदय, स्वतन्त्रता मिले आज 30 वर्ष बीत चुके हैं। समय-समय पर सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए राशि आबंटित की गई है। पिछली सरकार के राजनैतिक षड्यन्त्रों के कारण ये लोग कुछ भी उन्नति नहीं कर सके हैं। वास्तव में, सीटों के आरक्षण के कारण हमें लोक सभा, राज्य सभा तथा विधान सभाओं के सदस्य बनने का अवसर मिला। किंतु मात्र सदस्य बन जाने अथवा संसद में प्रतिवेदन पर चर्चा कर लेने से हम आदिवासियों तथा हरिजनों की समस्यायें नहीं सुलझा सकते। अपने तीस वर्ष के राजनैतिक अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आदिवासियों ने जीवन-स्तर में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है। वह आज भी इसी अंधेरे में हैं कि सरकार उनके लिए कुछ करने जा रही है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हद तक उन्होने प्रगति की है। धीरे-धीरे राजनैतिक दृष्टि से भी हमने उन्नति की है। किंतु कुछ नेता ऐसे हैं जो हमारी प्रगति को सहन करने के लिए तैयार

* उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

नहीं हैं। अब वे दूसरी ही भाषा बोलने लगे हैं। वे कहते हैं कि आदिवासियों तथा हरिजनों की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा।

महोदय, लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य विधान सभाओं में 1980 से सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जो सदस्य आरक्षण के विरुद्ध बोल रहे हैं वे नहीं जानते कि 1980 के बाद उनका भविष्य क्या होगा। वे दोहरा चेहरा लगाये हुए हैं। उन्हें आदिवासियों तथा हरिजनों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए।

हमारे देश की कुल जनसंख्या लगभग 60 से 65 करोड़ है। इसमें से 25 प्रतिशत आदिवासी तथा हरिजन हैं। अपने लोगों के कल्याण के लिए हमें विशाल राशि की आवश्यकता है। हमारे देश में हमारे पास पर्याप्त साधन हैं। यदि हम अपने साधनों का प्रयोग ठीक ढंग से करें, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के जीवन स्तर सुधरेगा। किंतु हमारी सरकार की योग्यताओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में ईमानदारी होनी चाहिए।

महोदय, कांग्रेस सरकार ने हमारे देश में 30 वर्ष तक शासन किया। उनके शासन काल में वे जोर-शोर से घोषणा कर रहे थे कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उत्थान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत उन्होंने करोड़ों रुपये आबंटित किए, किंतु प्रबंध में उनकी निष्क्रियता के कारण वे अपना लक्ष्य प्राप्त न कर सके। करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किया गया। बाद में हमारी जनता सरकार के शासन में आने के बाद हमने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है। यही कारण है कि आदिवासियों तथा हरिजनों ने इन दो वर्षों के अन्दर-अन्दर कुछ हद तक प्रगति की है। यह बात मैं सदन में पूरी ताकत से कह सकता हूं। इस स्थिति में कुछ राजनीतिज्ञ हम लोगों के बीच अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। दुर्भावनापूर्ण प्रचार करके वे जनता के बीच भी सकट उत्पन्न करना चाहते हैं। इसे हम भूमि बन्दोबस्त विभाग में देख सकते हैं। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय, जो हरिजनों से सम्बंध रखते हैं, वह यदि मंत्रालय संभालने में असमर्थ हैं, तो अन्य हिन्दू-जाति के मंत्रियों को उनकी सहायता करनी चाहिए। इस मंत्रालय के कार्यक्रमों का कार्यान्वियन देखने के लिए एक विशेष एकक (सेल) की स्थापना की जानी चाहिए। प्रधान मंत्री को मंत्री की, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कार्यकारी मंत्री हैं का मार्गदर्शन करना चाहिए। तभी हमारे देश के करोड़ों पद-दलित लोगों का सुधार हो सकता है; अन्यथा किसी भी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं है।

इसके बाद, मैं सरकार की आदिवासियों को सुअर पालन तथा मुर्गी-फार्म के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सरकार की नीति के अनुसार, वे कुल निवेश का 75 प्रतिशत ऋण देते हैं तथा 25 प्रतिशत राज्य-सहायता के रूप में देते हैं। इसे आदिवासी विकास योजना में शामिल किया जाता है। हमारी सरकार 'पोडू' के संवर्धन के लिए भी ऋण देती है। वही 75 प्रतिशत ऋण तथा 25 प्रतिशत राज्य-सहायता की व्यवस्था 'पोडू' खेती के लिए भी है। महोदय, मैं क्योंझार चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। जुआंग नामक एक जाति पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। वे बहुत गरीब हैं। उनकी भूमि खेती योग्य नहीं है। उनके पास सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। वे अपनी भूमि की जुताई किस प्रकार कर सकते हैं तथा फसल

की कटाई कैसे कर सकते हैं ? उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे कि वे खेती के आधुनिक तरीके अपना सकें। कुछ अन्य बैंक तथा ऋण संस्थाएं हैं जहां से वे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उनकी ओर से वे ऋण की वापसी आदि बड़ी ही कठिन बात है, क्योंकि उनके पास मंहगी फसल प्राप्त करने के साधन नहीं हैं। अतः ऋण मात्र ही उनके लिए पूंजी नहीं हो सकती, बल्कि ये उनके लिए दायित्व है। तथापि, हमारे समाज के सभी वर्गों के सहयोग से इन लोगों की स्थिति सुधारी जा सकती है।

कांग्रेस सरकार के 30 वर्ष के शासन में हम लोग आत्म-निर्भर नहीं बन सके। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारी पार्टी के शासन में आने के बाद, कम से कम हमें अन्य देशों से खाद्यान्नों का आयात नहीं करना पड़ रहा। किंतु आदिवासी तथा हरिजन अभी तक आत्म-निर्भर नहीं बन सके हैं। वे अभी भी गरीबी के शाप से पीड़ित हैं। अनेक आयोगों की स्थापना की गई तथा प्रतिवेदन भी इस सदन के पटल पर विभिन्न समयों पर प्रस्तुत किये गये हैं। किंतु क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस समय आदिवासियों की प्रतिव्यक्ति आय कितनी है ? यदि मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते तो वे इस वर्ग के हमारे समाज की सुरक्षा किस प्रकार प्रदान कर सकेंगे ? हमारा कार्यक्रम आदिवासियों तथा हरिजनों का कृषि के क्षेत्र में तथा आर्थिक क्षेत्रों में भी विकास देखना था। किस नियम के अन्तर्गत आप कहते हैं कि सीमांत भूमि इस वर्ग के लोगों में बांट दी जाएगी।

महोदय, हजारों एकड़ पड़ती भूमि जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ी है। उस भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करके इन लोगों में वितरित करनी चाहिए। माननीय मंत्री बिहार से हैं। मैं उड़ीसा के केन्झोर जिले से सम्बंध रखता हूँ। वे उड़ीसा में पड़ती भूमि के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। महोदय, मंत्री जी सो रहे हैं। वे मेरा भाषण नहीं सुन रहे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई प्रयोजनों को बड़े पैमाने पर लिया जाए। हमारे आदिवासी कृषि में आत्म-निर्भर हों। किंतु उन्हें सुअर तथा मुर्गी-पालन के लिए प्रोत्साहित न किया जाए। क्योंकि इस प्रकार का व्यापार बढ़ाने के लिए उनके पास समझ नहीं है। हमें अपना सारा जीवन आदिवासियों तथा हरिजनों के लिए अर्पित कर देना चाहिए।

अब मैं कुछ शब्द आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में कहना चाहूँगा। महोदय, उन क्षेत्रों में पेयजल के कुएँ की नहीं हैं। संचार-सुविधाओं तथा स्कूलों के अभाव में वे अपना पिछला पिछड़ापन सुधारने में असमर्थ हैं। आदिवासी कल्याण के शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित सुधार राशि में कमी नहीं की जानी चाहिए यदि हम ऐसा करते हैं तो उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी।

एक अन्य दिन मैं अपनी माननीय मित्र पवित्र प्रधान का भाषण सुना। किसी समय वे आदिवासी तथा ग्रामीण कल्याण मंत्रालय के प्रभारी थे। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में छुआछूत नहीं है। अभी भी हमारे देश में हरिजनों तथा आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं। शायद उड़ीसा में ये बहुत कम होते हैं। ये सभी घटनायें राजनैतिक षड्यन्त्रों के कारण होती हैं। अतः यदि हम वास्तव में उनकी रक्षा करना चाहते हैं तथा उनके हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं तो हमें पवित्र बाबू जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें एक ही झण्डे के नीचे एक साथ काम करना चाहिए।

अन्त में, मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि वे अनुसूचित जन-जातियों को दी जाने वाली सुविधाएँ 30 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दें। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए वित्तीय आयोग अथवा अन्य किसी आयोग किसी काम के नहीं हैं। ऋण लेकर हम घी कैसे खा सकते हैं ? इस प्रकार के सभी सहयोग हमारे लिए बढ़ाये जाने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 की जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट्स हैं, आज बहुत जोर व दबाव के बाद दो दिनों से उन पर चर्चा चल रही है।

मैंने इन रिपोर्टों को पढ़ा है लेकिन पिछले सालों की जो पिछली रिपोर्टें थीं और उन पर जो बहस हुई थी, उस बहस के दौरान जो कई प्रश्न उठाए गए थे, सरकार ने उस वक्त यह आश्वासन दिया था कि जो संस्तुतियां की गई हैं, हम उन पर विचार करेंगे और उनको लागू करने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि बहुत सी संस्तुतियां जो पिछली रिपोर्टों में की गई थीं, उन पर सरकार ध्यान नहीं देती है, नहीं तो शायद उन संस्तुतियों को कमिश्नर साहब को दोहराने का अवसर इन रिपोर्टों में न आता। मैं एक उदाहरण यह देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा था कि जो आयुक्त का आफिस है इसको सक्षम बनाया जाना चाहिए। हम संसद सदस्यों ने भी पहले इस बात को कहा था कि इसको सक्षम बनाया जाए और प्रदेशों में भी इसका विस्तार किया जाना चाहिए। अकेली एक इकाई इस देश के अन्दर केन्द्र में रहे और आप यह चाहें कि पूरे हिन्दुस्तान भर का जायजा ले ले और सारी स्टेट्स में जाकर अध्ययन करके इस रिपोर्ट के अन्दर समावेश कर दे, यह सम्भव नहीं है, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि गृह राज्य मन्त्री इस ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें।

श्री धनिक लाल मण्डल : वह हैंड ओवर कर दिया गया है।

श्री राम लाल राही : अगर कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है।

दूसरी बात मैं अस्पृश्यता के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। वह पुनः दोहराई गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अस्पृश्यता के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि पाँच साल के अन्दर हम अस्पृश्यता को समाप्त कर देंगे और साथ ही एक बात उन्होंने यह भी कही थी कि हम बेरोजगारी को 10 साल में समाप्त कर देंगे। ये दोनों ही प्रश्न ऐसे हैं, जो खास कर हरिजनों से जुड़े हुए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों से जुड़े हुए हैं और मैं यह मानकर चलता हूं कि ये समाप्त नहीं होंगे। न तो आरक्षण पूरा होने को है और न ही अस्पृश्यता जाने को है।

अभी हमारे भाई कुरील साहब कह रहे थे कि नीति और नीयत का प्रश्न है। हम नीति कैसी ही बना दें जब तक नीयत स्पष्ट नहीं होगी तब तक कोई भी आप के नीचे बैठने वाली मशीनरी जिसको आप कंट्रोल करते हैं सक्षम नहीं हो सकती है और न वह आपकी नीति के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो आपने सुविधाएं दे रखी हैं उन्हें पूरा कर सकती है। मेरा विचार है कि तीस सालों में कांग्रेस राज्य में जिस प्रकार से इन लोगों के प्रति उपेक्षा वरती गई उसी प्रकार से हमारी सरकार के जमाने भी वही उपेक्षा नीति चल रही है, सम्भवतः चार कदम आगे बढ़ कर चल रही है।

जब देश में चुनाव के बाद परिवर्तन आया, कांग्रेस की सरकारों के स्थान पर जनता सरकारें आयीं तो यहां के देशवासियों ने, गरीब लोगों ने, पिछड़े लोगों ने निश्चित रूप से यह सोचा था कि जब सरकार बदली है तो हमारी कुछ मान्यताएं बदलेंगी और नीचे के तबके के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, लैण्डलेस लेबर्स हैं उनको कुछ काम मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, कुछ सम्मान मिलेगा

कुछ मर्यादा मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनका यह सोचना निरर्थक रहा। पहले जो उनके प्रति उपेक्षा नीति थी वह मेरे विचार में कुछ ज्यादा ही बढ़ गयी है।

इस सदन में कुछ प्रश्नों को लेकर मैंने चर्चा में हिस्सा लिया था। जब चौधरी साहब गृह मन्त्री वेतन थे तब मैं उनसे भी और प्रधामन्त्री जी से भी मिला था और उनसे कहा था कि हरिजनों को यहां सताया जा रहा है। उस समय गृह मन्त्री जी ने कहा था कि कहां सताया जा रहा है। वही हाल आज हमारे प्रधान मन्त्री जी का भी है। आज कोई इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई संसद सदस्य तक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब आप एक संसद सदस्य की बात को नहीं सुनते तो एक आम आदमी की बात को कैसे सुनेंगे, अखबार वालों की बात को कैसे सुनेंगे। आप उनकी बात सुनेंगे, मुझे इसका विश्वास नहीं होता।

पिछले वर्ष गृह विभाग की अनुदान मांगें पेश की गई थीं। उस समय उन पर मुझे बोलने का अवसर मिला था। उन पर बोलते हुए मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में तालगांव नामक गांव में बलिराम नाम के एक हरिजन की तीस मार्च को हत्या कर दी गई है। पहले उसे इतना मारा गया कि वह तड़फने लगा और जब वह तड़फ रहा था तो उसे उसी हालत में जेल में बन्द करने ले जाया गया। जेल तक पहुंचने पर उसकी मृत्यु हो गई। इसी मामले को लेकर मैंने वहां भूख हड़ताल की थी। बाद में उसी मामले को मैंने इसी सदन में उठाया था और उसकी वकालत की थी। लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी, प्रधान मन्त्री जी और अन्य किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंगी। उसका नतीजा यह हुआ कि अभी 30 तारीख को पुलिस ने एक हरिजन की और हत्या कर दी। वह किसी अपराध में इन्वाल्व नहीं था। लेकिन उसको दरोगा पकड़ लेता है, मारता है। वह बेहोश हो जाता है तो अपनी चौकी पर ले जाता है। वहां डाक्टर को बुलाकर उसे इंजेक्शन लगवाया जाता है। उसके बाद वह मर जाता है। उसके मरने के बाद उसकी लाश गायब कर दी जाती है। दिल्ली में चोपड़ा नाम के एक अधिकारी के दो बच्चे मारे जाते हैं तो 24 घन्टे के अन्दर उनकी लाश तलाश कर ली जाती है। पुलिस वाले बम्बई तक भागे हुए जाते हैं। उस गरीब हरिजन को दरोगा ने मारा, पुलिस वालों ने मारा, गांव के लोग यह जानते हैं लेकिन उसकी लाश नहीं मिलती है। जब पुलिस चौकी को घेरा जाता है तो जिला अधिकारियों की आंख खुलती है और वह भी इसलिए कि कहीं पुलिस चौकी को न लूट लिया जाए। इस डर से अधिकारी दौड़ कर मौके पर आए तब जाकर उन्हें मालूम हुआ कि एक हरिजन मारा गया है। आज तक लाश गायब है। मैं उत्तरप्रदेश के गृह मन्त्री, मुख्य मन्त्री को मिला, गृहसचिव को मिला, सभी जिला अधिकारियों को मिला। अभी पीछे उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों को जब अपने घर पर बुलाया गया था तो मैं वहां प्रधान मन्त्री जी के नोटिस में इस चीज को लाया था। मुझे गृहराज्य मन्त्री जी बतायें कि प्रधान मन्त्री जी ने इस मामले को अपने नोटिस में लिया या नहीं और इस पर उन्होंने क्या किया ? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर किया होता तो जिला अधिकारियों से जिला प्रशासन से मुझे इसकी जानकारी मिल गई होती क्योंकि मैंने बीच में उनसे प्रश्न यह उठाया था और पूछा था कि क्या उनके पास इसके बारे में कोई चीज आई है या नहीं और उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास कुछ नहीं आया है। आप कोई कमेटी बिठाए या कमीशन

बिठाएं या जांच करवाएं, रिपोर्ट आप के पास आ जाएगी और अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो सारी रिपोर्ट बेकार है, सारा काम बेकार है और यहां बोलना भी बेकार है।

आरक्षण कैसे पूरा हो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। राज्य सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं में जो आरक्षण आपने दे रखा है उसको आप पूरा करें। इसके साथ ही व्यावसायिक संगठनों में भी, उन कामों में जिन कामों के लिए आप आम जनता को कोटा लाईसैंस आदि देते हैं, उनमें भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करें। मैं आपके माध्यम से जोरदार शब्दों में श्री बहुगुणा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन लोगों के लिए एक सराहनीय काम किया है और उनको व्यावसायिक संगठनों में भी उसी तरह से संरक्षण प्रदान किया, हर तरीके से उनके लिए सेवाओं में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर जब वह थे तब भी उन्होंने यह काम किया था और अब यहाँ पर ही उन्होंने यह काम किया अब यहां पर भी उन्होंने पैट्रोलियम, फर्टिलाइजर, कैमिकल्ज़ आदि में आरक्षण कर रखा है। पैट्रोल पम्प पच्चीस प्रतिशत इन लोगों के लिए उन्होंने आरक्षित कर रखे हैं, खाद ऐजेंसी अगर लेना चाहें तो पच्चीस प्रतिशत हरिजनों आदि के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं। इसी तरह से दवाइयों-कैमिकल्ज में भी उन्होंने आरक्षण कर रखा है। वह ईमानदारी से इस काम को कर भी रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है। इसकी मैंने स्वयं जाँच की है, इस वास्ते मैं यह कह रहा हूं। मैंने नीति और नीयत की बात कही है। जिस व्यक्ति की नीयत साफ नहीं होगी वह जो नीति प्रतिपादित करेगा वह लागू नहीं हो सकेगी। नीयत साफ है तो नीति भी स्पष्ट होगी और उस पर अमल भी होगा। मैंने प्रधान मन्त्री जी से उसी दिन यह भी अर्ज किया था कि बहुगुणा जी ने ऐसा कर दिया है और आपसे भी निवेदन है कि दूसरे विभागों से भी आप कहें कि जो गोडाउंज बनते हैं या कोल्ड स्टोर बनते हैं या एग्रीकल्चर से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे काम होते हैं या कोटा लाइसेंस वैगेरह देते हैं स्टील आदि का, इनमें भी आप आरक्षण की व्यवस्था करें तो वह कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। अब प्रधान मन्त्री जी नीति कैसी भी बनाएं, कैसी भी घोषणा करें मैं समझता हूं कि जब तक नीयत स्पष्ट नहीं रखेंगे निश्चित आप मानें हरिजनों को लाभ नहीं होगा। प्रधान मन्त्री बड़ी भारी चीज होती है देश के लिए। वह अगर नहीं चाहेंगे तो बहुगुणा जी के भी हाथ बँध जायेंगे, उनको भी अपने विभाग में रोक लगानी पड़ जाएगी क्योंकि उनके पास रुक्का पहुंच जाएगा कि आपने बिना कैबिनेट से पास कराए हुए यह कैसे कर दिया। इस जमाने में, आप के राज्य में, प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई के राज्य में, जनता पार्टी के राज्य में निश्चित रूप से हरिजन आदि न सुरक्षित हैं और जो संरक्षण उन्हें दिया गया है उसके पूरा होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। नीति का आप बखान तो हाऊस में करते हैं लेकिन नीयत आप की साफ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जनता पार्टी सशक्त हो, सबल हो, गरीब को सुरक्षा और संरक्षण मिले तो नीयत आप अपनी साफ करें और तब अगर आप काम करेंगे तो काम भी पूरा होगा और उसका श्रेय भी आपको मिलेगा। हमारे कुरील साहब ने कहा कि 25 प्रतिशत बजट का इन पर खर्च होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पच्चीस नहीं पांच ही आप खर्च करें तब भी फायदा हो सकता है अगर आप की नीयत साफ हो। अगर नीयत साफ नहीं है तो पच्चीस परसेंट भी बेकार है। आज आप उसकी घोषणा करेंगे और साल के अन्त में बता देंगे कि कोई लेनेवाला नहीं था, हम क्या

करते। इस समाज के जो लोग हैं, जो लेने वाले हैं वे सब गरीब हैं, उन से कहां से काम चल पाएगा और बात खत्म हो जायगी। इस वास्ते नीयत साफ होनी चाहिए। मैं जनता पार्टी का मेम्बर हूं और श्री मोरारजी देसाई मेरे प्रधान मन्त्री हैं। जिनके पक्ष में वह कहते हैं उनके पक्ष में मेरा हाथ उठता है। लेकिन अब शंका इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जैसा हमारे भाई कह रहे थे कि 1980 में रिर्वेजशन समाप्त हो रहा है; आप रिजर्वेशन बढ़ा सकेंगे कि नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता है।

इस सदन में जहाँ हम बैठे हैं, बगल में राज्य सभा है, अगर यहां पर बैठ कर हम कोई कानून बनायें और वह कानून बनाएं जो स्वयं यह सदन पूरा न करता हो तो क्या दूसरे लोग उसको मानेंगे ? यहाँ आपकी सर्विसेज में चतुर्थ श्रेणी में जो झाड़ू देता है,बाहर सड़क साफ करता हैं, उनका तो कोटा पूरा कर दिया है क्योंकि पण्डित जी झाड़ू नहीं लगायेंगे, पाखाना साफ नहीं करेंगे। लेकिन प्रथम श्रेणी में जीरो। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइट्ब्स के कोटे में से एक भी व्यक्ति नहीं है। द्वितीय श्रेणी में केवल 2 हैं, और तृतीय श्रेणी में 5 हैं। संख्या कुल कितनी है, 1200 लोक सभा में और 450 राज्य सभा में हैं। इतने कर्मचारी हैं और उनमें यह संख्या है। जब आप ही ज़ीरो हैं, यह सदन ही ज़ीरो है तो दूसरे विभाग वाले क्या सुनेंगे ? कतई नहीं सुनेंगे। इसलिये आपके माध्यम से मैं अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा से निवेदन करूंगा, सेक्रेटरी साहब से कहना चाहूंगा कि आप पहले अगुवाई कीजिये। अगर आप नहीं करेंगे तो हम लोग यहां बेकार भाषण दे रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लोग हमसे कहेंगे कि जहां आप बैठे हैं, हमारे लिये हुक्मनामा लाये हैं, आपके यहां क्या चलता है ? तो हम क्या जवाब दें, आप जवाब दे दीजिये, हम वही जवाब दें। और अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो मैं कहूंगा आपको कोटा पूरा करना चाहिये नहीं तो काम नहीं चलने वाला है।

राज्य सेवाओं में भी आरक्षण का मामला बड़ा गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। अभी एक महीने पीछे जूनियर इंजीनियर्स से सहायक इंजीनियर्स और सहायक इंजीनियर्स से ऐग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर्स के पदों पर पदोन्नति हुई। हमने विभाग में जा कर पूछा, कहने लगे कि इसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का कोई नहीं है। मंत्री जी के पास पहुंच गये, मंत्री जी ने कहा कि 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट आनी चाहिये, वहां के सेक्रेटरी भी वहीं बैठे थे। मंत्री जी के घर पर उनसे कहा गया कि 15 दिन में रिपोर्ट आनी चाहिये। आज एक महीना हो गया लेकिन रिपोर्ट नहीं आयी। दो बार टेलीफ़ोन किया, मंत्री जी गायब हैं, कोई रिपोर्ट नहीं आयी। मैंने प्रधान मंत्री जी से भी कहा था, गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं, आज धारणा लोगों की यह है और सरकारी कर्मचारियों के बारे में लोग कहते हैं कि अब तो जमाना ऐसा आया है कि हमको आराम करना है, ऐसा खुद कर्मचारी कहते हैं, कोई काम नहीं है। दफतर में फ़ाइल आती है फिर लौट कर 15 दिन बाद फ़ाइल आ जाती है। आपकी कोई नीति-रीति, कोई कानून, कोई योजना जो भी आती है उस पर कोई काम नहीं होता। या तो आप मन से नहीं कर रहे हैं या आपका मन साफ़ नहीं है और या आपका नियंत्रण नहीं है। दोनों चीज़ों में आप दोषी होंगे। अगर मन साफ़ न हो तो मन साफ़ कीजिये और अगर नियंत्रण न कर पाते हों तो नियंत्रण कीजिये। नहीं तो देश में आग लगी है, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे गोरखपुर की आग हो और चाहे छूत-अछूत की दीवार किसी अस्पताल में बन रही हो। मैं कहना चाहूंगा यह तो फ़र्जी ईंटों की दीवार है, कभी भी तोड़ी जा सकती है।

मन की दीवारें आप सब तोड़ दीजिये। जब तक यह नहीं तोड़ेंगे तब तक यह मानकर न चलिये कि 100 साल पुराना हरिजन है। 100 साल पुराना हरिजन मर गया है, कबर में चला गया है। अब 30 साल का जवान हरिजन है, उसने 30 साल की आज़ादी देख ली है, आपकी कार्य प्रणाली देख ली है, कारनामे आपके देख लिये हैं। आप सोचते हैं कि वाकई में हरिजन ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वह बड़ा अक्लमन्द हो गया है, अक्लमन्द इस मायने में कि वह जानता था आपका मन साफ नहीं है। इसीलिये वह आपके साथ सफाई के साथ नहीं आ सका। आपने भी यह नहीं सोचा कि यह जो 40 फीसदी आपके साथ आये हैं, हम इनके सामने अपना मन शीशे जैसा साफ रख दें। अगर ऐसा होता तो 100 फीसदी आपके साथ आते।

मैं प्रधान मंत्री जी से और कैबिनेट से कहना चाहता हूं कि आप अपने मन को साफ कीजिये। जो कुछ करना चाहते हैं, वैसे ही कीजिये जैसा श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने किया है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सरकार स्थायी रहे, यदि चाहते हैं कि हरिजनों को हम जीत सकें, आने वाले समय में फिर हमारी पार्टी शक्तिशाली और मजबूत हो सके तो आप सफाई से काम कीजिये। अगर नहीं तो बच्चा सक्का वाली बात होगी जैसे बच्चा सक्का एक दिन और चले गये। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कीजिये, नहीं तो आप भी चले जायेंगे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं करनी है, दूसरी सरकार आयेगी तो उसके सामने रखूंगा।

अन्त में जो मेरे भाई ने लोक सभा और राज्य सभा में आरक्षण की बात कही थी, मेरा निवेदन है कि उसे भी पूरा किया जाना चाहिये।

श्री डी० जी० गवई (बुलडाना) : माननीय सभापति जी, सदन में जो आज बहस चल रही है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज़ की रिपोर्ट पर, उसमें बहुत से सदस्यों ने भाग लिया है और अपने-अपने विचार, जैसे उनको जंचे, उसी तरह से उन्होंने रखे हैं। पीछे हरिजन कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस हुई थी और उसमें मैंने भाग लिया था। उसी टाइम मैंने बोला था कि यह नाटक है, ड्रामा है, जो कि हर वक्त चलता रहेगा। हर दो-दो साल के बाद यह ड्रामा चलता रहेगा, शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में रिपोर्ट आयेगी और बहस के बाद रिपोर्ट बस्ते में बांध दी जायेगी और रिकार्ड में डाल दी जायेगी। इसके सिवाय और कुछ होने वाला नहीं है।

मैं सर्विसेज में आरक्षण के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश का अखंडत्व अगर कायम रखना है, यहां धर्म-निरपेक्ष राज्य रखना है, यहां जाति-विहीन समाज व्यवस्था रखनी है तो जड़ की तरफ जाना होगा, कोई अच्छा सोल्यूशन निकालना होगा। वह सोल्यूशन यह होगा कि अभी देश के हमारे संसद्-सदस्य बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन अमल में कितना लाते हैं ? इस देश की धर्म और नीति दोनों सड़ी हुई हैं। लाखों साल से बोलते हैं, इस धरती पर रामराज्य था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रामराज्य में भी हरिजनों पर अत्याचार होता था। राम ने भी शम्बूक नामक एक हरिजन का वध किया था, उसको मार दिया था। तो हम यह क्यों कहें कि यह हरिजन का मामला अभी जनता सरकार जब से आई तभी से चलरहा है

या कांग्रेस सरकार थी तब से चल रहा है ? इस देश में जब से मनुस्मृति आई और मनु ने इस देश का संविधान लिखा उस ने जाति पांति को जन्म दिया, साम्प्रदायिकता को जन्म दिया। बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने मनुस्मृति को अंगार लगा दिया और वह नये स्मृतिकार हो गए। इस देश का संविधान उन्होंने बनाया। जिस व्यक्ति ने मनुस्मृति का अग्नि-संस्कार किया वही इस देश के स्मृतिकार हो गए, उन्होंने नया संविधान इस देश का लिखा और उस में जो निदेशक सिद्धांत लिखे उस के अनुसार इस देश की राजनीति चली। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मोरार जी हों या धनिकलाल मंडल हों, या हम लोग हों या कोई भी लोग हों, हम यहां सदन में आए हैं, बहुत से लोगों ने हम को यहां चुन कर भेजा है लेकिन इस देश की संसदीय लोक-प्रणाली को जीवित रखने के लिए, इस देश को अखंड बनाए रखने के लिए, इस को मजबूत बनाने के लिए क्या हम सच्चे दिल से काम कर रहे हैं ? क्या कोई ब्राह्मण मेरी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार है ? अगर कोई है तो अपनी छाती पर हाथ ठोंक कर बोले कि मैं तैयार हूं ? कोई है ब्राह्मण इस सदन में जो मेरी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार है? अगर कोई है तो तैयार हो जाय। लेकिन नहीं, वह शादी नहीं करेगा। वह उस के साथ में व्यभिचार जरूर करेगा, लेकिन उस के साथ में शादी नहीं करेगा। कोई हरिजन का लड़का दत्तक में नहीं लेगा। कोई यह नहीं कहेगा कि मैं बड़ा महात्मा हूं, मैं बड़ा गांधीवादी हूं, मैं इसे लेता हूं। और गांधी ने तो हरिजनों का सत्यानाश कर दिया, हरिजन नाम लगा दिया। जरा सुन लीजिए, अपने संविधान में हरिजन नाम कहीं नहीं है। यह हरिजन नाम गांधी ने दिया और हरिजन को पूरा कलंकित किया कि जब तक हरिजन इस दुनिया में जिन्दा है तब तक वह कलंकित है, तब तक उस के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे, तब तक उस को पीटा जायगा, तब तक उसका सर्वनाश किया जायगा। मेरे एक भाई ने कहा कि हरिजन नामकरण जो गांधी जी ने किया है उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसके लिए मैं उन को धन्यवाद देता हूं कि उन के मुख से ऐसे शब्द निकले जो मुझे जंचे कि हरिजन नाम समाप्त कर देना चाहिए। किसी को भी हरिजन नहीं कहना चाहिए और जितने हरिजन सदस्य हैं उन्हें किसी की चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। हरिजनों में भी बहुत से चमचे हैं। वे समझते हैं कि चमचागिरी नहीं करेंगे तो चुन कर कैसे आएंगे ? वह समझते हैं कि हम मंडल साहब के साथ रहेंगे, उन की दुम पकड़ कर रहेंगे तो हमें टिकट मिल जायगा और हम चुन कर आ जाएंगे। तो हरिजन सदस्य जितने हैं उन से मैं कहना चाहता हूं, मैं तो हरिजन कहलाना बड़े शर्म की बात समझता हूं। हरिजन शब्द कहते ही मेरे अन्तःकरण का अग्नि कुंड बन जाता है, हृदय में जो अमृत है वह सूख जाता है सिर फटने लगता है और मन तलवार की धार जैसा तेज और आक्रामक हो जाता है क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारा भी वही खून है, हमारे भी वही दांत हैं, वही हाथ हैं जो तुम्हारे हैं। हरिजन के कोई सींग या दुम तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा खून सफेद है और बाकी का लाल है। हम सारे इसी धरती के रहने वाले हैं। इसी मिट्टी में पले हैं, इसी में बढ़े हैं और हमारी हजरों सालों की हड्डियां इसी धरती में है। तो हमारे साथ में यह भेदभाव क्यों है ? हमें क्यों दूसरों से अलग समझते हैं। आप तो हरिजनों का आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि यह आरक्षण बन्द होना चाहिए। हरिजनों को तो यह मांग करनी चाहिए कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें अलग राष्ट्र चाहिए, हम इस देश के अलग टुकड़े करना चाहते हैं, इस देश को अलग बांटना चाहते हैं। और हरिजनों के लिए

अलग एक दलित स्थान का निर्माण करना चाहते हैं। भीख मांगने का धंधा बन्द करना चाहिए। भीख मांगने से यह कुछ देने वाले नहीं है। मैं कहता हूं जब तक हरिजन क्रांति के लिए नहीं उठेंगे तब तक हरिजनों को दुनिया में न्याय नहीं मिलेगा और हरिजन नाम भी नहीं मिटेगा। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस देश की धर्म नीति ने देश का अधः-पतन कर दिया है। जनता सरकार का हमने बड़ा स्वागत किया, बड़ा साथ दिया लेकिन साम्प्रदायिक और असामाजिक तत्वों को जनता सरकार आने के बाद बड़ा बल मिला, देश में साम्प्रदायिक दंगे बढ़ गए। देश में भयंकर दंगे हुए। मराठवाड़ा का दंगा हुआ जहां गरीब हरिजनों की जानें ली गईं और उनके लाखों घर जला दिए गए। इस देश के निर्माता डा० अम्बेदकर की मूर्ति तोड़ी गई। आगरा में बहुत बड़ा काण्ड हुआ। वहां पर वे बाबा साहब अम्बेदकर का जन्म दिन मना रहे थे। इस तरह के रोज़ अत्याचार होते हैं। मराठवाड़ा में हरिजनों को पानी भी नहीं मिलता है। हरिजन घड़े लेकर सवर्णों के कुएं पर जाते हैं और दूर खड़े रहते हैं। कोई हृदय वाला आता है तो दूर से उनके घड़े में पानी डाल देता है। यह इस देश के लिए बड़ी लज्जा और कलंक की बात है कि आज भी इस देश में इन्सानों को पशुओं की तरह से समझा जाता है, उनको दूर से पानी दिया जाता है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के सामने मैं ने और शंगारे जी ने मराठवाड़ा की यह हालत बयान की। मराठवाड़ा में परिस्थिति यह है कि जिन सवर्णों ने हरिजनों के घर जलाए उनके ऊपर पुलिस ने झूठे मुकदमे भरे जिससे सारे लोग छूट गए, किसी एक को भी पनिशमेन्ट नहीं हो रहा है। सारे मुजरिम छूट रहे हैं। वे लोग फिर से आजाद हो गए। वे समझते हैं कि सरकार हमारी है—चाहे इन्दिरा गांधी की सरकार हो चाहे जनता सरकार हो। वे समझते हैं हमारा कुछ नहीं होता है, राज हमारा है, हरिजनों को मारो, पीटो, चाहे घर जला दो। वे समझते हैं 10-5 हरिजन मारना कोई बड़ी बात नहीं है। विनोबा जी महान सन्त हैं, मोरारजी भाई भी उनको मानते हैं। विनोबाजी ने गोहत्या बन्द करने के लिए फास्ट किया, आमरण अनशन किया। अनशन करने के दो दिन में ही सारे देश में खलबली मच गई। इस सदन में भी यह सवाल उठाया गया। गाय हिन्दू धर्म की मां है, गाय इन्सान की मां है। मैं ने कहा भाई, फिर भैंस पर अत्याचार क्यों करते हो, भैंस भी तो दूध देती है, वह भी तो कोई न कोई चाची या मौसी होनी चाहिए। गाय को मां बोलते हो तो भैंस भी दूध देती है, उसको भी मौसी बोलो। कोई एम० पी० बोला कि अगले जन्म में तुमको भैंस का जीवन मिलेगा। मैं तो अगले जन्म की बात ही नहीं मानता। तो विनोबा जी को समझाने के लिए यहां से सारे एम० पीज का डेलीगेशन गया। मैं कहता हूं गाय के लिए विनोबा जी अनशन कर सकते हैं लेकिन इस देश में लाखों हरिजनों का खून बहता है, क्या इसके लिए भी कभी बोले कि हरिजन के खून का एक बूंद भी ज़मीन पर पड़ेगा तो मैं खुद अपने आप को जला दूंगा? क्या कभी भी ऐसा बोले हैं? तो इस देश का लाभ महात्मा गांधी के विचारों पर चलने से नहीं होगा बल्कि डा० अम्बेदकर के विचारों पर चलने से होगा। गांधी जी के विचार महान् नहीं हैं, डा० अम्बेदकर के विचार महान् हैं। गांधी जी के विचारों पर चलेंगे तो वैसे ही पश्चिम से ढाई सौ वर्ष पीछे चल रहे हैं, 500 साल और पीछे हो जायेंगे। यहां पर तो मंत्र श्रेष्ठ है, यंत्र श्रेष्ठ नहीं हैं। आज की दुनिया में यंत्र ही श्रेष्ठ है, इन्सान के लिए यंत्र एक बड़ी देन है।

हमारे पिछले गृह मंत्री जी और आज के वित्त मंत्री ग्रामों का विकास करना चाहते हैं— कहते हैं कि आटा अपने हाथ से पीसना चाहिये, यन्त्र पर नहीं ले जाना चाहिये, चक्की में डालकर हाथ से पीसना चाहिये। आप सोचिये— एक हाथ की चक्की कितने टन अनाज पीस सकती है ? वह कहते हैं कि कपड़ा हाथ से बुनना चाहिये, मिलों को बन्द कर दो, हाथ की बनी लंगोटी पहनना शुरू कर दो, सूट पहनना छोड़ दो। यह जो गांधी की बात है, आज के यन्त्र के युग में यह काम में आनेवाली बात नहीं है। हमें इस देश में सच्चे मन से छूआछूत को मिटाना है—वरना कल इसके बड़े विपरीत परिणाम होने वाले हैं। आज देश बड़ी संक्रमण अवस्था में पदार्पण कर रहा है। आप यहां बैठे रहकर बात करते हैं— लेकिन मुझे सामान्य आदमियों से मिलकर बात करने का अवसर मिलता है, उनका दिल क्या कहता है— मैं जानता हूं। हमारे देश में आज साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। मैं आर० एस० एस० की टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन लोग कहते हैं कि जब से जनता पार्टी आई है, तब से आर० एस० एस० को फर्टिलाइजर मिल गया है, इंजेक्शन मिल गया है, दवा मिल गई है, वे बहुत तगड़े हो गये हैं। चड्डी पहनकर, लाठी लेकर मैदान में कूद रहे हैं। संघ के जो सरसंघ चालक—देवरस जी हैं— मैंने दिल्ली में उनके भाषण को सुना था। उन्होंने कहा था—हम जो हिन्दू संगठन की बात करते हैं—इसमें क्या बुरी बात करते हैं। हम इस देश को हिन्दू राष्ट्र रखना चाहते हैं। क्या अब तक यह हिन्दू राष्ट्र नहीं था— क्या इसको अब कुछ और बनाने की जरूरत है ? अगर आप हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा ? इस देश में 17-18 परसेन्ट बौद्ध हैं—वे खाली रिजर्वेशन के लिए अपने को हरिजन लिखते हैं, लेकिन दिल से बौद्ध हैं, क्योंकि डॉ० अम्बेदकर ने आदेश दिया था कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करो इसलिए वे बौद्ध बन गये थे—उनका क्या होगा ? जो हरिजन हैं—वे दिल से हरिजन नहीं हैं, रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए अपने को हरिजन लिखते हैं, लेकिन दिल से डॉ० अम्बेदकर को मानते हैं। कोई भी हरिजन दिल से कभी भी डॉ० अम्बेदकर के खिलाफ नहीं जा सकता—यहां पर हम चाहे कुछ भी बोलते रहें। ये रिपोर्टें तो हमेशा यहाँ आती रहेंगी, बहस का यह नाटक चलता रहेगा, मिनिस्टर नोट्स लेते जायेंगे, कौन क्या बोलता है सब लिखते जायेंगे— लेकिन इन सब बातों से कोई फायदा होनेवाला नहीं है।

इसलिए मैं कहता हूं—देवरस जैसे लोग जो कहते हैं कि हम हिन्दू का संगठन बनायेंगे—तो इस देश में जो बौद्ध हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं—क्या वे इस देश के नहीं हैं, कहीं बाहर से आये थे ? वे भी इसी देश के हैं, वे भी तुम्हारे जैसे इस देश के हकदार हैं और तुम्हारे कहने से या धार्मिक बिल लाने से इस देश की समस्या हल होने वाली नहीं है। यह उस समय हल होगी जब गांधी युग में जो इसको हरिजन का नाम दिया गया है—उसको समाप्त किया जायगा। हम एक दूसरे के गले मिल जायें, ब्राह्मण की लड़की शेडयूल्ड कास्ट में और शेडयूल्ड कास्ट की लड़की ब्राह्मण के घर में जाय। जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे तब कुछ परिवर्तन आ सकता है, वरना यह छूआछूत मिटने वाली नहीं है।

मैं अपने गांव में जाता हूं—अपनी कांस्टीचूएन्सी की बात कहता हूं—मेरे लिए वहां कप-

सौसर में चाय आती है, लेकिन मेरे साथ जो शेड्यूल्ड कास्ट का भाई बैठा होता है, उसके लिए कटोरी में चाय आती है, उनके लिए कप-सौसर में चाय नहीं आती। मैं जब उसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है ? तब कहते हैं कि तुम तो चले जाओगे, हमारे लिए क्यों झगड़ा डालते हो। उसको कप-सौसर में चाय देने से झगड़ा पड़ता है। इस फर्क को खत्म करना होगा···अगर आप इस देश का भला चाहते हैं; अगर इस देश को अखण्ड रखना चाहते हैं तो यह हिन्दू संगठन की बात इस देश को अखण्ड नहीं रख सकती।

लाखों जवान हमारी सीमाओं पर लड़ते हैं, हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं वे जानते हैं, और अपने खून को बहाकर देश की रक्षा करते हैं। खाली लाठी लेकर, चड्ढी पहन कर देश की रक्षा नहीं होने वाली है। देश की रक्षा करने के लिए हमारे पास फौज है और वह देश की रक्षा कर रही है। इसलिए हिन्दू राष्ट्र हो और एक हिन्दू संगठन बनाकर देश की रक्षा करने की बात करना सही नहीं है। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और साम्प्रदायिक दंगे भड़केंगे और इससे देश का सर्वनाश हो जायेगा। इसलिए इस पर कन्ट्रोल होना चाहिए। यह देश सारे लोगों का है, ईसाइयों का यह देश है,बुद्धों का यह देश है,हरिजनों का यह देश है और हिन्दुओं का यह देश है और धर्मनिरपेक्षता जो यहां की राज्य व्यवस्था है, उसको कायम रहना चाहिए।

इसलिए मैं और ज्यादा टाइम न लेते हुए, यह कहना चाहता हूं कि अगर अस्पृश्यता को मिटाना है, तो फिर आपसी व्यवहार करो, जितने पार्लियामेंट के सदस्य हैं, वे एक दूसरे के साथी बनें और 117 आर्टिकिल जो हमारे संविधान की शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में है, उसको मद्देनजर रखते हुए, वे एक दूसरे के गले मिल जाएं और देश से जातपात को मिटा दें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, अभी जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और सेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस चल रही है,उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने सबसे बड़ी मांग यह की थी कि जब भी कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस की जाए, तो उसके साथ में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सम्मिलित रहे क्योंकि यदि सिर्फ रिपोर्ट ही पेश कर दी जाएगी और उसपर सरकार की ओर से जो कार्यवाही की गई है, वह सम्मिलित नहीं की जाएगी, तो फिर जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि उसका कोई उपयोग नहीं हो पायेगा और कभी उपयोग नहीं होगा।

कमिश्नर की रिपोर्ट को अगर आप देखें तो यह पायेंगे कि जिन समस्याओं की उसमें चर्चा की गई है और जो उसके लिए उन्होंने सिफारिशें की हैं, मैं समझता हूं कि काफी मेहनत करके उन्होंने रिपोर्ट को रखा है और जितना हम लोग यहां बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, करीब-करीब सभी चीजें उसमें मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को बुलवाने की बजाए अच्छा यह होता कि सरकार के द्वारा एक-एक प्वाइन्ट पर अभी तक क्या किया गया है, कमिश्नर ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है, यह सरकार यहां बता देती।

अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में हमारे साथी श्री गवई जी बोल रहे थे कि छुआछूत बन्द होना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि उसमें आपका भी कसूर है। जो गंगाराम अस्पताल है, वहां

मैं आज गया था, तो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे कि क्या हल्ला कर रहे थे, क्या मामला था, क्या अछूत की बात है ? मैं आपको बतलाता हूं कि गंगाराम अस्पताल एक प्राइवेट अस्पताल है, जो ट्रस्टीशिप के अन्दर चल रहा है। उसके अध्यक्ष भूतपूर्व न्यायाधीश श्री एस० एम० सीकरी हैं। आप समझिये कि सन् 1976 में एक दीवार खींच दी गई और कह दिया गया कि यह अछूत दीवार है, अनटचेबिल वाल है। क्या कहा कि ये जो अनुसूचित जातियों के लड़के हैं, ये जो छोटी जातियों के लड़के हैं, ये जो छोटे कर्मचारियों के लड़के हैं, ये अफसरों के लड़कों के नजदीक जाते हैं, तो उनका संस्कार खराब होता है, इसलिए दोनों को अलग किया जाए। इमरजेन्सी के दौरान, उस समय इमरजेन्सी थी, तब लोगों ने थाने में कुछ नहीं कहा और डर के मारे मुकदमा नहीं चलाया क्योंकि अगर कुछ बोलते, तो जेल में बन्द कर दिये जाते। जब इमरजेन्सी खत्म हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन लोगों ने दर्जनों बार प्रधान मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को लिखा और तमाम जगहों पर लोगों को अप्रोच किया लेकिन उसका रिजल्ट आज तक कुछ नहीं निकला और सबसे दुःखद विषय यह है कि वहां हरिजन औरतों को पीटा गया और बाल पकड़कर उनको खींचा गया और अब 4 शेड्यूल्ड कास्ट्स के कर्मचारी 35 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं और मैं आपसे यह कहता हूं कि यदि आज रात तक सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो हो सकता है कि कल हमको दुःखद न्यूज सुननी पड़े, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कहीं कल तक उनकी मृत्यु न हो जाए और हमारे साथी सही बात कहते हैं कि अगर सरकारी संत अनशन करता है, तो उसके लिए दिल्ली और पूरी राजधानी में खलबली मच जाती है। दो दिनों के अन्दर ही और यहाँ पर चार अनुसूचित जातियों के आदमी 35 दिनों से अनशन पर हैं, दिल्ली प्रशासन के नीचे, भारत सरकार के नीचे लेकिन उसपर कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसलिए मैं सर्वप्रथम अपने माननीय गृह मंत्रीजी से कहूंगा कि वे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात करें क्योंकि यह अनुसूचित जातियों का मामला है और केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भी यह मामला आ जाता है।

आप निश्चित रूप से निर्देश दें और उनके अनशन को समाप्त करा दें। उनकी जो माँगें हैं वे हमारे लोगों के शासन की देन नहीं है, वे इमरजेन्सी के शासन की देन है। कम से कम इस पुण्य काम को आप जरूर करें।

सभापति जी, हमारे न्यायालयों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की क्या हालत है? इस सम्बन्ध में मैं श्री एस० एम० सीकरी का जानबूझ कर नाम लेना चाहता हूं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे पूरे देश में उच्च न्यायालयों में 352 न्यायाधीश हैं और उन 352 न्यायाधीशों मे 4 अनुसूचित जाति के हैं अनुसूचित जनजाति का एक भी नहीं है। यह बात अनुसूचित जाति और जनजाति के कमिश्नर की रिपोर्ट में भी कही गयी है।

कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जहां तक कुल मिलाकर जिला न्यायाधीशों का संबंध है, खेद के साथ यह उल्लेख करना पड़ता है कि जब इस कार्यालय ने इस संबंध में प्रत्येक राज्य से सूचना मांगी तो केवल 14 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों ने अपेक्षित सूचना दी और उससे पता चलता है कि उनमें अनुसूचित जाति का केवल एक ही जिला न्यायाधीश है।

सभापति महोदय, यह तो हुई न्यायालयों की बात। हम लोगों को कभी-कभी बुनियादी सवाल पर जाना पड़ता है। गांवों में मारपीट हो जाती है या कुछ और हो जाता है। हम लोग तो कोर्ट में चले जाते हैं लेकिन जो गांव के गरीब लोग हैं उनको तो न्यायालय में जाने पर भी न्याय नहीं मिलता। सभापति जी, यह बात मैं अपने मन से नहीं कहता हूं। यह कमिश्नर की रिपोर्ट है। इसमें कमिश्नर ने कहा है —तमिलनाडु की घटना के सम्बन्ध में।

यहां तमिलनाडु के एक मामले का उल्लेख करना संगत होगा। जहां कुछ वर्ष पहले अनुसूचित जातियों पर बेलची की दर्दनाक घटना से भी आकार और प्रकार में लगभग चार गुना अधिक अत्याचार किये गये थे। अनुसूचित जातियों के लगभग 42 सदस्य जिनमें 20 बच्चे भी थे, जिन्दा जला दिये गए।

अत्याचारों के शिकार व्यक्ति भूमिहीन श्रमिक थे। मामला मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आया और अपराधी व्यक्ति बरी कर दिए गए। उक्त न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है—

'इसके अलावा, यह तथ्य कुछ आश्चर्यजनक सा प्रतीत होता है कि इस मामले से सम्बद्ध सभी 23 अपराधी मिरासदार हों। इसमें से अधिकांश लोग धनी हैं और वे बहुत बड़े भू-क्षेत्र के मालिक हैं। साक्ष्य यह है कि पहले अपराधी के पास अपनी कार है, मिरासदार वामपंथी कम्युनिस्टों से प्रतिशोध लेने के लिए कितने भी बेचैन हों, यह विश्वास करना कठिन मालूम पड़ता है कि वे स्वयं घटनास्थल पर जाकर बिना अपने नौकरों की सहायता लिए घरों में आग लगा दी हो। भूखे और हताश श्रमिकों की अपेक्षा व्यापक निहित स्वार्थों वाले धनी लोगों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए अधिक ध्यान देने की आशा की जा सकती है कि मिरासदारों ने अपने को आड़ में रखा हो और अपने भाड़े के दलालों को इन कई अपराधों को करने के लिए भेज दिया हो। जिन्हें अभियोजन के अनुसार मिरासदारों ने स्वयं सीधे घटनास्थल पर आकर किया है।'

निर्णय में आगे कहा गया है :

'विद्यमान सत्र-न्यायाधीश ने जो निष्कर्ष निकाला है, हम उनके इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि इन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का कारण उपद्रवी भीड़ का सामान्य उद्देश्य नहीं था।'

अन्त में उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा :

'हमारी राय में 25 दिसम्बर, 1968 की रात को हुई दर्दनाक घटना के लिए हमलावरों को दोषी ठहराना चाहिए किन्तु खेद है कि साक्ष्य के आधार पर हम किसी को अपराधी करार देकर उसे दंड देने की स्थिति में नहीं हैं। हमने अनाज से छिलका अलग करने का भरसक प्रयत्न किया है और साक्ष्य का मूल्यांकन करने संबंधी सामान्य मानकों से विचलित हुए बिना कुछ अपराधियों के दोष को सिद्ध करने का प्रयास किया है। लेकिन अभियोजन साक्ष्य में अन्तर्निहित कमजोरियां हमें उन व्यक्तियों को सिद्ध-दोष ठहराने से रोकती है जो संभवत: निर्दोष हैं।'

सभापति जी, 42-42 हरिजनों की हत्या की जाती है जिनमें 20 बच्चे भी शामिल थे, लेकिन जब वह मामला न्यायालय में जाता है तो न्यायालय क्या कहता है कि इनकी हत्या करने वाले सब निर्दोष हैं। यह सब कमिश्नर की रिपोर्ट में है। आप इसे पढ़िये। इसमें आगे कहा है। न्यायाधीश श्री डी० ए० देसाई ने स्पष्ट रूप से कहा है—

"एक सामाजिक संस्था के नाते कानून का यह उत्तरदायित्व है कि परिवर्तन व्यवस्थित हो। सप्रयोजन लक्ष्य उन्मुख व्यवस्था के रूप में कानून का अर्थ लेना आवश्यक है।"

आगे चल कर उन्होंने कहा है—

"जिनके पास कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने की शक्ति है, लेकिन वे लोग जिन्हें कानून लागू करने और दंड देने का भार सौंपा गया है वे स्वयं उस वर्ग के होते हैं जो पूर्वाग्रह से प्रभावित रहते हैं और वे उस वर्ग के नहीं होते जिनके लिए कानून बनाया जाता है, इसीलिए वे कानून को पूरी शक्ति से लागू करके सच्चा परिवर्तन लाने के लिए उत्साहित नहीं होते। इसके विपरीत अनुभव यह बतलाता है कि कानून का कार्यान्वियन ऐसे अनमने ढंग से किया जाता है कि उन लोगों का कानून में विश्वास समाप्त हो जाता है जिनके लाभ के लिए यह बनाया गया है।"

इस प्रकार से कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान की कोई धारा बाधक नहीं है उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में रिजर्वेशन देने के रास्ते में। मैं आपको बता चुका हूं कि 352 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं जिनमें से मात्र चार ही इन जातियों के हैं। सरकार को हिम्मत और बहादुरी के साथ आगे आना चाहिए और रिजर्वेशन वहां लागू करना चाहिए। कनफ्रंटेशन की स्थिति आये भी तो उसका उसको मुकाबला करना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए कि न्यायपालिका में चाहे जिला जज हो, उच्च न्यायालय का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट का मामला हो न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को हम विशेष अवसर देंगे, उनके लिए रिजर्वेशन करेंगे।

आश्चर्य की बात है कि माननीय न्यायाधीश कुछ कहते हैं और हमारा जो विधि मंत्रालय है, जो हम लोगों का आदमी है, जिसको यहां पर हमारे पक्ष में बात कहनी चाहिए वह कुछ दूसरी ही बात कहता है और हमारे विरुद्ध बात कहता है। गोली,...बीस कदम, कदम, तीस कदम। मुख्य न्यायाधीशों के विचार हैं।

मुख्य योग्यता के आधार पर ही विचार करना है और केवल पूर्ण निरपेक्ष मूल्यांकन को ही मान्यता दी जानी है। कोई कठोर नियम नहीं बनाए जा सकते हैं।

इससे आगे बढ़कर विधि मंत्रालय ने अपना विचार पेश कर दिया है कि कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। कमिशनर साहब कहते हैं कि कोई संवैधानिक बाधा नहीं है जिसके चलते इसको रोका जा सकता हो लेकिन आप कहते हैं यह नहीं हो सकता है।

कमिशनर ने अपनी रिपोर्ट में आरक्षण के विषय में जो कहा है और जो आंकड़े दिए हैं वे भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बारे में मैं रख रहा हूं। प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जातियों का 3.46 है और द्वितीय में 5.41 है जबकि जन जातियों का 0.68 और 0.74 है अर्थात एक प्रतिशत भी नहीं है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है वहां प्रथम श्रेणी में यह 1.68 प्रतिशत और द्वितीय में 0.36 प्रतिशत है अनुसूचित जातियों और 3.19 प्रतिशत और 0.54 प्रतिशत ही जन जातियों का है। इन आरक्षणों को पूरा करने की आवश्यकता है।

जहां तक प्राइवेट संस्थानों में रिजर्वेशन का सम्बन्ध है कमिशन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पर कोई रोक नहीं है। एक बार जब बैठक आयोजित हुई थी उस बैठक में भी यह कहा गया था

कि अगर प्राइवेट फर्मों या फैक्ट्रियों वाले रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधायें बन्द कर दी जानी चाहिए। एक बार उनको बन्द कर दिया गया तो आटोमैटिकली वे बाध्य हो जाएंगे रिजर्वेशन देने के लिए। रिपोर्ट में कहा गया है:

"प्राइवेट उद्योगों की लाइसेंस जारी, वित्तीय सहायता मंजूरी, औद्योगिक स्थल आवंटित और अन्य सुविधायें प्रदान करते समय उनपर यह शर्त की जाएगी कि वे अपनी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने समबन्धी सरकारी नीति को अनिवार्य रूप से मानें। यदि प्राइवेट सेक्टर के प्रतिष्ठान सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को मिटाने सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्ति में सरकार के उत्तरदायित्वों में हाथ बटाने में रुचि नहीं रखते हैं तो उन्हें सरकार से सहायता और लाभ देने के लिए नहीं कहना चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें। तेरह मिनट हो गए हैं।

श्री राम विलास पासवान : अभी तो मैंने शुरू ही किया है। अभी तक तो पांच-सात मिनट की हुए होंगे।

शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लिए अवसरों की बात की जाती है। लेकिन नियुक्ति के समय भी उनके प्रति धांधली बरती जाती है। इस पर रोक लगनी चाहिए। मैंने दो-तीन बिल मूव किए हैं, प्राइवेट मेम्बर बिल। मैंने एक में कहा है कि इनको मिलने वाली सुविधायें अगले तीस बरस तक जारी रखी जानी चाहिए। दूसरे में मैंने यह भी कहा है कि एक राज्य में तो एक जाति अनुसूचित जाति में है लेकिन दूसरे में अनुसूचित जाति की सूची में नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। वहां भी उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। बिहार में पासवान उस श्रेणी में आता है, उत्तर प्रदेश में पासी हैं, कहीं-कहीं धोबी हैं।

एक स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में हैं दूसरी जगह नहीं हैं, दिल्ली में नहीं हैं। तो आप उनको रोजगार नहीं दे पाते हैं। जब कोई आदमी बिहार से नौकरी के लिए आता है तो यहां आने के बाद उसका सोशल, इकोनामिकल स्टेट्स बहुत ऊपर उठ जाता है, आप कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी एक स्टेट में जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में हों तो दूसरी जगह भी उसको उसी श्रेणी में रखिये।

कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रमाण-पत्र मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तीस हजारी में अफसर बैठे हैं, आज एप्लाई करें तो दो साल बाद उसको प्रमाण-पत्र मिलता है। जेनुइन आदमियों के लिए इतनी दिक्कत है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हाल है वह मैंने...

(इस समय श्री एम० उत्यनारायण राव पीठासीन हुए।)

...आपको लिखकर भेजा। मैंने सवा सौ लड़कों के बारे में जो पटना के मेडिकल कालेज में पढ़ रहे है जाली प्रमाण-पत्र लेकर उनके बारे में लिखा था लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टे वह लोग वहां धमकी देते हैं। इसलिए जो जाली प्रमाण-पत्र का मामला है वह जहां कहीं भी हो उसकी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

कहा जाता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का विकास चाहते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है ? बैंकों का जब नेशनेलाइजेशन हुआ तो बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन जो

अनुसूचित जाति के लोग थे उनको दो पैसा उन बैंकों से ऋण नहीं मिला। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोग हैं आपको पहले उनको ऋण देना चाहिए। आप उनसे सेक्योरिटी मांगते हैं, जमानत मांगते हैं, तो वह बेचारे कहां से दें ? जिसके पास खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं वह कहां से जमानतदार लायेगा ? मेरा निवेदन है कि जो उनका शारीरिक श्रम है, जो साल में 5,000 रु० बैठता है वह उनकी जमानत मानी जाय। उसके आधार पर ऋण दीजिए तब कुछ उनको लाभ मिल सकेगा —अन्यथा गरीब को कोई सुविधा नहीं मिल पायेगी।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (घाटमपुर) : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अपोजीशन में देख लीजिए कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए कितना उदासीन हैं।

सभापति महोदय : एक दिन तो आपकी बेंच में एक भी आदमी नहीं था, सिवाय मंत्री के इसलिए यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : जो भी अनुसूचित जाति का अफसर है अगर वह थोड़ा सा भी बढ़ता है, मंडल जी को मालूम है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हैं तो उसकी सी० आर० खराब कर दी जाती है। हमारे यहां श्री विश्राम प्रसाद हैं, और बहुत से लोग हैं। तो आपको किसी अफसर को दंड देना हो तो आप सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन खामख्वाह आप उसको नचा रहे हैं ताकि प्रोमोशन न पा सके। जब प्रोमोशन का समय आयेगा तो सी० आर० खराब कर देंगे। इसलिए आपकी नीयत साफ नहीं है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के योग्य लोग उपलब्ध न हो सकते हों। लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। आप प्रत्येक विभाग में सैल बनाइये, प्रधान मंत्री का विभाग ऐटामिक ऐनर्जी है उसमें सैल बना दीजिए और उसके लिए अलग से कालेज से ही विद्यार्थियों को चुन लीजिये और उनको शुरू से ही नर्स कीजिये। आप देखेंगे कि पांच साल में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा, चाहे इंजीनियरी हो, डाक्टरी हो या और कोई टेक्नोलाजिकल क्षेत्र हो, जिसमें अनुसूचित जाति और जन जाति के योग्य आदमी न मिलें।

सब जगह वह हो जायेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके लिए कुछ कीजिये। विदेश सेवा और अर्थ सेवा में मैं देख रहा था, लेकिन वह बिलकुल उस मामले में नगण्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी नियत साफ नहीं होगी, जब तक आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए अलग मिनिस्ट्री की व्यवस्था नहीं करते हैं और वह भी पावरफुल मिनिस्ट्री नहीं बनाते हैं तब तक इस मामले में कुछ नहीं हो सकेगा।

बिहार में कल्याण विभाग है और उसके मन्त्री भी हरिजन ही हैं, लेकिन उसको पावर कुछ नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अलग मिनिस्ट्री की व्यवस्था कीजिये और पावरफुल लोगों को मिनिस्ट्री का अधिकार दीजिये।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कमिश्नर ने अपनी कमजोरी को नहीं बताया है लेकिन उसने संकेत किया है कि कमीशन को इतना बांध दिया है, उसको एक कमरे में बन्द कर दिया है कि वह ठीक ढंग से अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है। आप भविष्य में इसको भी देखिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिव नारायण सूरसनिया (करौलबाग) : सभापति महोदय, गत बहस में मैंने यहां एक भाषण किया था और कहा था कि इतने दिनों में इतनी-इतनी देर में हमारी रिपोर्ट पर बहस क्यों होती है, समय पर क्यों नहीं होती ?

अब भी तीन साल की इक्ट्ठी रिपोर्टों पर बहस हो रही है यह भी रिपोर्ट 2 साल की है जो कि आज से साल भर पहले प्रस्तुत की जा चुकी थी, लेकिन उसपर बहस साल भर बाद हो रही है। इस कारण से रिपोर्ट में जो हमारी सिफारिशें होती हैं, या जो कुछ इसके मुद्दे होते हैं, उसका परपज डिफीट हो जाता है।

इसके साथ ही मुझे एक और आश्चर्य है कि 1947 में जो हमारे लिए प्रतिशत निश्चित किया गया था कि वह इस आबादी के आधार पर 15 प्रतिशत और 7 प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए रिजर्वेशन किया गया था, आज 32 साल के बाद भी आबादी हमारी वहीं की वहीं रखी जा रही है जब कि जो सवर्ण जाति के या उच्च जाति के लोग हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं और शड्यूल्ड कास्ट्स के 8-10 बच्चे होते हैं। उनका प्रतिशत बढ़ता ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ? मैं समझता हूं कि इसके पीछे कोई न कोई इस तरह की साजिश है कि जिससे उनके पूरे आंकड़े नहीं दिये जाते हैं जिसके कारण से जो पूरे अधिकार उनको मिलने चाहिए, वह नहीं मिलते हैं।

हमने प्रधान मंत्रीजी को चण्डीगढ़ में एक सम्मेलन करके सभी प्रकार के प्रस्ताव बनाकर दिये। उसमें सभी प्रकार के हमारे सांसदों ने मिलकर एक कन्सैंस बनाकर कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए थे और उनसे उमीद की जाती थी कि इसपर सरकार कदम उठायेगी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है कि उसपर क्या कर रहे हैं।

यहां पर हमारे संसद्-सदस्यों ने विभिन्न प्रकार से रिजर्वेशन के आंकड़ें प्रस्तुत किये हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके साथ-साथ कहना चाहता हूं कि 30 साल में इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि उनके रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए जगह-जगह संघ बना दिये गये हैं। एक साजिश खड़ी हो गई है।

यह भी कहा जा रहा है कि जातियों के नाम से जो संरक्षण की बात है, उसको आर्थिक दृष्टि से, गरीबी की दृष्टि से उस तरफ मोड़ दिया जाये अर्थात् जो कुछ बनाया गया था, उसमें कुछ दिया नहीं गया और उसको भी बदलकर, डिफीट करके दूसरी परिकल्पना करके उसको समाप्त करने की साजिश चल रही है। उसमें सरकार के साथ न्यायालय भी साझीदार बन रहे हैं। इसके कारण स्थिति इस प्रकार की बन चुकी है जिससे हमें लगता है कि हमारे प्रति उद्धार के लिए जो सरकार ने आज तक घोषणाएं की हैं और इस तरह की बातें की हैं वह केवल धोखा मात्र हैं। वास्तविकता में ईमानदारी के साथ अब तक कुछ नहीं किया गया है।

बांडेड लेबर के अन्दर सारे देश में गरीब लोग काम करते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के सब लोग उसमें हैं। वह बांडड लेबर वहाँ से तो दूर किया गया लेकिन हमें तो यह दिखाई देता है कि जितने राजनीतिक दल हैं और जितनी यह पालियामेंट है, इसके अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को बांडेड लेबर की तरह से माना जाता है और उनके साथ

उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। उनको उचित स्थान देने की कोशिश नहीं की जाती और अगर कोई अपनी कोशिश से, अपनी शक्ति से…आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके प्रति दुर्भावना पैदा की जाती है, उसे पीछे डालने की कोशिश की जाती है। उसको स्वयं खड़े नहीं होने दिया जाता। सारी राजनीति में इस तरह का चक्र चल रहा है। ये जितने भी लोग, एम० एल० ए०, एम० पी० बनते हैं उनका एक्सप्लायटेशन सारे राजनैतिक दल करते हैं और वह बाकी जनता का करते हैं। यह एक विशस चक्र बन गया है, इसको कब तोड़ा जाएगा और कब इस पर विचार किया जाएगा ?

आज अन्त्योदय की बात बहुत जोर से सरकार की तरफ से उठाई जाती है और वह किया जा रहा है, अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन अनसूचित जनजाति में अन्त में यदि कोई आता है तो वह सफाई कर्मचारी आता है जो सफाई करता है, मैला उठाता है, वह उसमें आता है और वह स्पेशल किस्म का काम करता है, उस काम को दूसरा आदमी नहीं करता है। तो जब वह एक खास प्रकार का काम करता है तो उसके लिए एक खास प्रकार का वेतन क्यों नहीं दिया जाता? जिस तरह से टेकनीकल आदमियों के लिए विशेष प्रकार का वेतन होता है क्योंकि वह काम दूसरे नहीं कर सकते, इसी उनको भी जो काम वह करते हैं क्यों कि उस को दूसरा कोई नहीं करता, इसलिए उनको उसके लिए विशेष वेतन देना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। जितने भी नगर निगम और सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन हैं उन के लिए डायरेक्टिव जाना चाहिए कि इनके रहने के लिए मकान बनाकर दिया जाय और इनके लिए उचित व्यवस्था की जाय। लेकिन पिछले तीस साल से उनके साथ वही बर्त्ताव कर रहे हैं, उनको चतुर्थ श्रेणी में रखा जाता है, वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते क्योंकि वे स्वयं जाकर सफाई करते हैं तो अपने बच्चे, अपनी लड़की और अपनी बहू सब को सफाई के काम में लगा देते हैं। अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो इनका उद्धार किस तरह होगा ?

दूसरा मसला मैं उठाना चाहता हूं कि जो गन्दा काम कहा जाता था वह था टैनिंग का काम खाल निकालना और खाल को रंगना। अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा वर्ग उसकाम को करता था। आज स्थिति यह है कि उनका गला घोंट दिया गया है, उनको कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। महात्मागांधी ने बुनकरों को संरक्षण दिया लेकिन बुनकरों को जितनी सहायता मिलती है उनमें उसका एक्सप्लायटेशन होता है। बीच में दूसरे उस पैसे को खा जाते हैं। यहां पर चूंकि दूसरा समाज बीच में खा सकता था इसलिए उसको सब तरह की सुविधा दी लेकिन चमड़े के काम और चर्मकार के काम के लिए कोई सुविधा नहीं दी। नतीजा यह है कि टैनिंग का काम उनके हाथ से बिल्कुल निकल गया। यह चमड़े का काम ऐसा काम है कि जो उसे शुरू करता है, जब तक वह तैयार होता है तब तक उसमें ऐसे मौके आते हैं जिनमें वह पूरी तरह बरबाद हो जाता है, कई-कई परिवार उस में बरबाद हो जाते हैं। आज तक उनके संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया गया। तो जो अन्त के अंदर लोग हैं, जो चर्मकार और सफाई करने वाले हैं, उनके लिए आज तक आपने कोई विचार नहीं किया तो फिर यह किस तरह की व्यवस्था चल रही है? किस तरह से आप समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं ?

यहां पर हमारे साथियों ने और इसके पहले भी बहुत से लोगों ने अपने लिए अलग मन्त्रालय की मांग की है और न्यायालय की मांग की है कि स्पेशल कार्ट्स बनाए जाने चाहिए, साथ साथ यह भी मांग की है कि आगामी तीस साल के लिए हमारा रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। मैं इसके साथ-साथ पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात रखना चाहता हूं। दो-तीन अंडरटेकिंग्स का हवाला दिया गया। अभी हमारे मित्र बहुगुणा जी के बारे में और उन के विभाग इंडियन आयल का बड़ा भारी गुंजान कर रहे थे। उन्होंने 78 में रिजर्वेशन घोषित किया। लेकिन रिपोर्ट 77 से दे रहे हैं। 19 ए साइडों में दे दिया है जब कि कहीं कोई ए साइड में नहीं दिया है। जिस दिन से रिजवशन हुआ है मैं उस दिन से कम्पनी के ऐडवर्टाइजमेंट्स देखता हूं।

वहां पर कम्पनी का रुपया सूख गया। ए साइट के एडवर्टीजमेंट जिसमें आते थे उसमें रिजर्वेशन नहीं था। और भी जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वह बी या सी साइट के आते हैं। इस तरह से फर्टिलाइजर की एजेंसीज़ दी जाएंगी। इस तरह से आप देखेंगे कि हेडिंग तो यह दी हुई है लेकिन उसमें कन्टेन्ट यह है कि अभी तक प्रोसीजर तय किया जा रहा है। इसलिए ये जो रिपोर्ट हैं वह भी समारे साथ एक धोखा है। हेडिंग्ज़ तो इस तरह की होती है लेकिन कनटैन्ट्स कुछ और ही होता है। इस तरह से यह जो पूरा पुलिन्दा है, लिखा है यह 24वीं रिपोर्ट है लेकिन पहली रिपोर्ट में भी वही मुद्दे हैं। मैं एक मन्त्री जी से मिलने गया था, रिजर्वेशन पर बात हो रही थी, मैंने कहा देखते हैं कब तक संरक्षण पूरा होता है, उन्होंने कहा इन्सान इन्तजार में रहता है, मैंने कहा हजारों साल से इन्तजार में हैं और जिनका इन्तजार टूट गया वे या तो मुसलमान हो गए या ईसाई हो गए। हम चाहते हैं कि इन्तजार के बने रहते इसको पूरा किया जाए। अगर पूरा नहीं हुआ, इन्तजार टूट गया तो उस दिन कुछ और हो सकता है। हमने सब्र के साथ, आदर के साथ इन्तजार किया है वरना हम भी कुछ पर गुजरते। हम हिन्दू हैं इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी सोचना होगा और हमारे से पहले जागकर सोचना चाहिए वरना यहां कोई नहीं रहेगा।

जहां तक भूमि सुधार की बात है, इसमें इतना प्रपंच है, इतना शोर है लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों को जो भूमि आबंटित की जाती है वह ऐसी भूमि होती है कि वे बेचारे अपने घर के जेबर, मकान, वर्तन बेचकर उसको बनाते रहते हैं और जब काश्त करने लायक वह जमीन बनती है तब या तो उसकी काश्त काट ली जाती है या ज़मीन पर ही कब्जा कर लिया जाता है। उसके बाद सरकार की तरफ से निर्णय होता है कि यह ज़मीन ली जा रही है, तुम को दूसरी ज़मीन दी जाएगी। दिल्ली के ही एक गांव का मामला है, वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टा दिया गया था, उस पर वे काश्त कर रहे थे लेकिन अब सरकार ने उस पर एक नाला निकालने का फैसला कर लिया है। उन्होंने फर्याद की कि हमारी जमीन बचाई जाए लेकिन सरकार अड़ गई है, कहती है नाला यहीं से निकलेगा। मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की उन्होंने कहा कि यह भूमि ऐसे लोगों की है जो कोर्ट में नहीं जा सकते, अगर हम दूसरों की भूमि लेंगे तो वे कोर्ट में चले जाएंगे। मैंने कहा कि दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए केवल हरिजन और अनुसूचित जाति के लोग ही रह गए हैं जिनको कत्ल किया जाएगा? इस तरह से इनके कत्लो

भारत की जो कहानी है वह खत्म नहीं हो रही है। हम भी जानते हैं, हमें भी पता है, तीर तरकश हम भी रखते हैं मगर अंगूठा कट गया। सभी तरह के शस्त्र हम रखते थे लेकिन हम ने अपने हाथ से अंगूठा काट कर दे दिया। एकलव्य की कहानी पहले की तरह आज भी चरितार्थ हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार वायदों को पूरा करे।

इसके अलावा आज हमारे साथ सबसे बड़ा कुठाराघात शिक्षा के द्वारा हो रहा है। बड़े अफसर और पैसे वालों के बटे अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं। लेकिन गरीब का बच्चा, हरिजन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आदमी का बच्चा नगर निगम के स्कूलों में पढ़ता है—यह भेद क्यों है? न हमको समान शिक्षा मिल रही है और न शिक्षा के समान अवसर मिल रहे हैं। यदि एक ही प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय तो यह जो डिसपेरिटी चली आ रही है, उस पर अंकुश लग सकता है। आज एक आइ० ए० एस० का लड़का अफसर बनेगा, आइ० ए० एस० बनेगा, लेकिन गरीब का लड़का वही चपरासी बनेगा यहजो व्यवस्था है यह हमारी इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा बनाई गई है। इस डिफेक्टिव तरीके को समाप्त किया जाना चाहिए।

स्पेशल कोर्ट्स और 30 वर्षों के आरक्षण की जो माँग यहां पर रखी गई है, उस के साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पिछले 22 वर्षों की जो हमारी कहानी है और यह 24 वीं रिपोर्ट सदन के सामने है—हमारे लिए आज तक क्या किया गया है—आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं पिछली सरकार ने यहाँ पर एक कैंपसूल गाड़ा था और यह कहा था कि हमारा आजतक का जो इतिहास रहा है—वह सब कैंपसूल में रखा जाएगा। क्या उस कैंपसूल में रखा गया—मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आज तमाम अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के सदस्यों का आवाहन करना चाहता हूं—आज़ादी के बाद पिछले तीस सालों में हमारी क्या स्थिति रही है, हमारे लिए क्या-कुछ किया गया है, इन रिपोर्टों के अन्दर क्या कहा गया है—उन सब चीजों को इकठ्ठा करके और एक समिति का गठन करके उसकी देखरेख में उन सारी बातों को एक कैंपसूल में रख कर गाड़ा जाय और 50 या 100 साल के बाद देखा जाय कि उस समय हमारी क्या स्थति थी और अब क्या है, कितनी प्रगति हुई है—हमारे लिए क्या किया गया है······

एक माननीय सदस्य: वह कैंपसूल तो खाली रहेगा, उसमें कुछ भी लिखा नहीं जायगा क्यों कि अब तक कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री शिवनारायण सरसूनिया: मेरा मतलब है कि आज तक की जो स्थिति है, वह उस कैंप-सूल में रखी जाय।

सभापति महोदय, बाबासाहेब डा० अम्बेदकर का चित्र यहां पर लगाने की बात कही गई है—मैं चाहता हूं कि वह चित्र शीघ्र से शीघ्र लगाया जाय, साथ ही उन के जन्म दिन की छुट्टी घोषित की जाय······

एक माननीय सदस्य: 14 अप्रैल की छुट्टी हो।

श्री शिवनारायण सरसूनिया: इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि जो रिपोर्ट यहां पर पेश की जाती है उस रिपोर्ट के साथ-साथ जो एक्शन लिया जाता है, उसकी रिपोर्ट भी सरकार यहां पर

पेश करे और यह देखे कि कहाँ तक उन बातों पर कार्यवाही की जाती है, हम ने उनकी प्रगति के लिए क्या कुछ किया है।

श्री बी० रचैया (चमराज नगर) : सभापति महोदय, 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बधित आयुक्त के प्रतिवेदनों पर पिछले दो दिन से चर्चा चल रही है। अनेक सदस्यों ने इन प्रतिवेदनों पर चर्चा में पहले ही भाग लिया है तथा कई मूल्यवान सुझाव दिए हैं।

इससे पहले कि मैं यह कहना भूल जाऊं, मैं अपने कुछ मित्रों द्वारा प्रकट किए गए विचारों पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि डा० बाबा साहेब अम्बेडकर का चित्र संसद के केन्द्रीय हाल में लगाया जाए। यह अनुरोध पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इसे कम से कम वर्तमान सरकार सदन के सदस्यों की इच्छा पूरी करेगी।

दूसरा मुद्दा संसद, राज्य विधान सभाओं तथा अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में, जहां-जहां निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं, में आरक्षण के बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में है। राज्य सभा तथा विधान परिषदों में इन लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है क्योंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कोई आरक्षण नहीं हैं। मुझे आशा है कि कम से कम जनता सरकार यह देखने के लिए एक कदम आगे जाएगी कि उच्च सदनों में आरक्षण निचले सदनों में चुने गए सदस्यों के अनुपात में निश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि उच्च सदनों में प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय न्याय किया जा सके।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्यायें विशिष्ट तथा कई प्रकार की हैं, मैं, उनकी समस्याओं के सभी पहलुओं पर विचार नहीं कर पाऊंगा। मैं, सरकार और माननीय सभा के विचारार्थ कुछ ही समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

लगभग तीन दशक बीत चुके हैं किन्तु हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्यायें राष्ट्र के लिए चुनौती बनी हुई हैं। यह चुनौती न केवल सरकार, जनता पार्टी तथा राजनीतिक नेताओं के लिए है अपितु सारे समाज, सभी राजनीतिक दलों और धार्मिक नेताओं के लिए भी है। अतएव इन समस्याओं को पक्षपातपूर्ण या सीमित अथवा संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं सुलझाया जाना चाहिए। इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में सुलझाया जाना चाहिए। यह समस्या वास्तव में समाज का विनाश कर रही है। इसका आरम्भ में ही समाधान कर दिया जाना चाहिए ताकि देश की एकता बनी रहे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं मुख्य रूप से दोहरी हैं। एक तो उनके आर्थिक पिछड़ेपन और आर्थिक गरीब के बारे में है तो दूसरी, जाति प्रथा के कारण उनकी सामाजिक असमानताओं के बारे में है।

जैसा कि बताया गया है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनसंख्या कुल आबादी का क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत के बराबर है। 666 ताल्लुकों में अनुसूचित जातियों के लोगों की आबादी कुल आबादी का लगभग 20 प्रतिशत है और 329 ताल्लुकों में उनकी आबादी कुल आबादी का लगभग 50 प्रतिशत है। 1971 में, 82.3 प्रतिशत तथा 19.8 प्रतिशत श्रमिक क्रमशः प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक क्षेत्र में लगे हुए थे।

इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदन में बताया गया है कि प्रत्येक 1000 की जनसंख्या में से 518 कृषि श्रमिक तथा 3:0 कृषक शामिल हैं। यदि आप गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के संदर्भ में इन आंकड़ों को देखें तो यह पता चलेगा कि शहरी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत लोग और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं। इन आंकड़ों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनमें अत्यधिक गरीबी है।

इसके अलाव, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के पृष्ठ 5 में यह कहा गया है:

> "खराब आर्थिक स्थिति, ऋणग्रस्तता, कृषि श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी न दिए जाने, भूमि अधिकतम सीमा अधीनियम के क्रियान्वित न किए जाने और सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से अनुसूचित जातियों पर अत्याचार होते हैं। प्रशासन भी उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सदैव सतर्क नहीं रहा है।"

भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम पिछले 30 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। कई राज्यों ने भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम पारित कर लिए हैं और कुछ राज्यों ने तो काश्तकारी प्रणाली को समाप्त करने के बारे में विचार भी नहीं किया है। जब-जब भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम लागू किया जाता है तो रिकार्डों को अद्यतन नहीं बनाया जाता। इसलिए जितनी भी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होती है तो आबंटित किए जाने पर भी उन्हें उसका कब्जा नहीं मिलता है। अतएव जब-जब भूमि के स्वामियों और उन व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है जिन्हें भूमि आबंटित की गई होती है तो हरिजनों पर मुसीबत और अत्याचार आरम्भ हो जाते हैं।

उसी प्रकार,भूमिहीन लोगों को भूमि का वितरण किए जाने के संबंध में अर्जन सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती और समुचित मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता। भू-स्वामी उन लोगों के लिए निर्धारित किए गए सीमा-पत्थर हटाकर भूमि पर खेती करना आरम्भ कर देते हैं। इस वजह से भी हरिजनों को परेशान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, जब कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता और जब श्रमिक इस बात का विरोध करते हैं कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो उस स्थति में भी गड़बड़ आरम्भ हो जाती है और उन्हें सताया जाता है तथा परेशान किया जाता है। जब बन्धुवा के रूप में काम करने वाले लोगों को उससे मुक्त किया जाता है तो सब जगह फैले होने के कारण उनका समुचित रूप से पुनर्वास नहीं किया जाता और वे पुनः अपमान की भावना को लेकर अपने मूल स्वामियों के पास वापस चले जाते है। अतः बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए ईमानदारी के साथ कोई कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए। न केवल कृषि-क्षेत्र के बंधुआ मजदूरों का पता लगाया जाना चाहिए अपितु खानों में काम करने वाले, कपड़ा बुनने के काम में लगे हुए, होटल उद्योग और घरेलू सेवा आदि में लगे हुए मजदूरों का भी पता लगाया जाना चाहिए तथा इस दासता से उन्हें मुक्ति दिलायी जानी चाहिए। यह कार्य जोरदार ढंग से आरम्भ किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, वृद्धावस्था-पेंशन देने के कार्यक्रम को उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है। अतः इस कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

जहां तक अनुसूचित जातियों के लिए वित्त निगमों कौ स्थापना किये जाने का संबंध है, कुछ राज्यों ने इन समुदायों के कल्याण के लिए वित्त निगम पहले ही आरम्भ कर दिये हैं तथा केन्द्र को उन्हें पर्याप्त अनुदान देना होगा। जिन राज्यों में वित्त निगम स्थापित नहीं किये गये, उन राज्यों से इन निगमों की स्थापना करने के लि(कहा जाये और उन्हें शेयर पूँजी के रूप में शर्तरहित अनुदान दिया जाये तथा उसकी मात्रा भी बढ़ाई जाये।

वितरण एजेंसियों के आबंटन के बारे में कुछ माननीय सदस्य पहले ही उल्लेख कर चुके हैं किन्तु मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मुर्गीपालन, सुअर पालन, चर्मशोधन, मत्स्य पालन आदि जैसे उद्योग आरम्भ करके तथा उनके व्यवसायों में विविधता लाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है, साथ ही, जहां तक मिट्टी के तेल और पैट्रोल का संधंध है, इन लोगों, विशेष रूप से बेरोज़गार शिक्षितों के लिए वितरण एजेंसियों का कुछ प्रतिशत आरक्षित करके उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सकता है, वित्त निगम को उन्हें धन देना चाहिए।

तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तरह के प्राइवेट कालेजों में दाखिले के लिए अनुच्छेद 15 (4) के अधीन आरक्षण नहीं किया गया है। आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण न किये जाने का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अनुच्छेद 29 तथा 30 के अन्तर्गत अल्प संख्यक समुदायों की संस्थाओं को कुछ संरक्षण प्रदान किये जाते हैं क्योंकि वे अल्पसंख्यकों की संस्थाएं हैं और उन्हें संरक्षण देना होता है। मैं अल्पसंख्यकों की इन संस्थाओं से अनुरोध करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को इन प्राइवेट कालेजों तथा अल्पसंख्यकों के कालेजों में पर्याप्त संख्या में दाखिला मिले। ऐसा करने पर ही वे विशेष संरक्षण प्रदान किये जाने के लिए दावा कर सकते हैं। अन्यथा वे इन लोगों के प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे।

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट पाइलेट लाइसेंस पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं दी गई है। अतः मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत प्राइवेट पाइलेट लाइसेंस पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

आयुक्त ने छात्रावासों की कमी और विशेष रूप से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए छात्रावासों की कमी के बारे में भी उल्लेख किया है। वह चाहते हैं कि लड़कियों को अधिकाधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसुचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित की गई 5 करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं की गई है और वह मुख्यतः इसलिए व्ययगत हो गयी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचिन जनजातियों के आयुक्त ने इस संबंध में कोई पहल नहीं की। साथ ही यह बताया गया है कि अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी।

अतः यह राशि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास पर खर्च नहीं की जा सकी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जितने धन की व्यवस्था की गई थी उसमें से लगभग 60 प्रतिशत धन शिक्षा पर और केवल 10 प्रतिशत धन आर्थिक विकास पर खर्च किया गया। अतः मन्त्री महोदय ने एक तदुद्देश्यीय दल की नियुक्ति की है और उस दल ने पुस्तिका अथवा रिपोर्ट तैयार की है। यह अन्तरिम रिपोर्ट है। मुझे आशा है कि अन्तिम रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर मन्त्री महोदय उसे संसद के समक्ष रखेंगे और उसके बारे में सदस्यों की राय लेंगे। अन्तरिम रिपोर्ट अच्छी है। उसमें जो काम निर्धारित किया गया है वह सम्बन्धित अधिकारियों के सहयोग से क्रियाविन्त किया जाना है।

विभिन्न विद्यालयों में दाखिले के बारे में उल्लेख करते हुए मैंने राज्य क्षेत्र से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लड़कों को दी जाने वाली मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों के बारे में उल्लेख किया है कि सभी लड़के तथा लड़कियों को ये छात्रवृत्तियाँ नहीं मिल रही हैं। अतः इस क्षेत्र के अन्तर्गत इस राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। स्कूल जाने वाले प्रत्येक लड़के-लड़की को कोई न कोई रिआयत अवश्य मिलनी चाहिए। किन्तु मेरा विचार है कि राज्य सरकारें उन्हें ये रिआयतें देने की स्थिति में नहीं हैं। विशेष रूप से आश्रम स्कूल अच्छा कार्य कर रहे हैं। यदि प्राइवेट संस्थाओं में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो स्वाभाविक रूप से उनमें अधिक छात्र दाखिला लेंगे।

अधिकांश सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है कि प्रत्येक छात्र को किसी धन संबन्धी प्रतिबन्ध के बिना मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और साथ ही इस बात का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि एक परिवार के कितने छात्र हों। इन दो प्रतिबंधों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लड़कों तथा लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में तथा उनकी प्रगति में अड़चन आती है। जब आप अन्य क्षेत्रों में बड़ी राशि खर्च कर सकते हैं तो हम चाहते हैं कि माता-पिता की आय के बारे में कोई प्रतिबन्ध लगाए बिना यह छात्रवृत्ति कम से कम पाँच वर्ष के लिए दी जाए और साथ ही परिवार के पढ़ने वाले सदस्यों के बारे में प्रतिबन्ध न लगाया जाए। जब आप परिवार नियोजन कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं तो उसे क्रियाविन्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में कुछ समय तो लगेगा ही। अतः ऐसे प्रतिबन्ध लगाकर माता-पिता को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, वे ऐसी 10 छात्रवृत्तियों का उपयोग नहीं कर पाए हैं और वे अप्रयुक्त पड़ी रही, केवल 21 छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराई गयी थीं और उन में से एक नव-बौद्ध तथा 10 छात्रवृत्तियां अन्य लोगों के लिए मंजूर की गई थीं। अतः मैं चाहता हूं कि इन राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियों के लिए योग्यताएं निर्धारित कर दी जायें और यदि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो जो भी इनके लिए आवेदन करें उन्हें ये छात्रवृतियाँ दे दी जायें।

इसी प्रकार मेडिकल कालेजों, पोस्ट ग्रेज्युएट कालेजों, पूना के सेना मेडीकल कालेज में तथा

प्रौद्योगिकी संस्थानों में 15 प्रतिशत तक भी आरक्षण नहीं किया गया है। प्रौद्योगिकी संस्थानों में केवल 5 स्थान आंबटित किए जाते हैं। अतः यह कोटा बढ़ाया जाना चाहिए और इन स्थानों को पाने के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं आरम्भ की जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार प्रवेश पूर्व-परीक्षा में बैठ सकें और उतीर्ण होकर इन संस्थाओं में प्रवेश पा सकें।

जहाँ तक सेवाओं में आरक्षण करने का सम्बन्ध है, राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था है तथा सेवाओं में भी आरक्षण किया जाता है। सभी सरकारी कार्यालयों में 15 तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक आरक्षण किया गया है किन्तु कुछ मामलों में, जैसे कि विश्वविद्यालयों के मामले में, यद्यपि सरकार ने इस आशय का अनुदेश जारी किया है कि व्याख्याताओं की नियुक्ति करते समय आरम्भ में आरक्षण किया जाना चाहिए फिर भी विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करके इस अनुदेश को क्रियाविन्त करने की कोई परवाह नहीं की। कोई स्वायत्तशासी निकाय संविधानिक परित्राणों से ऊपर नहीं है और उन्हें देश के कानून के अनुसार ही चलना होगा।

जहां तक सरकारी उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्बन्ध है, उनमें आरक्षण किया गया है। सरकार ने यह वचन दिया है कि बैंकिंग सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य सम्मिलित किया जाएगा। चूंकि अब उन्होंने क्षेत्रीय बोर्ड स्थापित कर लिए हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन बोर्डों में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शामिल किया गया है अथवा नहीं ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

जैसा कि श्री पासवान उल्लेख कर चुके हैं कि न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण किया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि न्यायपालिका और विशेष रूप से उच्चन्यायालय राज्य के अन्तर्गत नहीं आते, इसलिए उन्होंने यह तर्क दिया है कि वे किसी सरकार के अधीनस्थ नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत न्यायपालिका राज्य स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर 'राज्य' की परिभाषा के अन्तर्गत आती है तथा इस प्रकार वह अनुच्छेद 335 के ही अन्तर्गत आती है। यदि किसी सेवा में जनता के किसी समुदाय को समुचित रूप से प्रतिनिधित्व न दिया गया हो तो वह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के बेंच के लिए योग्य उम्मीदवार नियुक्त कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं किया गया है। केवल उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश हैं और उसमें एक जिला न्यायाधीश भी नहीं है। देश में योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण किया जाना चाहिए। यदि आरक्षण न किया जा सके तो भी उनको इस माननीय सभा के सदस्यों तथा देश के लोगों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को इन सेवाओं में नियुक्त किया जाना चाहिए।

मैं अब केवल छुआछूत को समाप्त करने के बारे में बोलना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत छुआछूत को समाप्त करके उसके स्थान पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 बना दिया गया है जिसके तहत अपराध करने वालों को सख्त दण्ड देने की व्यवस्था

है लेकिन इससे ही समस्या हल नहीं होगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस समस्या का सम्बन्ध न केवल सरकार अथवा विरोधी दलों या राजनीतिक दलों से है अपितु सम्पूर्ण समाज से भी है। यदि 15 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के एक-एक परिवार को अपना ले तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

बुद्ध, शंकराचार्य तथा अन्य महापुरुषों के समय से ही इस समस्या के हल करने का प्रयास किया गया है किन्तु प्रत्येक समाज सुधारक आया और उसने उपदेश दिया तथा अन्ततः अपने पीछे एक समुदाय अथवा उप समुदाय को छोड़ गया। अतः मैं नहीं समझता कि क्या हम इस जाति व्यवस्था को समाप्त कर भी पायेंगे। संविधान भी इसे समाप्त नहीं कर पाया क्योंकि प्रत्येक धर्म को समान आदर देने का आश्वासन दिया गया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि अनुसूचित जनजातियों के जो लोग सम्मान-पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में पर्याप्त अवसर दिए जायें ताकि वे किसी से पीछे न रहें। हाल ही में आरम्भ किए गए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में हुई गड़बड़ी तथा निहित स्वार्थों के कारण कुछ तनाव आ गया है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत प्रशासन की कार्य कुशलता के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार किया जायेगा। इस परन्तुक के अन्तर्गत वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। पदोन्नति कोटा के सम्बन्ध में इन उम्मीदवारों की गोपनीय रिपोर्टों को खराब किया जाता है ताकि उन्हें पदोन्नति के अवसर न मिलें। महोदय, कार्यकुशलता अलग-अलग हो सकती है फिर भी समाज को, प्रत्येक वर्ग को उसका उचित हिस्सा देना ही चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की समस्या केवल आर्थिक समस्या नहीं है। अपितु जातिगत भेदभाव से उत्पन्न सामाजिक समस्या है। हमारे समाज में कई धर्म तथा जातियां हैं और वे दुराग्रह से मुक्त नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कक्ष होने चाहिए कि कितने मामलों में आरक्षण नहीं किया गया है, कितने मामलों में पदोन्नतियाँ नहीं की गई हैं और कितने मामलों में आरक्षण समाप्त किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति है किन्तु केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर ये निगरानी कक्ष अच्छी तरह से देख-रेख कर सकते हैं। कुछ मित्रों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक मन्त्रालय की स्थापना किए जाने की मांग की है। मेरे विचार में वर्तमान गृहमन्त्री यदि चाहें तो इस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। इससे पहले आरक्षण का कोटा इसलिए लागू नहीं हो पाया क्योंकि इस दशा में रुचि नहीं ली गई थी। श्री मण्डल के कार्यकाल में यह क्रियान्वित हो जाएगा। हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री गांधीवादी हैं और मद्य-निषेध के बारे में प्रचार कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक व्यक्ति हूं और पीछले 30 वर्षों से मद्य-निषेध के बारे में प्रचार कर रहा हूं और मुझे कई कठनाइयों का सामना करना पड़ा है। अतः मैं चाहता हूं कि मद्य-निषेध लागू किया जाए और अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों को मद्यपान करने का आदी न होने दिया जाए। मैं इतना अधिक समय दिए जाने के लिए अध्यक्ष महोदय का दोबारा धन्यवाद करता हूं।

श्री रामकुंवर बैरवा (टोंक) : सभापति महोदय, इस सदन में अनुसूचित जाति और जन-जाति के आयोग की रिपोर्ट पर बहस हो रही है। इस प्रकार की रिपोर्टों पर मैं पिछले 8 साल से बहस सुनता आ रहा हूँ। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब भी अनुसूचित जातियों के मामले पर सदन में चर्चा होती है तो चाहे अपोजीशन पार्टी के मेम्बर हों चाहे रूलिंग पार्टी के मेम्बर हों, उन लोगों की कोई रुचि नहीं रहती है जबकि वे अनुसूचित जातियों के वोटों से चुनकर आते हैं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस रिपोर्ट पर बहस के समय प्रधान मन्त्री या अन्य कैबिनेट स्तर के मंत्री उपस्थित नहीं है, वे अगर उपस्थित होते और इसे सुनते तो हमें विशेष खुशी होती। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि इन अनुसूचित जातियों के मसलों को सरकार चाहे वह कोई भी हो, बड़े हल्के-फुल्के ढंग से चर्चा को लेती है और जब चुनाव में लड़ना होता है तो जो उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है वह अनुसूचित जातियों के लिए आसमान के तारे तोड़कर जमीन पर लाने जैसी बात करता है, लेकिन जब वह सत्तारूढ़ हो जाता है, उसके पश्चात् वह अनुसूचित जातियों के विकास को उतना ही छूता है जितना उसको राज चलाने में आवश्यकता पड़ती है। मुझे बड़ा खेद है कि गांवों में जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के हैं, तीस साल शासन के बाद भी आज उनको सार्वजनिक सम्मान नहीं मिल रहा है। गांवों में उनको किसी प्रकार की भी स्वतन्त्रता नहीं मिल रही है, बल्कि मैं यह कहना चाहूँगा, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन अगर मैं नहीं कहता हूँ तो जिन लोगों ने मुझे चुना है उनके ऊपर कुठाराघात होता है, इन दो सालों के जनता पार्टी के शासन में हरिजनों का मनोबल गिरता जा रहा है। शादी ब्याह के अवसरों पर भी, जहां कहीं भी वे बाजे ले जाते हैं या दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर जाता है वहां उनको गांव वाले रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो इन्दिरा जी का शासन था वह तुम्हारे साथ वफादार थीं, और वह बात अब नहीं चलेगी। अगर हम संसद सदस्य भी किसी प्रकार का लेटर लिखते हैं तो उस पर भी कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होती है, बल्कि अधिकारी यह देखता है कि उस वक्त यदि कोई अनुसूचित जाति का चुना हुआ प्रतिनिधि पहुँच जाय तो विशेषकर वह यह कोशिश करता है कि आपस में समझौता करा दे, बजाय कडी कार्यवाही करने के वह समझौता कराने की कोशिश करता है। इस प्रकार की वर्तमान स्थिति चल रही है और हमें बड़ा खेद है कि वे लोग दिन प्रतिदिन जनता से उदास होते जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन्दिरा जी को पावर में लाने के लिए उनकी कतई इच्छा नहीं है लेकिन जनता पार्टी का शासन होते हुए भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वे बड़े रुष्ट हैं। मुझे इस सदन में सच्ची बात कहने में कोई हिचक नहीं है, यहां प्रधान मन्त्री से मिलना तो मेरे लिए बहुत आसान है लेकिन यहां के और मंत्री हों या प्रदेश के और मंत्री हों उनसे मिलना कठिन है। पिछली सरकार में मैं विरोधी दल में था, तब भी कांग्रेस के मंत्री कहते थे मुझसे कि कोई आपका काम हो तो बताएं लेकिन जनता पार्टी के मंत्रियों का तो रवैया यह है कि वे राम राम करना पसन्द नहीं करते। वे यह समझते हैं कि अगर इनको नमस्ते करेंगे और प्रेम से बोलेंगे तो पता नहीं कितना काम हमसे करने को कहेंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी के जो मंत्री लोग हैं वे अफसरों के हाथ में इतना ज्यादा न खेलें। मुझे पूरे विश्वास है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में

[श्री राम कुंवर बेरवा]

हरिजनों को रहना पड़े वे रह सकते हैं और ऐसे ईमानदार एम० पी० और विधायकों की भी कमी नहीं है कि जो उनकी समस्या को सामने जरूर लायेंगे और जिस जनता ने उनको चुना है उनके वे अवश्य विश्वासपात्र रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाय।

दूसरी बात यह है कि जनता पार्टी के शासन में नौकरियों में जो भरती की जाती है उसमें अनुसूजित जाति के लोगों को अयोग्य कहकर फेल कर दिया जाता है। अफसर कहते हैं कि तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे नम्बर अच्छे नहीं थे और तुम इण्टरव्यू में फेल हो गए। अफसर जो हैं वे सोचते हैं पता नहीं जनता पार्टी रहेगी या नहीं, हम तो कानूनी कार्यवाही जैसी भी होगी करेंगे। वे कानून का केवल दिखावा करके मनमानी करते हैं। अगर कोई पैसा दे देता है तो उसकी भर्ती कर लेते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में पूरी देख-रेख होनी चाहिए।

मैंने अपने साथी गवई जी के भाषण को अच्छी तरह से सुना है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि वे अपनी लड़की की शादी, अगर कोई ब्राह्मण का लड़का तैयार हो तो उसके साथ करने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने अनुसूचित जाति के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में भूतपूर्व मंत्री इमरतीलाल जी यादव, जिन्होंने दलित वर्ग संघ के नाम पर केन्द्र से बाबू जगजीवन राम जी की छत्रछाया में लाखों रुपये ले लिए, जब उनकी लड़की पढ़-लिखकर तैयार हो गई तो एक ब्राह्मण के लड़के से शादी की, शादी में लाखों रुपये का माल दिया, माल तो उसने रख लिया लेकिन लड़की को छुटकारा दे दिया और इस तरह से उस लड़की का भविष्य खराब हो गया। इसलिए मैं तो इस विचार का हूँ कि अगर हमारा चरित्र ठीक रहेगा, हमारे कर्म ठीक रहेंगे तो हम ब्राह्मण से भी ऊपर रह सकते हैं—इसमें कोई सदेह नहीं है। यह जो देखा-देखी वाली बात है इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ।

जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी राजस्थान में 8-10 महीने पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए जिसमें कई हरिजन भी सरपंच के लिए उम्मीदवार खड़े हुए। इस पर सवर्ण जातियों की ओर से प्रचार चलाया गया क्या सभी जातियाँ मर गई हैं जो चमार और खटीक सरपंच बनाए जायेंगे। जो लोग हमेशा सरपंच बनते आ रहे थे उनमें से उम्मीदवार खड़े होने पर सवर्ण वोटों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और कोई भी हरिजन को वोट देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी इसकी बड़ी आवश्यकता है। अभी भी गांवों में यह हालत है कि कोई भी पुलिस का सिपाही या पटवारी आ जायेगा तो उसको बैठने के लिए चारपाई दी जाती है लेकिन अगर कोई अनुसूचित जाति का लोक सभा सदस्य चला जाए तो उसको खाट पर भी बिठाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार की जो भावना है उसको देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि अनुसूचित जातियों में हरएक प्रदेश में अलग-अलग जातियां हैं जैसा कि पासवान जी ने बिहार में पासवान का जिक्र किया लेकिन राजस्थान में यह नहीं है।

इसी तरह से बेरवा जाति बिहार में नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी प्रदेश, राज्य या जिले का रहने वाला हो उसको सरकारी सूची में हरएक प्रान्त में मान्यता देनी चाहिए। पहले एक जिले में एक जाति होती थी तो दूसरे जिले में उसको नहीं माना जाता था लेकिन पिछली सरकार ने दूसरे जिले में उसको सरकारी सूची में मान्यता दे दी थी। थोड़ा सा काम जो उसने छोड़ दिया था, मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार उसको पूरा कर दे ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को अपना भविष्य कुछ अच्छा नजर आने लगे।

आज पार्लियामेंट में भी हर एक बात में हमारे साथ भेदभाव बरता जाता है। जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं या दूसरे लोग हैं—अगर वे सरकार के खिलाफ थोड़ी-सी आवाज निकालते हैं तो सरकार उनको थोड़ा-सा टुकड़ा डालकर खुश करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं निश्चय और विश्वास के साथ कहता हूँ कि ऐसे लोगों की भी हमारे भारत में कमी नहीं है—उनको चाहे जितना भी प्रलोभन दिया जाय, वे अपनी सच्चाई से कभी नहीं हटेंगे। मैं खेद प्रकट करते हुए इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो लोग कमेटियों या मंत्री पदों पर लिए जाएं उनमें सब तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन आज इस दिशा में पक्षपात बरता जा रहा है।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के समय में या हमारी जनता सरकार के समय में जिन अनुसूचित जातियों के लोगों को जमीनें आवास या खेती के लिए एलाट की गई थीं, उन पर कचहरियों में लम्बे अर्से से मुकदमे चल रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उन पर से तमाम केसज़ को उठा लिया जाय और उन को उन भूमियों पर कब्जा दिया जाय, ताकि वे स्वतन्त्र रूप से उन जमीनों पर काम कर सकें, अनाज पैदा करके अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर सकें। अखबारों में प्रधानमन्त्री जी या राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के स्टेटमेंट्स आते हैं कि जिन लोगों को जमीनें दी गई हैं, चाहे वे किसी भी रूप में दी गई हों, उनको वापस नहीं लिया जायेगा। लेकिन हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी हालत को देखते हैं। वे लोग बहुत रोते हैं, उनको हमेशा कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे तमाम केसेज को वापस लिया जाय, साथ ही सरकार अपने खर्चे पर उनके लिए वकील लगा कर उन मुकदमों की पैरवी करे, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं पड़ना चाहिए।

एक बात मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों के जो लड़के पढ़-लिखकर तैयार होते हैं—पढ़ने-लिखने से ही उनका उद्धार नहीं हो सकता है। शारीरिक मेहनत करके ही वे अपना भरण-पोषण कर सकते हैं। आज हमारे जो लोग बिल्डिंग में काम करते हैं—उनको उनके परिश्रम का पूरा पैसा नहीं मिलता है। यहां तक देखने में यह आया है—काम करते हुए यदि मजदूर तीसरी या चौथी मंजिल से गिर कर मर जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसकी पत्नी या उसके बच्चों को वापस राजस्थान जाने तक का खर्चा नहीं मिलता है। ऐसे बहुत से केसेज मेरे सामने आते हैं, मैं इस सम्बन्ध में काफी लिखा-पढ़ी भी की है—लेकिन

[श्री राम कुंवर बेरवा]

फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि ठेकेदारों को सरकार कान्ट्रैक्ट देती है उस कान्ट्रेक्ट में इस तरह की कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए कि काम करने के दौरान यदि कोई मजदूर मर जाएगा तो ठेकेदार इतने परसेन्ट मुग्रावजा देगी। इस तरह की कानूनी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए।

श्री सरसूनिया जी ने अभी बाबा साहेब डा० अम्बेडकर की फोटो सेन्ट्रल हाल में लगाने की बात कही है—मैं भी उसका समर्थन करता हूँ।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ—जो लोग रिजर्व्ड सीटों से चुनकर आते हैं—उनकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है। कि आज नई रेलवे लाइने कहाँ डाली जा रही है—लोग, जिनकी पहुँच बहुत ज्यादा है, अपने-अपने क्षेत्रों का विकास करा रहे हैं, लेविन पिछड़े क्षेत्रों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ से शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग चुनकर आते हैं—उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, उन क्षेत्रों में ज्यादा पैसा खर्च किया जाना चाहिए, ताकि उन प्रतिनिधियों की अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा बन सके और उन क्षेत्रों का विकास हो सके।

मैं सैकेन्ड टाइम चुन कर आया हूँ और मैंने अपने यहां 20 मील के छोटे से टुकड़े को जिला हेड क्वार्टर से रेल द्वारा जोड़ने के लिए बराबर मांग की है और करता आ रहा हूं लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधि यहां पर चुन कर आते हैं और पिछड़े हुए क्षेत्रों से चुन कर आते हैं, उनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा सुन कर उन क्षेत्रों में ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, ताकि वहां की जनता संतुष्ट हो सके।

इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री नन्दी यल्लैया (सिद्दिपेट) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कमिश्नर की रिपोर्टों पर कई सदस्यों ने अपने विचारों को प्रकट किया है।

देखने से यह मालूम होता है कि भारत की आजादी के बाद, 30 सालों की आजादी के बाद भी, हम एक ऐसे वर्ग के बारे में जो रिपोर्ट है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो सदियों से इस समाज के अन्दर दबा हुआ है। आज हम उस वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसकी उन्नति के लिए, जिसकी तरक्की के लिए डा० अम्बेडकर ने अपने निजी जीवन में काफी काम किया था लेकिन इसके बावजूद भी इस समाज में उसकी ऐसी दुर्गति, उस पर ऐसे अत्याचार देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम सभी लोग दुखी हैं।

जनता सरकार के बन जाने के बाद और श्री मोरारजी देसाई को प्रधान मंत्री के रूप में देखने के बाद, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान के अन्दर चाहे वह कोई भी राज्य हो, उत्तर में कोई भी इलाका हो, वहाँ पर ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, पढ़ने

को मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि हरिजनों के ऊपर कई किस्म के, कई प्रकार के अत्याचार आज भी होते हैं। अखबारों को देखने के बाद और दूसरी सारी चीजें देखने के बाद, मैं ऐसा समझता हूं कि इस जाति की उन्नति के लिए मौजूदा समाज के अन्दर शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। हम जो भी इनको शिक्षा दें, वह सही तरीके से दें। अगर हम अपने बच्चों को, हरिजन कम्युनिटी के बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, तो इस समाज के अन्दर उनके उन्नति करने का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता है लेकिन आज हम हरिजनों की परिस्थिति क्या देखते हैं।

इन्दिरा सरकार, इन्दिरा गांधी की सरकार ने जो हिन्दुस्तान में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था और गांवों के अन्दर यह व्यवस्था की थी कि भूस्वामियों के पास जो जमीन थी, वे उसके मालिक रहते थे और उस जमाने में हरिजनों की यह परिस्थिति थी कि उनमें इतना डर था, उनकी रगों में इतना भय था कि उनमें उनके आमने-सामने जाने की शक्ति नहीं थी लेकिन हम ने यह देखा कि इमर्जेन्सी के दिनों में जो जमीन को तक्सीम करने का सवाल आया या कर्जा देने का जो सवाल आया, उससे हरिजनों में काफी जागृति आई और आज भी काफी लोग वहां पर इंदिरा जी को याद करते हैं।

30 साल की आजादी में जो काम नहीं हुआ था, वह इमर्जेन्सी के अन्दर हुआ कि जो गांवों के अन्दर रिक्शा चलाने वाले थे या गांवों में इस किस्म के कई लोग थे, उनमें कुछ सुधार आया और समाज के अन्दर एक भारी परिवर्तन आया लेकिन आज के जमाने में हम यह देख रहे हैं कि हरिजनों की स्थिति है, वह नहीं सुधरी है। बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के उनकी उन्नति नहीं हो सकती लेकिन केन्द्रीय सरकार की तरफ से यह भी नहीं हुआ है कि 10 वीं क्लास तक, मैंट्रीकुलेशन तक, कम्पलसरी शिक्षा की व्यवस्था करती। इस तरीके की बात केन्द्रीय सरकार ने कोई नहीं की है और जब ऐसी बात है तो उनके तरक्की करने के इम्कानात हमें नहीं दिखाई देते हैं।

दूसरी बात यह है कि आज समाज के अन्दर चाहे कोई भी हो, चाहे वह हरिजन हो, चाहे वह गिरीजन हो, चाहे वह बैकवर्ड क्लासेज का हो, इस हिन्दू समाज के अन्दर भिन्न प्रकार की कम्युनिटीज हमको देखने को मिलती है।

लेकिन आज जो तमिलनाडु के अन्दर चमड़े का काम करते हैं, टेनरीज के अन्दर काम करते हैं, फोरन एक्सचेंज कमाते है, अमेरिकन डालर कमा कर देते हैं, उनमें हम देखते हैं उनमें हरिजनों की मेजारिटी है। शेडयुल्ड कास्ट्स की मेजारिटी है। आज वे लोग किस परिस्थिति में हैं? वे लोग झोपड़ियों में रहते हैं. गन्दगी में रहते हैं। उनको खाने को नहीं मिलता है। जो लोग कारखाना चलाते हैं, जो लोग मालिक हैं, उन्हें देखिये, वे किस तरह से रहते हैं, किस तरह का कपड़ा पहनते कैसा उनका रहन-सहन है। क्यों नहीं आप टेनरीज में काम करने वाले लोगों की परिस्थिति में आर्थिक सुधार लाते हैं। क्यों नहीं आप उन्हें उन्नत करते हैं? आप सरकार की ओर से इण्डस्ट्रीज की ओर से कोई ऐसी स्कीम्स निकालें जिनसे उनकी आर्थिक प्रगति हो, उनकी तरक्की हो।

[श्री राम कुंवर बेरवा]

जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक आप चाहें कितने ही कमीशन बिठाइये कुछ नहीं होने वाला। कमीशनों की रिपोर्ट आती रहेंगी, कलेक्टर से रिपोर्ट आती रहेंगी, उन रिपोर्ट्स पर पार्टीबाजी के आधार पर कुछ फारमुले पेश किये जाते रहेंगे। यह काम करने का एक फारमल तरीका होता है। हमें देखना चाहिए कि पोलिटिकल पार्टीज अपने भाषणों में चुनावों में जो कुछ कहकर आती हैं उन पर हम अमल करें। हमें हरिजनों की तरक्की के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हमें ठोस काम या कोई ऐसा निर्माण कार्यक्रम हमें हरिजनों के लिए देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

डा० अम्बेडकर ने अपने जीवन में क्या नहीं किया ? उस पर हिन्दु समाज द्वारा अत्याचार किये गये। उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से हममें जोश पैदा होता है। उन्होंने किस परिस्थिति में अपने को ऊपर उठाया था। उन अत्याचारों के बीच अपने को खड़ा किया था। डा० अम्बेडकर ने हमारे इस संविधान का ढांचा तैयार किया। आज हमें गर्व है कि शेड्युल्ड कास्ट्स कम्युनिटी के एक आदमी ने भारत के संविधान को बनाया। लेकिन आज हम देश की क्या परिस्थिति देखते हैं? हम अगर गांवों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जो अधिक काम करने वाले हैं, उन्हें खाने को नहीं मिलता है। आप देखिये सफाई कर्मचारी को, 'शू मेकर्स को, रिक्शा चलाने वाले को, टेनरीज में काम करने वाले को जो काम वे लोग करते हैं उसे दूसरी कम्युनिटीज के लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज उनकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है। आप बताइये कि उनकी कौन-सी तरक्की हुई है।

आज हम होटलों में, बाजार में, समाज में लोगों को सफेद, टेरीकोट के कपड़े पहने हुए देखते हैं। लेकिन उन लोगों के पास शरीर छिपाने के लिए कपड़ा नहीं है। आप उन्हें देखिये कि वे किस लोकेलिटी में रहते हैं, कैसे घर में रहते हैं, कौन-सी गिजा खाते हैं ? सोने के लिए पलंग नहीं है। हमारी सरकार को इन सब चीजों को देखना चाहिए। हम बहुत से लोग होटलों में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन वे लोग किस प्रकार से रहते हैं ? उनकी कितनी आमदनी है ? उनकी जितनी आमदनी है क्या उससे उनके घर का परिवार का खर्च चलाया जा सकता है ? यह चीज हमें देखनी चाहिए।

हमें देखना चाहिए कि वे किस प्रकार के मकानों में रहते हैं ? शहर में लोग किस प्रकार के मकानों में रहते हैं ? वे लोग वहाँ रहते हैं जहाँ गंदा नाला बहता है। वहीं उनका पूरा परिवार रहता है। अगर हम इन लोगों को यहाँ से नहीं निकालेंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर यह रिजर्वेशन किस लिए है ? क्या यह रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए है कि हम रिजर्व्ड सीट से यहां चुन कर आ जाए और उनके लिए बोल दें। अभी मरावाड़ा के एक एम. पी. ने कहा मराठवाड़ा के एक एम० पी० ने बताया है कि आज भी औरंगाबाद में पानी इन लोगों को नहीं मिलता है, दूसरे उच्च जाति के लोगों की जब तक मेहरबानी नहीं होती है इनको जल नहीं मिलता है। ऐसी अवस्था में क्या यह समझते हैं कि रिजर्वेशन भी इनके लिए नहीं रहना चाहिए ?

समाज में कौन सी कम्युनिटी इन पर जुल्म और अत्याचार करती है, कौन लोग हैं जो बत्ती सुलगाते हैं, इसका पता लगाया जाना चाहिए। सरकार की ओर से हर कदम उठाया जाना चाहिए ताकि इन पर इस तरह के जुल्म बन्द हों। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारत की आजादी को ही खतरा पैदा हो जाएगा। आज भी हिन्दू समाज में हरिजनों के साथ न्याय नहीं हुआ है। तीस साल हो गए हैं लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। कमेटियां बैठी हैं, कमिशन बैठे हैं और उनकी रिपोर्ट आई है, भाषण भी बहुत हुए हैं लेकिन इन सबके बावजूद इनके जो मसले है वे हल नहीं हुए हैं। इसके कारणों का आपको पता लगाना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए और देखना चाहिए कि इनके मसले हल हों।

श्री दुर्गाचन्द (कांगड़ा) : एक बड़े गम्भीर विषय पर हम विचार कर रहे हैं। कमिशनर की जो रिपोर्टस हैं उन पर हम गौर कर रहे हैं। हमारी 1200 साल की गुलामी का जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ सबसे बड़ा कारण यह था कि हम वीर होते हुए भी, हमारी परम्परायें और हमारी संस्कृति महान होते हुए भी चूंकि हम जातपात में बंटे हुए थे और संकट के समय हम एक नहीं हो सके, इसलिए हम गुलाम रहे। हमारे धार्मिक नेताओं ने वर्णाश्रम की जब व्यवस्था की तब यह सोचा होगा कि प्रोफैशनल डिविजन कर दिया जाए कुछ आदमियों को कुछ काम और कुछ को दूसरा काम सौंप दिया जाए ताकि सब अपने कामों को ठीक प्रकार से कर सकें लेकिन बाद में ऐसे हालात पैदा हो गये कि जिनकी वजह से ये जो जातियां थीं ये आपस में दूर होती चली गई और फिर कभी एक नहीं हो सकी, इकट्ठी नहीं हो सकीं। एक वर्ग की ओर खास तौर पर हरिजन भाइयों की हालत तो इतनी बदतर होती चली गई कि वह हिन्दू जाति की जो मेन स्ट्रीम थी उससे बिल्कुल कटती चली गई। बाद में कोशिशें भी हुई लेकिन इन भाइयों का उद्धार नहीं हो सका जब तक इनका उद्धार नहीं होता है हमारी कौम में जिन्दगी नहीं आ सकती है।

जब हम आजादी की लड़ाई लड रहे थे तो हमारे नेताओं ने एक यह आबजैक्टिव भी रखा था कि आजाद होने के बाद छूआछूत हमारे देश में नहीं रहेगी, छोटे बड़े की कोई बात नहीं होगी। आजादी के बाद तीन साल कोशिशें करने के बावजूद भी हम अपने इस आबजैक्टिव को प्राप्त नहीं कर सके हैं। लोकसभा में कोई दिन नहीं बीतता होगा जब कोई एडजर्नमैंट मोशन न आता हो या प्वाइंट आफ आर्डर रेज न होता हो हरिजनों पर हो रही ज्यादतियों को लेकर। विधान बनाने वालों ने इसका विचार किया था और उनका ख्याल था कि इनको ऊंचा उठाने का एक ही तरीका है और वह यह है कि इनको सर्विसिस में रिज़र्वेशन दिया जाए। इनको उन्नत करने के लिए ज्यादा फंड्स मुहैया किये जायें ताकि उस लेविल पर यह लोग आ सकें जिस पर सोसाइटी के दूसरे वर्ग हैं। 30 साल बाकायदा यह प्रयत्न हुए, चाहे कांग्रेस सरकार थी चाहे जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन हमें महसूस करना चाहिये कि आज भी वही आवाज उठती है कि हरिजनों के लिए कुछ नहीं हुआ, हरिजन भाई कराहते हैं, अपनी तकलीफें बयान करते हैं, उनको जमीन नहीं मिली, मकान नहीं मिला, नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं मिला, आज भी कहीं-कहीं अनटचेबिलिटी है।

[श्री दुर्गा चन्द]

इन बातों का हमें अहसास करना चाहिये कि हमारे प्रयत्न किस हद तक सफल हुए। करोड़ों रुपया हमने खर्च किया इसलिपे कि इन भाइयों को ऊपर उठाया जाय, उनके लिए मकान बनाये। लेकिन 30 साल बाद देखना चाहिये कि जी फंड्स स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगाये या भारत सरकार ने लगाये या समिति लेविल पर पैसे लगे हैं उससे कितने हरिजनों के मकान बने हैं। कभी इस मकान का एवैल्यूएशन हुआ ? कितने भाई अभी तक बेमकान हैं ? क्यों ऐसी बात है कि जब हम नेशनल लेविल पर सोच चुके हैं और सारी कौम इसके लिए कुरबानी करने के लिए तैयार है कि अपने भाइयों को उठाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाय, उसके लिए लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, कौम ने कभी शिकायत नहीं की पैसा न दिया जाय, सारा मुल्क इस बात में एक है। फिर भी अगर 30 साल बाद ऐसे रिजल्ट्स न निकलें तो कौन सी कमी है ? आज भी हरिजनों को जिस तरह सोसाइटी में मिक्स होना चाहियें वैसे नहीं हो सके। इसका कारण क्या है ? जो बेसिक बातें होनी चाहिए वह हमने नहीं कीं।

आज शहरों से अन्दाजा हर बात का नहीं लगाना चाहिये। देश देहातों में फैला हुआ है। देहातों में कभी यह विचार किया गया कि गांव के लोग जो मुख्तलिफ जातियों में बंटे हुए हैं वह आपस में मिक्स हो गए हैं, दूर तो नहीं हैं, अपने आपको एक जाति और एक धर्म का हिस्सा मानने लगे हैं कि नहीं ? लेकिन वह एहसास अभी तक नहीं हुआ क्योंकि हमने यह नही सोचा पुराने जमाने से यह चला आया है कि ब्राह्मणों के घर क्षत्रियों के और हरिजनों के घर अलग-अलग हों और वह कभी भी इकट्ठा न हों, ताजीबी तरीके पर भी तो हमें प्लानिंग ऐसी करनी चाहिये थी कि एक ब्लाक में एक साल में एक माडल विलेज तैयार हो जाता जिसमें सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता जहां ब्राह्मण, राजपूत, हरिजन एक ही गांव में होते और उनके आपस में ताल्लुकात इकट्ठे चलते। तब जाकर के यह चीजें खत्म हो सकती थीं। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा।

आज हम कहते हैं कि हरिजनों के लिये रिजर्वेशन किया है उनको नौकरियां मिलनी चाहिये। और वह बड़े-बड़े ओहदों पर चले गये हैं। लेकिन मेरे गांव के हरिजन भाई जो 8, 10 साल से मैट्रिक पास किये हुए हैं, ट्रेनिंग भी लिये हुए हैं टाइपिंग वगैरह की, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली है। कौन ले जाते हैं उस रिजर्वेशन का फायदा ? हरिजनों में भी एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो राहत मिलती है, हरिजनों को जो फंड्स प्रोवाइड किये जाते हैं उसको वह खुद ले लेते हैं और नीचे जो हरिजन हैं उन तक वह पहुंचते ही नहीं। न नौकरी मिलती है, न मकान मिलता है, न जमीन मिलती है, और न उनकी हालत अच्छी होती है। इसके मुताल्लिक भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। हम यह नहीं कहते कि रिजर्वेशन खत्म किया जाय। लेकिन रिजर्वेशन के जो फायदे हैं वह नीचे तक हरिजनों को भी पहुंचने चाहिये। वह महसूस करें कि सरकार हमें कुछ देने के लिये तैयार है।

मैं भारत सरकार से यह कहूंगा कि उन हरिजनों के लिये, जो गांव में पड़े हुए हैं, जिनको रिजर्वेशन और स्पेशल ट्रीटमैंट से कोई फायदा नहीं पहुंचा है, उनके लिये तेजी से काम करे ताकि

जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, वह महसूस करे कि हम भी सोसाइटी के अंग हैं और हम भी आगे इस तरीके से अपनी जिन्दगी बसर कर सकेंगे।

हिमाचल प्रदेश के मुताल्लिक में खास जिक्र करना चाहूंगा कि वहां कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जिनको अभी भी ट्राइबल एरिया में शुमार नहीं किया जाता है। 1949 में जब हिमाचल प्रदेश बना था, उस वक्त जो एसेसमैंट की गई थी कि कौन-कौन से एरियाज को ट्राइबल एरिया माना जाये, उसके मुताबिक जो बन गये वह तो बन गये लेकिन कई इलाके ऐसे छोड़ दिये गए हैं जहां कि ट्राइब्ज के लोग रहते हैं, लेकिन उनको ट्राइबल एरिया में शुमार नहीं किया जाता है। वह लोग 18 हजार फिट से 28 हजार फिट की ऊंचाई पर बर्फानी पहाड़ियों में अपनी जिन्दगी बसर करते हैं लेकिन वह आज तक ट्राइबल एरियाज में नहीं शामिल किये गए जैसे कोठी कोहड़, कोठी स्वाड़ और इलाका चौहाड़ और कुछ इलाके सिरमौर जिले के भी हैं। मण्डी ड्रिस्टिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पसमान्दा लोगों की जिन्दगी बसर करते हैं। उनका ट्राइबल करैक्टर है, ट्रेडीशन्स ट्राइबल्स हैं और ट्राइबल्स की जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन उनको ट्राइबल्स का ट्रीटमैंट नहीं मिल सका।

मैं कमिश्नर शिड्यूल्ड ट्राइब्ज से निवेदन करूंगा और भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि फिर इसका एसेस्मैंट किया जाना चाहिये और जो इलाके लैफ्ट-आउट हो गये हैं उनको भी ट्राइबल एरियाज में शामिल करना चाहिये। कई जातियां ऐसी हैं जहां भेदभाव किया गया है और आज तक वह दूर नहीं हो सका है। हमने आवाज उठाई हमारे संसद-सदस्य श्री गंगा सिंह और श्री रंजीत सिंह ने बातें कहीं, लेकिन आज तक उन पर कुछ नहीं हो सका। वहां के जो गुजर मुसलमान हैं, जो कि पुराने हिमाचल के ट्राइब्ज के हैं, लेकिन नये इलाके हिमाचल में मिलने से जो इस तरह के लोग हिमाचल के साथ जुड़े, वह गूजर आज तक ट्राइब्ज में नहीं माने गये और उनको कोई फायदा इसका नहीं मिल सका।

1 नवम्बर, 1966 में रि-आर्गेनाइजेशन हुआ पंजाब के कुछ इलाके हिमाचल में आये और एक नया हिमाचल बना। पुराने हिमाचल के गूजर तो ट्राइब्ज में माने गये लेकिन नये हिमाचल के गूजरों को ट्राइब्ज में शामिल नहीं किया गया। होना तो यह चाहिये था कि यूनिफिकेशन हो जाता और वहां के गूजरों को भी लाभ मिलता लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

इसी तरह से गद्दी और गूजर जो कि नये इलाके के हिमाचल में शामिल हुए उन्हें भी ट्राइब्ज में करार देना चाहिये था। जब यूनिफिकेशन और इंटेग्रेशन हुआ और एक नया विशाल हिमाचल बना तो उस समय इन गद्दी और गूजरों को भी वही फैसिलिटीज मिलनी चाहियें थीं जो कि पुराने हिमाचल के गद्दी और गूजरों को मिली हुई थीं। आज वह लोग एक खास किस्म की जिन्दगी काट रहे हैं, उनको फायदा क्यों नहीं पहुंचा है ?

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि 1976 के बाद जो नये इलाके हिमाचल के साथ आकर मिले हैं, उनके भी गद्दी और गूजर जो कि ट्राइब्ज की तरह जिन्दगी बसर करते हैं, उनको भी

[श्री दुर्गा चन्द]

शड्यूल्ड ट्राइब्ज करार देना चाहिये और जिन इलाकों में ट्राइबल करैक्टर के लोग रहते हैं, उनको ट्राइबल एरिया करार देना चाहिये । उसके रेप्रेन्जेशन हुए हैं और यह कमिश्नर आफ शेड्यूल्ड ट्राइब्ज जो हैं उनको इन बातों पर गौर करना चाहिये और यह रेकमेंडेशन करनी चाहिये कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी इनके साथ मिलाया जाय।··· (व्यवधान) ···वह तो शेड्यूल्ड कास्ट ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की ज्वाइंट कमेटी बनी है, उसका मैं भी मेम्बर हूँ । कई जातियां शेड्यूल्ड कास्ट में आना चाहती हें, कई बाहर जाना चाहती हें जो कि सवर्ण बनना चाहती हें, तो उनकी बाद में लिस्ट बनेगी । उसके लिए ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, सूरजभान जी उसके चेयरमैन हैं, मैं उसका मेम्बर हूँ । उस पर बड़े बाकायदगी के साथ डीटेल्स में हम जाने की कोशिश कर रहे है जैसे कि कोली हें वह चाहते हें कि हम शेड्यूल्ड कास्ट न रहें, हमको शेड्यूल्ड ट्राइब बनाना चाहिये, तो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब बना देना चाहिये । अगर ट्राइबल हें तो उनको ट्राइब में कर देना चाहिये । ऐसी जातियों के लिए तो यह कमेटी काम कर रही है और उसकी रिपोर्ट लोकसभा के सामने आएगी, सदन उस पर गौर करेगा, फिर जो भी पास होगा उसके मुताबिक वह हो जायगा ।

इस समय मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के जो पहाडी लोग हें उनकी समस्याएं बहुत हें । वहां शेड्यूल्ड कास्ट्स की हालत ठीक नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को जो मिलना चाहिये वह नहीं मिलता । 18 हजार से लेकर 28 हजार फुट तक की बुलन्दियों पर वे रहते हें अपनी जिन्दगी बसर करते हें । इसलिए सरकार को हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए सबसे ज्यादा फंड देना चाहिये अगर वह उनकी हालत को नेशनल लेवल पर लाना चाहती है । मैं इतना ही कहकर आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया ।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयोग की रिपोर्ट पर विचार चल रहा है । मैं भी उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ । यह बात सही है कि जो हालत आज अनुसूचित जाति और जन-जातियों की है उसे देख करके दुख होता है कि एक इतने बड़े विशाल देश में रहकर के हमको जितना उनको अपने साथ में लाना चाहिए था, जितना उनका उत्थान करना चाहिए था, और जो भेदभाव है उसे मिटाना चाहिये था, उसे करने में हम सफल नहीं हो सके । शासन द्वारा उनके उत्थान के लिए योजनाएं तो बनाई गईं, व्यवस्थाएं की गई लेकिन उनको कार्यान्वित करने में ढिलाई रही । हम उस ओर ध्यान नहीं दे पाए, वह साधन उनको प्रैक्टिकल रूप में नहीं दे पाए ताकि वह एक अच्छे मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें ।

हम अगर उनको ऊँचा उठाना चाहते हैं, साथ में लाना चाहते हैं तो दो प्रमुख साधन उसके हैं । एक तो जो आजकल की उनकी सामाजिक हालत है उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है । दूसरे, उन्हें आर्थिक सहायता देना जरूरी है । जब तक हम आर्थिक सहायता नहीं देते तब तक हम कोरी बातें करते रहें और उनके उठाने की चर्चा करते रहें, हम उनकी हालत में सुधार नहीं ला सकते और उनको एक अच्छे स्तर पर नहीं ला सकते। जो अभी तक हुआ, वह सब ठीक है लेकिन

आगे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए यह देखना चाहिए। मेरा यह कहना है कि जो योजनाएं शासन बनाए उसका वह निरीक्षण भी करे। केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार द्वारा योजनायें बनाई जाती हैं, उनको सहायता देने की बात की जाती है लेकिन उनका निरीक्षण नहीं होता कि हमने जो पैसा दिया है वाकई में वह उनके हाथ लगा या बीच में ही कुछ गड़बड़ हो गया है। जितना पैसा भी इस काम में दिया जाता है, पिछले दिनों का रिकार्ड है कि वह पैसा उन पर उतना खर्च नहीं हुआ। जो ऐसी सभा सोसाइटियां भी बनी हैं इनके नाम से इनके उत्थान के लिये वह भी इन्हें ऊपर उठाने के काम में सफल नहीं हुई हैं और वह पैसा उस तरह से खर्च नहीं किया है। अगर वह पैसा ठीक तरह से खर्च किया जाता तो आज जो हम ऊँच और नीच की बात देख रहे हैं वह कभी की मिट जाती।

सामाजिक परिवर्तन की बात मैं कहूं तो आज हालत यह है कि हम अपने भाइयों को छोटा समझते हैं और जो केवल ना-जानकार हैं, जो अनपढ़ हैं वही नहीं, हम में से जो पढ़े-लिखे हैं, जो अपने को सभ्य समझते हैं वे भी उनको छोटा समझते हैं और उनसे घृणा करते हैं। मैं देखता हूं कि जो अध्यापक हैं जिनका काम शिक्षा देने का है सबको समान दृष्टि से देखना है लेकिन आज वे भेदभाव करते हैं। यही कारण है कि हम अपने भाइयों को अपने साथ नहीं ले सके। इसलिए जो अंधविश्वास और कुरीतियां हैं उनको दूर करना जरूरी है। यह कुरीतियां दूर करना जरूरी है। यह कुरीतियां दूर हो सकती हैं। सभा सम्मेलन होते हैं लेकिन शासन द्वारा वृहद् गोष्ठियों तथा सम्मेलनों का आयोजन होना चाहिए ताकि जिन लोगों के मन में अपने को बड़ा समझने का भाव है वह दूर हो सके। दूसरे लोग भी गरीबी के कारण अपने को छोटा समझते हैं। इसलिए इस प्रकार की भावना पैदा की जानी चाहिए कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा। ऐसी भावना आने पर ही सभी लोग समान रूप से आगे बढ़ने की आकांक्षा कर सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि साधन देना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ कि गरीबों के साधन छिनते जा रहे हैं। पिछले समय में राजशाही में भी आदिवासी जंगल की उपज को फ्री निकालते थे लेकिन अब उसके ठेकेदार होने लगे। हमारे टीकमगढ़ जिले में जंगलों से आदिवासी महुवा के फूल फ्री लेते थे लेकिन अब उसका ठेका कर दिया गया है। हालांकि अभी भी सारा काम वही लोग करते हैं लेकिन ठेकेदार जिसने ठेका ले लिया वह सारा मुनाफा ले जाता है। इस तरह से पहले कई साधन मिले हुए थे जो कि आज छीन लिए गए हैं। सरकार पैसे के लोभ में हर चीज का ठेका कर रही है जिससे उन लोगों को दिक्कत हो रही है। काम तो अभी भी अनुसूचित जाति के लोग ही करते हैं क्योंकि वे बड़े परिश्रमी हैं लेकिन इस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है। जो मुनाफा होता है उसको बड़े-बड़े ठेकेदार ले जाते हैं। इसलिए आज उनको साधन देने की बड़ी आवश्यकता है। बिना साधन के वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

जहां तक शिक्षा की बात है, मैं कहूँगा कि उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज हम समानता की बात करते हैं लेकिन फिर भी हमारे यहां दो तरह के स्कूल चलते हैं। एक तरह के स्कूलों में गरीबों के लड़के पढ़ेंगे और दूसरी तरह के स्कूलों में बड़े आदमियों के लड़के पढ़ेंगे। सरकार उनको अनुदान भी देती है। आखिर यह कब तक चलता रहेगा? सरकार को इस तरह के भेदभाव को मिटाना चाहिए। कोई भी ऐसी संस्था या पाठशाला नहीं रहनी चाहिए जिसमें

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

गरीब आदमी के बच्चे न जा सकें। जब हम समानता की बात करते हैं तब इस तरह के भेदभाव को नहीं चलने देना चाहिए। अगर कहीं इस तरह का भेदभाव बरता जाए तो उसको सरकारी अनुदान नहीं मिलना चाहिए।

बंधुवा मजदूरों का जिक्र बहुत किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में जो प्रथम भाग है इसके पेज 31 पर लिखा है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार 98,091 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया, 97,114 को मुक्त कराया गया और 23,729 को पुनर्वासित किया गया। फिर मध्य प्रदेश के लिए लिखा है कि 1912 का पता लगाया गया, 1500 को मुक्त कराया गया और पुनर्वासित केवल 33 किए गए।

इन आंकड़ों से आपको विदित हो गया होगा कि वहां पर कितने बंधुआ मजदूर थे जो ऋण से ग्रसित थे, लेकिन 33 परिवारों को ही पुनर्वासित किया गया। मैंने इसको पढ़कर इसलिये सुनाया ताकि आपको पता लग सके कि सरकार की गति क्या है। आज इस गति को हमें तेज करना होगा, तभी हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। यहां पर इन रिपोर्टों पर बार-बार चर्चा होती है, तरह-तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन अमल बहुत कम है। हमारे ये बंधुआ मजदूर आज ऋण से ग्रसित हैं, इनका उद्धार तभी हो सकता है जब आप इनको पैसा दें। मेरे टीकमगढ़ जिले के 68 बंधुआ मजदूरों की रिपोर्ट मैंने श्री लारंग साय जी को दी है, बल्कि हमारे मध्य प्रदेश के जो श्रम मंत्री हैं—श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता—उनको भी भेजी है। इस तरह के हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग हैं जो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। एक बात और बतलाना चाहता हूँ—वे लोग केवल साहूकारों के ऋण से ही दबे नहीं है, बल्कि सरकार के भी ऋण से भी दबे हुए हैं। किसी गरीब आदमी ने पम्प के लिए ऋण लिया है, किसी कारण से वह मशीन जल जाती है तो वह बेचारा ऋण से दबा हुआ है—न उसके पास पैसा है कि वह उसको ठीक करा सके और न ही सरकार को ऋण लौटा सकता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे तमाम मामलों की जाँच की जानी चाहिये और उनके ऋण को माफ किया जाना चाहिये। अगर हम केवल साहूकारों की बात यहां करते रहे और सरकार की बात न करें—तो यह भेदभाव होगा। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे बंधुआ मजदूरों को उबारने के लिए, उनको बसाने के लिये, हमको एक बड़ा कार्यक्रम बनाना चाहिये और उनकी हर तरह से सहायता करनी चाहिये।

आज यहाँ पर सफाई का काम करने वालों का सवाल उठाया गया, जो अपने सिरों पर मैला ढोते हैं। यह सबसे छोटा काम कहलाता है दूसरा कोई उस काम को नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। मैं तो यह चाहता हूँ—यदि उनको कम वेतन दिया जाता है, तो वे उस काम को करना छोड़ दें। आज उनके साथ घृणा क्यों की जाती है इसलिये कि वे अपने सिरों पर मैला ढोते हैं, हमारी बहनें सिरों पर मैले के टोकरे को उठाकर ले जाती हैं। मैं तो यह चाहता हूँ कि हर जगह फलश लैट्रीन्ज की व्यवस्था की जाय और ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिससे कम पैसों में ये लेट्रीन्ज बनाई जा सकें ताकि हमारी वे मां और बहनें अपने सिरों पर मैले का टोकरा लेकर न निकलें। यह प्रथा बिलकुल समाप्त होनी चाहिये। हमारे मध्य प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री ने घोषणा कर दी है कि अब कोई भी बहिन अपने सिर पर मैले का टोकरा लेकर नहीं निकलेगी। उन्होंने उनको हाथगाड़ी दी है—इस तरह की व्यवस्था

सब जगह होनी चाहिये। अगर आप भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, अगर आप छूआछूत को मिटाना चाहते हैं—तो यह प्रथा बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। उनके लिए कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि उनको यह काम करना ही पड़ेगा, उनकी मर्जी है—वे इस काम को करें या न करें। मैं तो यह चाहता हूं कि उनको इतना ज्यादा वेतन दिया जाय, जैसे इंजीनियरों और दूसरे लोगों को दिया जाता है। अगर ज्यादा पैसा मिलने लगेगा तो फिर ऐसे बहुत से पंडित जी मिल जायेंगे जो इस काम को करने के लिए तैयार हो जायेंगे। आज कम पैसा मिलने के कारण ही वे गरीब हैं—ज्यादा पैसा देने से उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा।

आज आप हरिजन मुहल्लों में जाय, जहां गरीब लोग रहते हैं—उनकी बस्तियां गन्दी बस्तियों के रूप में पड़ी हुई है, उनके विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जब कहीं पानी और बिजली लगाई जाती है तो बड़े आदमियों के मुहल्लों से वह काम शुरू होता है, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। शासन की नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि जब भी किसी गांव में बिजली या पानी की व्यवस्था की जाय, तो सबसे पहले वह काम हरिजन मुहल्ले से शुरू होना चाहिये—आप इस तरह का नियम बनाइये। हम लोग यहां पर बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन नियमों का पालन न किया जाय, तो इससे क्या फायदा है। यदि हम उनके लिये ऐसी व्यवस्था करेंगे तो इससे उनके मन में विश्वास पैदा होगा कि हमारी सरकार वास्तव में समानता की बात करती है और इससे उनका उत्साह बढ़ेगा।

आज अन्त्योदय की बात कही जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूं राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ काम किया है, लेकिन बाकी सरकारें अभी बहुत पीछे हैं।

वह तो एक व्यवस्था बना ली है कागजों में लिखने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर उन लोगों को, उन गरीबों को उठाना है, तो उनको जो साधन देने पड़ेंगे। कहते हैं कि साधन दे रहे हैं, धंधा दे रहे हैं। मैं आपको स्टेट बैंक की बात बताता हूं। जो उनके एजेंट हैं और जो पैसा देने वाले नबाव बने हुए हैं, मैंने बार बार कहा है कि स्टेट बैंक इन गरीब लोगों को पैसा नहीं देता है। वह पैसा बड़े बड़े आदमियों को ही देता है, जिनको 60, 60 हजार और एक एक लाख रुपये लेने होते हैं। जिनको एक हजार या दो हजार रुपया चाहिए, उनको कह दिया जाता है कि हम देखेंगे और विचार करेंगे कि आपको कौन सा ऋण मिल सकता है। इस तरह गरीबों को टाल दिया जाता है। कितने गरीबों को पैसा दिया गया। बहुत कम को दिया गया। पहले स्टेट बैंक का काम बहुत अच्छा चलता था, बिजली की तरह काम चलता था लेकिन गरीबों को ऋण देना है, तो वहां जो उनका काम है वह भी खराब हो गया है। शायद ही कोई ऐसा ऐजेंट होगा स्टेट बैंक का, जो ईमानदारी से काम करता हो।

मैं जानता हूं कि टीकमगढ़ या छतरगढ़ में जो स्टेट बैंक हैं, उनका काम ठीक नहीं है और पैसा गरीबों को नहीं दिया जाता। इस लिए बैंकों का काम सुधरना चाहिए और खास तौर से अनुसूचित जातियों और जनजातियों का सवाल भूमि से ज्यादा सम्बन्धित है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भूमि सुधार कितना किया गया और कितनी जमीन उनको दी गई। जो जमीन दी भी गई है, उसके लिए अगर आप साधन नहीं देंगे तो वह ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी। जो जमीन आवंटित की भी गई है वह साधन न होने की वजह से ज्यों की त्यों पड़ी है और मेरा

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

प्रशासकीय संकल्प भी इस लोकसभा में आया था जिसमें मैंने कहा था कि एक भूमि सेना बनाई जाए, जो बंजर जमीन पड़ी है या पड़ती जमीन पड़ी है, उसको ठीक करे। उस जमीन के लिए आप साधन दें यानी सिंचाई के साधन दें और उपकरण देकर, वह जमीन आदिवासियों को हरिजनों को दें, जो वहां पर उन साधनों से खेती कर सकें लेकिन इस पर न प्रान्तीय सरकार ध्यान दे रही हैं और न केन्द्रीय सरकार का उस तरफ ध्यान गया है।

मुझे यह मालूम हुआ है कि कर्नाटक सरकार ने कुछ इस पर अमल किया है। वहां के होमगार्डों द्वारा यह काम कराया जाता है। इसलिए जमीन अगर दी, तो साधन देनी चाहिए। कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो घुमक्कड़ हैं यानी जो घूमती रहती हैं और उनके रहने के लिए कोई मकान नहीं है। ऐसी कई जातियां हैं, जो हरिजन हैं या दूसरी भी हैं जिनके बसाने के लिए कोई स्थान नहीं है लेकिन कम से कम शासन को यह देखना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर इन्हें भी साधन दें और इस बारे में कोई भी भेदभाव न रहे, ऊंच-नीच न रहे। तरह का भेदभाव मिटाने का प्रयास करना चाहिए।

अभी हमारे मवई साहब ने कहा कि गांधी जी की जो स्कीम थी उसके जरिये हम मामले में सफल नहीं हो सकते हैं। मैं इसको ऐसा ही मानता हूं जैसे छोटा मुंह बड़ी बात। गांधी जी ने हरिजनों के लिए जो किया वह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने अपनी सारी शक्ति गरीबों के लिए लगा दी और उनके लिए इतने सारे काम किये। वे हरिजनों के लिए झोली पसारते थे और लोगों को कहते थे कि हरिजनों की मदद करो। हरिजनों को ऊंचा उठाने में ज्यादा उनकी मदद रही है। इसलिए ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। गांधी जी ने इसके बहुत से काम किये है। इसी तरह से शासन को ऊंचा उठाने के लिए मदद करनी चाहिए समाज में भाई चारे की भावना को लाना चाहिए और ऊंच-नीच की बात को समाप्त कर उनको अच्छे स्तर पर लाना चाहिए।

इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री धीरेन्द्रनाथ बसु

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : सभापति महोदय: श्रीमान ......

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

सभा कल 10.30 बजे मध्यान्हपूर्व तक के लिए स्थगित होती है।

मध्यान्ह पश्चात 6-30

इसके पश्चात लोकसभा मंगलवार, 15 मई 1979/

25 वैशाख, 1901 (शक) के

10.30 बजे तक के लिए

स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाश दीप प्रिंटर्स, 20, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

पी॰ एल॰ एस॰ 48. XXVII 55/79 (एन)
210

© 1979 लोक-सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
आकाश दीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।